पंचदश माला, खंड 30, अंक 19

बुधवार, 19 दिसम्बर, 2012
28 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 30 Sept 2015

(खण्ड 30 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वनाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चंद्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

[पंचदश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 19, बुधवार, 19 दिसम्बर, 2012/28 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 और 362	2-49
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 363 और 380	49-99
अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370	99-543
सभा पटल पर रखे गए पत्र	543-582
राज्य सभा से संदेश	582
प्राक्कलन समिति	
18वां और 19वां प्रतिवेदन	583
लोक लेखा समिति	
विवरण	583-584
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
प्रतिवेदन	584-585
रेल अभिसमय समिति	
5वां प्रतिवेदन	585
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	585
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
26वां प्रतिवेदन	586
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
29वें से 31वां प्रतिवेदन	586-587

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 587-605

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पबन सिंह घाटोवार 587

(दो) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. सी.पी. जोशी 588

(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राजीव शुक्ला 588-589

(चार) दक्षिण दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के पश्चात लिये गये निर्णय

श्री सुशील कुमार शिंदे 591-593

कार्य मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 589

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के पीड़ितों के चरित्र हनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना 590-591

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारियल उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरून रशीद 593-594

विषय कॉलम

(दो) दिल्ली में प्रत्येक परिवार को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा दिल्ली में उन व्यक्तियों, जो अपनी किरोसिन एजेंसियां बंद होने के पश्चात् बेरोजगार हो गए हैं, को रसोई गैस की डीलरशिप प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री महाबल मिश्रा 594-595

(तीन) ऑक्यूपेशनल थैरेपी के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी 595

(चार) भारत के हितों की रक्षा के लिए भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन 595-596

(पांच) समुद्री जल-जीवन तथा छोटे मछुआरे समुदाय की आजीविका के रक्षा उपायों का आकलन करने और उन्हें कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री निलेश नारायण राणे 596-597

(छह) देश में खेलों और युवा कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह 597-598

(सात) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा 598

(आठ) मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भारतीय सेना द्वारा एक कैंटीन खोले जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 598-599

(नौ) झारखंड राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध और प्रसिद्ध शहरों में बुनियादी अवसंरचना का विकास आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे 599-600

विषय	कॉलम
(दस) एमटीएनएल के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान एमटीएनएल के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	600
(ग्यारह) बिहार के पूर्वी चंपारण में राजकीय बुनियादी बुनियादी विद्यालय मधुबनी कलाशाला के पुनरूद्धार के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रमा देवी	600-601
(बारह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से लाभकारी मूल्य पर धान की खरीद किए जाने की आवश्यकता	
श्री राकेश सचान	601-602
(तेरह) पैदल यात्रियों तथा वाहन यातायात की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में अकबरपुर जंक्शन के समीप रेल समपार संख्या 83ए को खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राकेश पाण्डेय	602
(चौदह) बिहार के उजियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बीज अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती अश्वमेध देवी	602-603
(पंद्रह) महाराष्ट्र में शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	603
(सोलह) बिहार में बरौनी रिफायनरी की क्षमता का विस्तार किए जाने तथा बरौनी में प्रस्तावित फिनॉल इकाई की स्थापना भी किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	603-604
(सत्रह) चाय बागानों को पुन: खोले जाने तथा चाय बागानों के बेरोजगार कामगारों को मुआवजा दिए किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. तरूण मंडल	604

विषय	कॉलम

(अट्ठारह) कोल्हापुर विमानपत्तन का नाम बदलकर छत्रपति राजाराम महाराज विमानपत्तन रखे जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी 605

संविधान (एक सौ सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 2012

विचार करने के लिए प्रस्ताव 606

श्री वी. नारायणसामी 608

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 609-610

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 610-620

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 621

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 622-624

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 19 दिसंबर, 2012/28 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 361। श्री धनंजय सिंह।

...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, हमने प्रश्नकाल के स्थगन का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न काल के बाद अपनी बात उठा लीजिए। हम आपको बोलने का समय देंगे।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री यशवीर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हम आपको जीरो आवर में बोलने का समय देंगे।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : हम आपको बारह बजे सबसे पहले बुला लेंगे। अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : जो भी विषय हो, हम उस पर बारह बजे चर्चा कर लेंगे।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी सीटों में जाकर बैठ जाइए। प्रश्नकाल चलाने दीजिए।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 361, श्री धनंजय सिंह।

[अनुवाद]

स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन

***361. †श्री धनंजय सिंह :**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के लिंग-वार नामांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने हेतु राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं अथवा दिए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के स्तर का मूल्यांकन और आकलन कराने हेतु कोई राष्ट्रव्यापी अभियान चलाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यविधि अपनाई गई है; और

(घ) स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन में गिरावट को रोकने तथा उनकी सारक्षता दर में सुधार लाने हेतु अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्कूल शिक्षा के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षो 2008-09 (अनंतिम), 2009-10 (अनंतिम), 2010-11 (अनंतिम) के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथ्मिक और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात का राज्य-वार और लिंग-वार ब्यौरा संलग्न में दिया गया अनुबंध I, II और III में दिया गया है।

(ख) सरकार सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में माध्यम से सार्वभौमिक प्रांरभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में संगत प्रगति कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, बालिकाओं की शिक्षा के संवर्धन के लिए अनेक कार्यकलाप किए गए हैं जिनमें बालिकाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच को सुगम बनाने हेतु आस-पड़ोस में स्कूल खोलना, महिला अध्यापकों सहित अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, नि:शुल्क वर्दी, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, आई.सी.डी.एस कार्यक्रमों इत्यादि के साथ मिलकर स्कूल में/स्कूल के निटक पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केन्द्र खोलने, बालिका भागीदारी को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को संवेदनशील बनाने के कार्यक्रम और बालिका शिक्षा को बढ़ाने हेतु पाठ्यपुस्तकों और समुदाय जुटाव के गहन प्रयासों सहित बालक-बालिका-संवेदी शिक्षण-अध्ययन सामग्री शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता दरों वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा के मामलों के निपटान हेतु बालिकाओं के लिए उच्चतर प्राथमिक आवासीय स्कूलों की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम और प्रारंभिक स्तर पर गहन समुदाय जुटाव हेतु बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम और समूह आधारित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। देश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच और उन्हें स्कूलों में बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन की योजना भी कार्यन्वित की जा रही है।

(ग) प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति स्तरों के मूल्यांकन के लिए 2009 में स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा अध्ययन किया गया था जिससे पता चला है कि बालिकाओं की उपस्थिति दर प्राथमिक स्तर पर कुल औसत 68.5 प्रतिशत की तुलना में 70.6 प्रतिशत थी और उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल औसत 75 प्रतिशत की तुलना में 78.7 प्रतिशत थी।

(घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकर प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के समनुरूप बनाने हेतु संशेधित किया गया और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हो सके। स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि करने की दृष्टि से मध्याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षा की सुलभता में महिला-पुरूष संबंधी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है।

अनुबंध-I

प्राथमिक चरण में सकल नामांकन अनुपात (कक्षा I-V)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	95.9	96.8	98.0	98.3	99.7	99.4
2	अरुणाचल प्रदेश	161.2	153.7	170.0	163.4	184.5	176.9

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	136.3	134.8	91.7	94.1	93.1	95.6
4.	बिहार	123.2	102.9	125.7	109.2	131.3	123.6
5.	छत्तीसगढ़	143.2	138.9	126.3	120.5	125.6	120.0
6.	गोवा	133.1	132.3	93.4	91.7	106.9	101.5
7.	गुजरात	116.9	126.0	120.0	121.0	119.4	121.4
8.	हरियाणा	82.7	98.7	88.6	92.0	90.6	100.2
9.	हिमाचल प्रदेश	110.9	11[illegible].0	107.7	107.7	109.1	109.4
10.	जम्मू और कश्मीर	118.9	115.6	110.3	112.6	108.3	111.7
11.	झारखंड	149.5	152.6	157.5	158.2	145.9	148.5
12.	कर्नाटक	107.6	105.6	105.4	104.0	105.2	104.1
13.	केरल	90.7	92.2	93.4	93.9	91.4	91.5
14.	मध्य प्रदेश	150.0	150.0	149.3	150.0	131.2	139.7
15.	महाराष्ट्र	104.3	101.5	104.9	102.3	105.5	103.7
16.	मणिपुर	184.9	179.6	189.7	182.3	195.7	188.4
17.	मेघालय	160.7	166.5	170.0	174.1	193.7	196.3
18.	मिजोरम	206.5	198.9	173.9	162.2	191.7	180.0
19.	नागालैंड	124.7	128.8	99.6	98.9	103.7	102.8
20.	ओडिशा	120.6	121.5	118.4	119.3	118.7	120.1
21.	पंजाब	73.9	71.3	108.6	107.5	109.1	108.3
22.	राजस्थान	121.6	115.0	119.1	115.1	110.3	109.5
23.	सिक्किम	153.4	153.7	157.9	152.7	164.4	158.7
24.	तमिलनाडु	118.0	118.6	114.3	115.3	111.0	112.6
25.	त्रिपुरा	149.6	147.5	146.8	143.7	134.9	133.3
26.	उत्तर प्रदेश	106.3	115.3	106.6	114.7	123.8	130.4

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तराखंड	107.0	115.0	108.6	111.8	107.9	110.2
28.	पश्चिम बंगाल	101.4	102.5	124.8	126.4	91.5	93.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.0	101.2	74.7	72.6	87.5	84.9
30.	चंडीगढ़	108.3	98.2	61.1	64.8	78.6	78.1
31.	दादरा और नगर हवेली	164.7	166.2	107.4	107.5	104.3	107.0
32.	दमन और दीव	191.5	160.8	75.1	84.8	76.5	82.6
33.	दिल्ली	109.2	114.4	119.9	122.5	126.0	129.6
34.	लक्षद्वीप	58.1	59.3	82.3	82.3	81.4	80.8
35.	पुदुचेरी	155.3	139.1	96.0	102.0	104.8	102.3
	भारत	114.3	114.4	115.5	115.4	115.4	116.7

स्रोत: स्कूल शिक्षा आंकड़े

अनुबंध-II

उच्च प्राथमिक चरण में सकल नामांकन अनुपात (कक्षा VI-VIII)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	77.5	77.1	77.9	77.4	80.3	79.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.8	93.9	106.1	96.2	108.5	102.6
3.	असम	39.7	34.1	67.3	70.3	67.2	68.7
4.	बिहार	55.7	42.2	60.8	49.7	68.4	60.4
5.	छत्तीसगढ़	96.7	88.9	87.2	81.1	90.2	84.7
6.	गोवा	93.1	86.6	81.2	77.1	99.2	92.2
7.	गुजरात	89.2	84.6	90.5	82.0	89.5	81.5

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	66.6	80.6	77.3	80.6	82.3	84.8
9.	हिमाचल प्रदेश	115.0	113.1	114.6	112.1	116.0	111.4
10.	जम्मू और कश्मीर	93.9	83.9	95.3	90.9	96.6	92.6
11.	झारखंड	68.5	63.8	71.2	49.7	81.7	81.0
12.	कर्नाटक	92.4	89.6	90.9	87.7	92.2	89.1
13.	केरल	102.6	100.2	107.1	102.4	106.5	101.3
14.	मध्य प्रदेश	105.6	98.6	106.1	97.4	100.2	102.6
15.	महाराष्ट्र	90.3	87.4	91.5	86.9	95.1	89.6
16.	मणिपुर	109.1	101.2	107.2	99.2	108.5	100.8
17.	मेघालय	67.7	79.4	80.5	91.4	85.9	96.2
18.	मिजोरम	97.9	94.6	100.8	95.0	108.2	101.3
19.	नागालैंड	82.0	84.7	59.1	60.7	59.4	60.7
20.	ओडिशा	87.2	82.2	85.4	82.0	83.3	80.7
21.	पंजाब	70.2	69.6	93.6	89.7	95.8	91.7
22.	राजस्थान	94.9	72.0	95.0	72.7	91.0	73.0
23.	सिक्किम	68.2	84.6	70.9	86.6	71.2	86.6
24.	तमिलनाडु	116.7	114.0	114.3	112.1	113.0	111.5
25.	त्रिपुरा	95.0	95.3	93.3	93.1	92.2	91.5
26.	उत्तर प्रदेश	52.5	56.0	74.3	65.9	84.1	75.5
27.	उत्तराखंड	102.4	111.2	101.0	107.9	102.6	109.2
28.	पश्चिम बंगाल	72.8	75.3	80.3	87.0	84.6	88.0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	108.1	97.8	77.1	73.7	89.4	86.4
30.	चंडीगढ़	89.3	86.9	65.3	64.5	84.5	77.1
31.	दादरा और नगर हवेली	96.2	83.4	101.1	90.5	100.7	100.5

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और दीव	156.1	138.1	67.5	81.0	72.4	81.3
33.	दिल्ली	99.3	102.0	110.8	106.9	110.9	106.4
34.	लक्षद्वीप	48.1	45.7	61.8	65.6	74.0	93.0
35.	पुदुचेरी	123.6	105.7	95.0	98.0	106.8	99.7
	भारत	77.9	74.4	84.5	78.3	87.7	83.1

स्रोत: स्कूल शिक्षा आंकड़े

अनुबंध-III

माध्यमिक चरण में सकल नामांकन अनुपात (कक्षा IX-X)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	65.6	64.6	67.5	66.9	67.1	67.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.9	62.8	69.2	63.9	73.3	67.9
3.	असम	48.4	42.6	51.9	46.8	52.0	46.9
4.	बिहार	38.0	26.2	39.9	30.0	46.3	37.0
5.	छत्तीसगढ़	76.0	65.4	55.5	47.3	63.6	58.9
6.	गोवा	76.9	74.2	62.4	64.0	67.8	64.7
7.	गुजरात	67.0	49.4	67.5	52.3	71.3	56.5
8.	हरियाणा	54.2	66.0	60.4	71.3	60.8	71.4
9.	हिमाचल प्रदेश	100.5	99.1	85.7	93.0	102.4	101.0
10.	जम्मू और कश्मीर	49.3	39.9	66.6	62.5	66.8	63.2
11.	झारखंड	34.0	24.8	33.1	24.0	47.4	43.1
12.	कर्नाटक	70.1	68.1	73.0	71.0	74.0	72.5
13.	केरल	92.1	93.2	98.2	96.8	101.6	99.7

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	72.9	50.0	75.9	50.6	80.4	52.8
15.	महाराष्ट्र	72.9	68.2	75.9	69.6	76.0	71.2
16.	मणिपुर	78.1	75.7	78.0	79.1	83.5	80.1
17.	मेघालय	50.0	53.7	46.4	52.8	49.0	49.9
18.	मिजोरम	67.9	69.7	73.3	75.3	75.4	78.3
19.	नागालैंड	27.7	30.1	27.3	29.6	27.4	29.5
20.	ओडिशा	57.6	50.2	58.0	53.2	60.7	56.8
21.	पंजाब	55.1	56.2	54.0	56.2	64.8	65.8
22.	राजस्थान	69.2	42.8	69.4	45.4	72.4	50.1
23.	सिक्किम	43.6	45.9	44.8	50.4	44.9	50.3
24.	तमिलनाडु	81.7	84.9	80.6	83.8	81.4	83.3
25.	त्रिपुरा	61.2	59.7	68.8	68.3	73.0	73.3
26.	उत्तर प्रदेश	70.6	56.8	79.4	64.7	75.0	60.4
27.	उत्तराखंड	88.5	85.1	87.3	80.1	89.0	84.8
28.	पश्चिम बंगाल	53.0	45.2	52.8	57.1	58.3	59.7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	83.5	87.5	65.1	63.4	84.7	79.7
30.	चंडीगढ़	70.5	70.3	50.4	40.6	69.3	57.7
31.	दादरा और नगर हवेली	60.7	39.3	60.4	56.6	72.1	69.9
32.	दमन और दीव	81.5	113.3	52.4	65.8	60.7	65.7
33.	दिल्ली	70.5	71.8	82.0	79.7	101.9	98.4
34.	लक्षद्वीप	43.8	58.9	72.3	71.3	71.0	76.1
35.	पुदुचेरी	103.8	104.7	83.9	92.2	98.3	96.5
	भारत	64.2	55.0	66.7	58.4	69.0	60.8

स्रोत: स्कूल शिक्षा आंकड़े

श्री धनंजय सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी द्वारा सदन के सामने जो डाटा प्रस्तुत किया गया है, उसमें उपस्थिति और नामांकन दोनों में बहुत अंतर है। मिनिस्ट्री आफ एचआरडी की एएसईआर रिपोर्ट में नामांकन का स्तर 97 प्रतिशत है और उपस्थिति 70 प्रतिशत है। आपने अपने जवाब में कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रहे हैं, निशुल्क वर्दी दे रहे हैं और मिड डे मील की योजना है। नामांकन इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए होता है। हम गांव में देखते हैं कि इन योजनाओं का किस तरह दुरुपयोग होता है। हम गांव में देखते हैं कि इन योजनाओं का किस तरह दुरुपयोग होता है। मैं आपने जानना चाहता हूं कि नामांकन और उपस्थिति के अंतर को किस तरह कम करेंगे या बराबर करने की दिशा मे काम करेंगे?...*(व्यवधान)*...

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय, श्री रमेश राठौड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

डॉ. शशी थरूर : अध्यक्ष महोदया, हम इस समस्या जैसे कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन देना और बालिकाओं के लिये अलग शौचालयों का निर्माण और अन्य कार्यों के प्रति अत्यंत सजग हैं और हम अनेक प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे बालिकायें विद्यालय जायेंगी हम ये सारी सुविधायें दे रहे हैं जिसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा। कभी-कभी सामाजिक-आर्थिक कारकों, परिवार की समस्याओं, घर पर दबाव एवं इसी प्रकार के अन्य कारणों से उपस्थिति में कमी आती है। बच्चे की देखभाल, भईया बहन की देखरेख एवं परिवार की समस्याओं आदि के कारण भी विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति प्रभावित होती है। लेकिन, धीरे-धीरे हमारे प्रोत्साहनों का अच्छा असर पड़ा है...*(व्यवधान)*...

पूर्वाह्न 11.04 बजे

इस समय, श्रीमती भावना पाटील गवली और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

[हिन्दी]

श्री धनंजय सिंह: अध्यक्ष महोदया, मुझे सरकार खास तौर से बेसिक एजुकेशन में गंभीर नहीं दिखती। सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एच.आर.डी. की अपनी रिपोर्ट में स्वयं स्वीकार किया है कि आज बच्चों की शिक्षा का जो स्तर है, कक्षा पांच के बच्चे कक्षा दो के सवाल हल नहीं कर सकते। इन्होंने कई योजनाएं लागू की हैं।...*(व्यवधान)*

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, आप क्लास-10 और 12 के लिए आवासीय विद्यालय की योजना चला रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन के लिए गुरुकुल पद्धति हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी। क्या गुरुकुल पद्धति की तरह, कक्षा-1 से लेकर कक्षा-5 तक के बच्चों के लिए गांवों में आवासीय विद्यालय बनाने की व्यवस्था आप सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसी योजना है, तो कब तक है?

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर : महोदया, हमारे पास दो तरह की आवासीय योजना है। पहली जवाहर नवोदय विद्यालय की है जो आवासीय है और जो देश के प्रत्येक जिले में है। हमारे पास शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में एक विशेष योजना है जिसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहा जाता है जिसमें अत्यंत गरीब बालिकायें जाती हैं और उन्हें अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है। वास्तव में, इनमें से 75 प्रतिशत इन शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के अनुसूचित जाति के बच्चे होते हैं और शेष गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे होते हैं। अतः हम आवासीय स्थान दे रहे हैं जो निश्चय ही इन बच्चों में से अनेक के लिये आकर्षण होता है।

महोदया, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित जो व्यापक मुद्दे उठायें हैं वह अध्यापकों की कमी से संबंधित हैं। हम और अध्यापकों की भर्ती करने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और राज्य अधिक अध्यापकों की भर्ती करेंगे तो वे यह सुनिश्चित करने के लिये बेहतर स्थिति में होंगें कि हमारे विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी अपने अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करें।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, देश में बालिकाओं के लिए हमारे प्राथमिक स्कूलों में शौचालयों की भारी कमी है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं - उत्तर प्रदेश, उसमें तीस से चालीस प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जहां बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सभी प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय हों, इसके लिए सरकार की क्या योजना है और क्या वह इसमें कारपोरेट सेक्टर का सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं, जिससे देश में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनाए जा सकें?...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर : हां, यह सर्व शिक्षा अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। हम बालिकाओं को शौचालय सुविधायें देने का ठीक प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह बालिका विद्यालय हों या सह शिक्षा विद्यालय हों, तथा अध्यक्ष महोदया, इसका कारण है कि एक आयु विशेष के बाद बालिकाओं को उस समय विद्यालयों में रहना कठिन होता है यदि उन्हें 'चेन्ज' करने एवं अन्य शौचालय सुविधायें उपलब्ध नहीं होती हैं।

इस कारण से बालिकाओं के लिये शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आंकड़े कुछ बेहतर हैं।

उदाहरण के लिये उच्च प्राथमिक स्तर पर 72 प्रतिशत स्वीकृत शौचालयों का निर्माण हो गया है। यदि उदाहरण के लिये हम गत दो-तीन वर्षों से आंकड़ों में हुये सुधार को देखें तो हमें पता चलेगा कि वर्ष 2011-12 जो अत्यंत हाल का समय है जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, 68.87 प्रतिशत विद्यालयों में छात्राओं के लिये शौचालय हैं। हम यह नहीं कर रहे हैं कि 68 प्रतिशत पर्याप्त है। हम प्रत्येक वर्ष प्रगति कर रहे हैं। लेकिन गत वर्ष यह केवल 60 प्रतिशत था। अतः, आप देखें कि प्रत्येक वर्ष व्यापक सुधार हुआ है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी विद्यालयों में बालिका शौचालय हों, अध्यक्ष महोदया...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुप्रिया सुले : अध्यक्ष महोदया, वह अच्छी बात कहा हैं, लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बात की है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वे केवल पांचवें स्तर से आठवें स्तर तक हैं। आठवीं के बाद इन जनजातीय बच्चों का क्या होता है? इसको समावेशी बनाने के सारे प्रयत्न के बावजूद वे आगे नहीं बढ़े। अतः, मैं माननीय मंत्री से अपील करती हूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बढ़ाकर स्नातक स्तर तक किया जाए और, तभी, यह वास्तव में, जनजातीय लड़कियों के लिये लाभकारी होगा...*(व्यवधान)*...

डॉ. शशी थरूर : अध्यक्ष महोदया, सच यह है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसा कि हम इन्हें कहते हैं, छात्राओं को एक मंच उपलब्ध कराने की दिशा में अत्यंत सकारात्मक कदम है। तथापि यदि छात्रा के लिये मुश्किल हो तो हमारे पास अन्य प्रोत्साहन हैं। उदाहरण के लिये हमारे पास एक नयी योजना है जिसके अंतर्गत आठवीं पास करने वाली छात्रा को 3000 रुपये की मियादी जमा दी जाती हैं और यह धनराशि ब्याज सहित उसे उस समय दी जाती है जब वह दसवीं कक्षा पास कर लेती है। अतः मूल शिक्षा के प्लेटफार्म पर यह उन्हें अपनी शिक्षा स्नातक स्तर तक या कम से कम दसवीं स्तर तक जारी रखने के लिये प्रोत्साहन है। उन्हें आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करना इस सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है...*(व्यवधान)*...

डॉ. रत्ना डे : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। सरकार नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दे रही है। एकल लड़की के लिये कक्षा एक और कक्षा छठी से आगे केन्द्रीय विद्यालयों में उपबंध है...*(व्यवधान)*... पश्चिम बंगाल में केवल एक केन्द्रीय विद्यालय है, वह जिला बांकुरा में है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) 2010 से लागू हुआ है...*(व्यवधान)*...

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 2009 में शुरू की गई बालिकाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना की क्या स्थिति है। क्या इस योजना से बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी आई है?...*(व्यवधान)*...

डॉ. शशी थरूर : अध्यक्ष महोदया, वास्तव में यही योजना है जिसा उल्लेख मैं अपने पूर्व के उत्तर में कर रहा था। छात्राओं को प्रोत्साहन के लिये राष्ट्रीय योजना एक ऐसी योजना है जो उन्हें विद्यालय में अध्ययन जारी रखने के लिये प्रोत्साहन के रूप में कुछ धन देती है और उन्हें वह पूरी धनराशि तब देती है जब वे पास हो जाती हैं...*(व्यवधान)*... हम इस

योजना को पांच लाख बालिकाओं तक पहले ही पहुंचा चुके हैं। यदि योजना जारी रहती है तो हमें निश्चित रूप से आशा है कि इससे छात्राओं को हाई स्कूल से पहले विद्यालय छोड़ने से रोकने में मदद मिलेगी...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी: अध्यक्ष महोदया, कुछ दिन पहले मंत्री महोदय का बयान आया था कि देश के उच्चतम शिक्षा संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है।...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए पूछना चाहती हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, उनमें पढ़ने वाले 300 या 400 विद्यार्थियों को एक साथ चार शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं?...*(व्यवधान)* एक कक्षा के अंदर चौथी, पांचवीं और छठी क्लासेज के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। मैंने जब शिक्षक से पूछा कि आप कौन सी कक्षा का सवाल उन्हें देते हैं, तो उन्होंने कहा कि कभी हम चौथी कक्षा का और कभी पांचवीं कक्षा का पाठ्यक्रम लेते हैं।...*(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है? अगर है तो आने वाले समय में वह इस बारे में क्या कदम उठाएंगे? यह भी देखा गया है कि कुछ शिक्षक स्कूल की बिल्डिंग बनाने या खाना बनाने में व्यस्त रहते हैं।...*(व्यवधान)* कुल मिलाकर तीन से चार शिक्षक पूरे विद्यालय का संचालन करते हैं। आज की तारीख में सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या करने जा रही है, जिसकी बेसिक शिक्षा अनिवार्यता है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर : अध्यक्ष महोदया, हम यह बात स्वीकारते हैं कि देश में अध्यापकों की कमी है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। हमें और अधिक संख्या में अध्यापक चाहिये। निस्संदेह, यह कार्य किया ही जाना चाहिये...*(व्यवधान)*... सरकार ने अध्यापकों की भर्ती करने बाबत राज्यों को प्रोत्साहित किया है। विशेषतः, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम पारित हो जाने के उपरान्त तो और अतिरिक्त संख्या में अध्यापकों को लगाने के संबंध में काफी संसाधनों को लगाया जा रहा है। अध्यापकों की कमी राज्य से राज्य में अलग है। उदाहरणार्थ, मेरे अपने राज्य केरल में, हमने करीबन 20-25 बच्चों के लिये एक अध्यापक की व्यवस्था कर रखी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरीखें राज्य में 70 बच्चों के लिए लगभग एक ही अध्यापक है...*(व्यवधान)*... अतः, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ राज्यों को और अधिक संख्या में अध्यापकों की भर्ती करने की दिशा में और प्रगति करनी होगी। मैं निश्चय ही माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है और हम राज्यों को और आर्थिक प्रगति करने बाबत प्रोत्साहित कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*... हाल ही में देखी गई प्रगति के दृष्टिगत हमें विश्वास है कि और अधिक संख्या में अध्यापक लगाये जायेंगे और उनकी चिंता समय के साथ-साथ निश्चय ही कम हो जायेगी...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

श्री पोन्नम प्रभाकर: मैडम, यू.पी.ए. सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन करने के बाद पूरे देश का रिकार्ड बता रहा है कि लड़कियों के एनरोलमेंट के बारे में, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में इस सरकार का योगदान है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए यू.पी.ए. की चेयरपर्सन सोनिया जी और एच.आर.डी. मिनिस्टरी को धन्यवाद देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* जो कस्तूरबा स्कूल्स हैं, जो आर.बी.एम. की तरफ से स्कूल्स कंडक्ट हो रहे हैं, केन्द्र सरकार से जिन्हें पैसा दिया जाता है, वहां राज्य सरकार केन्द्र सरकार का नाम नहीं रखकर कहीं भी इसका इनरोलमेंट नहीं रखती।...*(व्यवधान)* राज्य सरकार खुद के ही प्रोग्राम बनाती है।...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ऐसी नीति बनाए कि केन्द्र को शामिल करके, रिव्यू करने के लिए विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी में भी इसे लाकर, एजुकेशन सिस्टम में इतना पैसा खर्च करने के बाद सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए इसे विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी में लाना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कूल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, साईकिल सुविधा या फ्री पास-ट्रेन पास देने की कोई योजना, कोई सोच केन्द्र सरकार की है, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर : अध्यक्ष महोदया, इस बारे में कतई कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि केन्द्र अक्सर ही धनराशि मुहैया कराने एवं कोई श्रेय न लेने की स्थिति में होता है...*(व्यवधान)*... यह ईमानदारी से होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है।

हमारे लिये श्रेय कम महत्व का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को अच्छी एवं उत्कृष्ट शिक्षा हासिल हो...*(व्यवधान)*...

दूसरी ओर, माननीय सदस्य ने साइकिलो इत्यादि के प्रावधान का सुझाव दिया है। राज्य सरकारें इस संबंध में कुछ कार्य कर रही हैं...*(व्यवधान)*... कई राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं। इस संबंध में तमिलनाडु हमारे समक्ष एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां छात्राओं को नियमित रूप से साइकिलें प्रदान की जाती हैं ताकि वे विद्यालयों में जा सकें...*(व्यवधान)*... केन्द्र सरकार में हमने इसे आवश्यक नहीं समझा कि राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों की द्विरावृत्ति करें...*(व्यवधान)*... आरटीई के मामले में मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमारी 96 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपने निवास स्थान से एक किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की सुविधा प्राप्त कर चुकी है। अतः, उस दृष्टि से सुविधा तक पहुंच की कोई गंभीर समस्या है ही नहीं...*(व्यवधान)*... सुविधा तक पहुंच वह क्षेत्र है जहां आपकी सरकार ने काफी प्रगति कि है। हालांकि हमें इन बड़े एवं वृहत प्रश्नों की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिंता के लिये उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या – 362

श्री मंगनी लाल मंडल।

...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

*362. **श्री मंगनी लाल मंडल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं तथा इन विद्यालयों में राज्य-वार अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनकी वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) इन विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) देश में उन जिलों के नाम क्या हैं, जिनमें केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के प्रतयेक जिला मुख्यालय मे केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ये केन्द्रीय विद्यालय कब तक खोले जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों (केवी), जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की संख्या के साथ ही इन विद्यालयों में अध्यापकों के कुल संस्वीकृत पदों तथा नियुक्त अध्यापकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I दिया गया है।

(ख) इन विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों की राज्य-वार संख्या का संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) देश में उन जिलों के नाम, जिनमें केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, संलग्न अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(घ) वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) इन केन्द्रीय विद्यालय तब खोले जाते है, जब रक्षा सेवाओं/भारत सरकार/सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से कम से कम 500 हो (विशेष फोकस वाले जिलों के मामले में 250) अथवा जब विनिर्दिष्ट श्रेणियों के बच्चों का न्यूनतम नामांकन संभावित हो जो 200 तक अथवा प्रति कक्षा औसतन 30 विद्यार्थी जो भी अधिक हो। सिविल सेक्टर के अंतर्गत नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाता है, यदि यह प्रस्ताव भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकार/संबंधित जिला प्राधिकरण से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हो, जिसमें नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई हो। नए केन्द्रीय विद्यालय का खोला जाना आवश्यक अनुमोदनों तथा XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

*अनुबंध-I**

देश में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय (केवी), जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की संख्या के साथ ही इन विद्यालयों में अध्यापकों के कुल संस्वीकृत पदों तथा नियुक्त अध्यापकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय विद्यालय			जवाहर नवोदय विद्यालय			कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय		
		विद्यालयों की संख्या	अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या	अध्यापकों की वास्तविक संख्या	विद्यालयों की संख्या	अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या	अध्यापकों की वास्तविक संख्या	विद्यालयों की संख्या	अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या	अध्यापकों की वास्तविक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	02	102	71	02	42	18	00	00	00
2.	आन्ध्र प्रदेश	53	1976	1561	24	548	482	743	6664	5838
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	360	219	16	241	182	48	396	396
4.	असम	55	1819	1365	27	557	505	50	399	304
5.	बिहार	45	1479	1272	39	829	640	502	3514	2224
6.	चंडीगढ़	05	945	762	01	26	22	00	00	00
7.	छत्तीसगढ़	26	3236	3140	17	349	281	93	784	620
8.	दादरा और नगर हवेली	01	186	98	01	21	12	1	8	3
9.	दमन और दीव	01	1439	1223	02	52	33	00	00	00
10.	दिल्ली	43	599	528	02	51	46	00	00	00
11.	गोवा	05	1096	1021	02	45	37	00	00	00
12.	गुजरात	44	1079	770	23	436	338	88	628	463
13.	हरियाणा	28	1067	866	20	475	396	9	55	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	हिमाचल प्रदेश	23	1665	1223	12	259	222	10	70	69
15.	जम्मू और कश्मीर	37	1521	1199	17	333	249	95	754	538
16.	झारखंड	32	17	10	24	496	365	203	1752	1490
17.	कर्नाटक	39	2603	2226	28	639	566	71	639	520
18.	केरल	35	225	175	14	337	307	00	00	00
19.	लक्षद्वीप	01	229	149	01	19	12	00	00	00
20.	मध्य प्रदेश	92	80	44	50	1132	940	207	1110	1110
21.	महाराष्ट्र	56	3356	2514	33	721	633	43	301	252
22.	मणिपुर	07	121	64	09	213	184	5	60	33
23.	मेघालय	07	1532	1261	08	158	117	10	90	90
24.	मिजोरम	04	106	73	07	74	50	1	8	8
25.	नागालैंड	05	1748	1492	11	141	110	11	44	44
26.	ओडिशा	53	2304	2159	31	616	492	182	1416	947
27.	पुदुचेरी	04	58	41	04	97	88	00	00	00
28.	पंजाब	48	1620	1136	21	455	396	22	65	46
29.	राजस्थान	64	231	152	33	812	682	200	870	702
30.	सिक्किम	02	299	282	04	81	77	1	10	8
31.	तमिलनाडु	40	1495	1335	00	00	00	61	610	561
32.	त्रिपुरा	09	4866	4621	04	85	65	9	27	27
33.	उत्तर प्रदेश	105	17	12	68	1538	1348	746	6694	5432
34.	उत्तराखंड	43	38	22	13	276	232	28	112	65
35.	पश्चिम बंगाल	58	2236	1657	18	312	210	89	368	340
	कुल	1086	41750	34743	586	12466	10337	3528	27448	22171

अनुबंध-II

देश में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय (केवी), जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में छात्रों के प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	कक्षा-I में दाखिले हेतु केन्द्रीय विद्यालयों में उपलब्ध सीटें	कक्षा-VI में दाखिले हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय में उपलब्ध सीटें	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटें
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	246	120	00
2.	आन्ध्र प्रदेश	5084	1880	89160
3.	अरुणाचल प्रदेश	779	680	5550
4.	असम	4182	1800	3000
5.	बिहार	3362	2800	53500
6.	चंडीगढ़	697	80	00
7.	छत्तीसगढ़	2255	1160	9300
8.	दादरा और नगर हवेली	82	80	100
9.	दमन और दीव	123	160	00
10.	दिल्ली	7626	160	00
11.	गोवा	451	160	00
12.	गुजरात	3362	1880	6600
13.	हरियाणा	2583	1520	3600
14.	हिमाचल प्रदेश	1189	840	500
15.	जम्मू और कश्मीर	2542	1040	6700
16.	झारखंड	2542	1760	20300
17.	कर्नाटक	4346	2240	8300
18.	केरल	3977	1080	00
19.	लक्षद्वीप	41	40	00

1	2	3	4	5
20.	मध्य प्रदेश	7913	3840	28850
21.	महाराष्ट्र	6314	2520	4300
22.	मणिपुर	492	600	1100
23.	मेघालय	492	480	500
24.	मिजोरम	205	360	100
25.	नागालैंड	246	520	1100
26.	ओडिशा	4018	1960	18200
27.	पुदुचेरी	287	320	00
28.	पंजाब	4223	1520	2200
29.	राजस्थान	6273	2560	19150
30.	सिक्किम	82	280	202
31.	तमिलनाडु	4469	00	4600
32.	त्रिपुरा	533	280	800
33.	उत्तर प्रदेश	11439	4840	76350
34.	उत्तराखंड	3116	920	1400
35.	पश्चिम बंगाल	5412	920	7500
	कुल	100983	41400	372962

अनुबंध-III

राज्य-वार उन 173 जिलों के नाम जहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं
(दिनांक 15.12.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	जिला का नाम
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	1.	1	अमरेली

1	2	3	4	5
		2.	2	खेड़ा
		3.	3	नर्मदा
		4.	4	नवसारी
		5.	5	पाटन
		6.	6	वल्साद
		7.	7	डांग
		8.	8	तापी
2.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	9.	1	दमन
3.	कर्नाटक	10.	1	बंगलौर ग्रामीण
		11.	2	चित्रदुर्गा
		12.	3	चमराजनगर
		13.	4	गडग
		14.	5	हवेरी
		15.	6	मांड्य
		16.	7	उडूपी
		17.	8	रामनगर
		18.	9	चिकबल्लापुर
		19.	10	यादगीर
5.	मध्य प्रदेश	20.	1	अलीराजपुर
6.	झारखंड	21.	1	चतरा
		22.	2	दुमका
		23.	3	गिरीडीह
		24.	4	कोडरमा
		25.	5	लोहरदगा

1	2	3	4	5
		26.	6	सरायकेला खरसावन
		27.	7	पलामू
		28.	8	खुन्ती
7.	पंजाब	29.	1	मान्सा
		30.	2	मोगा
		31.	3	मुक्तसर
		32.	4	नवाशहर
		33.	5	रुपनगर
8.	हिमाचल प्रदेश	34.	1	सिरमोर
9.	हरियाणा	35.	1	फतेहाबाद
		36.	2	जींद
		37.	3	कैथल
		38.	4	कुरुक्षेत्र
		39.	5	मेवात
		40.	6	यमुना नगर
10.	तमिलनाडु	41.	1	किरोड़
		42.	2	करुर
		43.	3	कृष्णागिरी
		44.	4	नागापट्टीनम
		45.	5	नमक्कल
		46.	6	पुड्डूकोकोटईया
		47.	7	सलेम
		48.	8	थीनी
		49.	9	तिरुवरवर

1	2	3	4	5
		50.	10	तुतुकोडी
		51.	11	विल्लूपुरम
		52.	12	एलूर
		53.	13	त्रिपूर
11.	पुदुचेरी (संघ शासित प्रदेश)	54.	1	यमन
12.	मेघालय	55.	1	साउथ गारो हिल्स
		56.	2	वेस्अ खासी हिल्स
		57.	3	ईस्ट गारो हिल्स
		58.	4	जयन्तिया हिल्स
13.	असम	59.	1	नलबाड़ी
		60.	2	हायकन्डी
		61.	3	चिरंग
14.	अरुणाचल प्रदेश	62.	1	पूर्वी कमिंग
		63.	2	कुरंग कुमेय
		64.	3	लोअर सुबनसिरी
		65.	4	अपर दिबांगवेली
		66.	5	अपर सुबनसिरी
		67.	6	अंजुआ
		68.	7	लांग्डिग
15.	आन्ध्र प्रदेश	69.	1	निजामाबाद
16.	छत्तीसगढ़	70.	1	जांजगिर चाम्पा
		71.	2	कबीरधाम
		72.	3	नारायणपुर
		73.	4	बीजापुर

1	2	3	4	5
		74.	5	सुकुमा
		75.	6	कोंडागांव
		76.	7	बलोड
		77.	8	बीमतारा
		78.	9	बलोडा बाजार
		79.	10	गरीयाबंद
		80.	11	मुंगेली
		81.	12	सूरजपुर
		82.	13	बलरामपुर
17.	राजस्थान	83.	1	बूंदी
		84.	2	दौसा
		85.	3	धोलपुर
		86.	4	हनुमानगढ़
		87.	5	जालौर
		88.	6	नागौर
		89.	7	पाली
		90.	8	प्रतापगढ़
18.	जम्मू और कश्मीर	91.	1	पुंछ
		92.	2	रामबन
		93.	3	गंदरबल
		94.	4	सोफिया
		95.	5	कुपवाड़ा
19.	पश्चिम बंगाल	96.	1	बांकुरा
20.	सिक्किम	97.	1	नॉर्थ सिक्किम

1	2	3	4	5
		98.	2	वेस्ट सिक्किम
		99.	3	साऊथ सिक्किम
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित प्रदेश)	100.	1	कारनिकोबार
		101.	2	नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान
22.	उत्तर प्रदेश	102.	1	अम्बेडकर नगर
		103.	2	बंधोई
		104.	3	बिजनौर
		105.	4	कांशीराम नगर
		106.	5	फतेहपुर
		107.	6	हमीरपुर
		108.	7	हरदोई
		109.	8	जेपी नगर
		110.	9	जालौन
		111.	10	जौनपुर
		112.	11	कन्नौज
		113.	12	कौशाम्बी
		114.	13	कुशीनगर
		115.	14	मेरपुरी
		116.	15	मिर्जापुर
		117.	16	बहराईच
		118.	17	प्रतापगढ़
		119.	18	सन्त कबीर नगर
		120.	19	श्रावस्ती

1	2	3	4	5
		121.	20	सिद्धार्थ नगर
		122.	23	महाराजगंज
		123.	24	बांदा
23.	महाराष्ट्र	124.	1	अकोला
		125.	2	अमरावती
		126.	3	बीड
		127.	4	बुल्धाना
		128.	5	गढ़चिरौली
		129.	6	गोंडाई
		130.	7	हिंगोली
		131.	8	जलना
		132.	9	कोल्हापुर
		133.	10	नन्दूरबार
		134.	11	उस्मानाबाद
		135.	12	परभनी
		136.	13	रत्नागिरी
		137.	14	संगली
		138.	15	सतारा
		139.	16	सिंधदुर्ग
		140.	17	वसीम
24.	बिहार	141.	1	अरवल
		142.	2	जमुई
		143.	3	केमूर
		144.	4	रोहतास

1	2	3	4	5
		145.	5	शेखपुरा
		146.	6	नवादा
		147.	7	मधेपुरा
		148.	8	मधुबनी
		149.	9	सुपोल
25.	मिजोरम	150.	1	लवांगटलई
		151.	2	कोलासिब
		152.	3	ममित
		153.	4	सैहा
		154.	5	सरछिप
26.	मणिपुर	155.	1	चंदेल
		156.	2	इम्फाल पूर्व
		157.	3	थुबल
		158.	4	सेनापति
		159.	5	विष्णुपुर
27.	नागालैंड	160.	1	किफेर
		161.	2	मोन
		162.	3	फैक
		163.	4	ल्युनसांग
		164.	5	वोका
		165.	6	जुहेंबोटो
		166.	7	पेरेन
		167.	8	लोंगलेंग
28.	दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)	168.	1	नॉर्थ ईस्ट दिल्ली

1	2	3	4	5
		169.	2	साऊथ ईस्ट दिल्ली
		170.	3	नॉर्थ दिल्ली
29.	त्रिपुरा	171.	1	खोवाई
		172.	2	सिपाहीजाला
		173.	3	गोमोती

*दिनांक 19.12.2012 के वाद-विवाद में तारांकित प्रश्न संख्या 362 के भाग (क) के उत्तर के अनुबंध-I में दिनांक 20.03.2013 को सभा में शुद्धि करने वाले वक्तव्य के माध्यम से सुधार किया गया और तद्नुसार, उत्तर में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय विद्यालय			जवाहर नवोदय विद्यालय			कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय		
		विद्यालयों की संख्या	शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या	शिक्षकों की वास्तविक संख्या	विद्यालयों की संख्या	शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या	शिक्षकों की वास्तविक संख्या	विद्यालयों की संख्या	शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या	शिक्षकों की वास्तविक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	02	102	71	02	42	18	00	00	00
2.	आन्ध्र प्रदेश	53	1976	1561	24	548	482	743	6664	5838
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	360	219	16	241	182	48	396	396
4.	असम	55	1819	1365	27	557	505	50	399	304
5.	बिहार	45	1479	1272	39	829	640	502	3514	2224
6.	चंडीगढ़	05	945	762	01	26	22	00	00	00
7.	छत्तीसगढ़	26	3236	3140	17	349	281	93	784	620
8.	दादरा और नगर हवेली	01	186	98	01	21	12	1	8	3
9.	दमन और दीव	01	1439	1223	02	52	33	00	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	दिल्ली	43	599	528	02	51	46	00	00	00
11.	गोवा	05	1096	1021	02	45	37	00	00	00
12.	गुजरात	44	1079	770	23	436	338	88	628	463
13.	हरियाणा	28	1067	866	20	475	396	9	55	41
14.	हिमाचल प्रदेश	23	1665	1223	12	259	222	10	70	69
15.	जम्मू और कश्मीर	37	1521	1199	17	333	249	95	754	538
16.	झारखंड	32	17	10	24	496	365	203	1752	1490
17.	कर्नाटक	39	2603	2226	28	639	566	71	639	520
18.	केरल	35	225	175	14	337	307	00	00	00
19.	लक्षद्वीप	01	229	149	01	19	12	00	00	00
20.	मध्य प्रदेश	92	80	44	50	1132	940	207	1110	1110
21.	महाराष्ट्र	56	3356	2514	33	721	633	43	301	252
22.	मणिपुर	07	121	64	09	213	184	5	60	33
23.	मेघालय	07	1532	1261	08	158	117	10	90	90
24.	मिजोरम	04	106	73	07	74	50	1	8	8
25.	नागालैंड	05	1748	1492	11	141	110	11	44	44
26.	ओडिशा	53	2304	2159	31	616	492	182	1416	947
27.	पुदुचेरी	04	58	41	04	97	88	00	00	00
28.	पंजाब	48	1620	1136	21	455	396	22	65	46
29.	राजस्थान	64	231	152	33	812	682	200	870	702
30.	सिक्किम	02	299	282	04	81	77	1	10	8
31.	तमिलनाडु	40	1495	1335	00	00	00	61	610	561
32.	त्रिपुरा	09	4866	4621	04	85	65	9	27	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	उत्तर प्रदेश	105	17	12	68	1538	1348	746	6694	5432
34.	उत्तराखंड	43	38	22	13	276	232	28	112	65
35.	पश्चिम बंगाल	58	2236	1657	18	312	210	89	368	340
	कुल	1086	41750	34743	586	12466	10337	3528	27448	22171

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

*363. **श्री एस. पक्कीरप्पा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक स्वीकृत प्रस्तावों और पहचान किए गए स्थानों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों में मौजूदा ढांचे का विस्तार किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2012-13 के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार को 2012-13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा नागालैंड राज्यों से 1176 माध्यमिक स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव मिले हैं। तथापि, 2011-12 तक संस्वीकृत प्रस्तावों की तुलना में मौजूदा प्रतिबद्ध देयताओं के कारण भारत सरकार द्वारा 2012-13 में माध्यमिक स्कूलों की स्थापना के किसी भी नए प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, प्रयोगशालाओं, शौचालय ब्लॉक, पेयजल, पुस्तकालय इत्यादि के माध्यम से माध्यमिक स्कूल अवसंरचना के विस्तार की व्यवस्था है, तथापि 2011-12 तक जारी संस्वीकृतियों की मौजूदा प्रतिबद्ध देयताओं के कारण केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को 2012-13 के लिए अनुमोदन आवर्ती कार्यकलापों तक सीमित किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय श्रमिकों का शोषण

*364. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय:**
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों से महिलाओं सहित भारतीय कामगारों के शोषण अथवा उन्हें प्रताड़ित किए जाने/उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कतिपय मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष, लिंग और शिकायतों के स्वरूप-वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) शिकायतों के निवारण हेतु उन शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश के प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में विदेशों के साथ करार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशों में भारतीय कामगारों के हित में समय-समय पर ऐसे करारों की समीक्षा हेतु उठाये गये कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): *(क)* और (ख) समय-समय पर, वेतन का भुगतान न करने/विलंब से भुगतान करने अथवा कम भुगतान करने, समय पर वीजा और श्रमिक कार्ड का नवीकरण न करने, कैंप स्थल पर घटिया भोजन सहित, असंतोषजनक रहने की स्थितियों, कामगार के चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करने से मना करने, दो वर्ष की संविदात्मक अवधि के पूरा होने पर होमटाउन के लिए एयर टिकट और छुट्टी देने से मना करने, शारीरिक मारपीट/यौन उत्पीड़न, आदि की शिकायतों के साथ, नियोक्ता-कर्मचारी विवादों के मामले, प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक प्राप्त करने वाले देशों में भारतीय मिशनों से प्राप्त शिकायतों पर सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जब कभी शोषण, दुर्व्यवहार, वेतन/देयों आदि का भुगतान न करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो मंत्रालय भारतीय मिशन के माध्यम से समस्याओं के निवारण के लिए, मामले को विदेशी नियोक्ता, या संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाते हैं। सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण के संरक्षण के लिए निम्नानुसार कई पहलें भी की हैं:

(i) भारत ने बड़ी संख्या में श्रमिक प्राप्त करने वाले देशों के साथ श्रमिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) विपदाग्रस्त भारतीय कामगारों को यथास्थान समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी भारतीय मिशनों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आई.सी.डब्ल्यू.एफ.)।

(iii) भारतीय कामगारों की काउंसिलिंग और आपातकालीन कॉल्स के लिए यू.ए.ई. में भारतीय कामगार स्रोत केंद्र (आई.डब्ल्यू.आर.सी.) कार्य कर रहा है।

(iv) जब कामगारों को किसी एक अथवा किसी अन्य कारण से देश प्रत्यावर्तन के लिए अपेक्षित हो, तो भारतीय मिशन उनके लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र (ई.सी.) जारी करते हैं।

(v) महिलाओं के लिए निम्नलिखित विशेष सुरक्षा उपाय हैं:

(क) ई.सी.आर. पासपोर्टों पर ई.सी.आर. देशों के लिए उत्प्रवास करने वाली सभी महिलाओं के लिए 30 वर्ष का आयु प्रतिबंध लागू करना।

(ख) उत्प्रवासियों के लिए एक न्यूनतम रैफरल मजदूरी परिभाषित करना (मिशन द्वारा निर्धारित)।

(ग) सीधे ही भारतीय महिला कामगारों की भर्ती करने वाले विदेशी नियोक्ता से प्रति कामगार एक सिक्योरिटी डिपाजिट का अनुबंध (2500 अमरीकी डॉलर)।

(घ) ई.सी.आर. देशों को जाने वाली ई.सी.आर. पासपोर्ट धारक सभी महिला उत्प्रवासियों के लिए रोजगार दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन।

(घ) और (ङ) हमारे उत्प्रवासियों की सुरक्षा व कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, बड़ी संख्या में श्रमिक प्राप्त करने वाले देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.), जार्डन, कतर, कुवैत, ओमान, मलेशिया और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इन समझौता ज्ञापनों में निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत बनाए गए हैं:-

(i) रोजगार अवसरों को बढ़ाने और कामगारों की सुरक्षा और कल्याण में द्विपक्षीय सहयोग के लिए पारस्परिक उद्देश्य की घोषणा।

(ii) मेजबान देश कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए उपाय करेगा।

(iii) भारतीय कामगारों की भर्ती करने के लिए विदेशी नियोक्ता द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का विवरण।

(iv) भर्ती और रोजगार की शर्तें दोनों देशों के कानूनों के अनुरूप होंगी।

(v) समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और घरेलू कामगारों पर श्रम कानूनों को लागू करने सहित, द्विपक्षीय श्रमिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए नियमित रूप से मिलने हेतु, एक संयुक्त कार्य दल (जे.डब्ल्यू.जी.) का गठन करना।

विवरण

भारतीय मिशनों से प्राप्त शिकायतों पर सूचना का ब्यौरा

मिशन/देश का नाम	वर्ष							
	2009		2010		2011		2012	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बहरीन	1372	55	1333	53	1087	71	526	80 (अक्तूबर तक)
कुवैत	2503	1058	3195	1178	2080	774	2687	541 (नवम्बर तक)
ओमान	5322	101	2262	147	2789	133	2183	65 (नवम्बर तक)
मलेशिया	105		131		152		112 (अक्तूबर तक)	
सऊदी अरब की सल्तनत	5306		5250		3655		3602 (अक्तूबर तक)	
कतर	2165		3034		3186		3087 (नवम्बर तक)	
संयुक्त अरब अमीरात	2316		1036		1588		491 (नवम्बर तक)	

[अनुवाद]

लैंडलाइन टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि

*365. **श्री ए.के.एस. विजयन :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लैंडलाइन टेलीफोन प्रयोक्ताओं की वृद्धि-दर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लैंडलाइन टेलीफोन कनैक्शन कटवाए गए है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ग्राहकों को सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की खराब लैंडलाइन सेवा के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड के ग्रामीण उपभोक्ताओं सहित इसके लैंडलाइन उपभोक्ताओं तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लैंडलाइन उपभोक्ताओं की संख्या विगत पांच वर्षों के दौरान घटी है। इससे संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)		
	बीएसएनएल		एमटीएनएल
	जोड़	ग्रामीण	जोड़
31.03.2010	27.83	9.76	3.50
31.03.2011	25.22	8.64	3.46
31.03.2012	22.47	7.49	3.46
30.09.2012	21.36	7.04	3.45

बीएसएनएल और एमटीएनएल के लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- फिक्स्ड लाइन टेलीफोन कनेक्शन की जगह वैयक्तिक मोबाइल फोन लेना।
- निजी प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा होना।
- जहां एक ही घर में/कार्यालय परिसर में एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन मौजूद हों वहां अतिरिक्त वायरलाइन टेलीफोन कनेक्शनों को वापस करना।
- विपणन की प्रभावी कार्यनीति का अभाव।
- ग्राहक सुविधा अपर्याप्त होना।

(ग) से (ङ) ट्राई तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के सेवा गुणवत्ता संबंधी मानकों में यथा निर्धारित विभिन्न सेवा के गुणवत्ता पैरामीटरों के बेंचमार्कों के अनुरूप बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी नियमित रूप से करता है।

बीएसएनएल के मामले में कुछ पैरामीटरों यथा शहरी क्षेत्रों में तीन दिन के भीतर सुधार किए गए दोषों की प्रतिशतता; ग्रामीण क्षेत्रों में पांच दिन के भीतर सुधार किए गए दोषों की प्रतिशतता; प्रति 100 उपभोक्ता/माह दोषों की संख्या; अगले कार्य दिवस तक सुधार किए गए दोषों की प्रतिशतता; कॉल सेंटर/ग्राहक सुविधा केन्द्र से संपर्क की सुविधा; प्रचालक द्वारा (60 सेकेंड के भीतर) उत्तर दी गई कॉलों की प्रतिशतता; तथा सात दिनों के भीतर सेवा समाप्त करने/बंद करने संबंधी पूरे किए गए अनुरोधों की प्रतिशतता के मामले में अधिकांशतः बेंचमार्कों को पूरा न किए जाने की बात सामने आई है।

एमटीएनएल के मामले में, कुछ पैरामीटरों यथा-प्रति 100 उपभोक्ता/माह दोषों की संख्या; दिल्ली और मुंबई दोनों सेवा क्षेत्रों में तीन दिनों के भीतर दोष सुधार करने की प्रतिशतता तथा सात दिनों के भीतर सेवा समाप्त करने/बंद करने संबंधी पूरे किए गए अनुरोधों की प्रतिशतता के अतिरिक्त, अगले कार्य दिवस तक दोष सुधार करने की प्रतिशतता; दिल्ली सेवा क्षेत्र में बिल/प्रभार संबंधी शिकायतों का समाधान एवं मुंबई सेवा क्षेत्र में दोष सुधार करने में लगने वाले औसत समय के संदर्भ में भी बेंचमार्कों का अनुपालन न किए जाने की बात सामने आई है।

ट्राई ने बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को यह निदेश दिया है कि जहां कार्य-निष्पादन बेंचमार्क की अपेक्षा कम हो वहां वे पैरामीटरों के अनुपालन संबंधी अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करें।

बेंचमार्क के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, ट्राई ने बुनियादी सेवा से संबंधित बेंचमार्कों को पूरा न किए जाने पर प्रति पैरामीटर अधिकतम 50,000/- के वित्तीय दंड का प्रावधान करने वाले बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 के तहत सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानक हाल ही में जारी किए हैं।

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा लैंडलाइन सेवाओं की सेवा गुणवत्ता में सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

बीएसएनएल

- वॉल माउंटेड वितरण संयंत्रों सहित बाह्य संयंत्र की पुनर्स्थापना तथा स्तरोन्नयन।
- कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) आधारित बिलिंग, वाणिज्यिक तथा दोष सुधार सेवा और कार्य व्यवस्था प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत।
- प्रभावी नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत।
- ग्रामीण एक्सचेंजों की दोष सुधार सेवा अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र मुख्यालय पर केन्द्रकृत की गई है तथा इसे इंटरएक्टिव वॉएस रिस्पांस सिस्टम आधारित प्रणाली में अंतरित किया गया है।
- खुला सत्र/टेलीफोन अदालत का आयोजन।
- उड़ान स्कीम को जारी करने सहित लैंडलाइन तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की बिक्री एवं वितरण चैनल को सुदृढ़ करना ताकि लोगों को घर पर ही सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।
- स्माइल परियोजना के माध्यम से ग्राहक सुविधा में निरंतर सुधार किया जा रहा है। लगभग 4000 ग्राहक सेवा केन्द्र का स्तरोन्नयन करते हुए एकल विंडो क्लियरेंस अवधारणा तथा सूचना प्रौद्योगिकी सुविधायुक्त परिवर्तित व्यवसाय प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- ट्राई द्वारा विनिर्धारित बेंचमार्कों को अनुपालन करने हेतु सेवा के गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों की निगरानी।
- विभिन्न आकर्षक प्रशुल्क प्लान तथा विपणन की बेहतर कार्यनीतियों को लागू करना।
- बीएसएनएल ने लैंडलाइन उपभोक्ताओं को बनाए रखने तथा मांग पर ब्रॉडबैंड सेवाएं, इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाएं तथा ब्रॉडबैंड आधारित मूल्य वर्द्धित सेवाएं यथा वीडियो/गेम्स/म्यूजिक इत्यादि सहित अनेक मूल्य वर्द्धित सेवाओं की उपलब्धता कराते हुए सेवाओं में वृद्धि करने के लिए यथा संभव प्रयास किए हैं।
- नई विकसित हो रही कॉलोनियों को संपर्कता प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मांग पर लैंडलाइन टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- सभी ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में ब्रॉडबैंड कियोस्क भी खोल दिए गए हैं ताकि ग्रामीण जनता को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

एमटीएनएल

- सर्वाधिक वहनीय दरों पर अपनी मूल्य वर्द्धित सेवाओं के लिए आकर्षक प्रशुल्क प्लानों की शुरूआत करना।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रयोक्ता अनुकूल संचार हाटों तथा ग्राहक सेवा केन्द्रों का प्रचालन आरंभ करते हुए ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाना।
- नए कनेक्शनों को बुक करने तथा दोष सुधार करने हेतु हेल्पलाइन/कॉल सेंटरों को खोलना।

- शिकायतों का समाधान तत्परता से तथा प्रभावी ढंग से करने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- समय-समय पर विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करते हुए प्रोत्साहन योजना शुरू करना।
- लोगों के घर-घर जाने की व्यवस्था करने हेतु खुदरा विक्रेताओं/वितरकों से संपर्क करने के लिए पृथक बिक्री केन्द्र बनाए गए हैं।
- ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने हेतु खुला सत्र तथा अदालतों का आयोजन करना।
- विभिन्न असीमित प्लानों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की गति बढ़ाई गई है, जिससे लैंडलाइन उपभोक्ताओं को बनाए रखने की स्थिति में सुधार हुआ है।
- केबल की चोरी को रोकने के लिए गश्त लगाई जा रही है।
- उपभोक्ताओं के परिसरों की नियमित जांच तथा उपभोक्ताओं के परिसरों में सज्जित उपस्करों का अनुरक्षण किया जा रहा है।
- बाह्य संयंत्रों का स्तरोन्नयन।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति

*366. **श्री प्रेम दास राय :**
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के अंतर्गत किन लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विचार किया गया है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों के शहरों सहित देश के विभिन्न शहरों में परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने संबंधी कार्यक्रमों की वित्तीय अर्थक्षमता और व्यवहार्यता के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार स्वीकृत की गई और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) इस नीति का उद्देश्य और लक्ष्य हमारे शहरों में रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन और ऐसी अन्य आवश्यकताओं के लिए शहरी निवासियों की बढ़ती हुई संख्या हेतु सुरक्षित, किफायती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और सुस्थिर सुलभता सुनिश्चित करना है। इस नीति में सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटरीकृत साधनों को प्राथमिकता देकर वाहनों के बजाय लोगों के चलने पर जोर दिया गया है।

(ख) और (ग) शहरी परिवहन शहरी विकास के साथ जुड़ा हुआ है जो राज्य का विषय है। अतः शहरी परिवहन की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्यों की है। तथापि, शहरी परिवहन की तीव्र से बढ़ती समस्या की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवहन नीति (एनयूटीपी) 2006 तैयार करने, शहरी परिवहन हेतु आधुनिक बसों के वित्तपोषण, द्रुत बस परिवहन प्रणाली, यातायात परिवहन प्रबंधन केन्द्रों फ्लाई ओवरों आदि जैसे अनेक उपाय किए हैं। भारत सरकार ने जेएनएनयूआरएम के अतिरिक्त, 8 शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं भी स्वीकृत की हैं। पूर्वोत्तर सहित विभिन्न राज्यों में परिवहन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा शहरी परिवहन के क्षेत्र में क्षमता विकास के अनेक पहल-प्रयास भी शुरू किए गए हैं। परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते समय व्यवहार्यता के साथ-साथ वित्तीय संभाव्यता के संबंध में सामान्य रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच/मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) जारी करने के लिए स्वीकृत धनराशि उस वर्ष में जारी धनराशि के समान है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत/जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

मेट्रो परियोजनाओं के लिए पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	दिल्ली	3499.85	3386.92	1503.76	333.00
2.	हरियाणा	51.48	0.41	109.19	50.00
3.	उत्तर प्रदेश	99.00	0.000	0.00	0.00
4.	तमिलनाडु	112.79	652.79	1913.00	1310.00
5.	पश्चिम बंगाल	124.00	407.00	250.00	-
6.	कर्नाटक	386.01	578.22	1480.00	963.92
7.	केरल	-	-	-	2.50
8.	राजस्थान	-	-	-	-
9.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-
10.	महाराष्ट्र	235.50	-	75.00	-

विवरण-II

शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	33.85	-

1	2	3	4	5	6
2.	असम	-	13.49	-	11.57
3.	हिमाचल प्रदेश	7.96	2.43	14.25	-
4.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
5.	मणिपुर	-	-	-	-
6.	मेघालय	3.69	3.69	-	2.48
7.	मिजोरम	-	-	-	24.95
8.	नागालैंड	17.71	-	3.41	1.24
9.	सिक्किम	0.68	1.12		0.22
10.	त्रिपुरा	-	-	2.71	2.07
11.	उत्तराखंड	0.80	2.65	13.62	-
	कुल (क)	**30.84**	**23.38**	**67.84**	**42.53**
1.	आंध्र प्रदेश	75.70	49.71	135.25	20.94
2.	बिहार	-	-	-	-
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-
4.	गोवा	-	1.96	-	-
5.	गुजरात	91.36	8.03	160.39	7.56
6.	हरियाणा	-	-	-	-
7.	झारखंड	-	-	-	-
8.	कर्नाटक	127.94	73.61	106.28	7.68
9.	केरल	4.20	-	-	23.21
10.	मध्य प्रदेश	12.53	11.84	52.01	71.55
11.	महाराष्ट्र	276.02	97.31	167.87	88.40
12.	ओडिशा	3.68	2.59	-	-

1	2	3	4	5	6
13.	पंजाब	18.68	-	-	-
14.	राजस्थान	-	-	22.72	8.67
15.	तमिलनाडु	10.12	13.09	17.43	8.36
16.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-
17.	पश्चिम बंगाल	23.12	73.91	72.16	58.18
	कुल (ख)	**643.35**	**332.05**	**734.11**	**294.55**
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	120.29	286.79	176.26	201.47
2.	पुदुचेरी	3.23	-	-	4.73
3.	चंडीगढ़	-	8.28	-	-
	कुल (ग)	**123.52**	**295.07**	**176.26**	**206.20**
	कुल (क+ख+ग)	797.71	650.50	978.21	543.28

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा

*367. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा व्यवस्था इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा निर्धारित मानकों के समरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एक स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां। भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपीज़) की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा का काम, एक नियामक प्राधिकरण, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा किया जाता है। सभी नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, उनके सहमति प्राप्त करने के विभिन्न चरणों नामतः स्थल निर्धारण, निर्माण, कमीशनिंग आदि के दौरान, एक विस्तृत गहन सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा की जाती है। परियोजना चरण के दौरान संतोषजनक पुनरीक्षा के बाद, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, किसी नाभिकीय विद्युत संयंत्र को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रचालन का लाइसेंस जारी करता है। प्रचालनात्मक प्रावस्था के दौरान, नाभिकीय विद्युत संयंत्र के सुरक्षा संबंधी कार्य निष्पादन का मॉनीटरन निरंतर किया जाता है, और प्रचालन संबंधी लाइसेंस का नवीकरण

करते समय, संयंत्र का एक समेकित सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन किया जाता है।

फुकुशिमा की दुर्घटना के बाद, सभी भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के संबंध में बाह्य घटनाओं के प्रति सुरक्षा संबंधी जांच का काम भी परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा विकसित सुरक्षा संहिताओं, सुरक्षा गाइडों, सुरक्षा मैनुअलों तथा तकनीकी दस्तावेजों, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों के अनुरूप तैयार किए जाते हैं, के माध्यम से स्थापित और लागू की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। केन्द्र सरकार द्वारा, नाभिकीय संरक्षा विनियामक प्राधिकरण (एनएसआरए) विधेयक, 2011 को, 07 सितंबर, 2011 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

*368. **श्री वैजयंत पांडा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत स्वीकृत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनका कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं हुआ है;

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावित बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम संबंधी कार्य शहर और राज्य-वार कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत कुल दो द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। पूरा करने की लक्षित तारीख सहित इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दोनों में से किसी भी परियोजना को पूरा करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय उच्च स्तरीय बैठकों/समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष (30.11.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत बीआरटीएस परियोजनाओं की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	परियोजना के अनुमोदन की तिथि	कुल वचनबद्ध एसीए (केन्द्रीय अंश)	अब तक जारी एसीए	पूरा करने की लक्षित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इन्दौर बीआरटीएस फेज-I के नदी की की तरफ का कॉरीडोर-14.30 कि.मी.	18,000.00	12-11-2010	9,000.00	2,250.00	मार्च, 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में उल्टाडंगा से गोरिया तक बीआरटीएस-15.50 कि.मी.	25,291.00	16-06-2010	8,851.85	2,212.96	सितम्बर, 2013
			कुल	43,291.00		17,851.85	4,462.96	

[हिन्दी]

बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र

*369. **श्री जगदीश सिंह राणा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में सतत आर्थिक विकास हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार द्वारा किन-किन मुख्य आर्थिक चुनौतियों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा दस्तावेज को राष्ट्रीय विकास परिषद की 27 दिसम्बर, 2012 को निर्धारित बैठक में प्रस्तुत करने से पहले मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा सुझाए गए संशोधनों, यदि कोई हों, को मसौदा दस्तावेज में इसको अंतिम रूप देने से पहले शामिल कर लिया जाएगा। अंतिम दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु मुख्य आर्थिक चुनौतियों तथा प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में की गई थी जिसे 22 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया था। ये 12 चुनौतियां निम्नवत हैं:

1. विकास हेतु क्षमता में वृद्धि
2. बेहतर निवारक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल
3. कौशल में बढ़ोतरी तथा रोजगार का तीव्र सृजन
4. परिष्कृत और गुणात्मक शिक्षा तक पहुंच
5. पर्यावरण प्रबंधन
6. शहरीकरण प्रबंधन
7. दक्षता तथा समावेशन हेतु बाजार
8. ग्रामीण रूपांतरण तथा कृषि की निरंतर वृद्धि
9. विकेंद्रीकरण, सशक्तिकरण तथा सूचना
10. परिवहन अवसंरचना का तीव्र विकास
11. प्रौद्योगिकी तथा नव प्रवर्तन
12. भारत में भविष्य के लिए ऊर्जा को बचाए रखना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना मसौदा द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य है -तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास करना।

(ग) इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रस्तावित उपायों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज् के प्रस्तावित मसौदे में दर्शाया गया है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। मसौदा दस्तावेज को योजना आयोग की वेबसाइट http:www.planningcommission.gov.in पर देखा जा सकता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*370. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परिसर/केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे परिसर/केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जो देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

दिन-प्रतिदिन के मौसम का अनुमान

***371. श्री एस. सेम्मलई :**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विभाग ने सम्पूर्ण देश में स्थान विशेष के दिन-प्रतिदिन के मौसम के अनुमान की सेवाओं को चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय मौसम विभाग ने इस संबंध में अपनी निगरानी अवसंरचना और संगणना प्रणाली में उन्नयन के लिए क्या प्रगति की है;

(घ) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में डोप्लर वेदर राडार्स चालू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संपूर्ण देश में डोप्लर वेदर राडार्स कब तक चालू किए जाएंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)-आईएमडी के जरिए देश में वेब आधारित इनपुटों सहित स्थान वैशिष्ट्य वाली वर्तमान मौसम पूर्वानुमान सेवा को चालू कर दिया है। वर्तमान में प्रायोगिक आधार पर 117 शहरी केन्द्रों को कवर करने वाली इस सेवा के अंतर्गत, 3-6 घंटे की अवधि में प्रतिकूल मौसम (गर्ज तूफान; कम दवाब/अवदाब के कारण भूमि पर भारी वर्षा) के वर्तमान समय का पूर्वानुमान जारी किया जाता है। सभी उपलब्ध प्रेक्षण प्रणालियों (स्वचालित मौसम स्टेशनों- एडब्लयूएस; स्वचालित वर्षामापियों-एआरजी; डॉप्लर मौसम रेडारों-डीडब्ल्यूआर; स्वचालित मौसम प्रेक्षण प्रणालियों-एडब्ल्यूओएस; उपग्रह व्युत्पन्न पवन वेक्टरों, तापमान, नमी क्षेत्रों इत्यादि) के जरिये प्रतिकूल मौसम परिघटना की उत्पत्ति, विकास/आगे बढ़ने का नियमित रूप से मॉनीटरन किया जाता है तथा 3 घंटे की अवधि पर पूर्वानुमान सृजित करने (पाठ्य तथा ग्राफिक के रूप में) के लिए सम्मिलित किया जाता है। चेतावनियों से संबद्ध प्रतिकूल मौसम उग्रताओं के संवर्द्धित स्थानिक प्रतिनिधित्व के लिए वर्तमान समय पूर्वानुमान उत्पादों की वेब जीआईएस को कार्यान्वित किया गया है।

(ग) आईएमडी के आधुनिकीकरण चरण-I के अंतर्गत अत्याधुनिक प्रेक्षण (675 एडब्ल्यूएस; 955 एआरजी; 15 डीडब्ल्यूआर), मॉनीटरिंग/पूर्व चेतावनी और डेटा दृश्यकरण/सूचना प्रसंस्करण और संचार प्रौद्योगिकियां चालू कर हाथ से किए जाने वाले कई प्रचालन कार्यों को पूरी तरह स्वचालित कर दिया गया है। इस प्रकार के हाथ से किए जाने वाले कार्यों में लगे सभी कार्मिकों को पर्याप्त अभिविन्यास, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के अवसर प्रदान कराए गए हैं ताकि वे न केवल प्रौन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को उपयुक्त ढंग से प्रचालित करने का कौशल प्राप्त कर सके बल्कि क्षेत्र विशेष की चेतावनी और पूर्वानुमान सेवाओं को ग्राहक अनुकूल बनाकर गुणवत्ता बढ़ाने में दक्षतापूर्वक योगदान भी दे सकें।

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र में उच्च कार्य निष्पादन वाली कम्प्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली को चालू किए जाने से वैश्विक/प्रादेशिक पूर्वानुमान प्रणालियों में उपग्रह विकिरण डेटा को सम्मिलित करने तथा वैश्विक पूर्वानुमान प्रणालियों के स्थानिक विभेदन को 50 किमी ग्रिड पैमाने से लगभग

22 किमी ग्रिड पैमाने तक बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। नई वैश्विक पूर्वानुमान पूर्वानुमान प्रणाली के कार्य निष्पादन मूल्यांकन से पूर्वानुमान करने के कौशल में मात्रात्मक वृद्धि हुई है।

(घ) प्रतिकूल मौसम की विशेषताओं को वास्तविक समय में ग्रहण करने के लिए अगरतला, चेन्नै, दिल्ली-हवाई अड्डा, दिल्ली-लोदी रोड, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मछलीपट्टनम, नागपुर, पटना, विशाखापट्टनम, लखनऊ, पटियाला, और मोहनबारी स्थित 14 डॉप्लर मौसम रेडार युक्त चौबीसों घंटे और सातों दिन मॉनीटर करने वाली अत्याधुनिक तकनीक वाली मॉनीटरिंग प्रणाली को चालू किया गया। मुंबई तथा भुज में डॉप्लर मौसम रेडार स्थल स्वीकृति जांच की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जबकि भोपाल में ये चालू करने की प्रक्रिया में है। गोवा, पारादीप तथा करैकल में डीडब्ल्यूआर को चालू किए जाने को आस्थगित रखा गया है क्योंकि इसे अभी रक्षा मंत्रालय, जहां पर यह सचिवों की समिति (सीओएस) के समक्ष विचाराधीन है, की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) सम्पूर्ण देश को कवर करने वाले डीडब्ल्यूआर नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से चालू करना होगा क्योंकि इसके लिए विभिन्न कारकों यथा स्थल चयन; एन्टीना को स्थापित करने की जगह की पंक्ति की ऊंचाई के लिए स्थल सर्वेक्षण, पहाड़ी राज्यों तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रचालन की आवृत्ति के आधार पर स्थल परिवर्तनीयता के अनुसार उपलब्ध/उभरती हुई प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता इत्यादि को ध्मन में रखना पड़ता है। उपर्युक्त के बावजूद, सरकार असामान्य मौसम पैटर्नों की मॉनीटरिंग करने के लिए डीडब्ल्यूआर, एडब्ल्यूएस, एआरजी इत्यादि प्रेक्षणात्मक नेटवर्क स्थापित करने एवं धीरे-धीरे इसकी क्षमता में वृद्धि करने तथा इसकी पूर्वानुमान की क्षमताओं के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रतिकूल तथा अतिशय मौसम परिघटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय, तथा कृषि मंत्रालय को अग्रिम चेतावनी प्रदान की जा सकें।

[हिन्दी]

2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी

*372. **श्री भूदेव चौधरी:**
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी हेतु सरकार द्वारा पैन इंडिया लाइसेंस और राज्य स्तरीय लाइसेंसों के लिए निर्धारित शर्तों और मूल्यों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) उन बोलीदाताओं के नामों सहित जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त किए हैं, परिमंडलों का ऑपरेटर और परिमंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने रद्द किए गए सभी 122 लाइसेंसों के स्पेक्ट्रमों की नीलामी संबंधी उसके निर्णय का पालन नहीं करने पर एतराज जताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) शेष स्पेक्ट्रम की नीलामी कब तक कर दी जाएगी तथा इसकी सफलता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) रद्द कर दिए गए लाइसेंसों को धारित करने वालों सहित नए प्रचालकों को प्रदान किए जाने वाले एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवा) की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

1800 मेगाहर्ट्ज तथा 800 मेगाहर्ट्ज बैंडों के लिए सेवा क्षेत्र वार आरक्षित मूल्य संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) सेवा क्षेत्रों तथा सफल बोलीदाताओं के नामों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	बोलीदाताओं के नाम	सेवा क्षेत्र
1	2	3
1.	मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड	असम

1	2	3
2.	मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कोलकाता, पूर्वोत्तर, ओडिशा, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल
3.	मैसर्स वोडाफोन साउथ लिमिटेड	असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), एवं पश्चिम बंगाल
4.	मैसर्स वीडियोकोन टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
5.	मैसर्स टेलीविंग्स कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

1800 मेगाहट्‌र्ज और 800 मेगाहट्‌र्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना (एन.आई.ए.) की शर्तों के अनुसार रद्द कर दिए गए लाइसेंसों को धारित करने वालों सहित नए प्रचालकों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवा) प्राप्त करें।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02-02-2012 के निर्णय के पैरा 81(iii) के पूर्णत: अनुपालन से संबंधित मामले पर एक शपथ पत्र (एफिडेविट) दायर करने का आदेश दिया। सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए एक विस्तृत शपथ पत्र दायर किया गया है कि अपने सर्वाधिक जानकारी के अनुसार इसने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्णत: अनुपालन किया है।

(ङ) इस चरण पर सरकार ने 4 सेवा क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान जहां नवम्बर, 2012 में आयोजित की गई नीलामी के दौरान कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई, में 1800 मेगाहट्‌र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और मुंबई में साथ-साथ 1800 मेगाहट्‌र्ज तथा 900 मेगाहट्‌र्ज बैंडों के लिए तथा कोलकाता में 900 मेगाहट्‌र्ज बैंड तथा राजस्थान और कर्नाटक में 1800 मेगाहट्‌र्ज बैंड के लिए नीलामी करने का भी निर्णय लिया गया है।

विवरण-I

एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवा)-मुख्य विशेषताएं:

1. लाइसेंस भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम 1933 तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित उपबंधों द्वारा शासित होगा।

2. संगत पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन लाइसेंस गैर-अनन्य आधार पर जारी किया जाएगा।

3. आवेदक को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होना आवश्यक है।

4. आवेदक कंपनी को सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी नीति तथा नीति में समय-समय पर जारी किए गए अनुसार संशोधनों के संबंधित उपबंधों का अनुपालन करना होगा। संबंधित उपबंध http://dipp.nic.in//English/Policies/FDI Circular 01 2012.pdf. पर देखा जा सकता है।

5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के कानूनों के अध्यधीन होगा न कि किसी अन्य देश/देशों के कानून के अध्यधीन।

6. आवेदक कंपनी के पास एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवा) प्राप्त करने के लिए आवेदन की तारीख को प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए 2.5 करोड़ रुपए का न्यूनतम नेटवर्थ और प्रदत्त इक्विटी पूंजी होगी और वह अपने आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र (कंपनी सचिव/आवेदक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराया गया तथा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित) प्रस्तुत करेगी। प्रोमोटरों का निवल मूल्य कंपनी के नेटवर्थ का निर्धारित करने के लिए परिकलित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य लाइसेंस-कृत क्षेत्र में एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवा) प्राप्त करने के मामले में लाइसेंसधारक उस सेवा क्षेत्र के संबंध में उपर्युक्त यथा निर्धारित अतिरिक्त नेटवर्थ और प्रदत्त इक्विटी को अनुरक्षित करेगा। एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवा) के लिए आवश्यक नेटवर्थ पर नीचे संक्षेप में बताया गया है।

7. नेटवर्थ तथा प्रदत्त इक्विटी आवश्यकता: प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए 2.5 करोड़ रुपए।

8. एक से अधिक लाइसेंसकृत क्षेत्र के लिए आवश्यक कुल न्यूनतम नेटवर्थ तथा प्रदत्त इक्विटी।

9. 2.5 करोड़ रुपए x उन सेवा क्षेत्रों की संख्या जिनके लिए आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा आवेदक के नाम से आवेदन किए गए हैं।

10. लाइसेंस आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/प्रमाण पत्रों के आधार पर इस शर्त के अध्यधीन दिए जाएंगे कि बाद की किसी तारीख को यदि उपलब्ध कराई गई सूचना गलत पाई जाती हो तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

11. प्रवेश शुल्क (अप्रतिदेय): जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्रों जहां के लिए प्रवेश शुल्क प्रत्येक सेवा क्षेत्र के संबंध में 50(पचास) लाख होगा, अन्य सेवा क्षेत्रों के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र स्तर पर एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवा) के लिए 1(एक) करोड़ रुपए होगा।

12. एक बारगी अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान किए जाने के अतिरिक्त दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार समायोजित सकल राजस्व (ए.जी.आर.) के प्रतिशत के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

13. नीलामी में एक नए प्रचालक के रूप में सफल बोलीदाता घोषित किए जाने पर लाइसेंसधारक प्रदत्त एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवा) से लाइसेंस के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान यू.ए.एस. लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं को प्रदान करने में समर्थ होगा। इस प्रकार के लाइसेंसधारक ऐसे अन्तरण हेतु निधारित की गई शर्तों के अध्यधीन यू.एल. व्यवस्था को, जब कभी यह घोषित की जाए, अंतिम रूप से अपनाने के पात्र होंगे।

14. अंतिम यू.एल. व्यवस्था के प्रयोजनार्थ जिसे मौजूदा लाइसेंसधारक और यू.एल. (अभिगम सेवा) के लाइसेंसधारकों के पास अपनाने का विकल्प होगा, के संबंध में बोलीदाता एन.टी.पी.-2012 के उपबंधों को देखें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध भी शामिल किया गया है कि "अभिसारिता, स्पेक्ट्रम उदारीकरण से जुड़े आनुषंगिक लाभों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रणाली की ओर बढ़ना और सक्रिय एवं निष्क्रिय अवसंरचनाओं को साझा करने अंतिम प्रयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने से नेटवर्कों की लाइसेंसिंग को डिलिंक करने को सुगम बनाना..."

15. प्रत्येक मामले में लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन हेतु दंड की ऊपरी सीमा प्रति सेवा क्षेत्र 50 करोड़ रुपए होगा।

16. लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) प्रति सेवा क्षेत्र 50,000 रुपए होगा।

17. आवेदन प्रक्रिया अलग से निर्धारित की जाएगी।

18. लाइसेंस के लिए निष्पादन बैंक गारंटी रॉलआउट दायित्व से संबंधित निष्पादन बैंक गारंटी के अतिरिक्त प्रतिसेवा क्षेत्र 10 करोड़ रुपए होगी।

19. लाइसेंस हेतु वित्तीय बैंक गारंटी प्रति सेवा क्षेत्र आरंभ में 2 करोड़ रुपए होगी जिसकी छमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी और यह राशि 2

तिमाहियों के लिए लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्कों, जिसके लिए अन्यथा प्रतिभूति जमा न कराई गई हो तथा लाइसेंस प्रदाता द्वारा प्रयुक्त समझी जाने वाली कोई भी अन्य अतिरिक्त राशि के समतुल्य देय अनुमानित राशि के समतुल्य होगी।

20. लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने में शामिल सभी अवसंरचना हेतु स्वयं व्यवस्था करेगा तथा आवश्यक उपकरणों तथा प्रयोज्य प्रणालियों के संस्थापन, नेटवर्किंग, प्रचालन और चालू करने तथा उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान करने, उपभोक्ताओं को बिल जारी करने, अपने प्रचालनों के कारण उत्पन्न होने वाले दावों और क्षतियों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

21. सक्रिय/निष्क्रिय अवसंरचना की साझेदारी दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

22. लाइसेंसधारक अन्य बातों के साथ-साथ संस्थापन/स्थापना के निरीक्षण, नेटवर्कों की जांच, नेटवर्क की सुरक्षा, विदेशी नागरिकों को काम पर रखने पर प्रतिबंध, देश से बाहर सूचना का अंतरण, सुदूर अभिगम, नेटवर्कों की निगरानी, उपभोक्ता आंकडों के संबंध में सूचना की गोपनीयता तथा दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर लागू किसी अन्य शर्त से संबंधित सुरक्षा शर्तों का अनुपालन करेगा। विस्तृत शर्तों का उल्लेख लाइसेंस में किया जाएगा।

23. यू.ए.एस. लाइसेंस के सामान ही पर्याप्त संख्या में इक्विटी की क्रॉस होल्डिंग संबंधी अपेक्षाएं लागू होंगी।

24. सरकार के पास इस लाइसेंस की शर्तों और दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

विवरण-II

नवम्बर, 2012 में आयोजित नीलामी के लिए 1800 और 800 मेगाहट्र्ज बैंडों हेतु सेवा क्षेत्र वार आरक्षित मूल्य नीचे दर्शाया गया है

क्र.सं.	दूरसंचार सेवा क्षेत्र/ मेट्रो सेवा क्षेत्र का नाम	प्रति खंड (1.25 मेगाहट्र्ज) प्रति सेवा क्षेत्र 1800 मेगाहट्र्ज का आरक्षित मूल्य (करोड़ रुपए)	प्रति खंड (1.25 मेगाहट्र्ज) प्रति सेवा क्षेत्र 800 मेगाहट्र्ज का आरक्षित मूल्य (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	25.84	33.59
2.	आन्ध्र प्रदेश	286.91	372.99
3.	असम	8.67	11.27
4.	बिहार	42.51	55.26
5.	गुजरात	224.84	292.29
6.	हरियाणा	46.52	60.47

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	7.78	10.11
8.	जम्मू और कश्मीर	6.33	8.23
9.	कर्नाटक	330.12	429.16
10.	केरल	65.30	84.89
11.	मध्य प्रदेश	53.99	70.18
12.	महाराष्ट्र	262.81	341.66
13.	पूर्वोत्तर	8.84	11.49
14.	ओडिशा	20.27	26.35
15.	पंजाब	67.28	87.47
16.	राजस्थान	67.08	87.20
17.	तमिलनाडु	306.09	397.92
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	107.41	139.63
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	76.17	99.02
20.	दिल्ली	693.06	900.98
21.	कोलकाता	113.72	147.84
22.	मुंबई	678.45	881.99

(i) 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षित मूल्य 14,000 करोड़ रुपए है।

(ii) 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षित मूल्य 18,200 करोड़ रुपए है।

भारत-नेपाल सीमा पर तनाव

*373. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत-नेपाल सीमा पर किसी तनाव की जानकारी मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारत से नेपाल में ट्रकों, व्यापारियों और पर्यटकों के प्रवेश को भारत-विरोधी समूहों द्वारा रोके जाने की घटनाएं हुई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं को भड़काने में चीन की क्या भूमिका पाई गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) भारत और

नेपाल के बीच एक विशेष तथा अद्वितीय संबंध रहा है जोकि साझी विरासत, सभ्यता, संस्कृति और लोगों-का-लोगों के साथ व्यापक सम्पर्क में निहित हैं। भारत-नेपाल सीमा एक खुली सीमा है, जहां से दोनों देशों के नागरिकों के लिए आने-जाने की स्वतन्त्रता है। सितंबर-अक्तूबर, 2012 में नेपाल के कुछ जिलों में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय नम्बर की प्लेटों वाले ट्रकों तथा अन्य वाहनों को रोके जाने की कुछ घटनाएं हुई थीं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया, जिससे अब स्थिति सामान्य हो गई है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क

***374. श्री रमेन डेका :**
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागर विमानन क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/संवितरित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क की स्थिति को सुधारने का है;

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु बनाई जा रही नई नागर विमानन नीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागर विमानन अवसंरचना के विकास के लिए संस्वीकृत/संवितरित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटित निधि	वास्तविक व्यय
1	2	3
2009-10	127.70	118.16
2010-11	237.73	130.48
2011-12	181.48	113.27
2012-13	95.45	20.76
		(अक्तूबर 2012 तक)

(ख) से (घ) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन का लक्ष्य हासिल करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश (आरडीजी) निर्धारित किए हैं। आरडीजी के अनुसार, सभी अनुसूचित प्रचालकों से अपेक्षित है कि वे श्रेणी-I के मार्गों (महानगरीय मार्गों) में लगाई गई अपनी क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत श्रेणी-II (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं) में लगाएं और श्रेणी-II के मार्गों पर इस प्रकार से लगाई जाने वाली अपेक्षित क्षमता में से, कम से कम 10 प्रतिशत विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के भीतर प्रचालित सेवाओं या उनके सेवा खंडों पर लगाई जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार नई नीति लाने के लिए प्रक्रियारत है।

आधार नम्बरों हेतु पंजीयन

***375. श्रीमती सुप्रिया सुले :**
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक सम्पूर्ण देश में कुल कितने आधार नम्बर सृजित किए गए और गरीबी रेखा से नीचे रहे रहे व्यक्तियों हेतु सृजित इन नम्बरों की संख्या क्या है;

(ख) आधार के साथ जोड़ी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा आधार कार्ड धारकों को योजनाओं के लाभ किस प्रकार प्राप्त होंगे;

(ग) यूआईडीएआई स्कीम के अंतर्गत आज की तारीख तक वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई;

(घ) आधार नम्बर को शीघ्रता से जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(ङ) देश के सभी नागरिकों का आधार नम्बर हेतु कब तक पंजीयन कर लिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) परियोजना के प्रारंभ से 30.11.2012 तक राज्यवार सृजित आधार संख्याएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

आधार 12 अंकों की एक औचक संख्या है जिसकी प्रोफाइल में जाति, प्रजाति धर्म अथवा आर्थिक स्थिति में ब्यौरे शामिल नहीं किए जाते।

(ख) अपनी पहचान प्रमाणित करने में असमर्थ रहना, निवासियों की लाभ और सब्सिडी ले पाने की सबसे बड़ी बाधाओं में से है। यूआईडीएआई का प्रयोजन भारत के ऐसे सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी/आधार) जारी करना है जो (क) पहचानों के दुहराव और फर्जीवाड़े को समाप्त करने में पर्याप्त सक्षम है तथा (ख) जिसे आसानी और बेहद कम लागत से सत्यापित तथा प्रमाणित किया जा सकता है।

यह परिकल्पना की गई है कि आधार पहचान सत्यापन का एकल स्रोत बनेगा। आधार व्यक्ति की पहचान उसके जनांकिक तथा बायोमीट्रिक सूचनाओं के आधार पर करता है और यह लोगों के लिए सार्वजनिक तथा निजी एजेंसियों में अपनी पहचान स्थापित करने में स्पष्ट रूप से सहायक होगा। एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद, निवासी इसका उपयोग बार-बार कर पाएंगे। उन्हें बैंक खाता खोलने, मोबाइल कनेक्शन लेने, एलपीजी कनेक्शन लेने आदि जैसी सेवाओं के लिए पहचान में सहायक दस्तावेज बार-बार उपलब्ध नहीं कराने होंगे। आधार से प्रवासियों की पहचान भी गतिशील बनी रहेगी। आधार के बैंक खाते से जुड़ते ही, बैंकिंग संस्थाओं के लिए देश भर में निवासियों को कम लागत वाले छोटे भुगतान करना संभव हो जाएगा। आधार के सुरक्षित प्रमाणन मॉडल से निवासियों को उनके मोबाइल फोन के माध्यम से ही सीधी सेवा मिल सकेगी। इससे निवासी सुनिश्चित तरीके से सरकारी लाभ और सब्सिडी ले सकेंगे, अपने बैंक खातों की जानकारी हासिल कर सकेंगे तथा अपने मोबाइल फोन से अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी, कहीं भी पैसा प्रापत कर सकेंगे तथा भेज सकेंगे।

आधार का उद्देश्य एक ऐसी सॉफ्ट पहचान उपलब्ध कराना है जिसका उपयोग लोक सेवाएं हासिल करने के लिए किया जा सके ताकि लोगों को कुशल और बेहतर सेवाएं मिल सकें। राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे सेवा प्रदान करने संबंधी विभिन्न स्कीमों की समीक्षा करें तथा सेवा प्रदान करने के लिए आधार पर उपयोग करें और इसे बढ़ावा दें। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे विभिन्न लोकोन्मुख स्कीमों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर आधार को मान्यता देने पर विचार करें। भारत सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा वित्तीय संस्थाओं ने आधार को पहचान के प्रमाण तथा पते के प्रमाण के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज़ के तौर पर मान्यता दी है।

(ग) यूआईडीएआई स्कीम के अंतर्गत अब तक उपलब्ध कराई गई तथा उपयोग में लाई गई राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ भारतीय रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	वित्तीय अनुमान	व्यय
2009-10	120.00	26.38	26.21
2010-11	1900.00	273.80	268.41
2011-12	1470.00	1195.00	1187.50
2012-13	1758.00	-	667.16 (नव., 2012)

(घ) और (ङ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार परियोजना को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/वित्तीय संस्थानों/भारतीय डाक आदि के साथ साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। इन साझेदारी ने फील्ड में पंजीकरण करने के लिए इन एजेंसियों को शामिल किया है। यूआईडीएआई निवासियों के पंजीकरण के काम में तेज़ी लाने के लिए साझेदारों पर लगातार दबाव बनाता रहा है जिसके तहत उन लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों तथा सब्सिडियों के लिए पात्र हैं। यूआईडीएआई ने उन्हें मानक पंजीकरण सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया तथा दिशानिर्देश उपलब्ध कराए हैं। उंगलियों की छाप तथा आंखों की पुतलियों के सैकनरों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजना के लिए केवल मानक उपकरण का उपयोग हो। इसने पंजीकरण एजेंसियों के चयन में उनकी मदद के लिए ऐसी एजेंसियों को पैनलबद्ध किया है। पंजीकरण पर नियमित रूप से नज़र रखी जा रही है जिसके तहत पंजीकरण केन्द्रों को हर 10 दिन पर केन्द्रीय पहचान डेटा कोश (सीआईडीआर) के साथ जोड़ा जाता है तथा पंजीकरण के 20 दिनों के भीतर ही पैकेटों को अपलोड किया जाता है। प्रत्येक सफल आधार सृजन के लिए पंजीयकों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याएं सृजित तथा जारी करने का अधिदेश दिया गया है। आधार 12 अंकों की एक औचक संख्या है जो विकासात्मक पहल के तौर पर, भारत के सभी निवासियों को जारी की जा रही है। नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। यूआईडीएआई संलग्न विवरण-II के अनुसार, 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2014 तक 60 करोड़ निवासियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकृत है/पंजीकृत कर लेने का अनुमान हैं। शेष आबादी को राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी प्रक्रिया के अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा कवर किया जाएगा।

विवरण-I

आधार सृजन रिपोर्ट (31.11.12 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	कुल
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	159,665
2.	आंध्र प्रदेश	48,880,239
3.	अरुणाचल प्रदेश	626
4.	असम	18,582
5.	बिहार	2,118,006
6.	चंडीगढ़	637,647
7.	छत्तीसगढ़	328,034
8.	दादरा और नगर हवेली	29,651
9.	दमन और दीव	127,823
10.	दिल्ली	12,055,142
11.	गोवा	1,115,983
12.	गुजरात	6,102,471
13.	हरियाणा	2,526,489
14.	हिमाचल प्रदेश	4,462,006
15.	जम्मू और कश्मीर	46,532
16.	झारखंड	9,322,948
17.	कर्नाटक	16,244,027
18.	केरल	15,986,160
19.	लक्षद्वीप	45,632
20.	मध्य प्रदेश	13,363,413
21.	महाराष्ट्र	41,298,583
22.	मणिपुर	563,094
23.	मेघालय	873
24.	मिजोरम	8,480
25.	नागालैंड	129,312

1	2	3
26.	ओडिशा	4,351,305
27.	पुदुचेरी	887,676
28.	पंजाब	10,956,234
29.	राजस्थान	10,100,786
30.	सिक्किम	476,985
31.	तमिलनाडु	7,310,414
32.	त्रिपुरा	2,957,443
33.	उत्तर प्रदेश	9,966,756
34.	उत्तराखंड	1,020,106
35.	पश्चिम बंगाल	6,232,776
	कुल योग	229,831,899

विवरण-II

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	चंडीगढ़
3.	दमन और दीव
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखंड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14.	पुदुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

विमान किरायों में वृद्धि

*376. **श्री पोन्नम प्रभाकर :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भारत में घरेलू विमान किरायों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक विमान कंपनी द्वारा इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार विमान कंपनियों द्वारा मूल्य निर्धारण किए जाने पर निगरानी रखने हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विमान किरायों को वहनीय बनाने तथा विमान किरायों में मनमानी वृद्धि को रोकने के लिए सरकार/नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) घरेलू यात्रियों पर लागू विमान किरायों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है और इसे सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। विमान किरायों में मूल किराया, विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) प्रभार, प्रयोक्ता विकास/शुल्क हवाईअड्डा विकास शुल्क, यात्री सेवा शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं। इनमें से किसी भी घटक में अंतर से विमान किराए प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त, विमान किराए, आपूर्ति तथा मांग की बाजार क्रिया से प्रभावित होते हैं और मौसम दर मौसम तथा व्यस्त घंटों से अव्यस्त घंटों के बीच घटता-बढ़ता रहता है। अनुसूचित एयरलाइनें प्रत्येक उड़ान के लिए विभिन्न किराया वर्ग (बकेट) उपलब्ध कराते हैं और एयरलाइनों द्वारा निचले वर्ग में उपलब्ध कराए गए विमान किराए वहनीय होते हैं। सीटों की मांग में वृद्धि में विमान किरायों में वृद्धि होती है क्योंकि निम्न किराया वर्ग जल्दी बिक जाते हैं। यह पद्धति विश्व भर में अपनाई जाती है। घरेलू एयर किरायों की यादृच्छिक (रेन्डम) मॉनीटरिंग से पता चला है कि विमान किराए अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अधिसूचित बैंडों के भीतर ही रहते हैं।

(ग) से (ङ) टैरिफ प्रकाशन में पारदर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगत नागर विमानन महानिदेशालय ने यह निर्देश दिए हैं कि सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें मासिक आधार पर स्थापित किराया (टैरिफ) मार्गवार तथा किराया श्रेणीवार प्रदर्शित करें तथा इसमें किसी प्रकार के उल्लेखनीय परिवर्तन की सूचना, ऐसी परिवर्तनों के प्रभावी होने से 24 घंटों के भीतर, नागर विमानन महानिदेशालय को भी उपलब्ध कराएं।

एयरपोर्ट मेट्रो में तकनीकी खामिया

*377. **श्री नामा नागेश्वर राव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस कॉरिडोर में क्षतिग्रस्त क्लिप्स के विस्तृत विश्लेषण हेतु हांगकांग टेक्नीकल यूनिवर्सिटी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवाओं को कम गति पर पुनः चालू करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रचालन पुनः शुरू करने से पूर्व इस कॉरिडोर पर यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी हां, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) ने एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस कॉरिडोर में क्षतिग्रस्त क्लिप्स के विस्तृत विश्लेषण हेतु हांगकांग टेक्नीकल यूनिवर्सिटी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) सलाहकार ने क्लिप्स के क्षतिग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए अनेक माप लिए हैं। सलाहकार ने अपने निष्कर्षों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) जी, हां।

(घ) 120 किमी/प्रति घंटा की अधिकतम अनुमत गति की जगह 80 किमी/प्रति घंटा की गति से सेवा को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि जुलाई 2012 में ट्रेन सेवाएं स्थगित करने से पूर्व क्लिप्स के क्षतिग्रस्त होने संबंधी समस्या की वजह से ट्रेनें फरवरी 2012 से 80 किमी/प्रति घंटा की गति से पहले ही चलाई जा रही थी। यह नोट किया गया कि 80 किमी/प्रति घंटा की गति पर प्रतिदिन 10-12 क्लिप्स के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं घटती थीं और गैर प्रचालन घंटों के दौरान उन्हें तत्काल बदल दिया जाता था। इसलिए, यात्रियों की सुरक्षा को कोई ख़तरा नहीं था। प्रस्तावित 80 किमी/प्रति घंटा की गति जो कि सुरक्षित गति समझी जाती है, से ट्रेन सेवाओं को दोबारा से शुरू करने संबंधी प्रस्ताव मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हज कोटा

*378. **श्री समीर भुजबल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्यों के बीच हज कोटे के वितरण हेतु क्या मानदंड/मापदंड अपनाए गए हैं;

(ख) हज 2012 हेतु निजी टूर आपरेटरों को आबंटित हज कोटे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सम्पूर्ण देश में टूर आपरेटरों को हज कोटा किस आधार पर वितरित किया जाता है;

(ग) क्या संसद सदस्य अपने विद्यमान दो के कोटे को बढ़ाकर दस किए जाने की मांग करते आ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार हज कोटा बढ़ाने हेतु सऊदी अरब के अधिकारियों को अनुरोध करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को हज कोटे का आबंटन भारतीय हज समिति (एचसीओआई) द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की राष्ट्रीय जनसंख्या की तुलना में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है।

(ख) भारत सरकार तथा सऊदी अरब अधिराज्य की सरकार के बीच द्विपक्षीय हज करार के अनुसार, हज-2012 के लिए भारत को आबंटित कोटा 1,70,000 था, जिसमें से 1,25,000 भारतीय हज समिति (एचसीओआई) के माध्यम से और 45,000 निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओज़) के माध्यम से है। पीटीओज़ को हज कोटा राज्यवार आबंटित नहीं किया जाता है।

2012 हज पीटीओ नीति पीटीओज़ समेत सभी हितधारकों के अब तक के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। हज पीटीओ 2012 नीति के तहत अर्हताप्राप्त पीटीओज़ को हज सीटें आबंटित की गई थीं। पीटीओ 2012 नीति और इस नीति के तहत अर्हताप्राप्त पीटीओज़ को सीटों का आबंटन भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई थी।

(ग) संसद सदस्यों के लिए विशेष रूप से कोई हज सीट कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, वे उन विशिष्ट व्यक्तियों की संस्तुति कर सकते हैं, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23 जुलाई, 2012 के अंतरिम आदेश में विशिष्ट कोटा प्रदान किया गया है। इस अंतरिम आदेश में 500 हज सीटों के विवेकाधीन कोटा की व्यवस्था है - भारतीय हज समिति (एचसीओआई) के लिए 200 तथा विशिष्ट व्यक्तियों की संस्तुतियों के लिए 300, जो निम्नलिखित तक सीमित हैं:

भारत के माननीय राष्ट्रपति	100 सीटें
माननीय उपराष्ट्रपति	75 सीटें
माननीय प्रधानमंत्री	75 सीटें
माननीय विदेश मंत्री	50 सीटें

(घ) जनगणना के अद्यतन आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यूरेनियम/थोरियम के अप्रयुक्त भंडार

*379. **श्री निशिकांत दुबे** :

श्री राकेश सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में यूरेनियम और थोरियम का वर्ष-वार कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या देश में यूरेनियम/थोरियम के ऐसे विकास भण्डार हैं जिनका अभी तक उपयोग, हीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा संबंधा में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) भारत में यूरेनियम के अपेक्षाकृत कम भंड, और थोरियम के प्रचुर भंडार हैं। देश में आज तक, स्वस्थाने यूरेनियम के लगभग 1,84,964 मीटरी टन, और मोनाजाइट के 107 लाख मीटरी टन भंडारों (जिनमें लगभग 8.56 लाख मीटरी टन थोरियम ऑक्साइड विद्यमान होता है) की विद्यमानता की पुष्टि हुई है। इसका राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

यूरेनियम के भंडार:

राज्य	यूरेनियम के प्रमाणित स्रोत (मीटरी टन)
आंध्र प्रदेश	93,492
झारखंड	53,079
मेघालय	20,457
राजस्थान	7,244
कर्नाटक	4,682
छत्तीसगढ़	3,986
उत्तर प्रदेश	785
उत्तराखंड	100
हिमाचल प्रदेश	784
महाराष्ट्र	355
कुल	1,84,964

मोनाजाइट के भंडार

राज्य	मोनाजाइट के प्रमाणित स्रोत (लाख मीटर टन)
केरल	15.1
तमिलनाडु	21.6
आंध्र प्रदेश	37.4
ओडिशा	18.5
पश्चिम बंगाल	12.2
झारखंड	02.2
कुल	**107**

परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है, एक ऐसी विशेषज्ञ एजेंसी है जिसे देश में परमाणु खनिज के भंडारों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का काम सौंपा गया है। यह एजेंसी वर्ष 1949 से प्रचालनरत है। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीर एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, देश में यूरेनियम अयस्क के खनन तथा संसाधन के काम में लगा हुआ है। कंपनी, देश में हाल ही में प्रमाणित यूरेनियम के संसाधनों का नियमित रूप से मूल्यांकन, उन्हें विकसित करने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, और यूरेनियम के निष्कर्षण की दृष्टि से करती है। इंडियर रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, केरल, तमिलनाडु तथा ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में विद्यमान पुलिन बालू खनिजों खनिजों (जिसमें मोनाजाइट शामिल है), के खनन और उपयोग में लगा हुआ है। निम्नलिखित कारकों का प्रभाव देश में प्रमाणित यूरेनियम और थोरियम स्रोतों के खनन और उपयोग के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों पर पड़ता है, जैसेकि, भूमि के अधिग्रहण संबंधी समस्याएं, प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास/पुनर्स्थापना, पेयजल के स्रोतों की निकटता की वजह से पर्यावरणीय संवेदनशीलता, संरक्षित वन/बाघ अभयारण्य की अवस्थिति, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे, जल की उपलब्धता, पर्यावरणीय तथा वन संबंधी मुद्दे, जन सहमति आदि। विभाग, देश में यूरेनियम और थोरियम के और अधिक भंडारों की विद्यमानता का पता लगाने; और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग करने हेतु उनके खनन और संसाधन द्वारा उन्हें काम में लाने के प्रयास कर रहा है।

देश में उत्पादित यूरेनियम तथा योरियम की मात्रा के बारे में सूचना प्रकट करना जनहित में नहीं है।

पासपोर्ट जारी किया जाना

*380. **श्रीमती मेनका गांधी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने में अत्यधिक विलंब के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने हेतु निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवेदकों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई तंत्र बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकारी अनुदेशों के अनुसार, भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 तथा पासपोर्ट नियमावली 1980, यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने से पहले पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदक की नागरिकता, पहचान तथा किसी अपराधिक रिकॉर्ड की गैर-मौजूदगी सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। इसके लिए आवेदक का व्यक्तिगत विवरण तथा इतिवृत का सत्यापन आपेक्षित है, जिसके लिए समय लगता है। सरकार ने नए पासपोर्ट जारी करने के लिए 30 दिनों, पासपोर्ट पुन: जारी करने के लिए 15 दिनों तथा तत्काल आवेदनों के लिए 1 से 7 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है, बशर्ते कि अपेक्षित समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों। गैर-तत्काल आवेदनों के मामले में सरकार को यह जानकारी है कि कई मामलों में नए पासपोर्ट जारी करने के संबंध में 30 दिनों तथा पासपोर्ट पुन: जारी करने के संबंध में 15 दिनों की समय सीमा के भीतर पासपोर्ट जारी नहीं किए जाते, जिसके निम्नलिखित कारण हैं

(1) पासपोर्ट के लिए मांग में वृद्धि;

(2) 21 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब;

(3) आवेदक द्वारा अपूर्ण सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अधूरी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होना; और

(4) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठनों में सेवाओं की मांग की वृद्धि के अनुरूप कर्मचारियों का अभाव।

पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के अंतर्गत इस प्रकार के विलंब को दूर किया जा रहा है, जो कि पूरे देश में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के अंतर्गत 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) स्थापित करके शुरू की जा चुकी है।

(ग) सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र हैं। आवेदकों की सहायता करने तथा शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में सुविधा काउंटर, लोक शिकायत तंत्र तथा हैल्प डैस्क स्थापित किए गए हैं। पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन के बाद आवेदन की स्थिति का पता लगाने तथा पासपोर्ट से संबंधित पूछताछ का जवाब देने के लिए 17 भाषाओं में 24x7 काल सेंटर स्थापित किया गया है। पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की सहायता भी ली जा सकती है। इसके अलावा, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण तथा अनुवीक्षण प्रणाली, दूरभाष, ई-मेल, फैक्स तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों से प्राप्त संदर्भों के निवारण के लिए मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, पीएसपी एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक लोक शिकायत कक्ष भी स्थापित किया गया है। शिकायत निवारण की नवीनतम स्थिति को सीपीजीआरएएम वैबसाइट पर डाला जाता है, ताकि लोग इसे आसानी से देख सकें।

(घ) पासपोर्ट सेवा परियोजना के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया ऑन लाइन तथा सुचारू है, जिसमें आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण के सत्यापन के लिए तथा पासपोर्ट सुपुर्दगी का पता लगाने के लिए भारतीय डाक के साथ अंतरापृष्ठ भी शामिल हैं। पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में प्रतीक्षा अवधि कम करने के लिए आवेदकों को ऑन लाइन समय दिया जाता है, ताकि वे निर्धारित समय तथा तारीख पर पासपोर्ट कार्यालयों में जा सकें। पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में इलैक्ट्रॉनिक पंक्ति प्रबंधन प्रणाली से आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में "पहले-आओ-पहले-जाओ" का सिद्धांत सुनिश्चित होता है। नई प्रणाली में पब्लिक डीलिंग काउंटरों की संख्या 350 से बढ़ाकर 1610 कर दी गई है तथा पब्लिक डीलिंग घंटों की संख्या प्रतिदिन 4 से बढ़कर 7 हो गई है। पासपोर्ट पोर्टल पर पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत सूचना उपलब्ध होती है। नागरिकों की पूछताछ का जवाब देने के लिए 24x7 कॉलसेंटरों सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं के संबंध में समय-समय पर पोर्टल पर परामर्शियां पोस्ट की जाती हैं तथा प्रैस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। यदि विवरणों में कोई परिवर्तन नहीं है तो पासपोर्ट पुन: जारी करने के मामले में पुलिस सत्यापन आवश्यक नहीं है। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्याधीन तत्काल पासपोर्ट जारी करने की सुविधा उपलब्ध है। पासपोर्ट का प्रेषण होते ही आवेदक को एक एसएमएस/ईमेल अलर्ट भेजा जाता है,

जिसमें पासपोर्ट प्रेषण होते ही आवेदक को एक एसएमएस/ ईमेल अलर्ट भेजा जाता है, जिसमें पासपोर्ट प्रेषण की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है।

केबिन बैगेज टैग्स

4141. **श्री के. सुगुमार** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केबिन बैगेज टैग्स को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में सभी विमानपत्तनों पर मानक संचालन प्रक्रियाओं को बदलने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) वर्तमान में, इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अभी तक, केबिन बैगेज टैग्स के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

4142. **श्री पी.आर. नटराजन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 में उसी आरक्षण नीति का प्रावधान है जैसा कि नवाचार के लिए सरकारी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित 'अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2012' में उन अनुदानों के संबंध में क्या उपबंध हैं जिन्हें, सार्वजनिक निधियों से दिया जाएगा तथा इसकी प्रवेश प्रक्रिया तथा जवाबदेही के विनियमन संबंधी क्या उपबंध हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधान, सभी सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे।

(ग) केन्द्र सरकार, संसद द्वारा उचित विनियोजन करने के बाद, अनुसंधान एवं उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए प्रत्येक अनुसंधान तथा नवाचार विश्वविद्यालय को, सहमति ज्ञापन के अनुसार इसके द्वारा आरंभ की गई छात्रवृत्तियों अथवा अध्येतावृत्तियों के व्यय को पूरा करने हेतु अनुदान दे सकती है। केन्द्र सरकार, प्रत्येक सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय को उसके विकास तथा रखरखाव के लिए भी अनुदान कर सकती है।

अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालयों को प्रवेश के मानकों को निर्धारित करने के मामलों में पूर्ण स्वायत्तता है। तथापि, ये विश्वविद्यालय प्रवेश के मामलों पर सूचना का प्रकटीरण करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालयों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। निजी वित्तपोषित अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालयों के लिए जवाबदेही अनुसंधान कार्य हेतु अकादमिक शोध समकक्ष समूह द्वारा समीक्षाओं के माध्यम से और पाठ्यक्रम कार्य एवं शिक्षण के लिए एक समकक्ष समूह के माध्यम से शिक्षण की अकादमिक लेखापरीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालय संस्थाएं

4143. **श्री जोस के. मणि** :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी शिक्षण संस्थान विधेयक में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विधेयक से विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्वायत्त रूप से संस्थान खोलने की अनुमति मिल जाएगी;

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में केवल 500 विदेशी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी शुल्क संरचना पर नियंत्रण रखने तथा समुचित अवसंरचना तथा फैकल्टी की उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित करने का सरकार का विचार है;

(च) क्या ये विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा उच्च स्नातकोत्तर डिग्री के लिए ली जाने वाली प्रस्तावित एकल प्रवेश परीक्षाओं के अंग होंगे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन) विधेयक, 2010 के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) विधेयक, में, उन विख्यात विदेशी शिक्षा संस्थाओं को, जो अपने मूल देश में कम से कम 20 वर्ष से शिक्षा सेवाएं प्रदान करती रही हैं और जो अपने मूल देश में प्रत्यायित हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्य निकाय, जो भविष्य में आयोग का स्थान लेगा, की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा एक 'विदेशी शिक्षा प्रदाता' के रूप में अधिसूचित होने के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शिक्षा संस्थाओं के मध्य शैक्षिक मानकों का संवर्धन और अनुरक्षण) विनियम, 2012 ने इस शर्त को छोड़ दिया है कि एक संस्था के साथ शैक्षिक सहयोग करने के लिए एक विदेशी शिक्षा संस्था को विश्व की सर्वोच्च 500 संस्थाओं में रैंक प्रदान किया गया हो। तथापि, विनियमों के तहत, कोई विदेशी विश्वविद्यालय, भारत में स्वतंत्र रूप से संस्थाएं स्थापित नहीं कर सकता है।

(ङ) विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन विनियमन) विधेयक 2010 में विदेशी शिक्षा प्रदाताओं से यह अपेक्षित है कि वे इनके अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों में दाखिला आरंभ होने से पहले अपनी विवरण-पुस्तिका में फीस के प्रत्येक घटक, विद्यार्थियों द्वारा देय जमा और अन्य प्रभार, ट्यूशन शुल्क की प्रतिशतता और विद्यार्थियों को वापस किए जाने वाले अन्य प्रभारों की घोषणा करें। कोई भी विदेशी शिक्षा संस्था जो एक विदेशी शिक्षा प्रदाता नहीं है, वह कोई भी शुल्क नहीं लगा सकती है या विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे सकती है और यदि किसी मामले में वह ऐसा करती है तो उस पर शुल्क वापसी करने के अतिरिक्त दस लाख से पचास लाख रुपए की शास्ति लगाई जा सकती है। विवरण-पुस्तिका में शिक्षण-संकाय, उनकी शैक्षिक अर्हताएं और शिक्षण अनुभव और छात्रावास-आवास, पुस्तकालय आदि सहित वास्तविक और अकादमिक अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के ब्यौरें भी समाहित होंगे। इनके द्वारा विवरण-पुस्तिका में प्रकट किए गए के अनुसार पालन करने में असफल रहने पर, विदेशी शिक्षा प्रदाता के रूप में इसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एक बार जब एक विदेशी शिक्षा एक विदेशी शिक्षा प्रदाता के रूप में अधिसूचित हो जाती है तो वह उस देश की विधि के नियंत्रण और सांविधिक विनियामक निकाय के विनियमों के अध्यधीन होगी।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं है। तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शैक्षिक वर्ष 2013-14 से विभिन्न अवर-स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक एकल प्रवेश परीक्षा अर्थात राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को संचालित करने का निर्णय लिया है। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) के क्षेत्राधिकार में आने वाले चिकित्सा कॉलेजों के संबंध में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अवर-स्नातक के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा और पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को यह परीक्षा संचालित करने के लिए एक एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

इसरो में विमान एवं पायलटों की कमी

4144. **श्री एस.एस. रामासुब्बु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में विमानों एवं पायलटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण इसरो की वर्तमान एवं भविष्य की परियोजनाएं किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी) के पास दो किंग एयर बी - 200 विमान हैं जिसके द्वारा वायुवाहित संवेदकों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक और उच्च विभेदन आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। एक विमान (वी.टी - ई.क्यू.के) को 1988 तथा दूसरे विमान (वी.टी - ई.बी.बी) को 1997 में प्राप्त किया गया था।

इस समय, (वी.टी - ई.क्यू.के) के प्रणोदक, इंजन का निर्धारित अनुरक्षण, ढुलाई के तहत मरम्मत और अनिवार्य इम्पैनिज किट का संस्थापन कार्य चल रहा है। तत्पश्चात् विमान की उपलब्धता को बेहतर बनाने हेतु इस विमान की वैमानिकी का उन्नयन किया जाएगा। इसके कारण आगामी 6 से 8 माह के दौरान केवल एक विमान (वी.टी - ई.बी.बी) के माध्यम से हवाई सेवाओं में सहायता प्रापत होगी।

वर्ष 2006 के दौरान पायलटों की कमी हुई थी जब उड्डयन क्षेत्र में उछाल की अवधि में एन.आर.एस.सी के पायलटों ने पदत्याग कर दिया था निजी क्षेत्र के बाजार में भी पायलटों का अभाव चल रहा था। इसरो द्वारा भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ) के साथ की गई संस्थागत व्यवस्था के साथ एन.आर.एस.सी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पायलट मिले। वर्तमान में, एन.आर.एस.सी के पास तीन पायलट हैं और आई.ए.एफ द्वारा चौथे प्रतिस्थापन पायलट की प्रतिनियुक्ति की जानी है।

(ख) आज की तारीख में बाढ़ वाले मैदानों के संवृत कंटूर मानचित्रण के 25,000 वर्ग कि.मी. और तटीय अंकीय उन्नतांश मॉडल जनन हेतु 2,400 वर्ग कि.मी. के सर्वेक्षण कार्य लंबित हैं।

इस समय चल रहे वायुवाहित संवेदकों के उड्डयनिकी उन्नयन और संवर्धन के बाद इसरो की आगामी परियोजनाओं पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, कभी-कभी लक्ष्य वाले क्षेत्र और गैर-ऋतुनिष्ठ मौसम के प्रतिरूपों में स्वच्छ मेघ रहित स्थितियों की अनुपलब्धता के कारण विमान के उपयोग में कमी आ सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) इसरो द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) इसरो ने पायलटों की प्रतिनियुक्ति के लिए भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ) के साथ संस्थागत व्यवस्था की है। प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष से तीन वर्ष कर दिया गया है। इस समय, एन.आर.एस.सी के पास तीन पायलट हैं और चौथे प्रतिस्थापन पायलट की प्रतिनियुक्ति भारतीय वायु सेना द्वारा की जानी है। ये पायलट आई.ए.एफ से चक्रानुक्रम के आधार पर आते हैं।

(ii) पुराने विमान के उड्डयनिकी उन्नयन वैमानिकी प्रणाली के कारण अधोमुखी काल को कम करने हेतु आयोजित किए जाते हैं। तत्पश्चात् यह दूसरे विमान में भी इसी प्रकार से किया जाएगा।

(iii) दीर्घकालीन अनुरक्षण ठेके विमान अनुरक्षण एजेंसियों के साथ निष्पादित किए जाते हैं और विमान के अधिकांश निर्धारित अनुरक्षण संबंधी क्रियाकलाप देरी को कम करने की दृष्टि से विमान को मुंबई ले जाने की बजाय एन.आर.एस.सी विमानशाला में बाध्यकारी रूप में आयोजित किए जाते हैं।

प्रौद्योगिकी आधारित सोल्यूशन

4145. श्री नलिन कुमार कटील :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी आधारित सोल्यूशन से हमारे देश में प्रशासन की अधिकतर समस्याएं सुलझ सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रशासन में प्रौद्योगिकी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई पहल कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी पहलों की मुख्य बातें क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में 31 मिशन मोड परियोजनाएं हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय तंत्रों के माध्यम से आम आदमी के लिए उसके स्थानीय क्षेत्र में सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना उच्च प्राथमिकता वाली नागरिक सेवाओं को उनके वर्तमान दस्ती प्रदायगी से ई-प्रदायगी में रूपांतरित कर देगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों की संस्थापना को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत ई-अवसंरचना का सृजन किया जा रहा है।

लोक सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-गवर्नेंस सेवाओं के अभिगत हेतु देश भर में लगभग एक लाख सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं।

क्षमता निर्माण योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 32 राज्यों में राज्य ई-मिशन टीमें गठित की गई हैं तथा 700 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। नवम्बर, 2012 के लिए कुल 9.8 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार की रिपोर्ट मिली है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना के रूप में ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना में एक प्रयोक्ता अनुकूल और एकीकृत फाइल और अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर समाधान की परिकल्पना की गई है।

अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राशि

4146. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग के माध्यम से जारी की गई वास्तविक राशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपने आवर्ती और अनावर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए योजनागत और योजनेत्तर अनुदान जारी किए जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं, जैसे आवसीय कोचिंग अकादमियों, उपचारात्मक कोचिंग योजना, समान अवसर प्रकोष्ठ आदि पर होने वाले व्यय शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यकों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निधियों का कोई पृथक आवंटन नहीं किया है।

शिक्षा में मुसलमानों के लिए आरक्षण

4147. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शिक्षा में मुसलमानों के लिए आरक्षण पर विचार किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सकारात्मक कार्रवाई हेतु आन्ध्र प्रदेश राज्य के मॉडल का अनुकरण करने की इच्छुक है जहां शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) से (घ) सरकार ने 2012 की जनहित याचिका (पीआईएल) सं.1 (आर. कृष्णैया बनाम भारत संघ और अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश द्वारा पारित दिनांक 28.5.12 के निर्णय, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 22.12.2011 के संकल्प और कार्यालय ज्ञापन को रद्द किया गया था जिसके द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% के निर्धारित कोटे में से अन्य पिछड़ी जातियों (अल्पसंख्यक) के पक्ष में 4.5% का उप कोटा निर्धारित किया गया था, के विरुद्ध भारत संघ की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 18739 दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश के 28.5.2012 के उपर्युक्त निर्णय पर रोक लगाने से 13.6.2012 को इन्कार कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय,

आन्ध्र प्रदेश के दिनांक 28.5.2012 का उपर्युक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक लागू रहेगा।

आरटीआई दायरे के अधीन कानूनी मत

4148. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कानूनी मत, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने हाल में विनिर्णय दिया है कि सरकार द्वारा आंतरिक रूप से मांगा गया कानूनी मत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है तथा इसे सार्वजनिक किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सूचना आयोग एक स्वंत्र अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जो मामलों के तथ्यों एवं गुणों के आधार पर अपीलों और शिकायतों का न्यायनिर्णय करता है। विशेष मामले में आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है। आयोग के आदेश को रिट याचिका के जरिए उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध कारखाने

4149. **श्री महाबली सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कई कारखाने अवैध रूप से चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) महोदया, दिल्ली नगर निगम द्वारा, दिल्ली मास्टर प्लान (एस.पी.डी.)-2021 में यथा निर्दिष्ट अनुरूप क्षेत्रों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 416 और 417 के उपबन्धों के अनुसार कारखाने/औद्योगिक इकाईयों के लिए लाईसेंस दिए जाते हैं। अवैध कारखानों के चलने की सूचना निगमों के ध्यान में लाए जाने पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अभी तक 349 इकाईयों/कारखानों के विरुद्ध कार्रवाई की है जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने उक्त अधिनियम के अनुसार पहचान की गई 3800 इकाईयों में से 44 इकाईयों/कारखानों को सील करने की कार्रवाई की है।

राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक

4150. **श्रीमती दर्शना जरदोश:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिवंगत प्रधान मंत्रियों के नाम पर विकसित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्री मोरारजी देसाई के लिए स्मारक विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के स्मारकों का ब्यौरा निम्नवत है:

(i) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली।

(ii) नेहरू मेमोरियल म्युजियम लाइब्रेरी, दिल्ली।

(iii) तीन मूर्ति भवन, दिल्ली।

(iv) लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, दिल्ली।

(v) राजीव गांधी निनईवकम, तमिलनाडु।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

4151. श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री चार्ल्स डिएस:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सरकारी जमीन पर कथित रूप से अवैध अतिक्रमण में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) जी नहीं। दिल्ली के स्थानीय निकायों ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तथा अतिक्रमणों को रोकने के लिए फील्ड स्टॉफ द्वारा नियमित निरीक्षण किये जाते हैं तथा ऐसे अतिक्रमणों के नोटिस में आने पर पुलिस बल की सहायता से शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय मछुआरों पर हमले

4152. श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समुद्री सीमा के कथित उल्लंघनों के लिए हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय मछुआरों पर अक्सर होने वाले हमलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश में हिरासत में रखे गए मछुआरों तथा मत्स्य नौकाओं की संख्या कितनी है;

(घ) उन्हें रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) ऐसे मछुआरों की रिहाई के लिए क्या पुनर्वास पैकेज है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) सरकार हमारे मछुआरों के कल्याण, बचाव तथा सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देती है। समय-समय पर भारतीय मछुआरों पर हमले और उनकी गिरफ्तारी की रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार राजनयिक माध्यमों से उनकी शीघ्र रिहायी तथा वापसी का मामला संबंधित सरकारों के साथ तत्काल एवं सतत रूप से उठाती रहती है। विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय बैठकों के दौरान भी इस मामले को उठाया गया है। सरकार ने मानवीय व्यवहार तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में मछुआरों के विरुद्ध हिंसा की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

सरकार के सतत् प्रयासों के कारण इस समय कोई भी भारतीय मछुआरा मात्सियिकी संबंधी आरोपों में बांग्लादेश तथा श्रीलंका सरकार की हिरासत में नहीं है तथा पाकिस्तान ने 2012 में अब तक 677 मछुआरों को रिहा कर दिया है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, 134 भारतीय माने गए मछुआरे तथा मछली पकड़ने वाली लगभग 600 भारतीय नावें पाकिस्तान की हिरासत में हैं। पाकिस्तान ने इनमें से 7 मछुआरों को कोंसुली सहायता प्रदान की है, जिनकी राष्ट्रीयता के पुष्टिकरण की कार्रवाई की जा रही है तथा शेष 127 मछुआरों के लिए कोंसुली सहायता प्रदान की जा रही है।

कृषि मंत्रालय (पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग) पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों को प्रतिपूर्ति को भुगतान करने तथा "पाकिस्तान के अधिकार में मछली पकड़ने वाले जहाजों के प्रतिस्थान के लिए उदार ऋण पैकेज योजना" - जिसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, के लिए एक नोडल अभिकरण है।

[हिन्दी]

डाकघरों में खाता

4153. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई उपभोक्ता 10 रुपये में डाकघर में खाता खोल सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाकघरों में बचत खाता खोलने के लिए डाक प्राधिकारी कोई राजसहायता प्राप्त करते हैं;

(घ) यदि हां, तो खाते खोलने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त राजसहायता किस शीर्ष के अंतर्गत खर्च की जाती है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान डाकघरों में आज की तिथि तक कितने बचत खाते चालू हैं एवं कितने खाते बंद किये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 31-03-2012 की स्थिति के अनुसार प्रचालनात्मक (सक्रिय) बचत खातों की संख्या 11.52 करोड़ थी तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किये गये बचत खातों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	बंद किये गये खातों की संख्या
2009-10	4056875
2010-11	19531282
2011-12	5045000

[अनुवाद]

व्यक्तियों की निजता संबंधी पैनल

4154. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने व्यक्तियों के निजता संबंधी मुद्दों पर कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पैनल ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीन न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता में निजता संबंधी मुद्दों पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ:

(i) विभिन्न देशों द्वारा लागू किए गए निजता (प्राइवेसी) कानूनों एवं संबंधित विधेयकों का अध्ययन करेगा।

(ii) विभिन्न कार्यक्रमों एवं निजता पर उनके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करेगा।

(iii) प्रस्तावित निजता संबंधी विधेयक के मसौदे में शामिल करने हेतु विचार करने के लिए विशिष्ट सुझाव देगा।

(ग) से (ङ) विशेष समूह ने 16 अक्तूबर, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में निजता के दृष्टिकोण से संगत विधानों/विधेयकों के विश्लेषण सहित अंतरराष्ट्रीय निजता सिद्धांतों, राष्ट्रीय निजता सिद्धांतों, औचित्य एवं उभरते हुए मुद्दों को कवर किया गया है। विचार-विमर्श एवं विस्तृत विश्लेषण के आधार पर समूह ने कई सुझावों की पहचान की है। रिपोर्ट की प्रति योजना आयोग की वेबसाइट पर डाल दी गई है तथा प्रस्तावित निजता अधिकार विधेयक को अंतिम रूप देते हुए इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उपयुक्त विचार हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सचिवों की समिति की बैठक के लिए मंत्रमंडल सचिवालय को नोट भेज दिया है। नोट में विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करना शामिल है।

[हिन्दी]

जे.एन.वी. में चिकित्सा सुविधाएं

4155. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों (जे.एन.वी.) के छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को आधारभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों की देखभाल संबंधी प्रावधान क्या हैं;

(ग) क्या छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विनिर्देशित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं कब तक प्रदत्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) छात्रों को मूलभूत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए, प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय के वास्ते एक नियमित स्टाफ नर्स की संस्वीकृति की गई है। इसके अलावा, छात्रों की चिकित्सा समस्याओं पर ध्यान देने के लिए, नजदीक के अस्पताल/औषधालय से एक अंशकालिक डॉक्टर को विद्यालय का नियमित दौरा करने हेतु भी लगाया गया है। किसी आपात स्थिति में, छात्रों को चिकित्सा उपचार हेतु नजदीक के जिला अस्पतालों में ले जाया जाता है।

अनुबंध आधार पर नियुक्ति

4156. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं में अनुबंध आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों की संख्या घट रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। सरकार में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां, उन पदों के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं। संविदा नियुक्तियां, ऐसे स्वीकृत/नियमित पदों पर भर्ती की समुचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात की जा सकती हैं जहां उक्त पदों से संबंधित भर्ती नियमों में ऐसी नियुक्ति का प्रावधान होता है एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उक्त पदों की कार्यात्मक अपेक्षा के मद्देनजर विद्यमान अनुदेशों/नियमों के ढांचे में रिक्तियों को भरना आवश्यक होता है।

[अनुवाद]

युद्ध बंदी

4157. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के भारत-पाक युद्ध का एक बंदी ओमान में एक जेल में बंद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कैदी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आधार में बायोमेट्रिक एक्सेप्शन क्लॉज

4158. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधार के अंतर्गत पंजीयन के लिए प्रोटोकॉल में 'बायोमेट्रिक एक्सेप्शन' क्लॉज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बायोमेट्रिक पहचान दिए बगैर कई राज्यों में भारी संख्या में नामांकन किए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आधार संख्या जारी करने के पहले 'इस स्कीम के अंतर्गत नामांकन करा रहे प्रत्येक व्यक्ति के आवासीय पते जैसे ब्यौरे की जांच करने के लिए सरकार के पास तंत्र है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो प्रदत्त ब्यौरे के पूर्ण सत्यापन के बगैर कितने व्यक्तियों को आधार संख्या जारी की गई है; और

(च) आधार प्रणाली की त्रुटि रहित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी हां।

(ख) आधार निवासियों को उनकी जनांकिकी तथा बायोमीट्रिक सूचनाओं के आधार पर विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराता है। आधार पंजीयन के एक अंग के रूप में संग्रहित बायोमीट्रिक सूचनाओं में तस्वीर, सभी 10 उंगलियों की छाप तथा दोनों आंखों की पुतलियों की तस्वीर शामिल हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछेक अथवा सभी बायोमीट्रिक सूचनाओं के अभाव में किसी निवासी को पंजीकरण से वंचित न किया जाए, आधार पंजीकरण प्रक्रिया में प्रावधान किया गया है कि ऐसे लोगों का पंजीकरण बायोमीट्रिक छूट के तहत किया जाए। यह आधार पंजीकरण में यूआईडीएआई द्वारा अपनाए जा रहे सर्वसमावेशिता के सिद्धांत के अनुरूप है। छूट की इस व्यवस्था के तहत पंजीकरण के लिए उंगलियों/हाथ/आंखों की अविद्यमानता की स्थिति की तस्वीर इस प्रकार ली जाती है कि अंगों के न होने से जुड़े बायोमीट्रिक प्रमाण डेटाबेस में आ जाएं। ऐसे सभी पंजीयनों में पंजीयन ऑपरेटरों को साइन ऑफ करना होता है तथा पंजीयन एजेंसी के पर्यवेक्षक को अनुमोदित करना होता है। बैकएंड में, ऐसे पंजीयनों के मामले में, भी, जनांकिकी दुहराव रोकने की व्यवस्था है। साथ ही, सभी अर्थात् 100 प्रतिशत बायोमीट्रिक छूट डोटा पैकेटों की बैकएंड में मैनुअल जांच की जाती है।

(ग) ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ राज्यों में बायोमीट्रिक छूट व्यवस्था के तहत फर्जी पंजीकरण कराए गए। इन मामलों की मैनुअल तरीके से संवीक्षा की गई तथा कुछ मामलों में आधार संख्याओं को रद्द कर दिया गया जबकि कुछ मामलों की जांच जारी है। यह भी पाया गया कि इनमें से कुछेक मामलों में बायोमीट्रिक छूट व्यवस्था के तहत उचित तरीक़े से पंजीयन कराया गया था तथा ऐसे मामलों में आधार संख्याएं सृजित की गई हैं। ऐसे पंजीयनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण । में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आधार परियोजना का मूल उद्देश्य है- समावेशिता। इस परियोजना के अंतर्गत पंजीयन (i) दस्तावेजों और (ii) इंट्रोड्यूसर पर आधारित हो सकता है। दस्तावेज़ आधारित पंजीयन के लिए, निवासी का पंजीयन पहचान का प्रमाण तथा पते का प्रमाण दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। पहचान के प्रमाण/पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। जिन निवासियों के पास पहचान तथा पते के दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, उनके लिए विश्वसनीय इंट्रोड्यूसर की अवधारणा का उपयोग किया जाता है ताकि जनांकिकी डेटा मानदंड तथा सत्यापन प्रक्रिया समिति की सिफारिश के अनुसार उनका पंजीकरण किया जा सके। इंट्रोड्यूसर कई तरह के लोग बन सकते हैं, जैसे-निर्वाचित सदस्य, स्थानीय प्रशासन के सदस्य, डाकिया, स्थानीय कर्मचारी जैसे आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ता, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि आदि। इंट्रोड्यूसरों की सूची पंजीयकों द्वारा विधिवत अधिसूचित होनी चाहिए तथा स्वयं इंट्रोड्यूसर के पास मान्य दस्तावेज़ आधारित संख्या होनी चाहिए।

(च) पंजीयन के लिए यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित मानक कार्यविधियां/प्रक्रियाएं देश भर में लागू हैं जो जनांकिकी डेटा मानक तथा सत्यापन प्रक्रिया समिति की रिपोर्ट और बायोमीट्रिक मानक समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर आधारित है। यूआईडीएआई ने निवासियों के पंजीकरण के लिए मानक सॉफ्टवेयर का निर्धारण किया है। प्रचालकों द्वारा पंजीकरण का कार्य प्रमाणन के बाद किया जाता है। उन्हें समुचित रूप से पंजीकरण एजेंसी तथा पंजीयकों के साथ जोड़ा गया है ताकि भविष्य में कोई भी जानकारी हासिल की जा सके। प्रत्येक पंजीकरण केन्द्र को पंजीयन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति देने से पूर्व तथा पंजीकरण मशीनों तथा प्रचालक के लिए किसी भी डेटा पैकेट का प्रसंस्करण तथा सत्यापन जांच शुरू करने से पूर्व, बंगलोर स्थित केन्द्रीय पहचान डेटा कोश के साथ भी विधिवत पंजीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यूआईडीएआई द्वारा संग्रहित ब्यौरों को अनधिकृत हाथों से सुरक्षित रखने के लिए कई प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। इनमें, पंजीकरण के तत्काल बाद स्रोत पर ही डेटा को इन्क्रिप्ट करना; ब्यौरे को इन्क्रिप्टेड स्वरूप और जिप प्रारूप में डेटा सेंटर भेजना (जिसके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है); मानक

सुरक्षा व्यवस्था कायम करना, जैसे-वर्चुअल प्रोवाइडर, फायरवाल और इन्ट्रूजनरोधी व्यवस्था और यूआईडीएआई अवसंरचना एवं डेटा तक पहुंच को केवल अधिकृत लोगों तक सीमित रखना शामिल हैं। यूआईडीएआई ने पंजीयकों, पंजीयन एजेंसियों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, यूआईडीएआई कर्मचारियों, प्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसियों, डेटा केन्द्र सेवा प्रदाताओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ने यूआईडीएआई सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की जांच तथा डेटा केन्द्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा का कार्य किया है।

विवरण-I

बायोमीट्रिक छूट मामलों का राज्य-वार पंजीकरण तथा उनकी स्थिति

राज्य कोड	राज्य का नाम	रद्द किए गए आधार	पंजीकरण के वैध मामले तथा सृजित किए गए आधार	जांचाधीन आधार
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	3	69	-
2.	हिमाचल प्रदेश	52	943	1
3.	पंजाब	1,456	273	13
4.	चंडीगढ़	5	142	-
5.	उत्तराखंड	124	2	-
6.	हरियाणा	1,103	810	2
7.	दिल्ली	13,845	9,496	55
8.	राजस्थान	6,215	486	20
9.	उत्तर प्रदेश	7,976	3,752	6,079
10.	बिहार	731	6	-
11.	सिक्किम	132	1	-
16.	त्रिपुरा	2,865	9	49
18.	असम	1	-	-
19.	पश्चिम बंगाल	74	8	-
20.	झारखंड	33,017	690	2

1	2	3	4	5
21.	ओडिशा	18,269	382	3
22.	छत्तीसगढ़	206	1	-
23.	मध्य प्रदेश	1,077	269	6
24.	गुजरात	626	293	14
27.	महाराष्ट्र	39,479	1,100	59
28.	आंध्र प्रदेश	2,30,886	2,158	352
29.	कर्नाटक	5,966	952	-
30.	गोवा	-	10	3
32.	केरल	218	109	-
33.	तमिलनाडु	19,481	224	-
34.	पुदुचेरी	366	10	-
	कुल योग	3,84,173	22,195	6658

विवरण-II

नाम और फोटोयुक्त समर्थित पहचान प्रमाण दस्तावेज़

1. पासपोर्ट
2. पैनकार्ड
3. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
4. वोटर आईडी
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सरकारी फोटो आईडी कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी सेवा फोटो
7. एनआईजीएस जॉब कार्ड
8. मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा ज़ारी फोटो पहचान पत्र
9. हथियार लाइसेंस
10. फोटो बैंक एटीएम कार्ड
11. फोटो क्रेडिट कार्ड
12. पेंशनभोगी फोटो कार्ड
13. स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड
14. किसान फोटो पासबुक
15. सीजीएचएस/ईसीएचएस फोटो कार्ड
16. डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड जिसमें नाम और फोटो हों
17. राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा लेटर हेड पर जारी पहचान प्रमाण पत्र जिस पर फोटो हो

18. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी अशक्तता आईडी कार्ड/विकलांग मेडिकल प्रमाण पत्र

नाम और पतायुक्त समर्थित पता प्रमाण दस्तावेज़

1. पासपोर्ट
2. बैंक विवरणिका/पासबुक
3. डाकघर खाता विवरणिका/पासबुक
4. राशन कार्ड
5. वोटर आईडी
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. सरकारी फोटो आईडी कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
8. विद्युत बिल (तीन महीने से पुराना न हो)
9. पानी का बिल (तीन महीने से पुराना न हो)
10. टेलीफोन लैंडलाइन बिल (तीन महीने से पुराना न हो)
11. प्रोपर्टी टैक्स रसीद (तीन महीने से पुराना न हो)
12. क्रेडिट कार्ड विवरणिका (तीन महीने से पुराना न हो)
13. बीमा पॉलिसी
14. बैंक के लैटरहैड पर फोटो सहित हस्ताक्षरित पत्र
15. पंजीकृत कंपनी द्वारा लैटरहेड पर जारी फोटो सहित हस्ताक्षरित पत्र
16. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा लैटरहैड पर जारी फोटो सहित हस्ताक्षरित पत्र
17. एनआरईजीएस जॉब कार्ड
18. आर्म्स लाइसेंस
19. पेंशनभोगी कार्ड
20. स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
21. किसान पासबुक
22. सीजीएचएस/ईसीएचएस कार्ड
23. एमपी या एमएलए या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा लेटर हैड पर जारी पते का प्रमाण पत्र
24. ग्राम पंचायत प्रमुख या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र
25. आयकर आकलन आदेश
26. वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र
27. पंजीकृत बिक्री/पट्टा/किराया करार
28. डाक विभाग द्वारा जारी फोटो युक्त पता कार्ड
29. राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो सहित जाति तथा अधिवास प्रमाण पत्र
30. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी अशक्तता आईडीकार्ड/विकलांग मेडिकल प्रमाण पत्र
31. गैस कनेक्शन बिल (तीन महीने से पुराना न हो)
32. पति या पत्नी का पासपोर्ट
33. माता-पिता का पासपोर्ट (नाबालिग के लिए)

[हिन्दी]

मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियां

4159. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों को प्रदत्त तथा उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही विवेकाधीन शक्तियों का मंत्रालय-वार ब्यौरा;

(ख) ऐसी शक्तियों को मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल करने की घटनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही ऐसी सभी विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में मंत्रियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों के ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2011 को मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया था। मंत्रियों के समूह के "विचारार्थ विषयों में से एक केन्द्र में मंत्रियों द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों को समाप्त करना था। इस संदर्भ में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे केन्द्र में मंत्रियों द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। उस संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर, केन्द्र में मंत्रालयों के विवेकाधिकारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रियों के समूह ने संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना की समीक्षा की।

समीक्षा के आधार पर, मंत्रियों के समूह ने संस्तुति की थी कि सभी मंत्रालय/विभाग विवेकाधिकारों के प्रयोग को विनियमित करने वाले मानदण्डों को लागू करने तथा उन्हें सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं ताकि ऐसे अधिकारों के प्रयोग में मनमानेपन को न्यूनतम किया जा सके।

सरकार ने मंत्रियों के समूह की उक्त संस्तुति को स्वीकार कर लिया है तथा तदनुसार सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को जहां कहीं भी ऐसे दिशा-निर्देश मौजूदा नहीं हैं, वहां विवेकाधिकारों के प्रयोग को विनियमित करने वाले मानदण्डों को लागू करने की तथा उन्हें सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखने की सलाह दी गई है।

विवरण

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में मंत्रियों के विवेकाधिकारों का ब्यौरा

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	माननीय मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकार
1	2	3
कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	सहकारी संगठनों अर्थात् एन.सी.डी.सी., एन.सी.सी.टी., वी.ए.एम.एन.आई.सी.ओ.एम., एन.एफ.एल.सी., एन.ए.एफ.ई.डी., एन.सी.यू.आई. और एन.आई.एम., एस.एफ.ए.सी. जैसे संस्थानों के बोर्डो/प्रबंधन समितियों में सरकारी नामित व्यक्तियों की नियुक्ति।
		एम.ए.एन.ए.जी.ई., नारियल विकास बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति जैसी स्वायत्त संस्थाओं और बोर्डों में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन।
2.	कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग	कृषि मंत्री को कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संबंध में कोई विशिष्ट विवेकाधिकार कोटा नहीं है।
3.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।

1	2	3
4.	परमाणु ऊर्जा विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
6.	उर्वरक विभाग	मंत्री द्वारा उर्वरक सलाहकार फोरम में किसानों के दो प्रतिनिधि नामित किए जाते हैं। निजी स्टाफ नियुक्त करने का अधिकार।
7.	फार्मास्यूटिकल	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
8.	नागर विमानन मंत्रालय	नागर विमानन मंत्री किसी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करता है क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न अधिनियमों और नियमों, विनियमों और ढांचा से विनियमित होता है।
9.	कोयला मंत्रालय	(i) कोयला मंत्री को नियोक्ताओं के एक प्रतिनिधि जो नियोक्ताओं के संगठन का सदस्य न हो तथा कर्मचारियों के एक सदस्य जो कर्मचारियों के संगठन का सदस्य न हो, कों कोयला खान भविष्य निधि कुटुम्ब पेंशन एवं योजना अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अनुसार कोयला खान भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करने का अधिकार है। ये सांविधिक अधिकार हैं तथा ट्रस्टी बोर्ड के गठन हेतु प्रयोग किए जाने हैं तथा इन्हें बनाए रखा जाना है। (ii) कोयला मंत्री कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता कौंसिल (ए.सी.सी.सी.) तथा महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, सदर्न कोलफील्डस लिमिटेड जैसी कोल उत्पादक सहायक कंपनियों द्वारा गठित क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता कौंसिल (आर.सी.सी.सी.) में गैर सरकारी जनहित से जुड़े सदस्यों को नामित/नियुक्त करता है। चूंकि इन नामांकनों को करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया/नीति नहीं है इसलिए इन अधिकारों को विवेकाधीन अधिकार की तरह माना जा सकता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
10.	वाणिज्य विभाग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सिविल सेवा बोर्ड द्वारा भेजे गए पैनल में से किसी अधिकारी को चुनने हेतु विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
11.	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग	मंत्री (सी. एवं आई.एम.) के पास डी.आई.पी.पी. से संबंधित कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं होता है।

1	2	3
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
12.	दूरसंचार विभाग	माननीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के विवेकाधीन अधिकार (i) दूरभाष सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के सदस्यों को नामित करने हेतु (ii) बिना बारी के दूरभाष कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु माननीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के विवेकाधीन अधिकार (i) बिना बारी के दूरभाष कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु
13.	डाक विभाग	दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विशिष्ट व्यक्तियों, अवसर आदि पर दिशानिर्देशों तथा वार्षिक डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम के अनुसार अपने विवेक से डाक टिकट जारी करने का अनुमोदन अपने विवेक पर कर सकते हैं।
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	कोई विशिष्ट विवेकाधीन अधिकार नहीं है।
15.	कारपोरेट मंत्रालय	चूंकि ड्यूटी तथा अधिकार अधिनियम एवं विनियमन तथा इसके अंतर्गत नियमों से राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मिलते हैं जो प्रकृति में अधीनस्थ विधान की भांति होते हैं इसलिए किसी विवेकाधीन अधिकार की गुंजाइश नहीं होती है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
16.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	(i) माननीय मंत्री के पास विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार चीनी उद्योग से संबंधित कुल 25 गैर सरकारी सदस्यों की सीमा तक गैर सरकारी सदस्यों के नाम का सुझाव देने का विवेकाधिकार होता है तथापि विभाग द्वारा अंतिम आवंटन की अधिसूचना औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उनके मंत्री के अनुमोदन के बाद जारी की जाती है। (ii) माननीय मंत्री प्रत्येक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति जिसमें संबंधित मंत्रालय की गतिविधियों के संबंधित क्षेत्र के 15 सदस्य होते हैं, में 4 गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का विवेकाधीन अधिकार होता है। (iii) राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार चावल की आपूर्ति के लिए समय में विस्तार की अनुमति, मामला दर मामला आधार पर माननीय मंत्री के अनुमोदन के बाद दी जाती है।

1	2	3
		2. शर्करा प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मानकों के अनुसार प्रत्येक 6 माह में प्रशासनिक अनुमोदन की वैधता में दो विस्तार की अनुमति प्रदान करने में सक्षम है। वह उन चीनी मिलों को वितरित किए गए एस.डी.एफ. ऋण की प्रतिभूति के तौर पर शर्करा फैक्ट्री की परिसंपत्ति के आधार पर प्रभार देने/अनापत्ति जारी करने के लिए भी सक्षम है जहां सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है अथवा द्वितीय स्थान की विशेष हिस्सेदारी है।
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	(i) उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 3(1) (जी.ए.) के प्रावधानों के अनुसार माननीय मंत्री केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों के नामांकन के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है। (ii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 7(2)(ग) के उपबंधों के अनुसार, मंत्री को राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों में अंतिम नामांकन करने का विवेकाधिकार है।
18.	संस्कृति मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
रक्षा मंत्रालय		
19.	रक्षा विभाग	विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत रक्षा मंत्री विवेकाधिकार कोष (आर.एम.डी.एफ.) से भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों की विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। एक समिति द्वारा की गई अनुशंसा को रक्षा मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में इन मामलों में मंत्री को कोई विवेकाधिकार नहीं है।
20.	रक्षा उत्पादन विभाग	न तो रक्षा मंत्री (आर.एम.) और न ही रक्षा राज्य मंत्री (आर.आर.एम.) को कोई विवेकाधिकार है।
21.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (डी.आर.डी.ओ.)	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
22.	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	मंत्री और अध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.सी.) को कोई विवेकाधिकार नहीं है, क्योंकि सभी निर्णय, वित्तीय और प्रशासनिक, नियत दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाते हैं।
24.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
25.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।

1	2	3
26.	विदेश मंत्रालय	(i) श्रेणी 'एफ' के अंतर्गत कूटनीतिज्ञ पासपोर्ट प्रदान करना। (ii) हज सीटों के कुछ भाग का आबंटन करना।
वित्त मंत्रालय		
27.	वित्तीय सेवाएं विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
28.	आर्थिक मामले विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
29.	व्यय विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
30.	राजस्व (सी.बी.ई.सी. एवं सी.बी.डी.टी.) विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
31.	विनिवेश विभाग	वित्त मंत्री को कोई विवेकाधिकार नहीं है।
32.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	(i) माननीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को भारतीय अंगुर प्रसंस्करण बोर्ड (आई.जी.पी.बी.) तथा राष्ट्रीय मीट तथा पॉलिटरी प्रसंस्करण बोर्ड (एन.एम.पी.पी.बी.) के अध्यक्ष/सदस्य के नामांकन का विवेकाधिकार है। (ii) माननीय मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में राष्ट्रीय संस्थान खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योग तथा प्रबंधन (एन.आई.एफ.टी.ई.एम.) तथा एन.आई.एफ.टी.ई.एम. की अध्यक्ष/एक सदस्य तथा निदेशक की खोज सह चयन समिति में नियुक्ति का विवेकाधिकार है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
33.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किसी भी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं किया जाता।
34.	आयुष विभाग	कोई विशिष्ट विवेकाधिकार नहीं जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री में निहित है।
35.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
36.	एड्स नियंत्रण विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम विभाग		
37.	भारी उद्योग विभाग	कोई विनिर्दिष्ट विवेकाधिकार नहीं है। विभाग के कार्य लोक उद्यम विभाग एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सांविधिक उपबंधों/दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।
38.	लोक उद्यम विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।

1	2	3
गृह मंत्रालय		
39.	गृह मंत्रालय	पुलिस बल स्कीम के आधुनिकीकरण के अंतर्गत एक वर्ष के कुल बजट का 5 प्रतिशत एच.एस./एच.एम., आकस्मिक निधि के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो विभिन्न राज्यों को, आबंटन के आधार पर वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राज्य पुलिस बल की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जारी की जाती है।
		गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंतर्गत 01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
		गृह मंत्री के पास आतंकवाद/साम्प्रदायिकता/नक्सल हिंसा के शिकार असैनिक पीड़ितों को सहायता की केन्द्रीय योजना के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां हैं।
		उन व्यक्तियों को राहत देना जिन्होंने राष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, लोकोपकार और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की है। साथ ही, उनके परिवारों की राहत देना जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो।
		वीरता और जन कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करना।
		विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर राष्ट्र की सेवा करने वाले पात्र संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
		अत्यधिक दु:ख की स्थिति में परिवार के सदस्यों या स्वयं की चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत व्यक्तियों को राहत देना।
		आपवादिक रूप से पात्र समझे जाने वाले किसी अन्य मामले में अनुदान जारी करना।
		दिनांक 24-08-2001 के मंत्रिमंडल सचिवालय आदेश संख्या 1/22/2/2001 सी.ए.वी. गृह मंत्रालय के अंतर्गत सी.पी.ओ. में आई.जी. और ए.डी.जी. के स्तर के भा.पु.सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति।
		दिनांक 30-03-2010 के पैरा 20 के भारतीय प्रशासनिक सेवा कालावधि नीति द्वारा डी.आई.जी. स्तर तक के मामलों के संदर्भ में भा.प्र.सेवा कालावधि नीति के प्रावधानों से विचलन या छूट।
40.	राजभाषा विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
41.	अंतर राज्य परिषद सचिवालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
42.	सीमा प्रबंधन विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।

1	2	3
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
43.	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
44.	उच्च शिक्षा विभाग	विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और नियुक्ति के मामले में मानव संसाधन मंत्री के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। सामान्य तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 4.00 लाख रुपए प्रति वर्ष की विवेकाधीन निधि है।
45.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
46.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
47.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय		
48.	विधि कार्य विभाग	माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के पास कोई विशेष विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
49.	विधायी विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
50.	न्याय विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
51.	खान मंत्रालय	खान मंत्रालय, मंत्री की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के लिए संसद में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 ला रहा है।
52.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	(i) केन्द्रीय वक्फ परिषद (के.व.प.) - केन्द्रीय वक्फ परिषद में नियुक्ति के लिए संसदीय मामले मंत्री द्वारा किए गए नामांकनों पर मंत्री को किसी भी नाम की सिफारिश करने का विवेकाधिकार है। (ii) दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर: मंत्री, जिन्हें किसी भी नाम की सिफारिश करने का विवेकाधिकार है, द्वारा सिफारिश की जाने पर दरगाह समिति, अजमेर के सदस्य की नियुक्ति राजपत्र अधिसूचना द्वारा होती है। (iii) मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एम.ए.एफ.एफ.) मंत्री को आवश्यकता की पूर्ति करने वाले किसी भी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार है। (iv) अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग:- आयोग में एन.सी.एम. अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त नाम रखने की विवेकाधीन शक्ति मंत्री और मंत्रालय के पास होती है। नामों को अंतिम रूप से प्रधान मंत्री अनुमोदित करते हैं।

1	2	3
		(v) भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त: प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकारी की नियुक्ति के लिए उपयुक्त नाम देने का विवेकाधिकार मंत्री और मंत्रालय के पास होता है।
		(vi) एन.एम.डी.एफ.सी. के गैर सरकारी निदेशक एवं अध्यक्ष की नियुक्ति: एन.एम.डी.एफ.सी. के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के दो पद हैं। विवेकाधिकार शक्ति डी.पी.ई. को नामों के पैनल का केवल सुझाव देने तक ही सीमित है। एन.एम.डी.एफ.सी. के गैर सरकारी निदेशक एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करने संबंधित अंतिम अधिकार ए.सी.सी. के पास ही रहेंगे।
53.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
54.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
55.	विदेशी भारतीय मामले मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
56.	संसदीय मामले मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
57.	पंचायती राज मंत्रालय	मंत्री के पास कोई विवेकाधिकार शक्ति नहीं है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
58.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
59.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक लोक शिकायत विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है। शिकायत विभाग
60.	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
61.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	(अर्द्ध सैन्य रक्षा बल एवं पुलिस बल के शहीदों के परिवारजनों को सीधी ही डीलरशिप/संवितरण आबंटित करने संबंधी विवेकाधिकार कोटा स्कीम (डी.क्यू.एम.) को दिसंबर, 2006 में भंग कर दिया गया है)
62.	योजना आयोग	योजना आयोग में निम्नलिखित क्षेत्रों में उपाध्यक्ष स्तर पर निर्णयों का अनुमोदन किया जाता है:- (i) संघ के मंत्रालयों का आबंटन; (ii) राज्यों को विशेष पैन सहायता; (iii) योजना आयोग में सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति। चूंकि सभी निर्णयों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जानी होती है इसलिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पास अनन्य विवेकाधिकार शक्तियां नहीं है।

1	2		3
63.	विद्युत मंत्रालय		कोई विवेकाधिकार नहीं है।
64.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	(i)	भले ही नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति से संबंधित मामलों में, सी.सी.ए. तथा/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन अनिवार्य हो, फिर भी माननीय मंत्री जी (स.प. एवं रा.) कतिपय अवसरों पर पहले निर्णय लेकर तथा इसे कार्योत्तर अनुमोदन के लिए ए.सी.सी. और/या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तावों को अग्रेषित कर विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उक्त विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग केवल मुकदमों आदि से संबंधित अत्यधिक प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता के दौरान ही किया जाता है।
		(ii)	मंत्रालय में सी.ई.एस. (सड़क) विभिन्न संवर्गों के स्थानांतरण, तैनाती एवं प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामलों को इस संबंध में निर्धारित स्थानांतरण नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है। माननीय मंत्री जी (स.प. एवं रा.) प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता के कारण तथा/या लोक हित में कतिपय अवसरों पर उक्त स्थानांतरण नीति में परिवर्तन के लिए विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
65.	रेलवे मंत्रालय	(i)	कोचिंग प्रशुल्क में अनुमत्य से इतर अनुरोधों पर रियायत प्रदान करना।
		(ii)	कतिपय पात्र मामलों में अनुग्रह राशि घोषित करने के अतिरिक्त रेल दुर्घटनाओं एवं अप्रिय घटनाओं के पीड़ितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान करना।
		(iii)	सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेल-कूद और कल्याणकारी क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्ति/संगठन को कल्याणकारी आधार पर मानार्थ कार्ड तथा चैक प्रवेश-पत्र जारी करना।
		(iv)	यात्री सुख-सुविधा समिति तथा यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नामांकन करना।
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
66.	ग्रामीण विकास विभाग	(i)	सतर्कता एवं निगरानी समितियां: सभी राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों में गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों के गैर-सरकारी सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का नामांकन के विवेकाधिकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध विवेकाधिकार के रूप में समझा जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध शक्तियां।

1	2	3
		(ii) **लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट):** माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जो केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री तथा कापार्ट के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, सोसायटी के सदस्य नामांकित किए गए हैं। (iii) **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान:** माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री संस्थान के अध्यक्ष होते हैं। वह महापरिषद के अध्यक्ष तथा कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान के नियमानुसार माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते महापरिषद और कार्यकारी परिषद के कतिपय सदस्यों का नामांकन करते हैं।
67.	भूमि संसाधन विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
68.	पेयजल आपूर्ति विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
69.	पोत परिवहन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
72.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	मंत्री द्वारा किसी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है।
73.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(क) **सभी मंत्रियों को समान विवेकाधिकार शक्तियां:-** "मंत्रिपरिषद" स्कीम और "मंत्रियों द्वारा विवेकाधिकार अनुदान" के अंतर्गत विवेकाधिकार अनुदान कैबिनेट के सभी मंत्रियों को उपलब्ध होता है और इस स्कीम के अंतर्गत 2010 में 6.00 लाख का प्रावधान है; मंत्री निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी वित्तीय वर्ष में है जिनके पास स्तर का कैम्प है। विशेष कैम्प प्राप्त करने के लिए ए.डी.आई.पी. के अंतर्गत आबंटन का कतिपय भाग; सामान्य जिला स्तर के कैम्पों से ऊपर के कतिपय आबंटनों में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संस्वीकृत करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के लिए प्रत्येक वर्ष एक तरफ रख दिया जाता है। 5 करोड़ रुपए का एक प्रावधान ए.डी.आई.पी. के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के कुल आबंटन की तुलना में विशेष कैम्पों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान रखा गया है।

1	2	3
74.	अंतरिक्ष विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
75.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
76.	इस्पात मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है। फिर भी, मंत्री जी इस्पात उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं और विभिन्न राज्य उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीधे माननीय मंत्री महोदय द्वारा गैर-सरकारी सदस्य (लगभग 400) नामित किए जाते हैं।
77.	वस्त्र मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
78.	पर्यटन मंत्रालय	विभिन्न सलाहकार समितियों/स्वायत्त संस्थानों के बोर्डों में सदस्यों को नामित करने का अधिकार: (i) हिन्दी सलाहकार समिति में 4 सदस्यों का नामांकन (ii) आई.आई.टी.टी.एम. बोर्ड में विशेषज्ञों का नामांकन (iii) एन.सी.एच.एम.सी.टी. की आम सभा में विशेषज्ञों का नामांकन (iv) राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एन.टी.ए.सी.) में विशेषज्ञों का नामांकन मंत्री जी के अनुमोदन से प्रति वर्ष परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) को प्राथमिकता दी जाती है।
79.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	विवेकाधीन निधि के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्री का एक वर्ष का कुल बजट रु. 2.00 लाख है। शीर्ष के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान कोई अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री को निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विवेकाधिकार है:- (i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थाएं। (ii) अत्यधिक प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति के बच्चे/पी.टी.जी. के बच्चे (प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण) जिनका पूर्ववर्ती परीक्षाओं में अंकों के उच्च प्रतिशत रहा हो, जिनके अभिभावक दिवंगत हो चुके हों अथवा जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय रु. 5000/- प्रतिमाह से अधिक न हो, की शिक्षा हेतु।

1	2	3
		(iii) चिकित्सकीय उपचार हेतु सभी स्रोतों से जिनकी आय 5000/- रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं है।
		(iv) किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अनुदान की राशि 10,000/- रु. से अधिक नहीं होगी।
80.	शहरी विकास मंत्रालय	आवास से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ए.) के अनुमोदन के अध्यधीन शहरी विकास मंत्री प्रत्येक प्रकार (टाईप) में प्रतिवर्ष होने वाली कुल रिक्तियों की 5% सीमा तक चिकित्सकीय और कार्यात्मक आधार पर पात्र कर्मचारियों को सामान्य पूल आवास (जी.पी.आर.ए.) से बिना आबंटन के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। मंत्री जी प्रतिवर्ष दिल्ली गोल्फ क्लब लिमिटेड में (बिना बारी के) 2 सदस्य नामित कर सकते हैं। मंत्री जी प्रति वर्ष भारतीय पर्यवास केन्द्र में भी दस सदस्य नामित कर सकते हैं।
81.	जल संसाधन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
82.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
युवा कार्य और खेल मंत्रालय		
83.	खेल विभाग	राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि नामक एक स्कीम में विवेकाधिकार खंड है। मंत्रालय के प्रभारी मंत्री साधारण समिति के अध्यक्ष की हैसियत से उपयुक्त मामले में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता संस्वीकृत कर सकते हैं। यह सहायता रु. 50,000/- से 5 लाख रु. तक के बीच हो सकती है।
84.	युवा कार्य विभाग	राज्यमंत्री (युवा कार्य और खेल) के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है।

मासिक निष्पादन मूल्यांकन

4160. **श्रीमती सीमा उपाध्याय:**
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों का निष्पादन मुखी मूल्यांकन करने तथा कार्य से संबंधित लक्ष्य मासिक आधार पर निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों के मासिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) निपटाए गए/लंबित मामलों की समीक्षा के लिए कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति मैनुअल में विहित, संगठन और पद्धति के विभिन्न तरीकों से किया जाता है।

असैनिक विमानपत्तन

4161. श्री प्रवीण सिंह ऐरन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार उन शहरों की सूची क्या है जहां असैनिक विमानपत्तन हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में कितनी ऐसी हवाई पट्टियां हैं जहां सिविल इनक्लेव्ज की सुविधाएं निर्माणाधीन हैं;

(ग) क्या बरेली सहित देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा विमानपत्तनों को असैनिक विमानपत्तन का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस बारे में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अनुरोधों पर मामला-वार क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) निम्नलिखित शहरों में सिविल एन्क्लेव विद्यमान हैं:

पूर्वी क्षेत्र:

अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर (वीर सावरकर हवाई अड्डा)

पश्चिम बंगाल में बागडोगरा (सिलीगुड़ी)

असम में जोरहाट, सिलचर (खुम्बीग्राम) और तेजपुर

दक्षिणी क्षेत्र:

आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम

कर्नाटक में बंगलौर (एच.ए.एल.) तथा तमिलनाडु में तंजोर

पश्चिमी क्षेत्र:

गोवा में गोवा (डबोलिम)

महाराष्ट्र में पुणे (लोहे गांव)

गुजरात में भुज और जामनगर

उत्तरी क्षेत्र:

जम्मू और कश्मीर में जम्मू, लेह और श्रीनगर

मध्य प्रदेश में ग्वालियर

पंजाब में पठानकोट और भटिंडा

राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर (एन.ए.एल.) और जैसलमेर

उत्तर प्रदेश में आगरा (खेरिया), इलाहाबाद (बमरौली), गोरखपुर, कानपुर (चकेरी)

चंडीगढ़ संघशासित क्षेत्र में चंडीगढ़

(ख) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन सिविल एन्क्लेवों की सुविधाओं के साथ हवाईपट्टियों का ब्यौरा: पंजाब में भटिंडा (नया सिविल इन्क्लेव-कार्य पूर्ण) और चंडीगढ़ (मोहाली में नया सिविल एन्क्लेव)

राजस्थान में जैसलमेर (नया सिविल एन्क्लेव - कार्य पूर्ण) और बीकानेर

जम्मू और कश्मीर में जम्मू (एप्रन तथा रनवे का विस्तार) और लेह (न्यू सिविल एन्क्लेव) तथा श्रीनगर (कार्गो परिसर नियोजित)

असम में जोरहाट (एप्रन का विस्तार)

महाराष्ट्र में पुणे (एप्रन का विस्तार तथा कार्गो परिसर)

संघ राज्य क्षेत्रों में गोवा (नया टर्मिनल भवन और एप्रन) और पोर्ट ब्लेयर में (नया टर्मिनल भवन और एप्रन नियोजित)

(ग) से (ङ) जी, हां। राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर, उत्तर प्रदेश में बरेली, अरुणाचल प्रदेश में अलांग, जीरो तथा पासीघाट, असम में रूपसी, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और तमिलनाडु में तंजावुर नए सिविल एन्क्लेव बनाए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थानान्तरण नीति

4162. श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के स्टॉफ की स्थानान्तरण नीति परिवर्तित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अध्यापक संगठनों से स्थानान्तरण के बारे में कितनी मांगें लंबित हैं और इन पर कब तक कार्रवाई कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने हमें सूचित किया है कि इसने केवीएस के कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण नीति को संशोधित किया है। यह संशोधित नीति 01 अप्रैल, 2011 से लागू कर दी गई है। ये दिशानिर्देश केवीएस (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यालय/ आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इन स्थानान्तरण दिशा-निर्देश में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इन स्थानांतरण दिशानिर्देशों में परिवर्तनों के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। इन पर विचार किया गया था परंतु इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका।

विवरण

दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी स्थानान्तरण दिशानिर्देशों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा

- दिशानिर्देशों में अधिक पारदर्शिता तथा युक्तिसंगतता लाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों/कारकों हेतु उपयुक्त अंकों का निर्धारण कर गणना पहलू लागू किया गया है अर्थात अनुरोध आधार एवं सार्वजनिक हित के आधार पर स्थानान्तरण के लिए सेवानिवृत्त होने में तीन वर्ष से कम समय (एलटीआर), परिवार के व्यक्ति की मृत्यु (डीएफपी) एवं चिकित्सा मामलों (एमडीजी) के अंतर्गत शामिल किए गए मामलों हेतु +/-50 अंक, एक स्थान पर ठहराव के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर +2 अंक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत पति/पत्नी मामले इत्यादि में +/-15 अंक प्रदान किए गए हैं।

- वे कर्मचारी जिन्होंने दुर्गम/अति दुर्गम/पूर्वोत्तर केन्द्रों में अपने वर्तमान पद की समयावधि पूरी कर ली है, उन्हें अपने वांछित स्थल पर स्थानान्तरण में अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान करने के लिए +50/+60 पात्रता अंक (+55 अंक दुर्गम/पूर्वोतर केन्द्रों एवं +60 अंक अति दुर्गम केन्द्र के लिए) प्रदान किए जाते हैं।

- किसी वर्ष के 31 मार्च को 40 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों जिन्होंने सतत् सेवा अवधि में दुर्गम/ अति दुर्गम/पूर्वोत्तर केन्द्र में एक कार्यकाल पूरा नहीं किया है की एक कार्यकाल के लिए तैनाती हेतु 35 वर्ष की आयु की अपेक्षा, जैसाकि पूर्ववर्ती स्थानान्तरण दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, अपेक्षित सीमा तक दुर्गम/अति दुर्गम/पूर्वोत्तर केन्द्रों में संभावित रिक्तियों को भरने के लिए उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है।

- स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों की शुचिता के दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए किसी द्वारा न चाही गई रिक्ति तथा आपसी सहमति के आधार पर होने वाले स्थानान्तरणों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि यह देखा गया था कि अध्यापक अपनी केन्द्र वरिष्ठता को समाप्त करने के लिए आपसी सहमति के आधार

पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर रहे थे तथा आवश्यकता वाले अध्यापकों को वंचित कर वे नियमित तौर पर अपनी पसंद के केन्द्रों पर आ रहे थे। किसी द्वारा न चाही गई रिक्तियों के खिलाफ स्थानान्तरण पर विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी गई है क्योंकि पूर्व में यह सिलसिला वर्ष भर चलता रहता था।

- किसी भी कर्मचारी/कर्मचारियों के समूह को कोई व्यापक छूट प्रदान नहीं की गई है। तथापि, प्रशासनिक स्थानान्तरण के आधार पर विस्थापित होने वाले कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह को ऐसी परिस्थितियों के चलते या ऐसी अन्य तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकता जिससे ऐसी छूट न्यायोचित प्रतीत होती हो, के लिए छूट प्रदान की जा सकती है।
- महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र बनाने हेतु अतिरिक्त +10 पात्रता अंक का लाभ दिया गया है तथा विस्थापन स्थानान्तरण के मामले में इन्हें -10 पात्रता अंक प्रदान किए जाते हैं।
- नि:शक्त कर्मचारियों को स्थानान्तरण में उच्च प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए +40 अंक प्रदान किए जाते हैं तथा विस्थापन स्थानान्तरण के मामले में उन्हें -50 अंक प्रदान किए जाते हैं।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघ सदस्यों जो केवीएस/आरओ एवं केवीएस (मुख्यालय) में जेसीएम के भी सदस्य हैं, को विस्थापन स्थानान्तरण के मामले में -15 अंक प्रदान किए जाते हैं।

विद्यालय पाठ्यक्रम में शास्त्रीय संगीत और नृत्य को शामिल करना

4163. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का शास्त्रीय संगीत और नृत्य उपेक्षित है और आने वाले दशकों में ये विलुप्त हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यालयों में कला और नृत्य को बढ़ावा देने हेतु शास्त्रीय संगीत और नृत्य को पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल करने की कोई मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला इत्यादि को शामिल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा- 2005 में कला शिक्षा और हैरिटेज क्राफ्ट्स को पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा- 2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा सभी विषयों हेतु तैयार किए गए नए पाठ्यक्रमों तथा नई पाठ्यपुस्तकों में भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के घटक समेकित रूप में शामिल हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा I से XII हेतु कला, संगीत, नृत्य तथा रंगमंच जैसे विषयों में भी पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जिनमें शास्त्रीय संगीत सहित विभिन्न घटक शामिल हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभिन्न विषयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम निर्धारित करता है और छात्र वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर संगीत/नृत्य/भारतीय पारम्परिक नृत्य नाटक के मुख्य विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं।

मैट्रो स्टेशनों पर दुकानों की नीलामी

4164. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मैट्रो के स्टेशनों पर दुकानें नीलाम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि. (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि वे नियमित अंतरालों पर लाइसेंस देने के प्रयोजन के लिए खाली दुकानों की नीलामी करते हैं। इस नीलामी से प्रापत राजस्व नीलामी होने वाली दुकानों की संख्या, उनके क्षेत्र और स्थिति पर निर्भर होगा।

वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें

4165. **श्री रुद्रमाधव राय** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी दूरसंचार ऑपरेटर ग्राहकों को बीएसएनेएल और एमटीएनएल की अपेक्षा अधिक सुविधाएं/मूल्य वर्धित सेवा प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार उपक्रमों की तर्ज पर वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें देने के लिए निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को निदेश देने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) 1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1999 को अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (अनुसूची 1, मद 5) के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को ग्रामीण स्थिर लाइन सेवाओं हेतु मासिक किराए में निम्नलिखित रियायत प्रदान की गई है:

(5) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराया

5(क)वायरलेस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी (स्थिर) सहित स्थिर लाइन टेलीफोनी सेवा	स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता (लाइनों की संख्या)		वरिष्ठ नागरिक (रुपए)	अन्य (रुपए)
	(i)	999 तक	70	70
	(ii)	1000 से 29,999	120	120
	(iii)	30,000 से 99,999	180	200
	(iv)	1 लाख और इससे अधिक	250	280

यह अनिवार्य है कि मानक पैकेज के रूप में उपर्युक्त रियायत का ऑफर करें। तथापि, सेवा प्रदाताओं को यह छूट है कि वे विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिना भेदभाव के प्रशुल्कों का वैकल्पिक ऑफर प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष या इससे अधिक) को सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ~~द्वारा~~ निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जा रही हैं:

2.1 बीएसएनएल - बीएसएनएल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को स्थिर लाइन टेलीफोन कनेक्शन के लिए निम्नलिखित रियायतों प्रदान की जा रही हैं:

(i) गैर-ओवाईटी-विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन हेतु पंजीकरण।

(ii) टेलीफोन कनेक्शन के अनुरोध के पंजीकरण के समय पंजीकरण प्रभारों का भुगतान नहीं करने की छूट देना।

2.2 एमटीएनएल - वरिष्ठ नागरिकों को लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाती हैं:

(i) संस्थापना प्रभार में 25% की रियायत।

(ii) प्लान 250 के अंतर्गत मासिक सेवा प्रभारों में 25% की रियायत।

3. प्राइवेट दूरसंचार प्रचालकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली रियायतों के बारे में दूरसंचार विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अत: प्रदान की जा रही रियायतों की तुलना करना संभव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मौजूदा प्रशुल्क ढांचे के अनुसार, दूरसंचार अभिगम सेवाओं के लिए प्रशुल्क राष्ट्रीय रोमिंग तथा ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं के लिए प्रशुल्क को छोड़कर, का निर्धारण सेवा प्रदाताओं के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सेवा प्रदाताओं को यह छूट है कि वे बाजार स्थितियों तथा अन्य वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के मद्देनज़र विभिन्न प्रशुल्क स्कीमों का ऑफर करें। प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न स्कीमों की रूपरेखा इस तरह तैयार की जाती है कि ये स्कीमें ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी प्रशुल्क विनियम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनके वाणिज्यिक हित में हों।

सी.बी.आई. के अधिकारियों की विदेश में तैनाती

4166. **डॉ. पी. वेणुगोपाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) यूनाइटेड किंगडम, दुबई और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने अधिकारियों को तैनात करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों की इन स्थानों पर तैनाती से जांच सहायता हेतु अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई हो सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कॉलों की री-रूटिंग

4167. **श्री नारनभाई कछाड़िया** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग से भारी मात्रा में राजस्व की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसी कॉलों के री-रूटिंग के कितने मामलों का पता चला है और सरकार को कंपनी-वार कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ग) सरकार ने चूककर्ता दूरसंचार कंपनियों और इस मामले में जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(घ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग की जांच करने और इन्हें रोकने के लिए क्या तंत्र मौजूद है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ग) ऐसे मामले सूचित किए गए हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग से सरकार को हानि हुई है। वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 के दौरान अभी तक सूचित किए गए मामलों की संख्या क्रमश: 3, शून्य, 4 और 1 है। दोषियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई हैं। इन मामलों का ब्यौरा यानी कंपनी का नाम, राजस्व हानि और एफआईआर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा देश भर में 34 दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टीईआरएम) प्रकोष्ठों का सृजन किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	ग्राहक	संकल्पनात्मक हानि	वर्ष	एफआईआर/शिकायत का ब्यौरा
1	2	3	4	5
1.	श्री योगने सिंह@ योगेन सिन्हा, मार्वल कम्यूनिकेशंस	5.4 लाख रुपए	2009	स्पेशल सेल दिल्ली में एफआईआर संख्या 53/2009 दिनांक 29.8.2009
2.	वी. रमेश एंड एसोसिएट्स हाउस नं. 6-3-713, सैफायर कॉम्पलैक्स, डी-2, द्वितीय तल, ब्लॉक ए, एलजी-2-सी2, अमृथा हिल्स, समीप टोपाज भवन पंजागट्टा, हैदराबाद	99.8 लाख रुपए	2009	एफआईआर संख्या: 106/2009 दि. 30.01.2009, पंजागट्टा पुलिस स्टेशन, हैदराबाद 20 एवं 25 ऑफ आईटीए 1885, धारा 3 एवं 6 ऑफ आईडब्ल्यूटीए 1933 और आईपीसी की धारा 420, 379 एवं 129 (ख)
3.	वी. रमेश एंड एसोसिएट्स, हाउस नं. 10-5-2/2/8, फ्लैट नं. 513, माहेश्वरी कम्पलैक्स, रोड नं. 1 समीप गोलगोंडा होटल, मसाबटैंक, हैदराबाद	25 लाख रुपए	2009	एफआईआर संख्या: 106/2009 दि. 30.01.2009, पंजागट्टा पुलिस स्टेशन, हैदराबाद आईटीसी 1885 की धारा 20 और 25, आईडब्ल्यूटीए 1933 की धारा 3 और 6 और आईपीसी की धारा 420, 379 एवं 120 (ख)
4.	रामानन्द एस. शर्मा, मैसर्स पैरीनियल सोल्यूशंस, x13, चतुर्थ तल, जयराम कम्पलैक्स, नौगी नगर, माला, पणजिम, गोवा	78 लाख रुपए (लगभग)	2011	एफआईआर संख्या: 122/11 दिनांक 19.04.2011 पणजी पुलिस स्टेशन, पणजी, आईपीसी 420, 120 (ख), आईटीए 4 एवं 20
5.	डेनियल इस्टर दास, 25-ए-11बी-29, चेनतुरान नगर, तृतीय स्ट्रीट, डीवीडी कॉलोनी, कोट्टार, नगरकॉयल, तमिलनाडु एवं श्री जी. नरेश कुमार, प्रथम तल, सामने डोर नं. 27ए 13/4, चेनतुरान नगर, नगरकॉयल, तमिलनाडु	10 लाख रुपए (प्रारंभिक अनुमान)	2011	स्थानीय पुलिस के पास एफआईआर संख्या: 260/2011 दिनांक 29.01.2011
6.	मैसर्स कॉलमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट संख्या: 304, चायामिना अपार्टमेंट, एएस राजू नगर, समीप पुल्ला रेड्डी स्वीट्स, कुकाटपल्ली, हैदराबाद	123.8 लाख रुपए	2011	भारतीय तार अधिनियम की धारा 4, 20 और 25 तथा आईपीसी की धारा 420, 120बी के तहत कुकाटपल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या: 43/2011 दिनांक 14.01.2011

1	2	3	4	5
7.	श्री हैदर जुनैद हुसैन, मकान नं. 10-3-192/1/सी/1/ए, फ्लैट संख्या: 402, शाहीन रेजिडेंसी, हुमायूं नगर, मेंहदीपतनम	30.2 लाख रुपए	2011	इंटरनेट सेवा प्रदाता ने उपभोक्ता के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
8.	मैसर्स स्पैक्ट्रम नेटवर्क सोल्यूशन प्रा. लि. 2, कॉमगार्ड नेटवर्क प्रा.लि. जी-4/5/6 पेनरोज भवन, हीरानन्द फाउंडेशन स्कूल के पास, हीरानन्दानी एस्टेट पाटलीपाड़ा, गौडबंदर रोड, थाणे (पश्चिम)-400607	17.2 लाख रुपए	2012	केसरवाडावली पुलिस स्टेशन, थाणे पश्चिम में आईटीए 1885 के तहत दिनांक 18.06.2012 की एफआईआर संख्या: 1128/12

एयर इंडिया का बेड़ा

4168. **श्री एम.बी. राजेश :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलय के पहले और बाद में एयर इंडिया के स्वामित्व वाले बेड़े का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में इसके बेड़े में बिना समय सारणी वाले (नॉन-शिड्यूल्ड) विमानों की संख्या कितनी है;

(ख) एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड द्वारा पट्टे पर लिए गए और प्रचालित किए जा रहे विमानों ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एयर इंडिया द्वारा अपने और पट्टे पर लिए गए विमानों से कितना राजस्व अर्जित किया; और

(घ) उक्त अवधि में विमान पट्टे पर लेने पर कितनी राशि व्यय हुई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) पूर्ववर्ती एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का अगस्त 2007 में नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया था, जिसका पुन:नामकरण 'एअर इंडिया लिमिटेड' के रूप में किया गया। विलय से पूर्व और पश्चात विमानों (स्वामित्व वाले और लीज पर लिए हुए) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आज की तारीख में एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (एअर इंडिया एक्सप्रेस) के पास 21 x बी737-800 विमानों का बेड़ा है, जिनमें से 17 स्वामित्व वाले और 4 लीज पर लिए हुए हैं। चारों विमानों के लीजकर्ता मैसर्स आईएलएफसी हैं। एक विमान की लीज मार्च 2017 में दूसरे की अप्रैल 2017 में और अन्य दो की मई 2017 में समाप्त हो जाएगी।

(ग) यद्यपि स्वामित्व वाले और लीज पर लिए हुए विमानों से अलग-अलग अर्जित राजस्व आय को चिह्नित करना संभव नहीं है, तथापि एअर इंडिया द्वारा अर्जित वर्ष-वार राजस्व (यात्री, अतिरिक्त बैगेज, डाक और मालभाड़ा) निम्नानुसार है:-

वर्ष	राजस्व (करोड़ रुपए में)
2009-10	10014.64
2010-11	10457.00
2011-12	12364.18
अप्रैल-सितंबर 2012 (अनंतिम)	6036.85

पिछले दो वर्षों में एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा अर्जित राजस्व (राजस्व हिस्सेदारी से पूर्व) निम्नानुसार है:-

वर्ष	राजस्व (करोड़ रुपए में)
2009-10	1741.82
2010-11	1708.21
2011-12	1810.43

(घ) एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा विमानों के भाड़े पर किया गया वर्षवार व्यय (करोड़ रुपए में) निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	एअर इंडिया	एअर इंडिया एक्सप्रेस
2009-10	830.90	1.44
2010-11	582.07	1.44
2011-12	417.87	1.44
अप्रैल-सितंबर 2012 (अनंतिम)	231.08	0.72

विवरण

एअर इंडिया लिमिटेड (अनुषंगी कंपनियों सहित) 31 मार्च को बेड़े की स्थिति

विमान श्रेणी	2007	2008	अंतर
1	2	3	4
वाइड बॉडी			
बी747-300	2	1	(1)
बी747-400	9	8	(1)
बी777-200	4	4	-
ए310-300	17	13	(4)
बी777-200एलआर	-	5	5
बी777-300ईआर	-	3	3
ए300	3	3	-
ए310-300	1	1	-
बी757-200	1	-	(1)
बी767-300 ईआर	2	2	-
ए330-200	-	2	2
वाईड बॉडी कुल	39	42	3
नैरो बॉडी			
बी737-800 (एआई एक्सप्रेस)	13	18	5
ए319	6	11	5
ए320	48	48	-
ए321	-	6	6
बी737-200	11	6	(5)
एटीआर42	4	7	3
सीआरजे-700	-	1	1
डोर्नियर डीओ-228	2	2	-
नैरो बॉडी कुल	84	99	15
कुल योग	123	141	18

[हिन्दी]

सिविल सेवा परीक्षा में परिवर्तन

4169. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल सेवा परीक्षा की योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक नया सिविल सर्विस एप्टिट्यूड टेस्ट (सी.एस.ए.टी.) शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सी.एस.ए.टी. के द्वितीय पत्र को एम.बी.ए. प्रवेश परीक्षाओं के अनुरूप बदला गया है और मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया है; और

(च) यदि हां, तो प्रारूप पाठ्यक्रम और विषयों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (च) जी हां। सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में परिवर्तन, अलघ समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर किए गए हैं।

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा की पद्धति और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए गए थे, जो सिविल सेवा परीक्षा (सी.एस.ई.), 2011 से प्रभावी कर दिए गए हैं। संशोधित पद्धति के अंतर्गत प्रारम्भिक परीक्षा में सबके लिए एक समान दो प्रश्न पत्र होते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है जिससे सभी उम्मीदवारों के लिए एक जैसा मानक सुलभ हुआ है।

सिविल सेवा परीक्षा (प्रारम्भिक) के प्रश्नपत्र-II में "अंग्रेजी भाषा बोधगम्य कौशल" का केवल एक ही घटक होता है जो केवल मैट्रिकुलेशन स्तर का होता है।

परिवर्तित पद्धति और पाठ्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सिविल सेवा परीक्षा-2011 से सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का पाठ्यक्रम और पद्धति निम्नलिखित है:-

(पेपर-I) (200 अंक) अवधि: दो घंटे

- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं।
- भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
- भारत का विश्व भूगोल - भारत तथा विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल।
- भारतीय राजव्यवस्था तथा शासन-संविधान, राजनैतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि।
- आर्थिक तथा सामाजिक विकास - सतत् विकास, गरीबी, समावेशन (इंक्लूजन), जन सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहलें आदि।
- पारिस्थितिकी पर्यावरण, जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे - जिनमें विषय विशेषज्ञता अपेक्षित नहीं है।
- सामान्य विज्ञान।

(पेपर-II) (200 अंक) अवधि: दो घंटे

- बोधगम्यता।
- संप्रेषण कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल।
- तार्किक संगतता तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।
- निर्णय सक्षमता तथा समस्या समाधान।
- सामान्य बौद्धिक योग्यता।
- आधारभूत संख्यात्मकता (संख्या तथा उनका आपसी संबंध, महत्ता का क्रम आदि) (कक्षा X स्तर) तथा डाटा इंटरप्रेटेशन (ग्राफ, चार्ट, तालिकाएं, डाटा पर्याप्तता आदि) (कक्षा X स्तर)।
- अंग्रेजी भाषा बोधगम्यता कौशल (कक्षा X स्तर)।

[अनुवाद]

सीबीआई प्रमुख का कार्यकाल

4170. श्री पी. कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रमुख के कार्यकाल में वृद्धि करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) निदेशक, सीबीआई ने लोक सभा द्वारा यथापारित, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर सीबीआई के सरोकार को सम्प्रेषित करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुशंसा की है कि निदेशक, सीबीआई को "कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए बने रहना" चाहिए। इसके अलावा, सीबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीबीआई ने विभिन्न संसदीय समितियों के समक्ष इस मुद्दे पर अपना मत व्यक्त किया है कि निदेशक का सेवाकाल पांच वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(ग) दिल्ली पुलिस विशेष स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 ख में यह प्रावधान है कि निदेशक सीबीआई की सेवा शर्तों संबंधी नियमों में किसी भी बात के होते हुए वे पदभार संभालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे। निदेशक, सीबीआई के सेवाकाल को बढ़ाए जाने हेतु सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सभा की प्रवर समिति, जिसने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर विचार किया है, ने सीबीआई के सुदृढ़ीकरण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान दिया है। प्रवर समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि "सीबीआई के अभियोजन निदेशक और निदेशक की दो वर्ष की नियत अवधि होगी"।

[हिन्दी]

बंगलों पर अनधिकृत कब्जा

4171. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक पूर्व-नौकरशाह और अन्य लोग दिल्ली में लुटियन जोन में बंगलों में अवैध रूप से रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं। दिल्ली में लुटियन जोन में एक मामले को छोड़कर जिसे सी.सी.ए. को भेजा गया है, कोई पूर्व-नौकरशाह और अन्य लोग बंगलों (टाईप-VII एवं टाईप-VIII) में अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हज तीर्थ यात्रियों पर पाबंदियां

4172. श्री एस.साई प्रताप : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक व्यक्ति के लिए हज तीर्थ यात्रा को जीवन में एक बार ही तक सीमित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में किसी वर्ग से कोई आपत्ति प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हज-2012 के लिए हजनीति के संबंध में 12.4.2012 को उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर किया गया था, जिसमें यह उललेख किया गया था कि भारतीय हज समिति (एचसीओआई) के माध्यम से हज आवेदक के लिए हज यात्राओं की संख्या "मौजूदा पांच वर्षो में एक बार" तक सीमित कर दी जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन आवेदकों ने कभी हज नहीं किया है उन्हें भारतीय हज समिति के माध्यम से हज करने का मौका मिल जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परीक्षाओं में कट-ऑफ रैंकिंग

4173. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्च कोर्सों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कुछ परीक्षाओं में निर्धन और प्रतिभावान वर्ग में कट-ऑफ रैंकिंग लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) जी, नहीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर इंडिया द्वारा मानार्थ टिकट

4174. **श्री पी.सी. मोहन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टूर प्रोमोटरों ट्रैवेल राइटर्स, मीडिया कार्मिकों, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संपर्कों इत्यादि को एयर इंडिया द्वारा श्रेणी-वार कितने मानार्थ पास जारी किए गए;

(ख) उक्त अवधि में श्रेणी-वार जारी किए गए इन पासों का कुल कितना मूल्य है; और

(ग) एयर इंडिया स्टाफ को श्रेणी-वार कितनी मुफ्त टिकटें दी गई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

[अनुवाद]

अध्ययन केन्द्र

4175. **श्रीमती ज्योति धुर्वे :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) पर अध्ययन हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालयों/संस्थानों से आवेदन मिले हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि संस्वीकृत/जारी/व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) जी, हां। बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और पब्लिक आउटरीच (आईपीईआरपीओ) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के विकास और संवर्धन के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार पीठों की स्थापना की गई है।

(ख) सरकार ने पहले ही विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं में 20 मानव संसाधन विकास मंत्रालय बौद्धिक सम्पदा अधिकार पीठों की स्थापना की है। वर्ष 2012-13 के दौरान ए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

(ग) बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और पब्लिक आउटरीच (आईपीईआरपीओ) स्कीम के अंतर्गत उदिष्ट 6.00 करोड़ रुपए में से वर्ष 2012-13 में 1.91 करोड़ रुपए की धनराशि 17 दिसंबर, 2012 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय बौद्धिक सम्पदा अधिकार पीठों के लिए जारी की गई है।

नोर्वे में भारतीय दम्पत्ति की गिरफ्तारी

4176. **श्री एस.आर. जेयदुरई :**
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय दम्पत्ति को अपने बच्चे के साथ कथित रूप से गलत बर्ताव करने के लिए नौर्वे के प्राधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मामला नौर्वे के अधिकारियों के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने उक्त दम्पत्ति को छुड़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) श्री चन्द्रशेखर वल्लभनेनी तथा सुश्री अनूप लिंगमनेनी नामक एक दंपत्ति को अपने सात वर्षीय पुत्र के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए नार्वे के प्राधिकारियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। ओसलो जिला न्यायालय द्वारा 4 दिसंबर, 21012 को दिए गए निर्णय में भारतीय दंपत्ति को क्रमशः 18 महीने वे 15 महीने की सजा दी गई थी।

(ग) से (ङ) यह मामला नार्वे में न्यायाधीन है। इस दंपत्ति ने जिला न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील की है। सरकार ने भारतीय दंपत्ति को देश के कानून में उपलब्ध न्यायिक उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए नार्वे के अधिकारियों से सम्पर्क किया है। ओसलो स्थित भारतीय दूतावास ने उक्त भारतीय दंपत्ति को कोंसुली सहायता उपलब्ध करायी है। दूतावास भारतीय दंपत्ति तथा उनके वकील से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। इसके पूर्व भारतीय मिशन ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की थी तथा उक्त दंपत्ति को नार्वे के बाल कल्याण अधिकारियों से उनका पुत्र वापस दिलाने में सहायता की थी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार उपक्रमों की कॉल दरें

4177. श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी दूरसंचार कंपनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की कॉल दरें प्रतिस्पर्धात्मक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पी.एस.यू. कंपनियों ने कॉल दरें निजी क्षेत्र की कंपनियों के बराबर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या दूरसंचार कंपनियां बिलिंग हेतु रिंग शुरू होने के समय से कॉल-समय अवधि की परिगणना करती है जबकि ट्राई के मार्गनिदेशों के अनुसार कॉल पिक-अप होने के बाद ही टॉकिंग पीरियड के प्रभारों हेतु परिगणना की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ट्राई के मार्गनिदेशों के उल्लंघन हेतु दूरसंचार आपरेटरों के विरुद्ध आपरेटर-वार कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) मौजूदा प्रशुल्क पद्धति के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग एवं ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार अभिगम सेवाओं हेतु प्रशुल्क को अलग रखा गया है। सेवा प्रदाताओं के पास बाजार परिस्थितियों और अन्य वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर विभिन्न प्रशुल्क स्कीमें प्रस्तावित करने की सुविधा है। प्रत्येक सेवा प्रदाता समय-समय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी प्रशुल्क विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने वाणिज्यिक हितों के अनुसार, विभिन्न स्कीमें तैयार करता है। क्रियान्वित की गई सभी प्रशुल्क स्कीमों के बारे में निजी प्रचालकों और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.)/भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) दोनों द्वारा, बाजार में उन स्कीमों के क्रियान्वयन के बाद, ट्राई को सूचित किया जाता है। इन प्रशुल्कों की, विनियामक दिशानिर्देशों के साथ संगतता सुनिश्चित करने को देखते हुए, ट्राई में जांच की जाती है।

(ग) और (घ) सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग एवं बिलिंग सटीकता हेतु प्रैक्टिस कोड) विनियम, 2006 के अनुपालन में, अभिगम सेवा प्रदाता ट्राई द्वारा अधिसूचित पैनल में से किसी एक लेखापरीक्षक की मार्फत प्रतिवर्ष अपनी मीटरिंग एवं बिलिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा करते रहे हैं और इनसे संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट ट्राई को प्रस्तुत की जाती है। इस लेखा परीक्षा के दौरान यह देखने के लिए सेवा प्रदाताओं की मीटरिंग की जांच की जाती है कि रिकॉर्डिड कॉल अवधि ट्राई द्वारा निर्धारित सटीकता सीमा के अंतर्गत है। सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्टों में कॉलों के प्रभार वसूली के दौरान कॉल अवधि की गणना में रिंग समय को शामिल करने के बारे में कोई लेखा परीक्षा प्रेक्षण नहीं है। साथ ही, यह देखा गया है कि लेखा

परीक्षा के दौरान प्रेक्षण की गई रिकॉर्डिड कॉल अवधियां प्लस/माइनस 1 सैकेंड की सटीकता सीमा के अंतर्गत है। तथापि, वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा में मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के नेटवर्क के कुछ मामलों में रिकॉर्डिड कॉल अवधि निर्धारित सटीकता सीमा से अधिक देखी गई है और इस संबंध में मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में प्रवेश देने से इन्कार

4178. **श्री आर. ध्रुवनारायण** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ विद्यालयों ने यौन उत्पीड़ित दलित बालिकाओं को प्रवेश देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे समय पर प्रवेश दिलाने के लिए दलित बालिकाओं की मदद करने और उनके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उप-नियम अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करते हैं कि "सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूलों में दाखिला धर्म, नस्ल, जाति, पंथ, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना दिया जाएगा"।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आधारभूत अवसंरचना का विकास

4179. **श्री अर्जुन राम मेघवाल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में अवसंरचना के वित्तपोषण से संबंधित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने पारेख समिति से पहले भी बुनियादी आधारभूत अवसंरचना से संबंधित कोई अन्य समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, नहीं। श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में अवसंरचना के वित्तपोषण से संबंधित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 3 अक्तूबर, 2012 को प्रधान मंत्री को सौंप दी है।

(ख) समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की हैं:

विद्युत

1. **विद्युत वितरण का सुधार**

(क) निवेश का अन्तर्वाह बनाए रखने के लिए किराए को धारणीय स्तरों पर नियत करना।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडियों का समवर्ती वित्तपोषण।

(ग) वितरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को अपनाना।

2. **कोयला आपूर्ति**

(क) अल्प-काल में स्वयं उत्पादकों द्वारा सीधे ही अथवा एस.टी.सी./एम.एम.टी.सी. के माध्यम से कोयले का आयात करना।

(ख) पी.पी.पी. के माध्यम से निजी क्षेत्रक को खनन ठेका प्रदान करने के लिए एक नया सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.) स्थापित करना।

3. गैस आपूर्ति

(क) अल्प-काल में गैस-आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गए निवेश को बचाने के लिए गैस का आयात करना।

(ख) अधिक गैस की खोज होने अथवा आयात कीमतों के गिरने तक गैस-आधारित विद्युत का केवल व्यस्ततम अवधि में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

(ग) गैस आवंटनों और मूल्य-निर्धारण को दो माह के अंदर तर्कसंगत बनाना क्योंकि और अधिक विलम्ब करने से गैस के अपेक्षित आयात को आस्थगित करना पड़ेगा।

4. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मुक्त उपलब्धता लागू करना।

5. धारणीय भावी निवेश सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्रक से संबंधित मानक बोली दस्तावेजों का संशोधन।

राजमार्ग

6. पी.पी.पी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।

7. अव्यवहार्य परियोजनाओं को ई.पी.सी. संविदा के माध्यम से निष्पादित करना।

8. एक्सप्रेसवे कार्यक्रम को प्रचालित करना।

9. कार्यान्वयन संबंधी विलम्बों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करना।

दूरसंचार

10. विगत में आवंटित स्पेक्ट्रम के आवंटन, मूल्यनिर्धारण और शेयरिंग से संबंधित विनियामक अनिश्चितताओं को दूर करना।

11. सुदृढ़ीकरण को सुसाध्य बनाने के लिए एम एण्ड ए नीतियों को तर्कसंगत बनाना।

12. एफ.डी.आई. सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्ति को बढ़ाना।

रेल

14. रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों का सुधार करना।

15. यात्री किरायों को तर्कसंगत बनाना।

16. पी.पी.पी. के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

17. रेलवे बोर्ड की संस्थागत पुनर्संरचना।

एम.आर.टी.एस.

18. मेट्रो रेल परियोजनाओं में और अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना।

सिंचाई

19. सूक्ष्म सिंचाई में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

20. जल आपूर्ति में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

पत्तन

21. परियोजनाएं प्रदान करने में तीव्रता लाना।

22. किरायों को विनियंत्रित करना।

23. ड्वैल टाइम को कम करना।

24. कैपिटल ड्रेजिंग की गति को तीव्र करना।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

25. निजी भागीदारी की संभावना का पता लगाना।

विमानपत्तन

26. ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के विकास में तेजी लाना।

27. मेट्रो और नॉन-मेट्रो विमानपत्तनों के ओ एण्ड एम में पी.पी.पी. को प्रोत्साहित करना।

तेल और गैस पाइपलाइन

28. सभी आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं को गैर-विभेदकारी

उपलब्धता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र प्रचालकों को शामिल करना।

भंडारण

29. निजी निवेश के लिए बहु व्यवस्था (विंडो) सृजित करना।

आई.आई.एफ.सी.एल. के लिए वृहदतर भूमिका की पुनर्कल्पना करना

30. समिति ने 12वीं योजना के दौरान भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) की सामान्य ऋणदाता की इसकी मौजूदा भूमिका को अवसंरचना का वित्तपोषण करने हेतु अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने वाले उत्प्रेरक के रूप में पुनर्कल्पित करने की भी सिफारिश की है। आई.आई.एफ.सी.एल. द्वारा इसे, अपने प्रत्यक्ष उधार प्रचालनों का विस्तार करने की बजाय निजी अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों हेतु गारंटियां प्रदान करके हासिल किया जा सकता है।

(ग) योजना आयोग ने संबंधित मंत्रालयों से इन सिफारिशों की जांच करने का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अवसंरचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए समय-समय पर अनेक समितियां गठित की थी।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास की स्थिति

4180. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपूर्ण है और यह इस क्षेत्र में मदद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) का एक ठोस स्वतंत्र आधार है। भारत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी तक के आधुनिक प्रौद्योगिकी के विस्तृत क्षेत्रों में कार्यक्षमता बढ़ाने से सक्षम रहा है तथा विगत वर्षों में हमारे देश का कार्यनिष्पादन प्रभावशाली और आशाजनक रहा है। परमाणु तथा अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और रक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। भारत ने फोटोन फैक्टरी में भारत-जापान बीमलाइन, केईके, जापान; एंटीप्रोटोन एण्ड आयन रिसर्च फैसीलिटी (एफएआईआर), जर्मनी; लार्ज हेड्रन कोलाइडर (एलएचसी), सर्न, जिनेवा; इलेक्ट्रा सिंक्रोट्रोन फेसीलिटी, ट्रिस्टे, इटली; भारत आधारित न्यूट्रीनो वैधशाला (आईएनओ) आदि जैसी बृहत परियोजनों में अन्य अग्रणी देशों के साथ भागीदारी की है। सरकार ने अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) में विकास और प्रोन्नयन की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आबंटन में क्रमिक वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, अकादमिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते हुए और अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों तथा सुविधाओं की स्थापना, नई एवं आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत, अनुसंधान और विकास के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी आर एण्ड डी भागीदारियों को प्रोत्साहन आदि इन कदमों में शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एण्ड डी) विभागों ने 12वीं योजना अवधि में निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं। इसमें बृहत चुनौती कार्यक्रमों की शुरूआत; जलवायु मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान, एरोस्पेस इंजीनियरी, संगणनात्मक जीवविज्ञान, आण्विक ऊर्जा अनुरूपण (सिम्यूलेशन्स), भूकंप अनुरूपण, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पेटा स्केल सुपरकम्प्यूटिंग सुविधाओं की स्थापना, शामिल है। आर एण्ड डी में कारपोरेट क्षेत्र के निवेश और भागीदारी को आकर्षित करके कारपोरेट क्षेत्र से बड़े पैमाने पर योगदान के साथ जीडीपी के 2% तक आर एण्ड डी व्यय को बढ़ाना स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य योजना है।

केरल में सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय

4181. **श्री के.पी. धनपालन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ किसी जगह की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक काम शुरू करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केरल सहित देश के विभिन्न भागों में बोर्ड के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस संबंध में निर्णय समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही लिया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा का पुनरुद्धार

4182. **श्री आनंदराव अडसुल :**
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण नागरिकों ने नीति निर्धारकों एवं शिक्षाविदों से युवाओं में सृजनात्मक चिन्तन विकसित करने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा का पुनरुद्धार करने के लिए एक नीति तैयार करने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली मानव जीवन को बेहतर बनाने के स्तर की नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो छात्रों को सृजनात्मक चिन्तन क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित करने हेतु नए तरीके शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा सांस्थानिक एवं नीतिगत सुधारों के जरिए और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके सरकार विस्तार, समावेशन और गुणता में तीव्र सुधार करके इन्हें निष्पादित करने का प्रयास करती है। 01 अप्रैल, 2010 से लागू, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणता में सुधार करने पर विशेष बल देता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पाठ्यचर्या सुधार शुरू करने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 29 के कार्यान्वयन के विषय में राज्य सरकारों को परामर्शी जारी की है। इन पाठ्यचर्या सुधारों में (i) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के अनुसार आयु के अनुरूप पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार करना, (ii) विषय संतुलन बनाए रखना, (iii) पाठ्यपुस्तक विषयवस्तु और प्रस्तुतीकरण सुधार का कार्य शुरू करना, (iv) अधिगम का सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना शामिल है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों में गुणवत्ता सुधार हेतु चरणबद्ध ढंग से स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना शुरू की है। बोर्ड ने वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों तथा कक्षा-X के बाद सीबीएसई सिस्टम से बाहर न जाने के इच्छुक छात्रों के लिए कक्षा-X की बोर्ड परीक्षा को भी वैकल्पिक बना दिया है।

वायु यातायात प्रबंधन

4183. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने देश में विमान यातायात प्रबंधन (एटीएम) का विकास करने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए अमेरिका के किसी अलाभकारी अनुसंधान संगठन के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु एक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किए जाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ चिह्नित किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित करने

के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान के हस्तांतरण के लिए मैसर्स माइट्रे कॉरपोरेशन, यूएसए के साथ करार किया है। आर एंड डी केंद्र की गतिविधियों में, आर एंड डी संबंधी गतिविधियों के लिए रोड मैप विकसित किया जाना, लक्ष्य-केंद्रित और स्वतंत्र सीएनएस/एटीएम नियोजन और कार्यान्वयन रणनीति का विकास, विशेज्ञता प्राप्त उच्च विमानन प्रबंधन प्रशिक्षण और सर्वोत्तम पद्धतियों और सॉफ्टवेयर टूल्स पर एएआई के कार्मिक के प्रशिक्षण सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। आर एंड डी केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एएआई के बोर्ड ने स्थान सहित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और इस संबंध में मैसर्स माइट्रे कॉरपोरेशन, यूएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

अंतरिक्ष मिशन

4184. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा अगले पांच वर्षों में 58 अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक अंतरिक्ष मिशन के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ अब तक कितनी राशि आवंटित एवं खर्च की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। इसरो ने 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012-17 के भाग के रूप में 58 अंतरिक्षण मिशनों की एक योजना प्रस्तुत की है।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आयोजित मिशनों में 33 उपग्रह मिशन और 25 प्रमोचक राकेट मिशन शामिल हैं। प्रत्येक मिशन से संबंधित विवरण और उनके उद्देश्य संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किए गए है।

(ग) अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु योजना बजट के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना में 39,750 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है। वर्तमान वर्ष 2012-13 के दौरान 5,615 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है और अक्तूबर, 2012 के अंत तक खर्च की गई राशि 1,871.53 करोड़ रुपए है।

विवरण

12वीं योजनावधि 2012-17 के दौरान 58 अंतरिक्ष मिशनों के उद्देश्य

क्र.सं.	मिशन	उद्देश्य
1	2	3
		उपग्रह मिशन
1.	सरल	समुद्र विज्ञानी अध्ययनों के लिए अर्गोस और तुंगतामापी सहित उपग्रह।
2.	कार्टोसैट-2सी	विशेष प्रयोक्ताओं के लिए मानचित्रण उपयोगों हेतु उच्च विभेदन मानचित्रकला उपग्रह।
3.	कार्टोसैट-2डी	

1	2	3
4.	रिसोर्ससैट-2ए	प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण उपयोगों हेतु उपग्रह।
5.	ओशनसैट-3	समुद्री और तटीय अध्ययनों के लिए उपग्रह।
6.	कार्टोसैट-3	उन्नत अति उच्च विभेदन मानचित्रकला उपग्रह।
7.	जीआईसैट	मानीटरन और आपदा प्रबंध उपयोगों के लिए भू-प्रतिबिंबन उपग्रह।
8.	जीसैट-9	सी-बैंड ट्रांसपोंडरों के साथ इनसैट प्रणाली के संवर्धन हेतु संचार उपग्रह।
9.	जीसैट-10	सी और के यू बैंड ट्रांसपोंडरों के साथ इनसैट प्रणाली के संवर्धन हेतु संचार उपग्रह।
10.	जीसैट-15	
11.	जीसैट-16	
12.	जीसैट-17	
13.	जीसैट-18	
14.	जीसैट-14	परीक्षणात्मक संचार उपग्रह।
15.	जीसैट-11एस	
16.	जीसैट-6	रणनीतिक उपयोगों के लिए मल्टी-मीडिया मोबाइल संचार उपग्रह।
17.	जीसैट-6ए	
18.	जीसैट-7	विशेष प्रयोक्ताओं के लिए संचार उपग्रह।
19.	जीसैट-केए	वीसैट संचारों के लिए उन्नत के ए बैंड उपग्रह।
20.	जीसैट-11	
21.	जीसैट-19ई	नई पीढ़ी के परीक्षणात्मक संचार उपग्रह।
22.	इनसैट-3डी	उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह।
23.	आईआरएनएसएस-1	उपग्रह आधारित अवस्थिति सेवाओं के लिए भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस)-इस समूह में सात आईआरएनएसएस उपग्रह शामिल हैं।
24.	आईआरएनएसएस-2	

1	2	3
25.	आईआरएनएसएस-3	
26.	आईआरएनएसएस-4	
27.	आईआरएनएसएस-5	
28.	आईआरएनएसएस-6	
29.	आईआरएनएसएस-7	
30.	एस्ट्रोसैट	वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए बहु-तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष खगोलिकी वैधशाला।
31.	मंगल कक्षित्र	मंगल की कक्षा में पहुंचने और मंगल के सतह तथा मंगल के वायुमंडलीय गुणों का अध्ययन करने हेतु प्रौद्योगिकीय मिशन।
32.	चंद्रयान-2	स्वस्थाने मापनों सहित चंद्र सतह का वैज्ञानिक अन्वेषण।
33.	आदित्य	सूर्य और सौर किरीट परिघटना का अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिक उपग्रह।
		प्रमोचक राकेट मिशन
34.	पीएसएलवी-सी20	पृथ्वी के कक्षा में सरल उपग्रह का प्रमोचन।
35.	पीएसएलवी-सी21	वाणिज्यिक आधार पर फ्रांसीसी उपग्रह स्पॉट-6 का प्रमोचन।
36.	पीएसएलवी-सी22	आईआरएनएसएस-1 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
37.	पीएसएलवी-सी23	आईआरएनएसएस-2 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
38.	पीएसएलवी-सी24	आईआरएनएसएस-3 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
39.	पीएसएलवी-सी25	मंगल कक्षित्र के प्रमोचन हेतु।
40.	पीएसएलवी-सी26	निकट भू-कक्षा में एस्ट्रोसैट के प्रमोचन हेतु।
41.	पीएसएलवी-सी27	ध्रुवीय कक्षा में कार्टोसैट-2सी के प्रमोचन हेतु।
42.	पीएसएलवी-सी28	आईआरएनएसएस-4 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
43.	पीएसएलवी-सी29	आईआरएनएसएस-5 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
44.	पीएसएलवी-सी30	आईआरएनएसएस-6 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
45.	पीएसएलवी-सी31	पृथ्वी के कक्षा में रिसोर्ससैट-2ए के प्रमोचन हेतु।

1	2	3
46.	पीएसएलवी-सी32	पृथ्वी के कक्षा में कार्टोसैट-2डी के प्रमोचन हेतु।
47.	पीएसएलवी-सी33	वाणिज्यिक प्रमोचन सेवा।
48.	पीएसएलवी-सी34	आईआरएनएसएस-7 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
49.	पीएसएलवी-सी35	पृथ्वी के कक्षा में ओशनसैट-3 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
50.	पीएसएलवी-सी36	पृथ्वी के कक्षा में कार्टोसैट-3 उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
51.	जीएसएलवी-डी5	जीसैट-14 उपग्रह के प्रमोचन हेतु स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण सहित विकासात्मक उड़ान।
52.	जीएसएलवी-डी6	पृथ्वी के कक्षा में जीसैट-6 के प्रमोचन हेतु।
53.	जीएसएलवी-एफ8	चंद्रयान-2 के प्रमोचन हेतु।
54.	जीएसएलवी-एफ09	जीसैट-9 संचार उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
55.	जीएसएलवी-एफ10	पृथ्वी के कक्षा में जीआई सैट उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
56.	जीएसएलवी-एफ11	जीसैट-6ए उपग्रह के प्रमोचन हेतु।
57.	जीएसएलवी-मार्क III-एक्स1	परीक्षणात्मक जांच उड़ान।
58.	जीएसएलवी-मार्क III-डी1	जीसैट-19ई उपग्रह के प्रमोचन हेतु जीएसएलवी मार्क-III की प्रथम विकासात्मक उड़ान।

स्पेक्ट्रम का पुनः वितरण

4185. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार को पूरा स्पेक्ट्रम वापस लेने के विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले इसके परिणामी प्रभाव का अध्ययन करने एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से दिशानिर्देश प्राप्त करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2014 में लाइसेंस के नवीकरण के समय सभी दूरसंचार कंपनियों को 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में सारा स्पेक्ट्रम वापस करना होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या स्पेक्ट्रम का पुनः वितरण वैधानिक धारक के साथ जबरदस्ती करने जैसा है तथा यह लाइसेंस के नियमों एवं शर्तो के विरुद्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने वर्ष 2014 में प्रारंभ होने वाले मौजूदा लाइसेंसों के समाप्त होने की तारीख से पर्याप्त समय पहले, फिलहाल, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के 1800 मेगाहर्ट्ज या किन्हीं अन्य

बैंड में क्रमबद्ध अंतरण की कार्य-प्रणाली (लॉजिस्टिक्स) के बारे में ट्राई से और अधिक मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में वित्त मंत्री को लिखा था।

(ग) सरकार ने निर्णय किया है कि मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नीलामी के निर्धारित मूल्य के भुगतान और नीलामी में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के धारकों की भागीदारी और उनके द्वारा बोली लगाने के मद्देनजर, लाइसेंस के नवीकरण के समय पर 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2.5 मेगाहर्ट्ज तक स्पेक्ट्रम बनाए रखने का विकल्प दिया जाए।

(घ) लाइसेंस निबंधन और शर्तें दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा धारित स्पेक्ट्रम को बनाए रखने की कोई गारंटी उपलब्ध नहीं कराते।

(ङ) ऊपर भाग (घ) क उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शुल्क वापस करना

4186. **श्री सी.आर. पाटिल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के विरुद्ध शुल्क लौटाने में विलंब करने के संबंध में काफी संख्या में शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर गौर करने हेतु सरकार ने किसी निगरानी एजेंसी की नियुक्ति की है

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मामलों से निपटने हेतु कुछ समुचित दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वर्ष 2012 के दौरान फीस के प्रतिदाय के बारे में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से 520 अभ्यावेदन मिले हैं। इनमें से 495 अभ्यावेदनों पर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

(ग) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विभिन्न समाचार-पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 06.07.2012 को प्रकाशित की है जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य की शिकायतों के निवारण हेतु संबद्धता प्रदान करने वाले सभी प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालयों द्वारा एक शिकायत निवारण कमेटी की स्थापना और एक लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रावधान किए गए हैं। सभी व्यथित विद्यार्थी, उनके अभिभावक और अन्य अब से पहली बार शिकायत निवारण कमेटी से संपर्क कर सकते हैं और यदि वे कमेटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तब अपनी अपील लोकपाल को सीधे भेज सकते हैं। कार्यवाहियां समाप्त होने पर लोकपाल मामले पर समुचित आदेश पारित करेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी सभी तकनीकी संस्थानों को उसके 2012 के विनियमों का पालन करने के लिए एक पत्र भेजा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी फीस के प्रतिदाय और मूल दस्तावेज सभी विद्यार्थियों को लौटाने के बारे में 23.04.2007 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है और सभी विश्वविद्यालयों/नामित विश्वविद्यालयों को इसके सर्वथा अनुपालनार्थ अपने पत्र दिनांक 07.06.2007 में निर्देश दिया है।

[हिन्दी]

शिक्षकों की कमी संबंधी रिपोर्ट

4187. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग तथा भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) ने अपनी रिपोर्टों में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने हमें सूचित किया है कि इसने भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) के साथ 'भारत में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की उच्चतर शिक्षा की वार्षिक स्थिति, 2012' (ए.एस.एच.ई. 2012) शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा में गुणवत्तापरक अध्यापकों की संख्या मौजूदा 8 लाख से बढ़ाकर 16 लाख तक करने का सुझाव दिया गया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित XIIवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी मिशन आधार पर उच्चतर शिक्षा में अध्यापकों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार करने हेतु पहलें शुरू करने की अभिकल्पना की गई है।

सरकार पहले ही संकाय की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित संकाय कमी संबंधी कार्यबल ने दिनांक 9 अगस्त, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यबल ने संकाय-कमी को पूरा करने के लिए प्रशासनिक, अकादमिक एवं वित्तीय सुधारों की सिफारिश की थी। तदुपरांत सरकार ने कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग के लिए जनवरी, 2012 में कार्यान्वयन मॉनीटरिंग कमिटी का गठन किया। अब तक इस समिति की चार बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की कमी से पैदा होने वाली स्थिति को पूरा करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की अधिवर्षिता आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रिक्त शिक्षण पदों को शीघ्रता से भरने की सलाह दी है और 65 वर्ष के बाद 70 वर्ष तक संविदा आधार पर अध्यापकों को पुनः नियुक्त करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है, जो रिक्त पदों की उपलब्धता एवं पात्रता के अध्यधीन होगी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश की संपूर्ण विश्वविद्यालय प्रणाली हेतु 706 एडजंक्ट संकाय पदों को भी संस्वीकृत कर दिया है।

[अनुवाद]

चालक दल के सदस्यों का यौन-उत्पीड़न

4188. श्री ए. सम्पत : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के चालक दल के सदस्यों द्वारा यौन-उत्पीड़न की कोई शिकायत दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सभी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके मामला-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के केबिन कर्मीदल द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक-एक शिकायत दर्ज की गई थी।

(ग) और (घ) जी, हां। दोनों मामलों की जांच की गई और रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। वर्ष 2010-11 के मामले को बन्द कर दिया है। जहां तक चालू वित्त वर्ष में दर्ज की गई शिकायत का संबंध है, सक्षम प्राधिकारी ने कतिपय साक्ष्यों, जिनकी जांच, समिति द्वारा नहीं की गई थी, का विश्लेषण करने के लिए उक्त मामले को समिति को वापस भेज दिया है।

(ङ) यौन-उत्पीड़न को रोकने के लिए क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की गई है, जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। साथ ही जुलाई, 2011 में सभी संबद्ध मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक वरिष्ठ लेडी कैप्टन की नियुक्ति महिला सेल की प्रभारी के रूप में की गई है।

वायुयान हेतु रख-रखाव सुविधाएं

4189. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया के विमानों की मरम्मत रख-रखाव तथा ओवरहॉल प्रचालन के लिए उपलब्ध आंतरिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक वर्ष मरम्मत किए जा रहे विमानों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कार्यों की औसत लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार देश में मरम्मत, अनुरक्षण और ओवरहालिंग सुविधाओं में सुधार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एयर इंडिया के पास मुंबई में अपने वाइड बॉडी विमान के लिए पूर्णतः अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहालिंग सुविधा उपलब्ध है, जिसमें हैंगरों तथा इंजनों, एपीयू, संरचनात्मक, कम्पोनेंट तथा सहायक उपकरणों की मरम्मत तथा ओवरहॉल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया एमआईएचएएन-एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र में बोइंग सहित एमआरओ सुविधा की स्थापना की भी प्रक्रिया में है। एयर इंडिया ने बी737 के एमआरओ के लिए त्रिवेन्द्रम में दो हैंगरों का भी निर्माण किया है। ऊपर उल्लिखित सुविधाएं एयर इंडिया के वाइड बॉडी समूह विमान तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की एमआरओ आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो इस समय उनके बेड़े में हैं। अपने नेरो बॉडी विमान के लिए, एयर इंडिया के पास भारत में एमआरओ प्रचालन है, जिसके लिए उसके पास अपेक्षित अनुरक्षण व्यवस्था तथा योग्य कार्मिक हैं और इसके चार मुख्य बेस अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में हैं और दो इंजीनियरिंग सब-बेस चेन्नई तथा बंगलौर में है, जहां इनके बेड़े के विमानों का एमआरओ किया जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान 'नेरो बॉडी' और 'वाइड बॉडी' विमानों के लिए की गई प्रमुख जांचों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एयर इंडिया ने इन-हाउस अनुरक्षण सुविधा पर 2009-10 में 424.62 करोड़ रुपए, 2010-11 में 325.17 करोड़ रुपए तथा 2011-12 में 183.65 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित एयर इंडिया कायाकल्प योजना के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि एयर इंडिया के एमआरओ व्यवसाय को एक पृथक सहायक कंपनी यथा एयर इंडिया इंजीनियर्स सर्विसिज लि. को सौंप दिया जाए, जिससे एयर इंडिया को अपनी वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य के मौद्रीकरण में सहायता मिलेगी, उत्पादकता में सुधार होगा, लागतें कम होंगी तथा बाहरी ग्राहकों से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।

विवरण

नैरो बॉडी विमानों के लिए की गई प्रमुख जांचें

विमान का प्रकार	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31-10-12 तक)	
	"ए" चैक	"ए" चेक से अधिक	"ए" चैक	"ए" चेक से अधिक	"ए" चैक	"ए" चेक से अधिक	"ए" चैक	"ए" चेक से अधिक
ए319	72	22	112	25	75	29	58	20
ए320	143	10	101	11	91	02	43	04
ए321	67	24	74	59	39	60	18	38
ए330	06	01	05	02	03	शून्य	03	शून्य

वाइड बॉडी विमानों के लिए की गई प्रमुख जांचें

चेक	बी777				ए310			बी747-400			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2012
ए चेक	8	1	0	0	48	26	6	7	6	3	2
सी एंड डी चेक	3	7	3	4	6	3	1	3	3	3	2
फेज चेक	36	48	46	19	-	-	-	-	-	-	-

[हिन्दी]

विद्यालयों में इंटरनेट ब्राडबैंड सेवा

4190. **श्री देवजी एम. पटेल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान सहित देश के सभी विद्यालयों में इंटरनेट ब्राडबैंड सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) "स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर अवसंरचना हासिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है तथा इस योजना में राजस्थान सहित सभी राज्यों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। अब तक 96007 स्कूलों को शामिल करने के लिए ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) स्कूलों में आई.सी.टी. योजना के तहत अब तक शामिल किए गए स्कूलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्कूलों में आई.सी.टी. योजना के तहत अब तक शामिल किए गए स्कूलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	अनुमोदित स्मार्ट स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		-	12	-	14	-	28	-		-
आन्ध्र प्रदेश	500	-	200	5000	2000	-	4031	-		05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरुणाचल प्रदेश		154	-	35	-	55	24	-		-
असम		-	-	641	-	-	1240	969		-
बिहार		180	-	1000	-	-	-	-		-
चंडीगढ़		-	20	67	-	-	-	-		-
छत्तीसगढ़		-	100	200	800	1100	-	-		-
दादरा और नगर हवेली		-	06	06	-	-	13	01		02
दमन और दीव		15	-	22	-	-	08	-		02
दिल्ली		-	-	-	-	-	594	1110		-
गोवा		230	-	432	-	-	-	-		-
गुजरात		-	-	1150	2500	2730	-	-		-
हरियाणा		100	-	500	1000	1000	1617	-		-
हिमाचल प्रदेश		-	-	-	628	-	618	848		05
जम्मू और कश्मीर		140	-	-	-	200	-	-		-
झारखंड		-	-	1074	-	-	-	-		-
कर्नाटक	150	480	-	2279	4396	-	-	-		-
केरल		125	-	1016	3055	-	-	-		05
लक्षद्वीप		-	12	-	-	-	-	-		-
मध्य प्रदेश		230	-	320	-	2000	-	2000		-
महाराष्ट्र		-	200	500	2500	-	-	5000		-
मणिपुर		-	-	65	-	-	260	-		04
मेघालय		-	-	75	75	100	241	164		04
मिजोरम		60	-	-	100	-	37	181		04
नागालैण्ड		53	147	284	-	-	82	-	121	04
ओडिशा		200	-	-	-	-	4000	-	2000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पुदुचेरी		-	25	169	-	-	-	182		04
पंजाब		200	-	-	2000	870	494	-	134	05
राजस्थान		100	-	2500	2000	-	2000	-		-
सिक्किम		103	-	02	-	-	46	-		04
तमिलनाडु		125	-	400	400	1880	461	1999		05
त्रिपुरा		-	200	400	282	-	282	-		-
उत्तर प्रदेश		-	200	2500	1500	-	1500	1608		05
उत्तराखण्ड		25	-	100	-	-	500	-		-
पश्चिमी बंगाल		200	-	343	1400	-	2000	-		05
कुल	650	2720	1110	21080	24650	9935	19482	14062	2255	63

[अनुवाद]

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

4191. **श्री विष्णु पद राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रंगत तथा मायाबुंडेर और किशोरीनगर में स्थित विद्यालय और छात्रावास दयनीय हालत में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त छात्रावास भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा मानव निवास के अनुकूल नहीं हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जगहों पर वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा पीने का पानी बिल्कुल अपर्याप्त है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वहां शौचालय की स्थिति पूर्णत: अस्वास्थ्यकर है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शिक्षा परियोजना

4192. **श्री गणेश सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित देश में चल रही शिक्षा परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है:

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए आवंटित/जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त शिक्षा परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) देश में शिक्षा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए हैं। इनमें शामिल हैं-6-14 वर्ष आयु समूह में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त स्कूलों तथा शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचारी 'शिक्षा केंद्रों में कक्षा I-VIII में बच्चों के पोषण में सुधार के अतिरिक्त उनके नामांकन, उन्हें बनाए रखने, उपस्थिति में वृद्धि हेतु मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त एन.सी.एल.पी. स्कूल और मदरसे तथा मकतब, सर्वसुलभ पहुंच तथा अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्कृष्टता के बैंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना करना, मदरसों और मकतबों जैसी पारंपरिक संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना, अल्पसंख्यक बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दृष्टि से निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता-प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों/संस्थाओं की अवसंरचना में सुधार के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं का अवसंरचना विकास (आई.डी.एम.आई.) तथा माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की नामांकन दर में सुधार और संवर्धन हेतु बालिका छात्रावासों का निर्माण और संचालन करना।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जारी/खर्च की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से VII में दिए गए हैं।

(घ) सभी कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के घनिष्ठ समन्वय से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की सरकार द्वारा आवधिक रूप से मानिटरिंग की जाती है और जहां आवश्यक हो, समुचित सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की राज्य शिक्षा सचिवों की बैठकों में भी समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2009-10 से 2012-13 के दौरान जारी और व्यय के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		#जारी	*व्यय	#जारी	*व्यय	#जारी	*व्यय	#जारी (30.11.2012 के अनुसार)	*व्यय (31.10.2012 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	38569.90	72257.36	81000.00	144044.00	183551.72	337247.68	111049.46	126483.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	11427.95	12427.83	20401.77	20993.09	23880.10	26705.67	17984.73	17870.07
3.	असम	47480.00	50780.61	76854.35	85575.16	106921.15	124930.52	90881.60	62362.56
4.	बिहार	121739.06	224870.24	204789.63	349506.91	185108.20	408963.04	272462.25	286015.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	55592.82	96340.63	87863.00	123107.25	69870.22	133902.11	85015.73	76437.15
6.	गोवा	550.58	1212.60	671.27	1459.10	1079.14	1934.35	513.04	786.24
7.	गुजरात	20031.73	40058.48	44065.01	82624.00	88027.79	141781.07	83918.08	124227.21
8.	हरियाणा	27600.00	45620.98	32786.11	64378.71	40461.41	77193.80	29910.35	38182.12
9.	हिमाचल प्रदेश	8608.00	14610.06	13786.66	21756.06	14192.78	25196.78	7052.93	12595.37
10.	जम्मू और कश्मीर	37363.27	22257.61	40348.79	64000.64	30070.50	104733.46	40805.85	48480.05
11.	झारखण्ड	70940.22	119946.99	89562.26	159246.86	57903.46	117232.77	56183.87	74264.32
12.	कर्नाटक	44220.60	83028.85	66903.00	114457.93	62788.35	124995.76	39936.69	70526.37
13.	केरल	11989.50	19233.00	19660.73	26071.88	17021.85	26046.45	13449.14	19027.71
14.	मध्य प्रदेश	113249.00	194011.77	176783.00	293543.00	190427.12	342831.85	80343.30	220885.33
15.	महाराष्ट्र	56432.00	107883.64	85537.00	143200.00	117962.58	181066.45	99574.73	77610.92
16.	मणिपुर	1500.00	1443.14	13253.77	10659.22	3940.55	8389.53	15862.44	3717.61
17.	मेघालय	9383.00	12093.67	18540.90	20050.00	14410.60	19782.59	13670.78	11018.75
18.	मिजोरम	6617.75	8254.45	10115.31	9073.47	10814.05	14084.57	7820.60	7266.85
19.	नागालैण्ड	4913.00	5439.51	8636.83	10349.83	9798.33	10315.05	7791.12	7575.14
20.	ओडिशा	63061.60	112011.89	73177.85	146508.08	92719.98	162570.06	100807.62	95666.70
21.	पंजाब	20044.00	36772.00	39612.74	55943.00	48112.44	64703.06	41972.68	46598.48
22.	राजस्थान	127124.00	199893.55	146182.29	270368.00	148580.86	313064.40	143520.11	213441.19
23.	सिक्किम	1736.00	2040.90	4469.19	3915.93	4022.84	4453.04	1493.85	2045.17
24.	तमिलनाडु	48366.00	78267.24	69068.57	119480.84	68141.96	116817.50	38672.47	45180.05
25.	त्रिपुरा	7473.00	9196.44	17121.48	14283.80	17493.76	24263.63	8010.11	7905.00
26.	उत्तर प्रदेश	196011.90	335048.80	310462.88	511096.00	263682.61	515804.16	362476.26	233361.50
27.	उत्तराखण्ड	16006.29	27187.03	25793.94	36831.60	20892.49	39936.44	17941.10	20995.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	104142.00	162540.01	174703.17	305333.13	177652.74	298627.19	258056.58	312938.85
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	412.44	724.18	357.78	885.55	907.36	1606.37	589.28	1004.72
30.	चंडीगढ़	1100.72	2063.43	2155.89	2566.09	1611.21	3301.27	972.64	1055.60
31.	दादरा और नगर हवेली	350.18	631.10	413.78	692.07	564.35	796.36	152.76	603.73
32.	दमन और दीव	169.00	324.15	162.99	374.81	257.06	485.42	233.12	267.78
33.	दिल्ली	3088.62	3684.61	3552.71	4657.72	3783.29	8008.74	3251.90	3071.08
34.	लक्षद्वीप	143.80	245.51	127.39	292.95	127.86	363.28	57.62	133.77
35.	पुदुचेरी	669.96	1124.64	485.38	1296.00	757.62	1275.50	518.91	533.64
	कुल	1278107.89	2103526.90	1959407.42	3218622.68	2077538.33	3783409.92	2052953.70	2270136.47

#भारत सरकार द्वारा जारी।

*व्यय में भारत सरकार और राज्य हिस्से की रिलीज शामिल है।

विवरण-II

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी और व्यय

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय सहायता	व्यय	जारी केन्द्रीय सहायता	व्यय	30-11-2012 की स्थिति के अनुसार जारी केन्द्रीय सहायता	30-09-2012 की स्थिति के अनुसार व्यय
		2010-11		2011-12		2012-13	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	48302.38	42710.38	85191.45	58517.96	33579.94	23730.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	2043.18	1035.27	2091.75	1068.18	1878.30	774.91
3.	असम	34408.21	33687.49	53220.90	43999.08	25928.57	18398.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	80506.41	65574.90		81820.31	74035.57		49980.15	35064.67
5.	छत्तीसगढ़	36187.74	35913.84		47462.95	37890.13		31259.17	19838.15
6.	गोवा	1168.28	834.00		825.41	1158.12		1076.47	576.15
7.	गुजरात	28851.62	26258.40		35301.58	33068.37		20053.24	11096.45
8.	हरियाणा	15325.13	13894.23		16713.43	20302.21		9550.14	7497.35
9.	हिमाचल प्रदेश	6487.67	5696.37		7351.60	7652.29		4180.49	3989.45
10.	जम्मू और कश्मीर	7990.60	6930.70		13430.59	7329.56		2535.06	4656.71
11.	झारखंड	32595.49	26039.70		52252.17	29951.40		17406.60	12148.92
12.	कर्णाटक	45368.30	41545.05		56525.78	46357.02		47218.80	21676.70
13.	केरल	18511.34	14466.70		14277.09	18083.16		11191.97	7828.72
14.	मध्य प्रदेश	65781.84	51704.08		76704.43	74684.48		44591.11	32449.17
15.	महाराष्ट्र	107492.09	73956.33		69255.77	90962.03		69198.02	53972.88
16.	मणिपुर	5658.11	5102.86		1894.19	1655.16		904.31	0.00
17.	मेघालय	13831.77	11840.83		3528.12	5303.84		3425.10	1563.24
18.	मिजोरम	1902.29	1626.85		3306.57	2800.32		1212.76	297.20
19.	नागालैंड	4026.97	4026.97		2464.37	2464.37		1660.94	506.91
20.	ओडिशा	38959.13	24341.30		37124.38	36798.46		25225.32	22186.06
21.	पंजाब	16605.10	15388.45		17561.54	16268.16		9230.01	7977.00
22.	राजस्थान	46225.76	42117.67		52901.22	49415.32		24704.74	19668.83
23.	सिक्किम	899.60	899.35		1035.65	1225.39		634.12	533.08
24.	तमिलनाडु	44250.57	42231.04		40333.68	40879.27		51284.21	19117.80
25.	त्रिपुरा	4856.76	4733.02		8408.41	4902.96		3026.53	2344.23
26.	उत्तराखंड	10963.29	10617.91		14255.51	11839.51		15357.99	4662.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उत्तर प्रदेश	102715.36	100567.32		107638.85		105878.56	67917.28	48513.82
28.	पश्चिम बंगाल	79480.035	66333.59		77251.02		88572.83	43351.48	42739.98
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	247.06715	247.07		509.14		238.44	1248.79	54.94
30.	चंडीगढ़	525.54409	492.83		680.77		680.77	301.00	243.27
31.	दादरा और नगर हवेली	290.45398	290.45		342.71		342.71	211.25	72.43
32.	दमन और दीव	147.78904	147.79		136.58		136.34	116.08	35.90
33.	दिल्ली	9072.32	6765.50		6562.19		8429.61	5792.26	4995.86
34.	लक्षद्वीप	80.54	48.87		76.32		54.47	45.87	27.56
35.	पुदुचेरी	693.24	588.48		635.99		635.99	201.47	310.94
	कुल (लाख में)	**912452.00**	**778655.61**		**9890.72**		**9235.82**	**6254.80**	**4295.50**
	कुल (करोड़ में)	9124.52	7786.56		9890.72		9235.82	6254.80	4295.50

विवरण-III

आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत 2009-10 से 2011-12 तक जारी राज्यवार निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत जारी			उपयोग		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.64	1.05	0.00	0.32	1.42
2.	आन्ध्र प्रदेश	15.05	311.57	328.32	9.53	359.41	225.37
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.89	26.98	20.24	0.00	14.17	1.18

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	8.70	19.35	83.46	4.47	2.16	94.64
5.	बिहार	19.64	77.27	23.50	0.00	11.27	125.49
6.	चंडीगढ़	0.10	0.45	2.35	0.00	0.61	1.23
7.	छत्तीसगढ़	58.12	15.25	344.69	0.22	15.05	335.96
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.20	1.26	0.00	0.00	0.29
9.	दमन और दीव	0.00	0.31	1.29	0.00	0.11	2.11
10.	दिल्ली	0.00	0.71	3.97	0.00	0.00	0.02
11.	गोवा	0.51	0.54	3.12	0.00	0.00	0.73
12.	गुजरात	2.94	10.69	15.25	0.00	0.29	16.67
13.	हरियाणा	5.33	23.00	175.56	12.03	25.02	179.83
14.	हिमाचल प्रदेश	3.74	38.50	57.66	0.05	22.77	23.90
15.	जम्मू और कश्मीर	11.02	26.40	96.36	0.01	4.73	20.32
16.	झारखण्ड	9.41	69.43	17.94	0.00	6.01	12.69
17.	कर्नाटक	74.43	19.47	48.90	0.00	20.94	68.85
18.	केरल	10.33	15.13	19.10	0.00	20.48	20.95
19.	लक्षद्वीप	1.10	0.05	0.74	0.00	0.01	0.00
20.	मध्य प्रदेश	97.58	196.19	242.39	0.00	307.81	345.58
21.	महाराष्ट्र	3.50	13.47	73.99	0.00	18.28	10.36
22.	मणिपुर	18.54	25.26	38.13	0.00	1.55	28.63
23.	मेघालय	1.86	0.00	12.39	0.00	0.02	0.95
24.	मिजोरम	17.21	19.08	36.23	1.44	8.29	42.77
25.	नागालैण्ड	11.87	5.24	28.26	0.00	2.38	1.11
26.	ओडिशा	8.04	89.83	128.87	0.00	0.52	224.15

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	पुदुचेरी	1.82	1.87	1.96	0.00	2.11	0.00
28.	पंजाब	25.25	188.25	89.40	31.20	43.78	0.28
29.	राजस्थान	19.38	52.96	146.89	0.00	0.67	0.00
30.	सिक्किम	2.70	4.26	6.92	0.25	1.92	3.02
31.	तमिलनाडु	55.18	77.05	197.19	20.75	36.81	230.55
32.	त्रिपुरा	9.98	25.26	7.23	0.00	2.90	22.51
33.	उत्तर प्रदेश	36.10	49.43	204.48	0.91	2.23	197.02
34.	उत्तराखण्ड	3.52	76.01	34.07	0.00	3.61	97.66
35.	पश्चिम बंगाल	12.99	0.00	2.74	0.00	0.27	1.01
	कुल	547.83	1480.10	2495.90	80.85	936.49	2337.27

विवरण-IV

मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत 2009-10 से 2012-13 तक जारी राज्यवार निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	जारी राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल (30-11-2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	412.09	0.00	412.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	39.09	63.45	8.35	110.89
4.	बिहार	18.85	100.06	0.00	203.53	322.44

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	22.65	59.16	8.59	0.00	90.40
6.	गुजरात	0.00	69.60	0.30	26.72	96.62
7.	हरियाणा	0.00	12.55	0.00	0.00	12.55
8.	हिमाचल प्रदेश	6.78	0.00	0:00	0.00	6.78
9.	जम्मू और कश्मीर	25.82	0.00	0.00	0.00	25.82
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	48.91	0.00	48.91
11.	कर्नाटक	83.80	0.64	0.00	0.00	84.44
12.	मध्य प्रदेश	37.37	0.00	202.74	22.93	263.04
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	29.27	20.65	49.92
14.	मेघालय	0.00	0.00	15.03	0.00	15.03
15.	मिजोरम	1.36	0.00	0.00	1.729	3.089
16.	नागालैण्ड	7.47	0.00	0.00	0.00	7.47
17.	ओडिशा	0.00	0.00	128.85	0.00	128.85
18.	पंजाब	23.78	28.74	1.90	3.43	57.85
19.	राजस्थान	0.00	91.71	49.92	0.00	141.63
20.	तमिलनाडु	20.25	3.37	11.67	42.556	77.846
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	0.00	56.13	115.67	0.00	171.80
23.	पश्चिम बंगाल	3.58	**19.07**	0.00	18.57	41.22
24.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	251.71	480.12	1088.39	348.465	2168.685

विवरण-V

मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10 राशि	2010-11 राशि	2011-12 राशि	2012-13 (05-11-2012 तक) राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश		260.00		
2.	असम		1039.00	459.53	
3.	बिहार				55.54
4.	चंडीगढ़	0.36			
5.	छत्तीसगढ़		811.67	229.70	592.78
6.	हरियाणा		37.50		
7.	जम्मू और कश्मीर		347.87	538.60	
8.	झारखण्ड	497.18			
9.	कर्नाटक		490.17	210.58	
10.	केरल		1490.09		
11.	मध्य प्रदेश	561.35	1343.24	1085.53	1794.48
12.	महाराष्ट्र		36.59	147.52	30.94
14.	राजस्थान		547.46	71.95	392.66
15.	तमिलनाडु				
16.	त्रिपुरा	374.18			
17.	उत्तर प्रदेश	3190.47	3554.55	11173.35	9865.82
18.	उत्तराखण्ड		188.86	34.62	432.34

1	2	3	4	5	6
19.	उत्तर प्रदेश (एन.आई.ओ.एस.)			2.02	
	कुल	4623.54	10147.00	13953.40	13164.56

विवरण-VI

निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अवसंरचना विकास (आई.डी.एम.आई.) के अंतर्गत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (18 दिसम्बर, 2012 तक)
		राशि	राशि	राशि	राशि
1.	गुजरात		191.20	124.30	
2.	हरियाणा		201.12	145.36	
3.	जम्मू और कश्मीर		25.00		
4.	कर्नाटक		281.98	357.26	100.14
5.	केरल		337.73	2588.56	229.14
6.	मध्य प्रदेश		252.94		
7.	महाराष्ट्र		387.61	754.59	401.51
8.	राजस्थान		102.83		
9.	उत्तराखण्ड		190.29	208.32	392.88
10.	सिक्किम			345.60	16.09
11.	मिजोरम			25.00	444.21
12.	असम			94.22	
14.	उत्तर प्रदेश	448.00	277.05	200.39	265.27
	कुल	448.00	2247.80	4843.60	1849.24

विवरण-VII

बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10 में जारी अनावर्ती अनुदान	2010-11 में जारी अनावर्ती अनुदान	2011-12 में जारी अनावर्ती अनुदान	2012-13 में जारी अनावर्ती अनुदान	जारी कुल अनावर्ती अनुदान	जारी कुल आवर्ती अनुदान	जारी कुल अनुदान (अनावर्ती + आवर्ती)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	96.99	113.93	210.92	-	210.92
2.	असम	-	-	17.12	7.34	24.46	-	24.46
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.96	0	1.00	-	1.96	-	1.96
4.	बिहार	11.56	6.03	41.76		59.35	-	59.35
5.	छत्तीसगढ़	14.14	0	22.67	-	36.81	3.89 (2011-12) 0.73 (2012-13) (कुल 4.62)	41.43
6.	हिमाचल प्रदेश	0.96	0	-	-	0.96	-	0.96
7.	जम्मू और कश्मीर	3.44	0.19	-	-	3.63	-	3.63
8.	कर्नाटक	10.56	0	-	-	10.56	-	10.56
9.	मध्य प्रदेश	5.74	0	-	-	5.74	8.79 (2011-12) 13.34 (2012-13) (कुल 22.13)	27.87
10.	महाराष्ट्र	-	-	-	25.60	25.60	-	25.60
11.	मेघालय	-	-	-	6.75	6.95	-	6.95
12.	मिजोरम	0.19	0	0.20	-	0.39	-	0.39
13.	नागालैण्ड	-	-	-	10.61	10.61	-	10.61
14.	पंजाब	4.02	4.01	-	-	8.03	-	8.03
12.	राजस्थान	5.16	45.81	-	-	50.97	1.99	52.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	तमिलनाडु	8.42	0	-	19.76	28.18	-	28.18
14.	उत्तराखण्ड	-	-	-	10.66	16.99	0.28	17.27
	कुल	65.15	56.04	179.74	194.85	502.11	29.02	531.13

[अनुवाद]

जन शिकायत प्रणाली का डिजिटलीकरण

4193. **श्रीमती अन्नू टन्डन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में जन शिकायत प्रणाली को डिजिटल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जन शिकायत प्रणाली को प्रस्तावित सेवा प्रदायक अधिनियम के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जन शिकायतों को दूर करने की प्रणाली के कार्य-निष्पादन की संपरीक्षा की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क), (घ) और (ङ) सरकार जून, 2007 में ही एक इंटरनेट आधारित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) स्थापित कर चुकी है ताकि शिकायत निवारण के लिए नागरिक अपनी शिकायत सुविधाजनक ढंग से किसी भी स्थान से और किसी भी समय दर्ज कर सकें। यह प्रणाली मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई रिपोर्टों को प्रणाली में अपलोड करने में सक्षम बनाती है। दस्ती/डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों का डिजिटलीकरण किया जाता है और प्रणाली में अपलोड किया जाता है। नागरिक अपनी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इस प्रणाली में शिकायतों की मॉनीटरिंग के लिए विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने के प्रावधान हैं। सीपीजीआरएएमएस में फीडबैक तंत्र उपलब्ध है जिसमें शिकायत निवारण के बाद शिकायतकर्ता अपनी संतुष्टि स्तर को दर्ज कर सकते हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने दिसम्बर, 2011 में लोक सभा में "नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011" पेश किया है। इसमें सेवा प्रदायगी के विकास, संवर्धन, आधुनिकीकरण और सुधार तथा शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था है तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक विधियों, इंटरनेट आदि को अपनाना भी शामिल है।

भूकंप-जोखिम प्रवण क्षेत्र

4194. **श्री नित्यानंद प्रधान** : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हे कि दिल्ली देश का भूकंप-जोखिम प्रवण क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की घटना होने पर किसी भी प्रकार की मानव क्षति को रोकने के लिए राजधानी शहर में कमजोर भवनों को चिह्न्ति किया है अथवा चिह्नित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में कमजोर स्थानों का पता लगाने के लिए आईआईटी की सहायता लेने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो [आईएस-1893 (भाग-I) : 2002], ने विगत में आए भूकंपों के इतिहास के आधार पर, देश को चार भूकंपी जोनों अर्थात् जोन-II, III, IV तथा V में वर्गीकृत किया है। इनमें से जोन V भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन-II सबसे कम सक्रिय है। जोन IV में जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, गुजरात के भाग तथा पश्चिमी तट के निकट महाराष्ट्र के छोटे हिस्से तथा राजस्थान शामिल है।

(ग) जी, हां। शहरी निकायों के इंजीनियरों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करके दिल्ली सरकार अत्यधिक कमजोर भवनों का सर्वेक्षण करने हेतु क्षेत्र इंजीनियरिंग स्कंधों की तकनीकी क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रही है। कमजोर चिनाई वाले भवनों की भूकंप प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करने हेतु दिशा-निर्देशों, जिनमें ऐसे भवनों की भूकंप प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करने क लिए डिजाइन तथा निर्माण की कुछ विशेषताएं शामिल हैं, को इन प्रयासों के पूरक के रूप में पहले ही लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय का यह प्रयास है कि वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्य योजनाओं के तहत निर्मित किए जा रहे भवनों को प्रारंभ में ही भूकंप प्रतिरोधी बनाया जाए ताकि मौजूदा असुरक्षित भवनों की संख्या में वृद्धि नहीं हो।

(घ) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ समन्वय करके दिल्ली में खतरनाक भवनों के लिए सुरक्षा मानदंडों के मूल्यांकन के विशिष्ट संदर्भ में "रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस)" पर दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर समिति के 300 इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए 6-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पूर्वी दिल्ली में 10000 भवनों की पहचान करने के आरवीएस के पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि नवम्बर, 2012 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न हुआ था, में एनआईडीएम ने आरवीएस पायलट अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में विस्तार से बताया है तथा एमसीडी के इंजिनियरों को विशेष प्रयोजना आरवीएस डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर से परिचित कराया है। उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने फील्ड में कुछ अविध्वंसकारी जांच अभ्यासों के साथ-साथ क्लास रूप लेक्चरों तथा हैंड्स ऑन अभ्यासों के बीच अच्छा संतुलन रखा है।

(ङ) और (च) देश में ज्ञान की विभिन्न संस्थाओं के पेशेवर समूह, जिनमें आईआईटी भी शामिल हैं, एनआईडीएम द्वारा प्रारंभ किए गए आरवीएस प्रशिक्षण मॉड्यूलों सहित भवनों के भूकंपीय सुभेद्यता निर्धारण तथा संभाव्य भूकंप सुभेद्यता के लिए भवनों की आरवीएस प्रक्रिया की डिजाइन, विकास तथा कार्यान्वयन पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा

4195. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दिल्ली की यात्रा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय नेताओं के साथ हुई उनकी वार्ता के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 19 से 22 सितम्बर, 2012 के दौरान भारत की यात्रा की। नई दिल्ली में उनके प्रवास के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने, अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण पहलू की समीक्षा की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सांची अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के निमंत्रण पर सांची का भी दौरा किया।

[हिन्दी]

मुंबई में हैलीपोर्ट की स्थापना

4196. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार सहित विभिन्न राज्यों से हैलीपोर्टों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों की क्या स्थिति है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) सरकार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति के अनुरूप इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास हेतु वित्तपोषण

4197. **श्री रवनीत सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास वित्तपोषण योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई और अप्रयुक्त पड़ी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त परिणामों/उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अब तक प्राप्त हुए परिणामों से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कोई राज्य आधारित अनुसंधान एवं विकास निधियन योजना न्हीं है।

मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में राज्य सरकारों की सहभागिता के बिना प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसधान और विकास संस्थानों को सहयोग प्रदान किया है।

विभिन्न संगत क्षेत्रों में गठित समूह (मंत्रालय द्वारा गठित, जिसमें विशेषज्ञ शामिल हैं) संबंधित परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करता है। कार्यकारी समूहों की सिफारिशों के आधार पर परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। शुरू की गयी परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी इस उद्देश्य के लिए गठित परियोजना समीक्षा और संचालन समूहों द्वारा नियमित अंतरालों पर की जाती है। समीक्षा के आधार पर अनुसंधान एवं विकास अनुदान की अगली किस्त जारी की जाती है। खर्च न की गयी बकाया राशि को देय अनुदान की आगामी किस्त से घटा दिया जाता है।

भारतीय छात्रों पर हमले

4198. **डॉ. रत्ना डे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों पर हमले किए जा रहे हैं तथा उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मान संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जैसाकि भारतीय दूतावास द्वारा बताया गया है कि भारतीय मूल के छात्रों सहित अन्य लोगों पर आस्ट्रेलिया, यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों से हमले होने की घटनाएं होती रही हैं। आस्ट्रेलिया से 2009 में 50, 2010 में 103 और 2011 में 15 हमलों की ऐसी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई थी। वर्ष 2010-12 के दौरान भारतीय छात्रों पर यूनाईटेड किंगडम में हमले की तीन घटनाएं और यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी 4 घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई थी। किसी अन्य देश से खासतौर से भारतीय छात्रों को निशाना बनाकर हमला करने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) से (ङ) आस्ट्रेलिया, यू.के. और यू.एस.ए. में भारतीय छात्रों पर हमले का मामला सरकार द्वारा मंत्रालय स्तर एवं संबंधित भारतीय मिशनों और हमारे आस्ट्रेलिया, यू.के. और यू.एस.ए. स्थित वाणिज्य दूतावासों के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है। विशेषकर, आस्ट्रेलिया के मामले में भारतीय उच्चायोग और

वाणिज्य दूतावास, आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों के साथ संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर भारतीय समुदाय के संपर्क में रहते हैं ताकि सूचित किए गए हमलों के सभी मामलों में सहायता तथा समर्थन दिया जा सके और अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। उन स्थानों पर 'ओपन फ्राईडे' भी निर्धारित किए गए थे जहां आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास के कार्यालय में पहले से मिलने का समय लिए बिना अपनी समस्याओं और मामलों पर बातचीत कर सकें। आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा भारतीय छात्रों की रक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए संघीय और राज्य स्तर पर कई उपाय किए गए हैं। इनमें अतिरिक्त कार्यबलों की तैनाती, सजा के कानूनों में संशोधन और पुलिस बलों को हिंसा और समाज विरोधी बर्ताव का सामना करने के लिए सशक्त बनाना सम्मिलित है।

महिला वैज्ञानिक योजना

4199. **श्री प्रताप सिंह बाजवा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महिला वैज्ञानिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों को शामिल करने के संबंध में कोई मूर्त्त परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विषय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि की छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महिला वैज्ञानिक छात्रवृत्ति स्कीम (डब्ल्यूएसएसएस) ने विज्ञान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों को शामिल करने के संबंध में मूर्त्त परिणाम प्राप्त किए हैं। अब तक प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की विषयवार संख्या इस प्रकार है: जैव प्रौद्योगिकी (60), पृथ्वी और वातावरणीय विज्ञान (92), इंजीनियरी विज्ञान (176), भौतिकीय एवं गणितीय विज्ञान (199), रसायन विज्ञान (221), जीवन विज्ञान (820), आजिविका सृजन और ग्रामीण प्रौद्योगिकीय विकास (300) तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) में स्व-रोजगार (310)। समस्त महिला अध्येतावृत्ति वैज्ञानिकों में से लगभग 35% महिलाओं ने आर एण्ड डी संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र, बौद्धिक सम्पदा फर्मों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए हैं।

(ग) अब तक इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत वितरित की गई कुल राशि 205 करोड़ रुपए है।

सिविल सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन

4200. **श्री जयंत चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी कोई नीति अथवा विधान है जो भूतपूर्व सैन्यकर्मियों विशेषकर अल्पकमीशंड अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पदों या सरकार सेवाओं में उनका आमेलन सुनिश्चित कता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी नीति या विधान के माध्यम से ऐसा कोई उपबंध करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवाओं और सरकारी विभागों में आमेलित किए गए सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों का रैंकवार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय एक शीर्ष निकाय जिम्मेवार है जो अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरी पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता है। अल्पकमीशंड अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैन्य कर्मियों, जिन्होंने अपनी अनुबंध सेवा शर्तें पूरी कर ली हैं और भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं, को सभी पुनर्वास सुविधाएं दी गई हैं।

केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं के समूह 'ग' और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में सूह 'ग' और 'घ' पदों में उपलब्ध रिक्तियों का 10% से 24.5% की सीमा वाला प्रतिशत-वार आरक्षण इच्छुक और पात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदान किया गया है। सभी अर्द्ध-सैनिक बलों में सहायक कमांडेंट

के स्तर तक के सभी पदों में 10% रिक्तियां आरक्षित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, सेवाओं और सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में उपयुक्त छूट, प्राप्त हुए है।

(ङ) उन सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, जिन्हें सिविल सेवाओं और सरकारी विभागों में आमेलन कर दिया गया है, के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

साहित्यिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कार

4201. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रवासी भारतीय लेखकों को प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों का वर्ष और भाषा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा सम्मानित किए गए अनिवासी भारतीय साहित्यकारों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह मंत्रालय साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनन्य रूप से कोई पुरस्कार नहीं प्रदान किए जाने वाला उच्चतम सम्मान है।

2009--2012 की अवधि के दौरान प्रवासी भारतीयों को निम्नानुसार 58 पुरस्कार प्रदान किए गए :

वर्ष	पाने वालों की संख्या
2009	13
2010	15
2011	15
2012	15

2009--2012 तक प्रदान किए गए उपरोक्त 58 पुरस्कारों में से साहित्यिक उपलब्धियों के लिए कोई पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। अधिकतर पुरस्कार सामुदायिक सेवा, लोक सेवा, व्यवसाय, लोकोपकार, आयुर्विज्ञान, विज्ञान, कला, इतिहास और प्रबंधन के लिए प्रदान किए गए।

[हिन्दी]

शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल

4202. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिजली, पानी और सड़क आदि जैसी विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज कराने के लिए आनलाइन पोर्टल आरंभ किया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) देशभर में पोर्टल के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) सरकार ने शिकायत निवारण व्यवस्था के भाग के रूप में किसी सरकारी मंत्रालय/विभाग/संगठन के विरुद्ध सभी सार्वजनिक शिकायतों के तेजी से निवारण के लिए एक ऑनलाइन तैयार किया है। यह पोर्टल "केन्द्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.)" के नाम से जाना जाता है और यह www.pgportal.gov.in पर उपलब्ध है। इस प्रणाली में केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन अंत: संबंद्ध हैं, वर्तमान में इनकी संख्या 105 है और देश भर के 6000 से भी अधिक अधीनस्थ और क्षेत्रीय कार्यालय इससे जुड़े हैं। प्रणाली में ऑनलाइन निवारण के लिए डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त शिकायतों के डिजीटाइजेशन की भी सुविधा है। इसके पश्चात अंतिम कार्रवाई का प्रिंटआउट निकाला जाता है और डाक द्वारा शिकायतकर्ता को भेजा जाता है।

सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. के माध्यम से नागरिक देश में अथवा विश्वभर में कहीं से किसी भी समय इंटरनेट के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। नागरिकों के पास यह विकल्प है कि वे सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन को अथवा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर.

एवं पी.जी.) को भेज सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के तुरंत पश्चात एक अलग पंजीयन संख्या के साथ पावती प्राप्त होती है। इस पंजीयन संख्या का प्रयोग शिकायत के निवारण की प्रगति की जांच करने के साथ-साथ अनुस्मारक भेजने के लिए भी किया जा सकता है। संबंधित सरकारी संगठन द्वारा अंतिम निवारण के लिए समय-सीमा 60 दिन है। ऐसे मामले जिनमें ज्यादा समय लगने की संभावना होती है तो शिकायतकर्ता को अधिक समय लगने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक अंतरिम उत्तर भेजा जाता है। अंतिम निवारण के पश्चात नागरिक निवारण के प्रति अपनी संतुष्टी प्रकट करने के लिए एक बहुत ही सरल फोर्मेट में अपनी फीडबैक दे सकता है। इस प्रणाली के अन्य लाभों में यथावश्यक विभिन्न रिपोर्टों की बहु-स्तरीय निगरानी और सृजन शामिल है। रिपोर्टों का विश्लेषण का भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी ही शिकायतों को रोकने के लिए प्रक्रिया और विनियम के परिवर्तन की स्थिति में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'शिकायत की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों' के विश्लेषण हेतु किया जा सकता है।

राज्य सरकार के सभी विभागों को शामिल करते हुए स्थानीय भाषा इंटरफेस के साथ सी.पी.आर.ए.एम.एस. के साथ हरियाणा सरकार और ओडिशा सरकार द्वारा 2010 में शुरू किया गया है, राजस्थान सरकार में मई, 2011 में तथा पुडुचेरी सरकार में मार्च, 2012 में शुरू किया गया है।

इसके अलावा बहुत से केन्द्र सरकार के संगठनों जहां बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ कार्रवाई की जाती है, जैसे रेलवे में उनकी अपनी आंतरिक ऑनलाइन प्रणालियां भी हैं। डिफाल्ट अथवा अन्यथा डी.आर.पी.जी. में प्राप्त अन्य मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित शिकायतें निवारण के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग को अग्रेषित की जाती हैं।

पाकिस्तान में रणजीत सिंह की हवेली को गिराना

4203. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के गुजारांवाला में स्थित महाराजा रणजीत सिंह की हवेली को गिरा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से अपना विरोध दर्ज कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजारांवाला में महाराजा रणजीत सिंह की हवेली इवेक्यू ट्रष्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ई.टी.पी.बी.), पाकिस्तान के संपूर्ण कब्जे में है और इसे गिराया नहीं गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार

4204. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के कुछ अधिकारी/कार्यालय भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या के.लो.नि.वि. के सतर्कता विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी वे अभी भी संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) जी हां। सी.बी.आई. जांच के आधार पर भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत 19 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति जारी की गई है। पिछले तीन वर्ष के दौरान भ्रष्ट कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) के.लो.नि.वि. के मुख्य सतर्कता अधिकारी अधीन एक स्वतंत्र समर्पित सतर्कता यूनिट है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक जांच और संतुलन प्रणाली उपयुक्त रूप से कार्य सम्पादित कर रही है इसके लिए नियमों और विनियमनों के भीतर एक प्रणाली विद्यमान है। इसमें निवारक सतर्कता भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। के.लो.नि.वि. में सतर्कता यूनिट की मुख्य भूमिका इस प्रकार है:

- नियमित और औचक निरीक्षण करना।
- भ्रष्टाचार और दुराचार बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा और उसका सरलीकरण।
- भ्रष्टाचार और अन्य बुराईयों की रोकथाम और दंडित करने के लिए उपाय शुरू करना।

इसके अलावा, भ्रष्ट कर्मचारियों जिनके विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति जारी की गई है, को संदेहस्पद सत्यनिष्ठा की सूची में रखा गया है। जिस पर उनकी तैनाती के समय विचार किया जाता है।

विवरण

उन अधिकारियों की सूची जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान अभियोग चलाने की स्वीकृति जारी की गई है

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	पदनाम	मामलों का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	एस.एल. जैन	एस.ई. (सिविल)	1. शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 16-7-2008 के आदेश संख्या सी-15011/5/2007-ए.वी. III के अन्तर्गत जारी अभियोग चलाने की स्वीकृति। शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 09-08-2010 के आदेश संख्या सी-15011/1/2010-ए.वी. I के अन्तर्गत जारी अभियोग चलाने की स्वीकृति। 2. सी.सी.एस. (कन्डक्ट) नियमावली 1965 के नियम 3(1) (i) और (ii) का उल्लंघन करने पर शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 24-11-2008 के ज्ञापन संख्या सी-15011/5/2007-ए.वी. III के तहत जारी नियम 14 के अन्तर्गत आरोप पत्र
2.	आदेश कुमार	एस.ई. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 10-06-2009 के आदेश संख्या सी-13015/21/2007-ए.वी. I के अन्तर्गत जारी अभियोग चलाने की स्वीकृति।
3.	जे.एस. संधू	एस.ई. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 23-02-2011 के आदेश संख्या सी-15011/2/2010-ए.वी. I के अन्तर्गत जारी अभियोग चलाने की स्वीकृति।

1	2	3	4
4.	रवि माथुर	एस.ई. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 4-03-2011 के आदेश संख्या सी-15015/1/2010-ए.वी. III के अन्तर्गत अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 19-10-2011 के पत्र के अन्तर्गत अदालत में आरोप पत्र दायर करने के बारे में सूचना दी गई।
5.	सुनील पराशर	ई.ई. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 4-03-2011 के आदेश संख्या सी-15015/1/2010-ए.वी. II के अन्तर्गत जारी अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 19-10-2011 के पत्र के अन्तर्गत अदालत में आरोप पत्र दायर करने के बारे में सूचना दी गई।
6.	अनिल सचान	ई.ई. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 18-05-2011 को अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 20-03-2012 के पत्र के अन्तर्गत अदालत में आरोप पत्र दायर करने के बारे में सूचना दी गई।
7.	एस.के. जैन	ई.ई. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 18-05-2011 के आदेश संख्या सी-15015/2/2010-ए.वी. III के अन्तर्गत जारी अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 20-03-2012 के पत्र के अन्तर्गत अदालत में आरोप पत्र दायर करने के बारे में सूचना दी गई।
8.	अनिल कुमार सैनी	ई.ई. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 18-05-2011 के आदेश संख्या सी-15015/3/2010-ए.वी. III के अन्तर्गत जारी अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 3-10-2011 के पत्र के अन्तर्गत अदालत में आरोप पत्र दायर करने के बारे में सूचना दी गई।
9.	जगदीप सिंह	ई.ई. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 21-01-2011 के आदेश संख्या सी-15015/1/2009-ए.वी. III के अन्तर्गत अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

1	2	3	4
10.	रूप लाल	ए.ई. (सिविल)	महानिदेशक (निर्माण) दिनांक 19-05-2010 के आदेश संख्या सी-12/5/6/2009-वी.एस.आई. के अन्तर्गत अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
11.	राकेश कुमार जैन	ए.ई. (सिविल)	महानिदेशक (निर्माण) के दिनांक 1-06-2010 के आदेश संख्या सी-21/16/6/2009-वी.एस.आई. के अन्तर्गत अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 16-07-2010 के पत्र के अन्तर्गत अदालत में आरोप पत्र दायर करने के बारे में सूचना दी गई।
12.	दिवेश चन्द	ए.ई. (सिविल)	महानिदेशक (निर्माण) ने दिनांक 18-5-11 को अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पत्र सं. दिनांक 3-10-11 द्वारा यथा सूचित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
13.	सबर खान	ए.ई. (सिविल)	अभियोग चलाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पत्र सं. दिनांक 3-10-11 द्वारा यथा सूचित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
14.	राकेश कुमार मित्तल	ए.ई. (सिविल)	महा-निदेशक (निर्माण) ने दिनांक 13-10-11 को अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पत्र सं. दिनांक 3-10-11 द्वारा यथा सूचित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
15.	राकेश कुमार जैन	ए.ई. (सिविल)	दिनांक 16-7-10 के पत्र द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जैसा सूचित किया है कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय में लम्बित है (आर.सी. डी.ए.आई-2009ए 0023)
16.	चन्द्रपाल सिंह	ए.ई. (सिविल)	महा-निदेशक (निर्माण) ने दिनांक 16-11-11 को अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पत्र सं. दिनांक 3-10-11 द्वारा यथा सूचित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

1	2	3	4
17.	ए. चन्द्रशेखरन	ए.ई. (इलैक्ट्रिक)	महा-निदेशक दिनांक 4-06-10 के आदेश सं. 15/10/2/3 सी.बी.आई./2010-वी.एस.आई. द्वारा अभियोजन हेतु स्वीकृति जारी कर दी है।
18.	आर.टी. बैंस	ए.डी. (बागवानी)	महा-निदेशक के दिनांक 30-6-2010 के आदेश सं. 10/6/5/2009 - वी.एस.आई. द्वारा अभियोजन हेतु स्वीकृति जारी कर दी है।
19.	सुरेन्द्र कुमार	ए.ई. (सिविल)	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पत्र सं. दिनांक 9-12-11 द्वारा यथा सूचित मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय में लम्बित है (आर.सी.-36(ए)-2004)।

[अनुवाद]

व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा

4205. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एकीकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आरंभ करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। कार्रवाई (पीओए) 1992 कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 के अंतर्गत देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर विचार करता है।

इंजीनियरिंग के अवर स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) दो भागों, जेईई-मेन और जेईई-एडवांस्ड में, आयोजित की जाएगी। साथ ही, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने वर्ष 2012-13 के लिए प्रबंधन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक वर्ष में दो बार राष्ट्रीय स्तर की सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सी मैट) आरंभ की है।

[हिन्दी]

पॉलीटेक्निक में महिला छात्रावासों का निर्माण

4206. **श्री लालजी टन्डन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी अनुदान राशि आवंटित और जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने देश के मौजूदा पॉलीटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण की एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अनुसार देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। 500 पॉलीटेक्निकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसमें से प्रति पॉलीटेक्निक अधिकतम 1 करोड़ रुपए होंगे। यह योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है तथा

देश के 487 पॉलीटेक्निकों के लिए आंशिक वित्तीय सहायता संस्वीकृत की जा चुकी है।

[अनुवाद]

भूमि अंतरण नियमों में रियायत

4207. श्री पी. विश्वनाथन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अवसंरचना हेतु पी.पी.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि अंतरण के नियमों में रियायत दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवसंरचना परियोजनाओं को एकल खिड़की स्वीकृति हेतु उच्चाधिकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष के प्रारंभ में, किसी भी इकाई (एनटीटी) के पक्ष में सरकारी भूमि के सभी प्रकार के अंतरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सिवाय उन मामलों में जहां एक सरकारी विभाग से दूसरे को भूमि का अंतरण किया जाना था। इसके फलस्वरूप अवसंरचना परियोजनाओं विशेषकर पीपीपी परियोजनाओं के लिए रियायतें प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा था। सरकार ने अब रियायत-प्राप्तकर्ता को पट्टे अथवा भोड़े अथवा लाइसेंस पर भूमि अंतरण के ऐसे सभी मामलों, जिनका सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) मार्ग के माध्यम से मूल्यांकन किया जा चुका है और जिन्हें परियोजना की लागत के आधार पर वित्त मंत्री अथवा संबंधित मंत्रियों अथवा मंत्रिमंडल, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, के लिए भूमि हस्तांतरण की अनुमति देकर, पीपीपी परियोजनाओं सहित परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के लिए प्रतिबंध में ढील दी है। पट्टे अथवा लाइसेंस पर दी गई भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदनों/मंजूरियों संबंधी निर्णयों में तेजी लाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति का गठन करने के प्रस्ताव को हाल ही में अनुमोदित किया है। यह मंत्रिमंडल समिति विभिन्न लाइसेंसों, स्वीकृतियों और अनुमोदनों की त्वरित और समयबद्ध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मॉनीटरण और समीक्षा करेगी। यह मंत्रि मंडल समिति, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से, उस मंत्रालय/विभाग के तहत प्रत्येक क्षेत्रक के लिए विभिन्न प्रकार के अनुमोदनों और मंजूरियों के संबंध में निर्णय लेने हेतु विभिन्न समय-सीमाएं भी निर्धारित करेगी। मंत्रालय/विभाग से आवेदन-पत्र पर उचित कार्रवाई करने के बाद निर्धारित समय अवधि में निर्णय लेने की अपेक्षा की जाएगी। यदि निर्धारित समय अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता है तो मंत्रिमंडल समिति विलम्ब के कारणों की जांच करेगी और अपेक्षित अनुमोदनों/मंजूरियों में तेजी लाकर प्रमुख अड़चनों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाएगी।

[हिन्दी]

तदर्थ सेवाओं की अवधि

4208. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के अन्तर्गत तदर्थ सेवाओं के लिए क्या अवधि निर्धारित की गई है;

(ख) तदर्थ सेवाओं को स्थायी बनाने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या तदर्थ सेवाओं को स्थायी बनाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तदर्थ सेवाओं को स्थायी बनाने की अनदेखी करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी):

(क) तदर्थ आधार पर की जाने वाली नियुक्ति/पदोन्नति की कुल अवधि एक वर्ष तक सीमित है। यदि तदर्थ नियुक्ति/ पदोन्नति को एक साल के बाद बढ़ाने की अनिवार्यता हो तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने, कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर समूह 'ग' एवं पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों के कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

(ख) से (च) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सभी पदों को लागू भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरा जाना अपेक्षित है। तदर्थ आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियां/ नियुक्तियां आपवादिक मामलों में उन पदों के लिए की जाती हैं जिन पदों को उनकी कार्यात्मक/प्रचलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिक्त नहीं रखा जा सकता है। तदर्थ आधार पर नियुक्त ऐसे व्यक्तियों को यथाशीघ्र संगत लागू सांविधिक भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित नियमित पदधारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। इसके मद्देनजर, तदर्थ सेवा को स्थायी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नई रोजगार गारंटी योजना

4209. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगार लोगों के लिए एक नई रोजगार गारंटी योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए मौजूदा योजना से संतुष्ट नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ङ) सरकार, फिलहाल देश में बेरोजगार लोगों के लिए नई रोजगार गारंटी योजना तैयार करने पर विचार नहीं कर रही है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। यह स्कीम प्रत्येक गरीब परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के लिए तत्पर हों, को कम-से-कम 100 दिनों के दिहाड़ी रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। पता चला है कि ग्रामीण भारत में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा पर इस स्कीम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

[अनुवाद]

भारतीय लागत लेखा सेवा की संवर्ग समीक्षा

4210. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लागत लेखा सेवा (आई.सी.ए.एस.) अधिकारियों की संवर्ग समीक्षा तीन वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समयबद्ध ढंग से संवर्ग समीक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्यतया, समूह 'क' केन्द्रीय सेवा की संवर्ग समीक्षा प्रत्येक पांच वर्ष में की जानी चाहिए। भारतीय लागत लेखा सेवा की पिछली संवर्ग समीक्षा वर्ष 2005 में की गई थी तथा सेवा नियमों में तदनुरूपी संशोधन 1 जून, 2007 को अधिसूचित किए गए थे। संवर्ग समीक्षा के लिए प्रस्ताव इस विभाग में नवंबर, 2012 में प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तकर्नःकी संस्थान स्थापित करना

4211. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में ऐसे संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में इन संस्थानों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2011-12 के दौरान 79 संस्थाओं और वर्ष 2012-13 के दौरान 48 संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।

नए पॉलीटेक्नीकों की स्थापना की योजना के अंतर्गत, जो कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, भारत सरकार ऐसे असेवित जिलों में, जिनमें कोई सरकारी पॉलीटेक्नीक नहीं है, और अल्पसेवित जिलों में पॉलीटेक्नीक की स्थापना की लागतों को वहन करने के लिए प्रति पॉलीटेक्नीक 12.30 करोड़ रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बशर्ते संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें निःशुल्क भूमि प्रदान करें, शत-प्रतिशत आवर्ती लागत को वहन करें और यदि 12.30 करोड़ रुपए से अधिक कोई अनावर्ती व्यय हो तो उसे भी वहन करें। महाराष्ट्र के निम्नलिखित 2(दो) असेवित/अल्पसेवित जिलों को नए सरकारी पॉलीटेक्नीक स्थापित करने के लिए आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(i) अकोला

(ii) हिंगोली

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नए पॉलीटेक्नीकों की स्थापना की योजना में असेवित और अल्पसेवित जिले शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सस्ती एयरलाइंस

4112. श्री एस. अलागिरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय बाजार में सस्ती एयरलाइनों की हिस्सेदारी का एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत चार तिमाहियों के दौरान एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी में कितनी कमी आई है; और

(ग) बाजार की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए एयर इंडिया द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) सरकार किसी भी एयरलाइन को कम लागत में श्रेणीबद्ध नहीं करती। भारतीय अंतरदेशीय अनुसूचित वाहकों का अक्तूबर, 2012 के बाजार अंश का विवरण निम्नलिखित है:-

एयरलाइंस		बाजार अंश (प्रतिशतता)
एयर इंडिया	-	20.8
जेट एयरवेज	-	18.1
जेटलाइट	-	6.6
इंडिगो	-	27.8
स्पाइस जेट	-	19.1
गो एयर	-	7.6

(ख) एयर इंडिया को अंतरदेशीय बाजार में पिछली चार तिमाहियों में बाजार अंश का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(ग) एयर इंडिया के प्रचालन तथा वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2012 में टर्नअराउंड योजना/वित्तीय पुनर्संरचना योजना के लिए अनुमोदन दे दिया है। योजना के अतिरिक्त, एयर इंडिया द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें पूर्व एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मार्गों को युक्तिसंगत बनाना, हानि वाले कुछ मार्गों को युक्तिसंगत

बनाना पुराने विमान बेड़े को चरणबद्ध रूप से हटाना जिसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण और इंजीनियरी लागतों में कमी, पट्टे पर लिए गए विमानों को अवधि समाप्त होने पर या उससे पूर्व लौटाना, गैर-प्रचालनिक क्षेत्रों में रोजगार में रोक आदि शामिल है।

उच्च शोध में अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व

4213. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं को उच्च शोध और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रवेश सुकर बनाने के लिए उनके कौशल और क्षमताओं में सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उन संस्थानों में जहां उनका कोई प्रतिनिधित्व में सुधार करने हेतु कोई कार्यक्रम आरंभ किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। देश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के उद्देश्यों में योग्यता आधारित एक मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करना; शिक्षित तथा नियोजनीय के बीच अंतर को कम करने के लिए बहु-प्रवेश, बहु-निर्गम अध्ययन अवसरों तथा योग्यताओं में ऊर्ध्व गतिशीलता/विनिमय क्षमता के माध्यम से उनकी प्रतियोगी क्षमता को बनाए रखना। अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.), गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर विशेष फोकस किया गया है, जिसमें इन समूहों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धारित अल्पसंख्यक/अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों संकेन्द्रीत जिलों/ब्लॉकों में व्यावसायिक स्कूलों/मॉडल व्यावसायिक स्कूलों को खोलने/सुदृढ़ करने को विशेष प्राथमिकता दी गई है जिसका लक्ष्य योजना में जिस कार्य के लिए निधियन प्रावधान किया गया है उसमें उनकी भागीदारी के लिए उपर्युक्त प्रोत्साहन तैयार करना है। व्यावसायिक शिक्षा में विशेष समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नामांकन अभियानों, विशेष परिसरों, विशेष सुविधाओं, माता-पिता तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

कौशल विकास हेतु समन्वित कार्यवाही के तहत पॉलीटेक्निक उपमिशन शुरू किया गया है जिसके घटक तथा नए पॉलीटेक्निकों की स्थापना, मौजूदा पॉलीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण, पॉलीटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण तथा पॉलीटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना (सीडीटीपी) शुरू की गई है।

इसके अलावा, छात्रों के कौशल विकास हेतु कई अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में नए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) तथा 10+2 व्यावसायिक उत्तीर्ण हुए छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, ताकि उनके तकनीकी कौशलों में वृद्धि की जा सके; प्रौढ़ों के बीच कार्यात्मक साक्षरता, कौशल विकास तथा सतत् शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में स्वैच्छिक क्षेत्र की व्यापक तथा गहन भागीदारी हासिल करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना जिसके तीन घटक हैं नामतः राज्य संसाधन केन्द्र, जन शिक्षण संस्थान तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता; यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए स्नातकों के पास लाभकर रोजगार हेतु ज्ञान, कौशल तथा अभिरूचि हो, कैरियर प्रबोधित पाठ्यक्रम योजना; तथा छात्रों को भौतिकी, गणित तथा रसायन शास्त्र हेतु तैयार करने के प्रयास हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों छात्रों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सेतु पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा, (जेईई) हेतु भरी न गई आरक्षित सीटों की जगह अगले वर्ष अवर स्नातक पाठ्यक्रम में सीधे दाखिला दिया जाता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की एक नई योजना है जिसमें वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्येक राज्य में कम से कम एक छात्रावास की दर से पूरे देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों छात्रों के लिए 55 छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सुझाई गई मॉडल योजना के अनुसार 120 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण के लिए प्रत्येक पात्र संस्था को सहायता अनुदान के रूप में 2 करोड़ रु. का अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना

के अंतर्गत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरी कॉलेज, जो पिछले 5 वर्षों अस्तित्व में हैं और जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 150 से अधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के छात्र पढ़ रहे हों, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल नीति तैयार की है, जो देश में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देशक दस्तावेज हैं। नीति में 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य रक्षा गया है। सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजना के तहत व्यक्तियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। जिनमें (क) प्रशिक्षार्थियों के नियोजन हेतु आईआईटी में प्रशिक्षण, परामर्श और नियोजन एकक (ख) नियोजन एककों के माध्यम से परिसर नियोजन भी आयोजित किया जाता है (ग) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत नियोजनीयता कौशल नामक विषय आरंभ करना (घ) वास्तविक समय आधार पर आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें संशोधित करने जहां आवश्यक हो, के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (ङ) विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण अवसंरचना में सुधार और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 1727 सरकारी आईआईटी का स्तरोन्नयन।

वर्ष 2009-10 के लिए उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति छात्रों के नामांकन के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई)-1986 (1992 में यथा संशोधित) विसंगतियों को दूर करने और उन व्यक्तियों की जिन्हें अभी तक समानता नहीं दी गई है विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके शैक्षिक अवसर की बराबरी पर विशेष बल देती है।

इसके अलावा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत हुआ है, में व्यवस्था है कि बच्चे को आस-पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रावधानों में लाभवंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों को निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत दाखिले शामिल हैं।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (4 जनवरी, 2007 से प्रवृत्त) में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त कुछेक केन्द्रीय उच्चतर और तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को दाखिले में क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था है।

उपर्युक्त सांवैधानिक प्रावधानों, नीतियों और अधिनियमों को कार्यान्वित कने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए स्कूल शिक्षा के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

प्राथमिक और माध्यमिक स्टेज पर ये स्कीमें हैं पूर्व बाल्यवस्था शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, महिला समाख्या कार्यक्रम, प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों (ईबीबी) में मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए स्कीम उत्कृष्टता का बैंचमार्क और मध्याह्न भोजन योजना।

उच्चतर शिक्षा में केन्द्रीय शिक्षा संस्थाएं जैसे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, शामिल न हुए/असेवित क्षेत्रों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पॉलीटेक्निकों का विस्तार और उन जिलों में 374 मॉडल कॉलेज स्थापित करना जिनमें उच्चतर शिक्षा के लिए जीईआर राष्ट्रीय औसत से कम, आरंभ की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कि शैक्षिक अधिकारिता के लिए विभिन्न स्कीमें भी कार्यान्वित करता है जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए क्षमता सुअवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) की स्थापना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट डाक्टोरल अध्येयतावृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां, सोशल एक्सक्लूजन और इन्क्लूसिव पॉलिसी अध्ययन के लिए स्थापना केन्द्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, (नॉन क्रिमीलेयर), और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारी कोचिंग स्कीमें, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जीविका अभिमुखी पाठ्यक्रम, कॉलेजों के लिए महिला के होस्टलों का निर्माण। विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य छात्र सहायता कार्यक्रम जैसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए महिला छात्रावास चलाना, पॉलिटेक्निकों और कॉलेजों में महिला छात्रावासों का निर्माण, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस), बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन की राष्ट्रीय स्कीम (एनएसआईजीएसई), कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम, शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायता स्कीम, एआईसीटीई की जीएटीई योग्यता प्राप्त स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु स्कीम भी आरम्भ की हुई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी ऐसी स्कीमें शुरू की हुई हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को पूर्ण करती हैं। ये स्कीमें हैं बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा के उन्नयन की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सर्वोत्तम श्रेणी की शिक्षा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान (एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का निर्माण इस स्कीम का भाग है)।

विवरण

उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन

(पूर्ण अंकों में संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति के छात्र	अनुसूचित जनजाति के छात्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	211137	99082
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	19721
3.	असम	41202	33914
4.	बिहार	87569	13789
5.	छत्तीसगढ़	59471	129034
6.	गोवा	480	1836
7.	गुजरात	90979	73265
8.	हरियाणा	62819	3
9.	हिमाचल प्रदेश	26623	10402
10.	जम्मू और कश्मीर	16141	13130

1	2	3	4
11.	झारखंड	24444	48236
12.	कर्नाटक	197252	63122
13.	केरल	50906	6132
14.	मध्य प्रदेश	121042	76325
15.	महाराष्ट्र	353179	66437
16.	मणिपुर	2028	19005
17.	मेघालय	469	53588
18.	मिजोरम	0	33431
19.	नागालैंड	503	40211
20.	ओडिशा	30661	28405
21.	पंजाब	46662	269
22.	राजस्थान	96092	77515
23.	सिक्किम	534	5903
24.	तमिलनाडु	175906	7469
25.	त्रिपुरा	8525	11075
26.	उत्तर प्रदेश	431797	9186
27.	उत्तराखंड	48723	27704
28.	पश्चिम बंगाल	199030	89369
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1456
30.	चंडीगढ़	2510	434
31.	दादरा और नगर हवेली	107	273
32.	दमन और दीव	99	151
33.	दिल्ली	47637	20616

1	2	3	4
34.	लक्षद्वीप	0	410
35.	पुदुचेरी	5048	0

नोट: राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के संबंध में आंकड़े संबंधित राज्यों में शामिल किए गए हैं। इग्नू के नामांकन, जहां उसके केन्द्र स्थित हैं, उन राज्यों के मध्य बांटे गए हैं।

ढाका और कोलकाता के बीच बस सेवा

4214. **शेख सैदुल हक :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोलकाता और ढाका के बीच सीधी बस सेवा आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) कोलकाता और ढाका के बीच एक सीधी यात्री बस सेवा 1999 में आरंभ की गई थी और यह अब तक लगातार प्रचालनरत है।

केरल सरकार द्वारा नई एयरलाइंस आरंभ करना

4215. **डॉ. पद्म सिंह बाजीराव पाटील :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार से एयर केरल नामक अपनी एयरलाइंस आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति के सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करता है;

(घ) यदि नहीं तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ङ) क्या एयर केरल सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (च) केरल सरकार ने सूचित किया कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपनी अनुषंगी कंपनी "एयर केरल" एयरलाइंस को शुरू करने की परियोजना बनाई है। यह भी सूचित किया गया है कि प्रस्तावित एयरलाइन को चालू करने के लिए दो छूट अर्थात् (i) 20 विमानों के स्वामित्व की शर्त से छूट और (ii) घरेलू उड़ान के पांच वर्ष के अनुभव की शर्त से छूट प्रदान करना अपेक्षित है। तथापि, इस संबंध में मंत्रालय को अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नए डिजायन रिएक्टर का विकास

4216. **श्री ए.टी. नाना पाटील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु वैज्ञानिकों ने एक नया परमाणु रिएक्टर डिजायन किया है अथवा डिजायन कर रहे हैं जिसे देश की सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी प्रगति की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। वर्तमान में, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.), प्रगत भारी पानी रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यु.आर.) का डिजायन तैयार

करने और उसे विकसित करने के कार्य में जुटा हुआ है। इस रिएक्टर के डिजायन में प्रगत निश्चेष्ट सुरक्षा विशिष्टताओं का समावेशन करते हुए पर्याप्त प्रौद्योगिकी विकसित की गई है जोकि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए भविष्य में नाभिकीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए आवश्यक होगी। इस रिएक्टर को जनसंख्या वाले केन्द्रों के समीप अवस्थित करने के लिए यह अत्यावश्यक है, लेकिन इन प्रगत प्रौद्योगिकियों का समावेशन करते हुए पहले प्रोटोटाइप रिएक्टर का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर.बी.) की मौजूदा स्थल निर्धारण संहिता को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) प्रगत भारी पानी रिएक्टर में, विद्युत के पूर्ण रूप से बंद होने, शीतलक जल की बाह्य आपूर्ति के बंद होने और प्रचालक द्वारा शीघ्र कार्रवाई न किए जाने आदि के अंतर्गत विकिरण सक्रियता की सुरक्षा और उसे परिरूद्ध रखने के लिए अनेक निश्चेष्ट प्रणालियां (जिनकी सूची नीचे दी गई है) का समावेशन किया गया है।

(i) सामान्य प्रचालन और शट-डाउन परिस्थितियों के दौरान शीतलक के परिसंचरण (जिसके लिए किसी पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती) द्वारा क्रोड ऊष्मा का निष्कासन।

(ii) अभिगृहीत दुर्घटना परिस्थितियों जैसे कि शीतलक दुर्घटना की क्षति (एल.ओ.सी.ए.) के दौरान निश्चेष्ट मोड में ईंधन आव्यूह में आपातकालीन क्रोड शीतलक प्रणाली (ई.सी.सी.एस.) जल का प्रत्यक्ष अंतःक्षेपण।

(iii) निश्चेष्ट संरोधन शीतलकों द्वारा संरोधन का शीतलन।

(iv) पानी की सील द्वारा संरोधन के निश्चेष्ट विलगन के बाद एल.ओ.सी.ए. का लम्बा अंतराल।

(v) क्रोड क्षय ऊष्मा निष्कासन, ई.सी.सी.एस. के अंतःक्षेपण को बनाए रखने को सुविधाजनक बनाने के लिए संरोधन के भीतर अधिक ऊंचाई पर अवस्थित गुरुत्व चालित जल कुंड में जल की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता।

(vi) तारों वाली यांत्रिक शट-डाउन प्रणाली और द्रव विष अंतःक्षेपण प्रणाली के काम न करने की वजह से मुख्य ऊष्मा अभिगमन प्रणाली का दाब बढ़ने के कारण दाब प्रणाली को इस्तेमाल में लाकर मंदक में विष के अंतःक्षेपण द्वारा निश्चेष्ट शट-डाउन।

(vii) रिएक्टर के शट-डाउन होने और बिजलीघर के पूर्ण रूप से बंद होने के दौरान कैलेंड्रिया के दाब को कम से कम करने और आवरक वायु के माध्यम से ट्राइटियम को उन्मुक्त करने के लिए निश्चेष्ट मंदक शीतलन प्रणाली।

विभिन्न अभिगृहीत प्रारंभिक घटनाओं से शुरुआत करते हुए प्रगत भारी पानी रिएक्टर के लिए सुरक्षा संबंधी व्यापक मूल्यांकन किया गया है, और यह पाया गया है कि, किसी भी घटना में विकिरण सक्रियता की कोई मात्रा उन्मुक्त नहीं हुई है।

विश्व में अब तक तीन नाभिकीय दुर्घटनाएं घटित हुई हैं: अमरीका में थ्री माइल आइलैंड, भूतपूर्व सोवियत संघ में चेरनोबिल और जापान में फुकुशिमा। प्रगत भारी पानी रिएक्टर का मूल्यांकन इन सभी दुर्घटनाओं के मामले में प्रारंभिक घटनाओं की दृष्टि से किया गया है और इसके जो परिणाम सामने आए हैं, वे स्वीकार्य पाए गए हैं।

पुस्तकों से सामग्रियों की चोरी

4217. **श्री हर्षवर्धन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैक्षणिक और शोध कार्य में सामग्री चोरी के मामले सरकार के समक्ष आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) शैक्षणिक और अनुसंधान में साहित्यिक चोरी से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। विश्वविद्यालय शैक्षणिक मामलों में स्वायत्त हैं और इन्हें अपने अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार साहित्यिक चोरी के दृष्टांतों को देखने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मापदण्डों और कार्यप्रणाली) विनियम, 2009 में यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एम.फिल/पीएच.डी. शोध प्रबंधों की सॉफ्ट प्रति 30 दिनों की अवधि के अंदर उपलब्ध कराएगा, जिसमें इन्हें सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (आई.एन.एफ.एल.-आई.बी.एन.ई.टी.) में हॉस्ट करने की अनुमति दी जाएगी और विश्व के शैक्षणिक समुदाय को इन शोध कार्यो से मुक्त रूप से जोड़ने को सुगम बनाने हेतु विश्वविद्यालय और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। इससे साहित्यिक चोरी पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

कॉलेजों में महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न

4218. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों/विशेष रूप से नॉर्थ कैंपस के महाविद्यालयों में महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान महाविद्यालय-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों में अस्पतालों का निर्माण

4219. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को देश के विभिन्न राज्यों में चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों की स्थापना हेतु भवनों का निर्माण करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कॉकपिट और केबिन क्रू को प्रशिक्षण

4220. **श्री एंटो एंटोनी :**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कॉकपिट और केबिन क्रू के प्रशिक्षण पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उनकी सेवाओं में सुधार के मद्देनजर केबिन क्रू और गाऊंड स्टाफ को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय भाषाओं में कॉल सेंटर शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाओं में सुधार करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) एयर इंडिया अपने केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के लिए नियमित आधार पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अतिरिक्त प्रशिक्षण का आयोजन करती है।

(ग) और (घ) जी, हां। एयर इंडिया की अंग्रेजी एवं देशी

भाषाओं में कॉल सेन्टर प्रारंभ करने की योजना है। सरकार ने एयर इंडिया के लिए कायाकल्प तथा वित्तीय पुर्नसरचना योजना का अनुमोदन किया है जिसका उद्देश्य ढांचागत तथा वित्तीय प्रदर्शन में सुधार लाना है।

विदेशों के लिए भर्ती करने वाली एजेंसी

4221. **श्री संजय निरूपम : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेश जाकर काम करने वालों के लिए मुंबई में एक भर्ती एजेंसी स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुंबई में पहले से ही कार्य कर रही विदेशों हेतु भर्ती एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य को वित्तीय, तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने का है और यदि नहीं हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी ऐसी एजेंसियों की स्थापना सुकर बनाने के लिए कोई योजना बनाने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) उत्प्रवास संरक्षी, मुंबई के अधिकार क्षेत्र के अधीन 726 पंजीकृत भर्ती एजेंसियां कार्य कर रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय हज समिति को धमकी

4222. **श्री अब्दुल रहमान : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई स्थित भारतीय हज समिति को हाल में कोई गुमनाम धमकी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से किस प्रकार निपटा गया और भारतीय हज समिति की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय हज समिति, मुम्बई के पास दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को सायं 6:00 बजे से 6:15 बजे के बीच एक गुमनाम धमकी भरी कॉल आई थी, जिसमें कहा गया था कि 1 से 10 अक्तूबर, 2012 के बीच हज हाऊस बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है।

(ग) तत्काल इस मामले की सूचना पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (जोन-I) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), सुरक्षा शाखा, एम.आर.ए. मार्ग, मुम्बई को दी गई। एसीपी तथा डीसीपी ने 1 अक्तूबर, 2012 को हज हाऊस का दौरा किया और उन्होंने भारतीय हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ हज हाऊस बिल्डिंग की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय हज समिति ने पुलिस प्राधिकारियों के सुझावों के अनुसार हज हाऊस बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कीं। भारतीय हज समिति द्वारा सुरक्षा कर्मियों, जिनमें महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं, की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के बाबत किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में हज-2012 के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। हज हाऊस बिल्डिंग के बाहर पुलिस कर्मियों की मदद से हज यात्रियों तथा अतिथियों के लिए अलग से पार्किंग की भी व्यवस्था की गई। हज हाऊस में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जैसीकि 29 सितंबर, 2012 को प्राप्त गुमनाम कॉल में धमकी दी गई थी।

गाद निकालने वाले संयंत्रों का कार्य निष्पादन परीक्षण

4223. **श्री विश्व मोहन कुमार : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित 50 गाद निकालने वाले संयंत्रों के निष्पादन का परीक्षण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं; और

(ग) इन संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास गाद निकालने वाले संयंत्रों का कार्य निष्पादन संबंधी परीक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यू.जी.सी. के उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र में भ्रष्टाचार

4224. श्री एन. कृष्टप्प :
श्री ए. साई प्रताप :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र में व्यापक भ्रष्टाचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों को यू.जी.सी. और उनके मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू में महत्वपूर्ण पदों पर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र (एन.आर.सी.) सहित तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र में अधिक भ्रष्टाचार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, यूजीसी ने हाल ही में एक अधिकारी डॉ. मंजु सिंह को निलंबित किया है जो यूजीसी में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रही थी और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर की गई एक रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की है। यूजीसी के किसी शीर्ष अधिकारी के विरुद्ध इस मंत्रालय के सतर्कता विंग द्वारा कोई रिपोर्ट ने ही की गई है और न ही आरंभ की गई है। यूजीसी एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई है और इसे अपने सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की पूरी शक्तियां प्राप्त है।

(ख) से (घ) यूजीसी द्वारा कार्य की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाती है। मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एडसिल (इंडिया) लिमिटेड ने सूचित किया है कि चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए 19 सेवानिवृत्त अधिकारियों को इसके द्वारा परामर्शक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन परामर्शकों को सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण आदि जैसी सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपनी विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए लगाया गया है।

इम्फाल-मांडले बस सेवा

4225. डॉ. थोकचोम मैन्या : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इम्फाल-मांडले बस सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और म्यांमार दोनों देशों द्वारा यात्रियों को आगमन पर ही वीजा प्रदान करने की सुविधा आरंभ करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) मई, 2012 में प्रधानमंत्री की म्यांमार की राजकीय यात्रा के दौरान जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि दोनों पक्षकार लोगों-का-लोगों के साथ संपर्क को कारगर बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए इम्फाल से मांडले के लिए सीमा-पार बस सेवा प्रारंभ करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने इसके शीघ्र प्रचालन को सहज

बनाने के लिए सभी तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए अपने-अपन पक्ष के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए।

इस संदर्भ में, सितंबर, 2012 में भारत और म्यांमार के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता हुई थी और दोनों पक्षकारों ने, इम्फाल तथा मांडले के बीच यात्री बस सेवा प्रारंभ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन के पाठ को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इस समझौता ज्ञापन के प्रोतोकोल के प्रारूप तथा प्रव्रजन, तौर-तरीके, वीजा प्रक्रिया, सुरक्षा करार से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की थी। इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्षकार उपर्युक्त के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे ताकि बस सेवा के शीघ्र प्रचालन के दृष्टिकोण से नयाचार को अंतिम रूप दिया जा सके।

[हिन्दी]

दस प्रमुख व्यापारिक घरानों और निर्धन लोगों की परिसम्पत्तियों का सर्वेक्षण

4226. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के आय-सोपान में देश के प्रथम दस व्यापारिक घरानों और सबसे नीचे के 20 प्रतिशत लोगों के योगदान के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने 'भारत कैसे अर्जन, व्यय एवं बचत करता है,' नामक शीर्ष से वर्ष 2010 में जारी अपने अध्ययन में प्रकाशित किया है कि वर्ष 2004-05 में सबसे नीचे की 20% आबादी की आय का शेयर कुल आय का 5.2% है, जबकि सबसे उच्च 20% आबादी की आय का शेयर कुल आय का 52.7% है।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. की संख्या

4227. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :**
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के आई.आई.टी., आई.आई.एम. और आई.आई.एस.सी. तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए स्वीकृत पदों की संख्या और वर्तमान में धारित पदों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त शैक्षिक संस्थानों में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व नगण्य है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में सहायक प्रोफेसर तथा लेक्चरर के पद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से इतर अन्य विषयों के लिए सभी संकाय पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्रमश: 15%, 7.5% तथा 27% आरक्षण के कार्यान्वयन को आवश्यक बनाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को निदेश जारी किए हैं। 15% तथा 7.5% के आरक्षण का कोटा संकाय अर्थात सहायका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर की भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के स्तर पर संकाय की सीधी भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय प्रबंध संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के संबंध में संकाय की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के लिए कोटे का कार्यान्वयन विचाराधीन है।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एस सी/एस टी/ओबीसी की कुल संस्वीकृत संख्या तथा पदधारित संख्या निम्नानुसार है:

संस्थान	कुल संस्वीकृत संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी
आईआईटी	5706	64	7	105
आईआईएससी	522	36	14	16
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	16785	731	520	427

(घ) से (च) रिक्तियां होना तथा उन्हें भरना एक सतत् प्रशासनिक गतिविधि है जिसके लिए निर्धारित समय-सीमा नहीं हो सकती है। आरक्षित रिक्तियों सहित सभी रिक्तियां स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. के गैर-शिक्षण पद

4228. **श्री कपिल मुनि करवारिया :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च तकनीकी संस्थानों में गैर-शिक्षण और गैर-तकनीकी श्रेणियों के कर्मचारियों की पद-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार, इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित शिक्षण/गैर-शिक्षण श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां पूरी तरह भर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(च) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र सहित अन्यत्र स्थित उक्त शैक्षिक संस्थानों में इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (च) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूनेस्को को कार्यालय-भवन

4229. **श्री बाल कुमार पटेल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को को नई दिल्ली में कार्यालय-भवन प्रदान करने की जिम्मेवारी सरकार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूनेस्को के लिए भवन-निर्माण हेतु भूमि आबंटित करा ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान में यूनेस्को, नई दिल्ली में किराये के एक भवन से अपने कार्यकलाप संचालित कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक किराए के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। भारत सरकार और यूनेस्को के बीच हस्ताक्षरित मेजबान देश करार के अनुसार भारत सरकार नई दिल्ली में यूनेस्को को कार्यालय भवन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने नई दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु 1, सेन मार्टिन

मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में भूमि आवंटित कराई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इसका निर्माण कार्य सौंपा गया है जो अभी प्रगति पर है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस समय यूनेस्को सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। पिछले दस वर्षों के दौरान यूनेस्को को 6,10,66,667/- रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

इटली के नाविकों की गिरफ्तारी का विरोध

4230. **प्रो. सौगत राय :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटली की फार्मूला-वन फेरारी कार रेसिंग टीम ने भारत में दो इटालियन नाविकों की गिरफ्तारी पर विरोध जताने के उद्देश्य से हाल ही में भारत में आयोजित फार्मूला-वन ग्रां-प्री प्रतिस्पर्धा के दौरान अपनी कारों पर इटली की नौसेना का ध्वज प्रदर्शित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। इटली आस्थानी फार्मूला-वन रेसिंग फेरारी ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2012 को आयोजित फॉर्मूला-वन ग्रांड प्रिक्स के दौरान इतालवी नौसेना का झंडा लगा रखा था। ऐसा समझा जाता है कि दिनांक 26 अक्तूबर, 2012 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में टीम फेरारी ने कहा है कि वह इटली स्थित एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को श्रद्धांजलि दे रहे थे और साथ ही इस उम्मीद के साथ कि इतालवी नौसेना के दो नौ सैनिकों को लेकर मचे बवाल पर भारतीय तथा इतालवी प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र ही कोई समाधान ढूंढ लिया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा "हम समझते हैं कि खेलकूद का उपयोग ऐसे उद्देश्यों, जिनका खेलकूद से कोई लेना देना न हो, के लिए किया जाना निश्चित तौर पर खेल के हित में नहीं है"। युवा मामले तथा खेल मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के आयोजन व फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) को पत्र लिखकर कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कार्यक्रमों को किसी भी प्रकार से राजनीतिक रंग न दिया जाए और भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए। एफएमएससीआई ने फेरारी टीम के साथ चर्चा की और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय को इस बात की पुष्टि की है कि फेरारी टीम भारत सरकार तथा प्राधिकारियों का पूरा सम्मान करती है और उसकी मंशा भारतीय ग्रांड प्रिक्स को किसी भी प्रकार से राजनीतिक रंग देने की कतई नहीं है।

वृद्धजन के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन

4231. **श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वृद्धजन के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी प्रमुख अनुसंधान परियोजना सहायता स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृद्धजन के मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहायता प्रणाली' शीर्षक के तहत एक परियोजना को सहायता प्रदान की है। दो चरणों में से, इस परियोजना का पहला चरण अभी हाल ही में पूरा किया गया है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सम्पर्क

4232. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेपाल के साथ रेल/सड़क-सम्पर्क बढ़ाने के लिए कोई परियोजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ सड़क और रेल सम्पर्कों सहित सीमा आधारभूत ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए नेपाल सरकार की सहायता कर रही है। वर्तमानत:, नेपाल के तराई क्षेत्र में लगभग 605 किलोमीटर लम्बी सड़कों और जोगबनी-बिराट नगर तथा जयनगर-बिजयपुरा-बारदीबास में सीमा के आर-पार दो रेल सम्पर्कों का उन्नयन कार्यान्वित किया जा रहा है। आधारभूत ढांचे के विकास से नेपाल के तराई क्षेत्र के साथ भारत का सम्पर्क बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

सड़कों के लिए सभी निविदाएं जारी कर दी गई हैं और कार्य आरम्भ हो गया है। सड़कों के पूरा होने की समय-सीमा संविदा प्रदान किये जाने की तारीख से तीस महीने होगी। हालांकि, नेपाल सरकार दोनों रेल सम्पर्कों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है और भारतीय क्षेत्र में कार्य चल रहा है। इन रेल सम्पर्कों के पूरा होने की संभावित समय-सीमा तीन वर्ष है।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण

4233. **श्री अनन्त कुमार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण को कम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) उक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

शहरी विस्तार सड़क का निर्माण

4234. **श्री महाबल मिश्रा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) का पश्चिमी दिल्ली में शहरी विस्तार सड़क-2 का निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डी.डी.ए. ने यह आकलन किया है कि उक्त सड़क के निर्माण से सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनका शहरी विस्तार सड़क-2 (यू.ई.आर.-2) का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यू.ई.आर.-2 का मार्गाधिकार 100/80 मीटर है और प्रस्तावित एलायनमेंट वजीराबाद बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 वाया राष्ट्रीय राजमार्ग-1, पश्चिमी यमुना नहर, राष्ट्रीय राजमार्ग-10 और राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से जोड़ता है। एलायनमेंट उन क्षेत्रों से गुजरता है, जिनमें कुछ स्थानों पर कई अनधिकृत कालोनियां बन गई हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि उसके द्वारा प्रभावित परिवारों की गणना करने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। विस्थापित परिवारों की संख्या न्यूनतम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाना है।

[अनुवाद]

विकिरण से मलजल का शोधन

4235. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने विकिरण से मलजल का शोधन करने और इसे जैव-उर्वरक में बदलने की एक प्रौद्योगिकी विकसित की है या करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रौद्योगिकी का किन-किन राज्यों में उपयोग किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने मलजल आपंक का स्वछन गामा किरणन के माध्यम से संसाधन द्वारा करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। गुजरात में बड़ोदरा में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्श संयंत्र भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बड़ोदरा नगर निगम और गुजरात सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, और यह संयंत्र लगभग 15 वर्षो से प्रचालनरत है। विकिरण की सहायता से स्वच्छ किए गए आपंक को आसानी से जैव-उर्वरक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में ऐसे ही एक संयंत्र को स्थापित करने में अपनी रूचि दर्शाई है।

[हिन्दी]

छात्रों को वित्तीय सहायता

4236. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान देश में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विभिन्न श्रेणी के छात्रों की राज्य-वार, श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा छात्रों की यह संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में अ.जा./अ.ज.जा. का अनुपात

4237. **श्री खगेन दास :**
श्री पी. कुमार :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप दूरस्थ शिक्षा हेतु नामांकित छात्रों की संख्या वर्ष 2017 तक 4.6 मिलियन से बढ़कर 6.3 मिलियन हो जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार, अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नामांकन अनुपात क्रमश: केवल 10.2 और 4.4 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 20 प्रतिशत का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में यह स्थिति और भी दयनीय है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के तहत ऐसे अनुदान प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा उपयुक्त घोषित किए गए अपने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को नए भवनों के निर्माण करने, (अकादमिक भवन, पुस्तकालय, प्रशासनिक खंड, स्टाफ क्वार्टर, महिला छात्रावासों आदि) परिसर विकास करने, उपकरण प्राप्त करने, सूचना, संचार और प्रौद्योगिकीय अपेक्षाओं को पूरा करने, छात्र सुविधाएं उपलब्ध कराने और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पहुंच बढ़ाने के लिए अन्य समर्थकारी स्थितियों में सुधार लाने हेतु विकास अनुदान उपलब्ध करा रहा है। सामान्य विकास अनुदानों के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के ब्यौरे, इसकी वार्षिक रिपोर्टों और www.ugc.ac.in में भी उपलब्ध हैं।

(ख) XIवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं में 4.2 मिलियन नामांकन अनुमानित थे। XIIवीं पंचवर्षीय योजना मसौदा दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए 5.2 मिलियन का लक्ष्य है।

(ग) जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा किए गए अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार 18.8% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों में नामांकन अनुपात क्रमश: 10.2% और 4.4% है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बताया कि निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के प्रतिशत के संबंध में कोई पृथक अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ङ) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनु.जाति/अनु.जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए, आयोग विभिन्न उपायों जैसा कि अनु. जाति/अनु. जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग प्रदान करना, समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना करना, अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए अध्येतावृत्ति और दाखिले के समय पात्रता मानकों में छूट देना, आदि को कार्यान्वित कर रहा है।

प्राचीन भाषाओं के लिए निधि

4238. श्री मानिक टैगोर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार प्राचीन तमिल भाषा में शोधपूर्ण कार्यकलापों के लिए प्रतिवर्ष निधि आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु आवंटित और प्रयुक्त निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा उक्त निधि का पूर्णतः उपयोग न करते हुए इसे केन्द्र सरकार को वापस किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निधि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई को उपयुक्त उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के आवंटन और उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	2	3
2009-10	15.00	8.82
2010-11	16.00	10.16
2011-12	16.00	8.22

(ग) और (घ) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई जो केन्द सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, द्वारा शास्त्रीय तमिल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा अप्रयुक्त निधियों को भारत सरकार को लौटाने का प्रश्न नहीं उठता। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन न मिलने के कारण स्थाई भवन का निर्माण आरंभ नहीं हो सकने और न्यायालय के आदेश के कारण नियमित पद भरने में कठिनाई के कारण निधियां अप्रयुक्त रहीं।

संकटापन्न भाषाओं का संरक्षण

4239. श्री तकाम संजय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेषकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में, विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही संकटापन्न भाषाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर भारत सरकार की भाषा नीति तैयार करने, कार्यान्वित करने, भाषा के मामलों में राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देने तथा लुप्तप्राय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की परियोजनाओं/योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में अधिदेशित किया गया है। संस्थान की दो परियोजनाएं हैं नामतः भाषा लुप्तप्रायता के आयाम तथा पूर्वोत्तर की भाषाओं का विकास जो अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु कार्य करती हैं। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा इन दो परियोजनाओं के तहत शामिल की गई भाषाएं हैं - आदि, आओ, अका-कोरा, अपातनी, चिन, देवड़ी, गालो, इदू, खाम्पति, खरम, खोवा, कोयरेंग, मेथेई, तंगसा, तानी, तेदियम, थडोऊ, टत्सो, वाईफेई, वांचो। संस्थान द्वारा इन भाषाओं के लिए शुरू किए गए कार्यों में व्याकरणात्मक विश्लेषण, सचित्र शब्दकोश, शब्दकोश, लोककथाएं, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, स्वर-विज्ञान, प्राईमर, वेब-सामग्री, लिपि इत्यादि शामिल हैं।

एफ.एम. रेडियो के लिए स्पेक्ट्रम

4240. **श्री एम. आनंदन :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के एफ.एम. रेडियो उद्योग ने उसे स्पेक्ट्रम जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या समस्त स्पेक्ट्रम को नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से जारी करने से सरकार को ज्यादा धनराशि प्राप्त होगी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के पास स्पेक्ट्रम की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है और इसे एक ही साथ जारी न किये जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) प्राइवेट रेडिया एफएम उद्योग के एक वर्ग ने, विशेषकर महानगरों में, दो निकटवर्ती एफएम चैनलों, मौजूदा 800 किलोहर्ट्ज से 400 किलोहर्ट्ज के बीच चैनल के पृथक्करण को कम करते हुए एफएम रेडिया चैनलों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। हालांकि, एफएम उद्योग के अन्य वर्गों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की एफएम रेडिया चैनलों के लिए 400 किलोहर्ट्ज तक अंत: चैनलों के अंतराल को कम करने संबंधी सिफारिश प्राप्त हुई है तथा इसे मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इस संबंध में निर्णय लिया जा सके।

(ग) और (घ) प्राइवेट एफएम रेडिया चैनलों के लिए लाइसेंस की नीलामी भारत सरकार को एफएम चरण-III नीति के भाग रूप में की जानी है (294 शहरों में 839 चैनलों के लिए नीलामी की जानी है)। एफएम चरण-III नीति के अंतर्गत इन चैनलों की नीलामी विभिन्न बैचों में करने की बात कही गई है तथा एफएम चरण-III नीति संबंधी ब्यौरा वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

भारतीय विद्यार्थियों को सहायता

4241. **श्री हरि मांझी:**

श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लंदन मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी (एल.एम.यू.) से अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को दाखिल करने हेतु लाइसेंस वापस लेने के बाद सैंकड़ों भारतीय विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि तब लगभग 300 भारतीय छात्र प्रभावित हुए थे जब गैर-यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के संबंध में लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी (एल.एम.यू.) का हाईली ट्रस्टेड स्पांसर सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया था। इस घटना के पश्चात यू.के. में भारतीय उच्चायोग ने मिशन की वेबसाइट पर सलाह जारी की है जिसमें भारतीय छात्रों से सहायता के लिए उच्चायोग से सम्पर्क करने के लिए कहा गया है। भारतीय उच्चायोग ने यह मामला फॉरन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस (एफ.सी.ओ.) के साथ उठाया है जिसमें यू.के. के प्राधिकारियों से भारतीय छात्रों के हितों तथा उनके भविष्य के मद्देनजर मामले के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के एक दल ने इस समाचार के तुरंत पश्चात् डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन एंड सेटलमेंट, यू.के.बी.ए. तथा लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के कुलपति से मुलाकात की तथा उन्हें यह साफ-साफ बताया कि यू.के.बी.ए. के निर्णय का वास्तविक भारतीय छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। दोनों ही बैठकों में उच्चायोग को आश्वासन दिया गया था कि मामले का समाधान करने में वास्तविक भारतीय छात्रों के हितों तथा भविष्य का ध्यान रखा जाएगा।

लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भर्ती करने के उनके लाइसेंस को निरस्त करने के यू.के.बी.ए. के निर्णय के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था। न्यायालय का आरंभिक निर्णय मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के पक्ष में है। हालांकि,

आगे और भी सुनवाइयां होंगी तथा अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। दिनांक 27 सितम्बर को आयोजित बाद की बैठक में यू.के.बी.ए. ने जानकारी दी थी कि वास्तविक भारतीय छात्रों की ओर से उच्चायोग की गम्भीर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यू.के.बी.ए. ने मामले में बहुत सावधानीपूर्वक कार्रवाई की थी तथा कार्यदल की बैठक में सिफारिश की थी कि वास्तविक भारतीय छात्रों को ग्रीष्मकाल की समाप्ति (जून, 2013) अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए। चूंकि, न्यायालय का अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है, इसलिए छात्रों को किसी दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित होने का भी विकल्प दिया गया है तथा इस उद्देश्य से छात्रों की मदद के लिए एक 'क्लियरिंग हाउस' स्थापित किया गया है।

शैक्षणिक अधिकरण

4242. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विवादों के मामले में न्याय-निर्णय हेतु क्या संस्थागत व्यवस्था मौजूद है;

(ख) क्या देश के शैक्षणिक संस्थानों में विवादों के त्वरित समाधान हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक अधिकरणों के मामले में कोई प्रगति हासिल की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शैक्षणिक अधिकरणों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) वर्तमान में, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सभी विवादों पर सक्षम क्षेत्राधिकार के सिविल न्यायालयों अथवा राज्य शैक्षणिक अधिकरणों, जहां कहीं वे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे अधिकरण स्थापित और सशक्त किए गए हैं, द्वारा निर्णय किया जाता है।

(ख) और (ग) शैक्षणिक अधिकरण विधेयक, 2010 लोक सभा में 03 मई, 2010 को पुर:स्थापित किया गया था और 26 अगस्त, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। इसे अभी राज्य सभा से पारित होना है।

(घ) शैक्षणिक अधिकरण विधेयक, 2010 के तहत प्रस्तावित शैक्षणिक अधिकरणों का गठन संसद द्वारा इस विधेयक के पारित होने पर निर्भर है।

[अनुवाद]

आकाश टैबलेट की उपयोगिता

4243. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाश टैबलेट देश के विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाओं और समान आयु समूह के बौद्धिक विकास के भिन्न-भिन्न स्तरों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के अंतर्गत आकाश टैबलेट की उपयोगिता बढ़ाने के लिए, आईआईटी बम्बई, देश के विभिन्न भागों में शिक्षा के भिन्न स्तरों हेतु शैक्षणिक रूप से प्रभावी बहु-भाषी शैक्षिक एप्लीकेशनों का विकास करने के कार्य में लगा है।

एअर इंडिया की उड़ानों का पुनः समय निर्धारित करना

4244. **श्री चार्ल्स डिएस :**
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया की उड़ानों का पुन: समय निर्धारित करने के उदाहरण सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, उड़ान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त उड़ानों को पुन: अपने मौलिक समय पर उड़ाने पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यात्रियों की भारी भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए उड़ानों की फ्रीक्वेंसी को रिवर्स करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) उद्योग की परिपाटी के अनुसार, एअर इंडिया वर्ष में दो बार (ग्रीष्म अनुसूची तथा शीत अनुसूची) अपने प्रचालनों की अनुसूची की घोषणा करता है जो प्रत्येक वर्ष मार्च तथा अक्टूबर के अंतिम शनिवार से प्रभावी होती है। इस अनुसूची की योजना ऐतिहासिक अनुसूची तथा विमानों, कर्मीदल और अन्य दिक्कतों के दृष्टिगत उपलब्ध वर्तमान संसाधनों के आधार पर बनायी जाती है। एअर इंडिया विमानों की संस्था तथा प्रकार की उपलब्धता, मूल स्थान या गंतव्य पर मौसम परिस्थितियों में परिवर्तन तथा इसके परिणाम, वर्तमान लोड फैक्टर आदि में परिवर्तन के कारण अपनी नियोजित अनुसूची में परिवर्तन नहीं कर पाती है। इस समय एअर इंडिया प्रतिदिन लगभग 393 प्रस्थानों को प्रचालित कर रही है और प्रतिदिन लगभग 30-40 अनुसूचियों में परिवर्तन किए जाते हैं और यह परिवर्तन मुख्य रूप से प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर किया जाता है। एअर इंडिया दैनिक आधार पर अपनी उड़ानों को मानीटर करती है तथा अपने प्रचालनों को उपलब्ध संसाधनों तथा बाजार मांगों के अनुसार समायोजित करती है। उड़ानों की बहाली संसाधनों तथा वाणिज्यक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन

4245. **श्री एम. श्रीनिवासुलु** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गुणवत्तायुक्त मानव संसाधनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने समानता और उत्कृष्टता के साथ शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और कई योजनाओं की शुरूआत की है जिनमें सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.), अध्यापक शिक्षा के केन्द्रीय प्रायोजित योजना, 374 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) तथा पॉलीटेक्निक उप-मिशन शामिल हैं।

शिक्षा सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा गुणवततापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार विस्तार, समावेशन और संस्थागत एवं नीतिगत सुधारों के माध्यम से गुणवतता में शीघ्र सुधार तथा सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए समर्थकारी वातावरण के सृजन से इन्हें आगे ले जाना चाहती है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उच्चत्तर शिक्षा के विस्तार, उत्कृष्टता और वृहत्तर सुलभता के लिए कई पहलों की सिफारिश की थी जिनमें विनियमन, प्रत्यायन, अभिशासन, पाठ्यचर्या, अनुसंधान, संकाय विकास, वित्त, परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा सकारात्मक कार्रवाइयां शामिल हैं। सरकार ने उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहले ही विभिन्न विधायी पहलें की हैं जिनमें सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं का अनिवार्य प्रत्यायन भी शामिल है।

सरकार ने 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 7 नए भारतीय प्रबंध संस्थानों, 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित नए उच्चतर अध्ययन संस्थान खोले हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है जैसे संभाव्य उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय, संभाव्य उत्कृष्टता वाले कालेज, विशेष सहायता कार्यक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता, शोध छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के साथ-साथ अपने अकादमिक स्टाफ कालेजों के माध्यम से नवनियुक्त और सेवारत शिक्षकों के लिए प्रबोधन एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम। सरकार ने 4612 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरूआत की

है ताकि किसी भी समय कहीं भी पद्धति से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के सभी विद्यार्थियों के लाभार्थ शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आई.सी.टी की क्षमता का लाभ उठाया जा सके।

बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर

4246. **श्री प्रहलाद जोशी :**
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री कमलेश पासवान :
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री शिवराम गौडा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्यालयों में बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर सामुदायिक सतर्कता समूह अथवा इसके समान निकायों की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जहां ऐसे सतर्कता समूहों की स्थापना की गई है; और

(घ) क्या ये समूह बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में प्रभावी रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरुर) : (क) स्कूल शिक्षा के आंकड़ों (अनंतिम) के अनुसार, वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए सभी श्रेणियों में कक्षा I से X केलिए बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर 2009-10 में 52.00 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 47.90 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए सभी श्रेणियों में कक्षा I से X के लिए बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) से (घ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में स्कूल प्रबंधन समितियों के गठन की व्यवस्था है जिसमें स्थानीय प्राधिकरण के चुने हुए प्रतिनिधि, स्कूलों में दाखिल बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक और अध्यापक शामिल हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् स्कूल प्रबंधन समितियों को स्कूलों के कार्यकारिणी की निगरानी, स्कूल विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना और उचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है। सर्व शिक्षा अभियान स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण का निधियन करता है जिसके मॉड्यूलों में प्रारंभिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति और उन्हें स्कूल में रोके जाने, बालिका शिक्षा के लाभों और स्कूल वातारण को बालक-बालिका संवेदी बनाने को बढ़ावा देने हेतु समुदाय की महिला-पुरुष संवेदनशीलता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में व्यवस्था है कि स्कूल प्रबंधन समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की रिपोर्टों के अनुसार, 2012-13 के लिए गठित स्कूल प्रबंधन समितियों की संख्या के संबंध में राज्यवार (कर्नाटक सहित) अद्यतन स्थिति संलग्न II विवरण पर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय निगरानी समितियां गठित की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नामांकन, पढ़ाई बीच में छोड़ना, अध्ययन उपलब्धियों जैसे परिणामी सूचकों पर उनकी नामांकन, पढ़ाई बीच में छोड़ना, अध्ययन उपलब्धियों जैसे परिणामी सूचकों पर उनकी प्रगति के संबंध में ध्यान देने जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा शामिल है।

प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की पढ़ाई छोड़ने की दर 200-01 में 57.7 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 41.0 प्रतिशत हो गई है। (स्कूल शिक्षा के आंकड़े) (अनंतिम)

विवरण-I

कक्षा I-X की बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर (सभी श्रेणियां)

क्र. सं.	राज्य/संघ का नाम	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.0	46.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.7	61.0
3.	असम	77.8	78.1
4.	बिहार	76.1	58.9
5.	छत्तीसगढ़[1]	-	57.5
6.	गोवा	32.6	26.9
7.	गुजरात	64.4	52.4
8.	हरियाणा	19.5	16.0
9.	हिमाचल प्रदेश	18.9	17.0
10.	जम्मू और कश्मीर	40.6	38.9
11.	झारखण्ड[2]	-	68.1
12.	कर्नाटक	46.3	42.1
13.	केरल	-5.2	-
14.	मध्य प्रदेश	71.3	59.3
15.	महाराष्ट्र	42.6	40.0
16.	मणिपुर	55.7	44.8
17.	मेघालय	76.5	76.7
18.	मिजोरम	60.7	52.3
19.	नागालैंड	74.0	74.4
20.	ओडिशा	65.9	59.7
21.	पंजाब	39.5	30.7
22.	राजस्थान	73.4	69.0
23.	सिक्किम	79.4	67.1
24.	तमिलनाडु	30.3	23.6
25.	त्रिपुरा	62.3	57.5
26.	उत्तर प्रदेश	15.1	14.4
27.	उत्तराखंड[3]	-	41.3
28.	पश्चिम बंगाल	70.7	63.5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.1	23.3
30.	चंडीगढ़	7.9	-
31.	दादरा और नगर हवेली	63.5	58.3
32.	दमन और दीव	29.8	30.2
33.	दिल्ली	9.2	26.3
34.	लक्षद्वीप	22.7	20.3
35.	पुदुचेरी	1.4	1.4
	कुल	52.0	47.9

[1]मध्य प्रदेश में शामिल।

[2]बिहार में शामिल।

[3]उत्तर प्रदेश में शामिल नकारात्मक दर स्कूल में लेटरल प्रवेश अथवा कक्षा दोहराने वाले छात्रों के कारण है। - का अर्थ यह है कि 2010-11 के लिए किसी ने भी पढ़ाई नहीं छोड़ी है।

विवरण-II

गणित एस.एम.सी की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	गठित की गई स्कूल प्रबंधन समितियों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	309
2.	आन्ध्र प्रदेश	79673
3.	अरुणाचल प्रदेश	3071
4.	असम	40708
5.	बिहार	64717
6.	चंडीगढ़	104
7.	छत्तीसगढ़	47394
8.	दादरा और नगर हवेली	271
9.	दमन और दीव	85
10.	दिल्ली	0
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	34116
13.	हरियाणा	14927
14.	हिमाचल प्रदेश	14974
15.	जम्मू और कश्मीर	318.08 (वीईसी)*
16.	झारखंड	39024
17.	कर्नाटक	45200
18.	केरल	12647
19.	लक्षद्वीप	45
20.	महाराष्ट्र	84834
21.	मणिपुर	111891
22.	मेघालय	2762
23.	मिजोरम	12774
24.	मध्य प्रदेश	2354
25.	नागालैंड	2672
26.	ओडिशा	55674
27.	पुदुचेरी	427
28.	पंजाब	19013
29.	राजस्थान	68905
30.	सिक्किम	781
31.	तमिलनाडु	43397
32.	त्रिपुरा	4512
33.	उत्तर प्रदेश	149985
34.	उत्तराखंड	17760
35.	पश्चिम बंगाल	12342
	कुल	987348

*वी.ई.सी - ग्राम शिक्षा समिति

[हिन्दी]

मिड-डे-मील स्कीम

4247. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
श्री अब्दुल रहमान:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल.पी.जी. सिलेंडरों और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण मिड-डे-मील स्कीम (एम.डी.एम.एस.) प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एल.पी.जी. के मूल्यों में वृद्धि के कारण एम.डी.एम.एस. में संभावित लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना के अन्तर्गत अधिक निधियां आवंटित करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपके मंत्रालय ने एम.डी.एम.एस. के लिए राजसहायता प्रदत्त सिलेंडरों की आपूर्ति हेतु मामले को तेल कंपनियों के साथ उठाया है और यदि हां, तो इस पर तेल कंपनियों का प्रत्युत्तर क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूरे देश में सभी विद्यालयों को एल.पी.जी. सिलेंडर मुहैया करवाने के लिए राज्यों से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान समय में कितने प्रतिशत विद्यालयों में एल.पी.जी. कनैक्शन उपलब्ध हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) एल.पी.जी. सिलेंडरों पर सहायिकी (सब्सिडी) हटाए जाने के कारण वर्ष 2012-13 के छह महीनों के लिए मध्याह्न भोजन योजना पर अतिरिक्त भार 752 करोड़ रुपए है। इस मंत्रालय ने अतिरिक्त भार को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से पूरा करने की अनुमति देने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है। इस बीच, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पात्र बच्चों के पोषण को प्रभावित किए बिना मध्याह्न भोजन योजना को अबाधित रूप से कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

(ख) जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सब्सिडी हटाए जाने के कारण एल.पी.जी. सिलेंडरों के लिए अतिरिक्त निधियों हेतु अनुरोध किया है।

(ग) मध्याह्न भोजन योजना के तहत सहायिकी प्राप्त एल.पी.जी. सिलेंडरों की सप्लाई करने के लिए यह मामला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सलाह दी है कि अतिरिक्त भार की प्रतिपूर्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के बजटीय प्रावधान से की जा सकती है।

(घ) और (ङ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्कूलों में भोजन पकाने के लिए गैस का उपयोग करने को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में, 31% स्कूल मध्याह्न भोजन पकाने के लिए एल.पी.जी. का उपयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यर्पण सन्धि

4248. श्री हरिन पाठक :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण सन्धि के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सन्धि को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) 06-07 सितंबर, 2011 को प्रधान मंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान, भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के कानूनी कार्य ढांचे को निष्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्तन संधि को तेजी से संपन्न करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यावर्तन संधि के मुद्दे पर नवंबर, 2011 में गृहसचिव स्तर स्तरीय वार्ता; मई, 2012 में सयुक्त परमर्शी आयोग की बैठक; और फरवरी, 2012 तथा दिसंबर, 2012 में गृह मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान भी चर्चा की गई थी।

खाली दुकानों का आबंटन

4249. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण में अनेक दुकानें काफी लम्बे समय से खाली पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन दुकानों को नि:शक्त व्यक्तियों को आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये दुकानें उन्हें कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का नि:शक्त व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु बड़ी दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) संपदा निदेशालय के नियंत्रण में मोहन सिंह मार्केट, आईएनए और न्यू मोती बाग केन्द्रीय सरकार आवासीय कालोनी, नई दिल्ली में कुल 127 दुकानें खाली पड़ी हैं।

इन 127 दुकानों में से मोहन सिंह मार्किट, आईएनए, नई दिल्ली में 123 दुकानें पुनर्विकास के लिए और न्यू मोती बाग केन्द्रीय सरकार आवासीय कालोनी, नई दिल्ली में 4 दुकानें आबंटन के लिए खाली पड़ी हैं।

(ग) जी, नहीं;

(घ) सरकार की नीति के अनुसार न्यू मोती बाग केन्द्रीय सरकार आवासीय कालोनी, नई दिल्ली में नव निर्मित 4 दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है;

(ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

क्वालीफाइड आई.टी. प्रोफेशनल की कमी

4250. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूचना प्रौद्योगिकी प्रोफेशनल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान में देश में पर्याप्त मात्रा में प्रतिभाएं (संख्या के संदर्भ में) उपलब्ध हैं। 2012 की स्थिति के अनुसार इस उद्योग क्षेत्र में कुल लगभग 2.8 मिलियन का कार्य बल मौजूद है जिसमें औसतन 4 मिलियन स्नातक/परास्नातक लोग शामिल हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

शिक्षण/गैर-शिक्षण स्टाफ को न्यूनतम वेतन

4251. **श्री पी.टी. थॉमस** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों और गैर-शिक्षण स्टाफ के शोषण के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और साथ-साथ सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को इन संस्थाओं में न्यूनतम वेतन प्राप्त हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर) : (क) और (ख) शिक्षा के संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने तथा अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों के राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होने के नाते यह संबंधित राज्य सरकारों पर है कि वे इस मामले में उपयक्त निर्णय लें।

हालांकि, केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के संबंद्धता उपनियमों में कहा है कि "भारतीय स्कूलों में स्टाफ को वेतन एवं देय भत्तों का भुगतान राज्य सरकार के स्कूलों के कर्मचारियों की समकक्ष श्रेणियों से कम नहीं होना चाहिए या भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुरूप होना चाहिए।"

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने संबद्ध स्कूलों को समय-समय पर निदेश देता है कि वे बोर्ड के संबंध उपनियमों का अनुपालन करें। गलती करने वाले स्कूलों के विरुद्ध प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर संबंधन उप नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

शिक्षा को बढ़ावा

4252. **श्री सतपाल महाराज:**
श्री के.डी. देशमुख:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और कितने प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान करने हेतु लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) शिक्षा के उन्नयन के लिए विगत तीन वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों से कुल 13361 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से, 10938 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था और 557 को अस्वीकृत कर दिया गया था। शेष प्रस्ताव या तो राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता के अभाव में या उनके द्वारा भूमि/औद्योगिक भागीदार को अभिचिन्हित किए जाने के अभाव में लंबित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान हेतु विश्व बैंक सहायता

4253. **श्री महेश जोशी:**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री संजय निरुपम:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि अनुसार देश में उन ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गये हैं अथवा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और देश/एजेन्सीवार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न देशों/विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त धनराशि का किस तरह से उपयोग किया गया है;

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित और अब तक हासिल लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) विश्व बैंक के साथ-साथ दो अन्य बाह्य निधीयन एजेंसियों (यू.के. की डी.एफ.आई.डी. और यूरोपियन यूनियन) ने सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के लिए आंशिक रूप से निधियों की व्यवस्था की है। ये निधियां इन बाह्य एजेंसियों से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर प्राप्त की जाती हैं तथा ये एस.एस.ए. के लिए भारत सरकार के बजट 3 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं रही हैं।

एस.एस.ए. के अंतर्गत, इसके प्रारंभ से अब तक 3,04,454 स्कूलों की संस्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से 40,413 स्कूल जनजातीय क्षेत्रों में हैं।

(ख) और (ग) एस.एस.ए. के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अन्य बाह्य निधीयन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों की कुल राशि नीचे दिए गए अनुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विश्व बैंक	यूरोपियन यूनियन	डी.एफ.आई.डी.	कुल
2009-10	1702.99	178.25	372.44	2253.68
2010-11	1141.19	119.84	330.55	1591.58
2011-12	2420.65	-	584.95	3005.60
कुल	5264.83	298.09	1287.94	6850.86

(घ) एस.एस.ए. के कुछ प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है जो 2003-04 में 89.83 से बढ़कर 2010-11 में 118.62 हो गया है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन के हिस्से में वृद्धि हुई है जो 2003-04 में 47.47 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 48.41 प्रतिशत हो गया है।

(ङ) और (च) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एस.एस.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं और ये वार्षिक कार्य योजना तथा बजट के जरिए भारत सरकार को निधियों की अपनी वार्षिक आवश्यकता प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2012-13 के लिए अनुमोदित संस्वीकृतियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 2012-13 के लिए अनुमोदित संस्वीकृतियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2012-13 के लिए अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	474585.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	52182.64
3.	असम	222791.42
4.	बिहार	1061515.52
5.	छत्तीसगढ़	279776.55
6.	गोवा	3531.72
7.	गुजरात	336922.40
8.	हरियाणा	125624.51
9.	हिमाचल प्रदेश	33329.56
10.	जम्मू और कश्मीर	179600.65
11.	झारखंड	252694.15
12.	कर्नाटक	206428.14
13.	केरल	52301.78
14.	मध्य प्रदेश	419687.85
15.	महाराष्ट्र	262658.75
16.	मणिपुर	47543.97
17.	मेघालय	46277.07
18.	मिजोरम	22296.11
19.	नागालैंड	28086.85
20.	ओडिशा	277272.42

1	2	3
21.	पंजाब	106653.10
22.	राजस्थान	399907.77
23.	सिक्किम	6140.98
24.	तमिलनाडु	198824.42
25.	त्रिपुरा	24124.42
26.	उत्तर प्रदेश	1042745.94
27.	उत्तराखंड	56932.74
28.	पश्चिम बंगाल	731931.68
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2928.20
30.	चंडीगढ़	5809.16
31.	दादरा और नगर हवेली	2449.55
32.	दमन और दीव	943.22
33.	दिल्ली	20617.63
34.	लक्षद्वीप	378.27
35.	पुदुचेरी	2035.18

निजी विद्यालयों को निधियां

4254. **डॉ. भोला सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों को निधियां प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार ऐसे निजी विद्यालयों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सभी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और मानकों का अनुपालन करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नई दूरसंचार नीति

4255. **श्री गोपाल सिंह शेखावत:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 बनाई और लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नई नीति के कब तक बनाये/लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 31-5-2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एन.टी.पी.-12) को अनुमोदित किया। एन.टी.पी.-12 के उपबंधों के यथा समय और प्रभावी कार्यान्वयन की सुनिश्चितता के लिए एन.टी.पी.-12 का कार्यान्वयन और समीक्षा तंत्र तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि एन.टी.पी.-12 से संबंधित मंत्रिमंडल नोट में निर्दिष्ट किया गया है; एक वर्ष के भीतर अल्पावधि उद्देश्यों तथा तीन वर्ष के भीतर मध्यमावधि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विस्तृत नीतिगत ढांचे की व्यवस्था की जाएगी।

नई दूरसंचार नीति-12 की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नई दूरसंचार नीति-2012 की मुख्य विशेषताएं

लाइसेंसिंग, अभिसारिता और मूल्यवर्द्धित विशेषताएं

- सभी सेवाओं और सभी क्षेत्रों के लिए **"एक राष्ट्र-एक लाइसेंस"** बनाने का प्रयास करना।

- **"एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी"** का लक्ष्य प्राप्त करना और **"एक राष्ट्र-नि:शुल्क रोमिंग"** की दिशा में कार्य करना।

- प्रौद्योगिकी और सेवा तटस्थ माहौल में अभिसारित सेवाओं को निर्बाध रूप से प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए समयबद्ध रूप में कानूनी, विनियामक और लाइसेसिंग ढांचे को सुनिश्चित करना, इसकी समीक्षा करना अनुकूलतम, समीक्षात्मक और सुसंगत बनाना। अभिसारिता में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-

  - o सेवाओं की अभिसारिता अर्थात् वायस, डाटा विडियो, इंटरनेट टेलीफोनी (वी.ओ.आई.पी.), मूल्यवर्द्धित सेवाओं और ब्राडकास्टिंग सेवाओं की अभिसारिता।

  - o नेटवर्कों की अभिसारिता अर्थात् अभिगम नेटवर्क, कैरिज नेटवर्क (एन.एल.डी./आई.एस.डी.) और ब्राडकास्ट नेटवर्क की अभिसारिता।

  - o डिवाइसों की अभिसारिता अर्थात्-टेलीफोन, पर्सनल कम्प्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, सेट टॉप बाक्स और अन्य कनेक्टिड डिवाइस।

- अभिसारिता, स्पेक्ट्रम उदारीकरण के वर्तमान लाभों का उपयोग करते हुए तथा प्रचालकों के लिए सक्रिय और निष्क्रय अवसंरचना को साझा करने की व्यवस्था करके अपने नेटवर्कों और स्पेक्ट्रम का ईष्टतम और कुशलपूर्वक उपयोग करने में उन्हें सक्षम बनाते हुए **अंतिम प्रयोक्ताओं को सेवाओं की सुपूर्दगी से नेटवर्कों की लाइसेंसिंग की डिलिंकिंग** को सुकर बनाने के लिए **एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना**। इससे सेवा की गुणवत्ता, अनुकूल निवेश में बढ़ोतरी होगी तथा डिजिटल डिवाइड के मुद्दों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। यह नई लाइसेंसिंग व्यवस्था पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करते हुए सेवा के समान अवसरों की आवश्यकता, रॉलआउट दायित्वों, विलयन और अधिप्रापण से संबंधित नीति, आई.पी. स्तर पर इंटरकनेक्शन सहित गैर-भेदभावपूर्ण इंटरकनेक्शन आदि का समाधान करेगी।

- पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करते हुए दूरसंचार सेवा क्षेत्र में सरलीकृत विलयन और अधिप्रापण व्यवस्था स्थापित करना।

- प्रस्तावित लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत थोक और खुदरा दोनों में **सेवा स्तर पर पुनर्विक्रय को सुकर** बनाना उदाहरणार्थ वास्तविक प्रचालकों की शुरुआत के द्वारा सुरक्षा और अन्य लाइसेंस संबंधी दायित्वों के यथा अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए अंतिम उपभोक्ता के स्तर पर प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता को सुसंगत बनाना।

- **सभी भावी लाइसेंसों के संबंध में स्पेक्ट्रम को डिलिंक** करना। स्पेक्ट्रम बाजार संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से एक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगा।

- ट्राई के परामर्श से नए लाइसेंसिंग ढांचे, मौजूदा लाइसेंसधारकों को नए ढांचे में अंतरित करने, एग्जिट नीति, पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की सुनिश्चितता के लिए उपाय करने आदि के संबंध में **उपयुक्त नीतियों का निर्माण** करना।

- **स्थानीय केबल टी.वी. नेटवर्क पोस्ट डिजिटलाइजेशन की अभिसारिता** को सुकर बनाना।

- वहनीय कीमत पर **वी.ए.एस. की सुपुर्दगी के लिए उपयुक्त विनियामक** ढांचा प्रस्तुत करना ताकि उद्यमशीलता में वृद्धि, नवाचार और क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्र विशिष्ट सामग्री प्रदान करने को बढ़ावा दिया जा सके।

- **कैरिज प्रभारों को विनियमित** करने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करना, जो कि **सामग्री तटस्थ और बैण्डविड्थ उपयोग पर आधारित हो**। इससे मोबाइल प्लेटफार्म पर डाटा और सूचना प्रदान करने जैसी गैर मूल्यवर्द्धित सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

- **मोबाइल फोन को मात्र एक संचार यंत्र न मानते हुए इसे अधिकारिता के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हुए प्रस्तुत करना** जिसमें संचार की सुविधा के साथ-साथ पहचान का प्रमाण, पूर्ण रूप से सुरक्षित वित्तीय एवं अन्य लेन-देन क्षमता, बहु-भाषी सुविधाएं और अन्य विशेषताएं होंगी जिसके लिए साक्षरता कोई बाधा नहीं होगी।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन

- बाजार संबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता और इसके आवंटन को सुनिश्चित करना। **आई.एम.टी. सेवाओं के लिए वर्ष 2017 तक 300 अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज और वर्ष 2020 तक 200 और अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज उपलब्ध कराना।**

- स्पेक्ट्रम के उदारीकरण की दिशा में शीघ्रतापूर्वक कार्य करना ताकि किसी भी प्रौद्योगिकी में कोई भी सेवा प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग किसी भी बैण्ड में किया जा सके तथा साथ ही उपयुक्त विनियामक ढांचे के माध्यम से स्पेक्ट्रम के ईष्टतम उपयोग को सक्षम बनाने के लिए **स्पेक्ट्रम पूलिंग, शेयरिंग** और बाद में, **ट्रेडिंग** की अनुमति प्रदान की जा सके।

- स्पेक्ट्रम उपयोग की **नियमित जांच** की व्यवस्था करते हुए स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।

- स्पेक्ट्रम रिफार्म करने तथा दूरसंचार अनुप्रयोगों के लिए नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर सेवा प्रदाताओं को वैकल्पिक फ्रिक्वेंसी बैण्डों अथवा मीडिया का आवंटन करना।

- प्रत्येक 5 वर्ष में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के लिए एक **रोडमैप तैयार करना।**

ब्राडबैण्ड और ग्रामीण टेलीफोनी

- **वर्तमान ग्रामीण टेलीघनत्व लगभग 39 प्रतिशत को बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 70 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत करना।**

- शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के रूप में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार को पहचान देना तथा **"राइट टू ब्राडबैण्ड"** की दिशा में कार्य करना।

- वर्ष 2015 तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना तथा **वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबेंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करना और वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2 एम.बी.पी.एस. डाउनलोड स्पीड से 600 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना एवं मांग पर कम से कम 100 एम.बी.पी.एस. की उच्चतर गति उपलब्ध कराना।**

- **प्रौद्योगिकियों के सम्मिश्रण के माध्यम से वर्ष 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों में और वर्ष 2020 तक सभी गांवों और आबादी वाले स्थानों पर उत्तरोत्तर रूप से उच्च गति और उच्च गुणवत्ता की ब्रॉडबैंड अभिगम्यता उपलब्ध कराना।**

अनुसंधान एवं विकास, दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण एवं मानकीकरण

- डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, आई.पी.आर. सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण के लिए ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना अर्थात **वर्ष 2017 और वर्ष 2020 तक क्रमशः 45% और 65% मूल्य वर्द्धन के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की 60% और 80% मांग को पूरा करने** के लिए दूरसंचार उपस्कर के घरेलू उत्पादन के लिए समग्र मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना।

- **12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान और विकास, आई.पी.आर. सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण एवं विनियोजन हेतु समग्र निधि बनाना।**

- सुरक्षा आवश्यकताओं सहित राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सरकार, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, सेवा प्रदाताओं एवं शिक्षण संस्थानों की प्रबल सहभागिता से एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में **दूरसंचार मानक विकास संगठन (टी.एस.डी.ओ.) की संस्थापना** को प्रोत्साहन प्रदान करना। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठनों में सभी स्टेकहोल्डरों के लिए अभिगम सुगम होगा और यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भारतीय अपेक्षा/आई.पी.आर./मानकों को शामिल करने की तैयारी करने के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा।

- उन दूरसंचार उत्पादों के प्रापण में जिनका, देश की सुरक्षा के लिए सरोकार है, और सरकारी प्रापण में स्वयं के प्रयोग के लिए सरोकार है, विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप स्वदेश में ही निर्मित दूरसंचार उत्पादों को **वरीयता देना।**

दूरसंचार अवसंरचना/रॉ मुद्दे, हरित दूरसंचार, क्लियर स्काईलाईन, आपदाओं और आपातकाल के दौरान अल्पीकरण प्रयास

- **वायरलाईन और वायरलैस दोनों के लिए अवसंरचना सेक्टर के रूप में दूरसंचार को पहचान** देने की दिशा में कार्य करना और विकास के लिए आई.सी.टी. की वास्तविक संभावनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अवसंरचना क्षेत्र के उपलब्ध लाभों का दूरसंचार क्षेत्र में विस्तार करना।

- सभी स्टेकधारकों-सरकार, दूरसंचार उद्योग और हरित दूरसंचार के उपभोक्ता की सक्रिय साझेदारी के माध्यम से दूरसंचार नेटवर्क को शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों (नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों) के उपयोग को बढ़ावा देना। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) और अन्य स्टेकधारकों के परामर्श से सेक्टर विशिष्ट स्कीमों और हरित प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता हित की सुरक्षा

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित निष्पादन मानकों और सेवा की गुणवत्ता (क्यू.ओ.एस.) संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सुनिश्चिता के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

- पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ता प्रापण से संबंधी सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए **विक्रय और विपणन संचार के लिए आचार संहिता** का निर्माण करना।

- दूरसंचार उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित **उपभोक्ता मंच के क्षेत्राधिकार के तहत** लाने के लिए **विधायी उपायों को अपनाना।**

सुरक्षा

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरसंचार नेटवर्क में **सेफ-टु-कनेक्ट** उपकरणों को इस्तेमाल किया जाए और सेवा प्रदाता, नेटवर्क की और इसमें प्रवाहित/एकत्र होने वाले डाटा/सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय करें, विनियामक उपायों के माध्यम से एक संस्थागत ढांचे का सृजन करना।

- तेजी से असुरक्षित होते संतांत्रिक (साइबर स्पेस) में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विशिष्ट रूप से निर्धारित किए गए मानकों को अपनाते हुए देशी रूप से डिजाइन की गई चिप के साथ देशी रूप से निर्मित मल्टी-फंक्शनल सिम कार्डों को जटिल माना गया है। इस प्रयोजनार्थ और अन्य प्रयोजनों के लिए वेफर-फेब से आरंभ करते हुए संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स इको-पद्धति को बनाया जाना आवश्यक है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण नीति-परक उद्देश्य और परिणाम के रूप में देखा जाता है।

कौशल विकास और सार्वजनिक क्षेत्र

- क्षेत्र की संगत आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए **राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद और उद्योग के साथ भागीदारी से विभिन्न दक्षता और विशेषज्ञता स्तरों पर जनशक्ति की अपेक्षाओं का मूल्यांकन** करना और एक तरीका तैयार करना।

क्लाउड सेवाएं

- इस बात की पहचान करना कि क्लाउड कंप्यूटिंग से सेवाओं को प्रदान करने और इनके रॉलआऊट, सामाजिक नेटवर्किंग और भागीदारी आधारित गवर्नेंस व ई-कॉमर्स की सक्षमता में इस पैमाने पर महत्वपूर्ण ढंग से तेजी मिलेगी जो कि प्रौद्योगिकी के परंपरागत समाधानों से संभव न होती।

- सेवा की सुपुर्दगी की लागत को कम करने के लिए आवश्यक रूप से उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों सहित क्लाउड प्रयोक्ताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के सरोकारों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों पर नई

सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का तीव्र विस्तार सुनिश्चित करने के लिए नई नीतिगत पहल को अपनाना।

दूरसंचार उद्यम सेवाएं डाटा उपयोग नई प्रौद्योगिकियां एवं आई.पी.वी.6 अनुवर्ती नेटवर्क्स

- वहनीय अभिगम्यता और दक्ष सेवा सुपुर्दगी के माध्यम से जन कल्याण और ग्राहकों के लिए विकल्पों में और अधिक वृद्धि को बढ़ावा देने में नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाना। सेवा के नए प्रारूपों जैसे कि **मशीन-टू-मशीन (एम 2 एम) संचार** (अर्थात् रीमोट से चलने वाले सिंचाई पंप, स्मार्ट ग्रिड इत्यादि) के आगमन से अवसरों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, विशेषकर इनका रॉल-आऊट और अधिक व्यापक हो गया है।

- नए प्रोटोकॉल पर नई आई.पी. आधारित सेवाओं की पेशकश की शुरुआत करने और सभी स्टेकहोल्डरों के भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नए और नवाचारी आई.पी.वी.6 आधारित अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नए इंटरनेट प्रोटोकॉल आई.पी.वी.6 के महत्व को स्वीकार करना।

दूरसंचार क्षेत्र का वित्तपोषण

- दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने के लिए दूरसंचार की परियोजनाओं के वित्तपोषण को गतिमान करने और इसे दिशा देने के लिए **दूरसंचार वित्त निगम** को एक विशेष प्रयोजन के साधन के रूप में सृजित करना।

- क्षेत्र को प्रभावित करने वाले करों और उगाहियों को युक्तिसंगत बनाना तथा निवेशों को उत्प्रेरित करने और सेवाओं को और अधिक वहनीय बनाने के लिए स्थिर राजकोषीय व्यवस्था प्रदान करने की ओर कार्य करना।

विनियामक की भूमिका, विधान में परिवर्तन

- ट्राई के कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विनियामक अपर्याप्ताओं/बाधाओं को दूर करने के विचार से ट्राई अधिनियम की समीक्षा करना।

- भारतीय तार अधिनियम और इसके नियमों तथा अन्य संबद्ध कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा करना ताकि इन्हें उपर्युक्त नीतिगत उद्देश्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्यार्थ इनके अनुरूप बनाया जा सके।

नीति का प्रचालनीकरण

- सेवा के समान अवसर के साथ एक एकीकृत उदारीकृत माहौल वाली नई व्यवस्था में मौजूदा सेवा प्रदाताओं को तत्काल माइग्रेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सुकर उपाय करना।

- समय-समय पर यथा उपयुक्त प्रतीत होने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों के द्वारा नीति का प्रचालन किया जाएगा।

तकनीकी संस्थाओं की स्थापना में विदेशी सहयोग

4256. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जर्मनी सहित अन्य देशों के सहयोग से राज्यों में कुछ तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्य-वार और स्थान-वार किन-किन राज्यों का इन तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हेतु चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, पांच भारतीय तकनीकी संस्थानों को विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से तकनीकी कार्यक्रम शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बीच भागीदारी और सहयोग के अधीन स्थापित संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय V द्वारा प्रावधान के अनुसार अभिशासित होते हैं। कथित पुस्तिका उनकी वेबसाइट www.aicte-india.org. पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

युटीलिटी मैपिंग

4257. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में छोटे शहरों में युटीलिटी मैपिंग आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने 152 शहरों के विस्तृत नक्शे तैयार करने के लिए पहले से ही एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन शहरों को शामिल किया गया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को अनुदेश जारी किए हैं कि ताकि वे एक शहर के लिए अलग-थलग ढांचा तैयार करने की बजाए क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करें; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) जी हां। शहरी विकास मंत्रालय ने केन्द्र और राज्य के 75:25 अंशदान से और 66.28 करोड़ रुपए की लागत से देश में 152 कस्बों/शहरों के लिए दो स्केलों अर्थात दूरस्थ संवेदी सैटेलाइट प्रतिबिम्बों का उपयोग कर 1:10000 और ऐरियल फोटोग्राफी का उपयोग कर 1:2000 और 22 कस्बों के लिए उपयोग मेपिंग हेतु 1:1000 स्केल पर जीआईएस डाटाबेस विकसित करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (मार्च, 2006) के दौरान राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) शुरू की है।

(घ) कस्बों जिनके लिए मैपिंग चल रही है, के नाम की सूची सलग्न विवरण पर दी गई है।

(ङ) जी नहीं क्योंकि योजना और विकास राज्य का विषय है।

(च) लागू नहीं।

विवरण

एनयूआईएस योजना के तहत शहरों की सूची (एनयूआईएस 152 योजना के तहत शामिल शहरों की कुल संख्या)

क्र.सं.	कस्बा	राज्य
1	2	3
1.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2.	आदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश
3.	धर्मावरम	आन्ध्र प्रदेश
4.	मदनापल्ले	आन्ध्र प्रदेश
5.	नलगोंडा	आन्ध्र प्रदेश
6.	श्रीकाकुलम	आन्ध्र प्रदेश
7.	ताडेपलीगुडम	आन्ध्र प्रदेश
8.	अलोंग	अरुणाचल प्रदेश
9.	डापोरिजो	अरुणाचल प्रदेश
10.	डिब्रूगढ़	असम
11.	नगांव	असम
12.	सिलचर	असम
13.	तेज़पुर	असम
14.	तिनसुकिया	असम
15.	आरा	बिहार

1	2	3
16.	भागलपुर	बिहार
17.	दरभंगा	बिहार
18.	मुज़फ्फरपुर	बिहार
19.	पटना	बिहार
20.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
21.	भिलाई नगर	छत्तीसगढ़
22.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़
23.	दुर्ग	छत्तीसगढ़
24.	कोरबा	छत्तीसगढ़
25.	रायपुर	छत्तीसगढ़
26.	सिल्वासा	दादरा और नगर हवेली
27.	दमन	दमन और दीव
28.	कुनकोलिम	गोवा
29.	चरचोरेम कोकरा	गोवा
30.	मापूसा	गोवा
31.	मार्गो	गोवा
32.	मोरमुगा	गोवा
33.	भावनगर	गुजरात
34.	जामनगर	गुजरात
35.	नाडियाड	गुजरात
36.	राजकोट	गुजरात
37.	सूरत	गुजरात
38.	वडोदरा	गुजरात
39.	फरीदाबाद	हरियाणा

1	2	3
40.	हिसार	हरियाणा
41.	करनाल	हरियाणा
42.	पानीपत	हरियाणा
43.	रोहतक	हरियाणा
44.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
45.	मंडी	हिमाचल प्रदेश
46.	नाहन	हिमाचल प्रदेश
47.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
48.	सोलन	हिमाचल प्रदेश
49.	अनंतनाग	जम्मू और कश्मीर
50.	बारामूला	जम्मू और कश्मीर
51.	सोपोर	जम्मू और कश्मीर
52.	अचावल	जम्मू और कश्मीर
53.	अखनूर	जम्मू और कश्मीर
54.	बांदीपुर	जम्मू और कश्मीर
55.	वीरवाह	जम्मू और कश्मीर
56.	वीजेराह	जम्मू और कश्मीर
57.	बदगम	जम्मू और कश्मीर
58.	दशनेक	जम्मू और कश्मीर
59.	गंदेरबल	जम्मू और कश्मीर
60.	किस्तवार	जम्मू और कश्मीर
61.	कोकरागड़	जम्मू और कश्मीर
62.	कुलगाम	जम्मू और कश्मीर
63.	पूंछ	जम्मू और कश्मीर

1	2	3
64.	काजीगुंड	जम्मू और कश्मीर
65.	राजौरी	जम्मू और कश्मीर
66.	रामबन	जम्मू और कश्मीर
67.	साम्बा	जम्मू और कश्मीर
68.	सोपेन	जम्मू और कश्मीर
69.	त्राल	जम्मू और कश्मीर
70.	ऊधमपुर	जम्मू और कश्मीर
71.	उरी	जम्मू और कश्मीर
72.	विजयपुर	जम्मू और कश्मीर
73.	बोकारो स्टील सिटी	झारखंड
74.	धनबाद	झारखंड
75.	जमशेदपुर	झारखंड
76.	आम	झारखंड
77.	रांची	झारखंड
78.	बेलैरी	कर्नाटक
79.	बिदार	कर्नाटक
80.	बीजापुर	कर्नाटक
81.	दावनगेर - हरिहर	कर्नाटक
82.	कोलार	कर्नाटक
83.	रायचूर	कर्नाटक
84.	अलप्पुजा	केरल
85.	कोल्लम	केरल
86.	कोझिकोड	केरल
87.	पलक्कड़	केरल
88.	थ्रिस्सुर	केरल
89.	कवारती	लक्षद्वीप
90.	देवास	मध्य प्रदेश
91.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
92.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
93.	सागर	मध्य प्रदेश
94.	सतना	मध्य प्रदेश
95.	उज्जैन	मध्य प्रदेश
96.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
97.	भिवंडी	महाराष्ट्र
98.	नासिक	महाराष्ट्र
99.	पिम्परी चिंचवड	महाराष्ट्र
100.	पुणे	महाराष्ट्र
101.	ठाणे	महाराष्ट्र
102.	इम्फाल	मणिपुर
103.	काकचिंग	मणिपुर
104.	जोवई	मेघालय
105.	तूरा	मेघालय
106.	चमपिंग	मिजोरम
107.	लुंगलेई	मिजोरम
108.	दीमापुर	नागालैंड
109.	मोकोकचुंग	नागालैंड

1	2	3
110.	बालेश्वर	ओडिशा
111.	बारीपदा	ओडिशा
112.	ब्रह्मपुत्र	ओडिशा
113.	कटक	ओडिशा
114.	रुवरकेला	ओडिशा
115.	सम्बलपुर	ओडिशा
116.	करिकल	पुदुचेरी
117.	अमृतसर	पंजाब
118.	भटिंडा	पंजाब
119.	जालंधर	पंजाब
120.	लुधियाना	पंजाब
121.	पठानकोट	पंजाब
122.	पटियाला	पंजाब
123.	बांदीकुई	राजस्थान
124.	बिजयनगर - गुलाबपुरा	राजस्थान
125.	डूंगरपूर	राजस्थान
126.	करौली	राजस्थान
127.	मकराना	राजस्थान
128.	सवाई माधोपुर	राजस्थान
129.	रंगपो	सिक्किम
130.	सिंगाम	सिक्किम
131.	नामची	सिक्किम
132.	जोराथन - नया बाजार	सिक्किम
133.	गयजिंग - पेलिंग	सिक्किम
134.	मंगन	सिक्किम
135.	पैकोन	सिक्किम
136.	रंगोली	सिक्किम
137.	सोरंग	सिक्किम
138.	रवंगला	सिक्किम
139.	धर्मनगर	त्रिपुरा
140.	राधाकिशोरपुर (उदयपुर)	त्रिपुरा
141.	कैलाशहर	त्रिपुरा
142.	खवरी	त्रिपुरा
143.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
144.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
145.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
146.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
147.	मेरठ	उत्तर प्रदेश
148.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
149.	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
150.	कुल्टी	पश्चिम बंगाल
151.	बर्दवान	पश्चिम बंगाल
152.	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल

विमानपत्तनों पर भीड़भाड़ और देरी

4258. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री संजय धोत्रे :

प्रो. सौगत राय :

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

श्री सी. राजेन्द्रन :

श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों सहित देश में प्रमुख विमानपततनों पर प्रतिदिन अलग-अलग कितनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित किया जा रहा है;

(ख) इन विमानपत्तनों पर विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान भीड़भाड़ और देरी के क्या कारण हैं और उड़ानों के आगमन/प्रस्थान को अधिशासित करने वाले विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानपत्तन-वार, विभिन्न विमानपत्तनों पर कोहरे के कारण उड़ानों में देरी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस वर्ष कोहरे की समस्या से निपटने के लिए उत्तरी भारत में दिल्ली और अन्य विमानपत्तनों पर संस्थापित सीएटी-III उपकरण के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी समीक्षा के क्या परिणाम निकले हैं और सीएटी-III उपकरण को अपनाने के लिए पायलटों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की स्थिति क्या है; और

(च) देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर भीड़भाड़ और देरी की समस्या को कम करने के लिए सरकार/डीजीसीए द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) देश के प्रमुख हवाईअड्डों, नामतः दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहटी, पुणे, त्रिवेंन्द्रम, गोवा, जयपुर, लखनऊ, कालीकट तथा श्रीनगर में (अप्रैल से अक्टूबर) 2012 के दौरान प्रतिदिन हैंडिल की गई उड़ानों की औसत संख्या क्रमशः 779, 665, 322, 285, 263, 250, 105, 77 .77, 68, 66, 52, 51, 45 और 44 थीं।

(ख) देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर व्यस्ततम समय के दौरान ये न्यूनतम भीड़भाड़ तथा विलंब होता है। निम्नलिखित कारणों की वजह से कभी-कभी उड़ानों में विलंब हुआ है: (i) एयरलाइनों द्वारा अपने प्रचालनिक, वाणिज्यिक अथवा तकनीकी करणों के कारण अपने शिड्यूल का अनुपालन करने मे असमर्थ होने के कारण कई उड़ानों का इकट्ठा हो जाना: (ii) मौसम संबंधी घटना यथा कोहरा तथा आंधी तूफान, धूल भरी आंधी (iii) कभी कभी पर लैडिंग, आकस्मिक लैंडिंग आदि के कारण उड़ानों में विलंब होता है।

(ग) भारतीय विमानत्तन प्राधिकरण द्वारा आईजीआई हवाईअड्डा दिल्ली के रनवे 28, 29 था 11 पर केट-III उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) लगाई गई है। जयपुर, लखनऊ तथा अमृतसर हवाईअड्डों , जहां पर कोहरे तथा कम दृश्यता की घटना नोटिस में आई है वहां एआई ने केट-II आईएलएस लगाया है। अन्य हवाईअड्डों पर एएआई ने केट-I आईएलएस प्रणाली लगाई है।

दिनांक 07.11.2012 को सभी संबंधित एंजेंसियों द्वारा की गई तैयारी की समीक्षा करने के लिए एक बैठक भी आयोजित की गई थी और वैमानिक सूचना परिपत्र 11/2009 में निहित निर्देशों के अनुसार आईजीआई हवाईअड्डों पर कम दृश्यता के दौरान स्टेक होल्डरों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को दोहराया गया।

(घ) और (ङ) आवधिक जांचें यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं कि इन उपकरणों का कार्यनिष्पादन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और इन आईएलएस का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

01-12-2012 को केट-II/ केट-III ए/III बी प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित भारतीय पायलटों की वर्तमान स्थिति अनुबंध-क पर उपलब्ध है।

(च) हवाईअड्डों पर भीड़भाड़ तथा विलंबों में कमी करने के लिए अतिरिक्त रेडार, ऑटोमेटिक डिपेन्डट सरविलेंस ब्रॉडकास्ट (एडीएस-बी) प्रणाली, एडवांस्ड सर्फेस मूवमेंट और नियंत्रण प्रणाली तथा उपग्रह आधारित नौ संचालन (गगन) तथा हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन (एटीएफएम) को लागू किया गया है/किया जा रहा है।

विवरण

01.12.2012 को केट-II/केट-III ए-III बी प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित भारतीय पायलटों की वर्तमान स्थिति

अनुसूचित एयरलाइन	विमान का प्रकार	आईएलएस केट-II		आईएलएस केट-IIIक		आईएलएस केट-IIIख	
		पी1	पी2	पी1	पी2	पी1	पी2
एयर इंडिया (आई)	ए-320	13	02	-	-	260	260
	ए-330	-	-	-	-	16	09
एअर इंडिया (ए)	बी 747-400	-	-	-	-	15	07
	बी 777	-	-	-	-	109	106
	बी 787	-	-	-	-	-	-
एलायंस एयर	सीआरजे-700	-	-	-	-	-	-
गो एयर	ए-320	-	-	-	-	61	40
ब्ल्यू डार्ट	बी-757-200	-	-	-	-	16	07
	बी-737-200	-	-	-	-	Nil	Nil
किंगफिशर	ए-320	-	-	1	2	28	54
जेट एयरवेज	बी-737	13	20	159	107	-	-
	ए-330	-	-	-	-	77	67
	बी-777	-	-	-	-	44	32
	एटीआर	-	-	-	-	0	0
जेटलाइट	बी-737	89	85	89	85	-	-
इंडीगो	ए-320	-	-	-	-	252	170
स्पाइस जेट	बी-737 800/900	9	4	96	71	-	-

डिलीवरी मानीटरिंग यूनिट

4259. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में स्थापित डिलीवरी मानीटरिंग द्वारा यूनिट फ्लैगशिप कार्यक्रमों/आईकोनिक परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस यूनिट द्वारा समीक्षा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में, कार्यक्रम-वार क्या टिप्पणियां की गई हैं; और

(ग) संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री कार्यालय में गठित डिलीवरी मॉनीटरिंग यूनिट (डीएमयू) का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित मंत्रालयों द्वारा उल्लखित आउटपुट को लगातार मॉनीटर कर चुनिंदा कार्यक्रमों की डिलीवरी को प्रभावी बनाया जाए। यह यूनिट जिन कार्यक्रमों/पहलों/आदर्श परियोजनाओं की समीक्षा कर रहा है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। कार्यक्रमों का मॉनीटरण एक सतत प्रक्रिया है था किसी भी प्रकार की कमी/विलम्ब से संबंधित मंत्रालय/विभाग को अवगत कराया जाता है। मंत्रालय से अपेक्षित है कि वे उन पर कार्रवाई करें था अपनी वेबसाइट पर प्रगति की अद्यतन स्थिति को दर्शाएं।

डीएमयू यह भी सुनिश्चित करता है कि इसके द्वारा जिन फ्लैगशिप कार्यक्रमों/पहलों/आदर्श परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है, संबंधित मंत्रालय द्वारा उसके संबंध में सूचनाएं, जिस हद तक संभव हो, सार्वजनिक कर दी जाएं। तदनुसार, संबंधित मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपनी वेबसाइट के होमपेज पर डीएमयू रिपोर्ट की हाइपरलिंक बनाकर तिमाही आधार पर डीएमयू रिपोर्ट डालें। तदनुसार, संबंधित मंत्रालयों ने अपनी वेबसाइटों पर डीएमयू रिपोर्ट डाल दी है। कार्यक्रमों/पहलों/आदर्श परियोजनाओं के कार्यान्वयन था उनके समुचित मॉनीटरण और अनुवर्ती कार्रवाई का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित मंत्रालयों/विभागों का है। तदनुसार, चिन्हित कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदमों की ताज़ा स्थिति संबंधित मंत्रालयों के पास उपलब्ध है।

विवरण

फ्लैगशिप कार्यक्रमों/पहलों/आदर्श परियोजनाओं की सूची

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
3. सर्वशिक्षा अभियान
4. भारत निर्माण
5. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन
6. राजीव आवास योजना
7. अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों के लिए बहुक्षेत्रक ज़िला योजनाएं
8. राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन (साक्षर भारत के संदर्भ में)
9. सार्वजनिक उत्तरदायित्व का सुदृढ़ीकरण (सूचना का अधिकार/सार्वजनिक डेटा नीति/श्रम, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा तथा अवसंरचना/एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना)
10. जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास
12. समर्पित रेलवे माल ढुलाई गलियारा
13. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा
14. नवप्रवर्तन विश्वविद्याय-नवप्रवर्तन का दशक
15. भू-पत्तन विकास
16. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना
17. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद् की स्थापना
18. असम गैस क्रेकर परियोजना

[हिन्दी]

मोबाइल सिग्नल गायब हो जाना

4260. श्री जगदानंद सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित दूरसंचार सर्किल के बाहर की जाने वाली और प्राप्त होने वाली कॉलों के लिए रोमिंग प्रभार देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में एक टेलीकॉम सर्किल से दूसरे टेलीकॉम सर्किल में मोबाइल सिग्नल गायब होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को रोमिंग प्रभार देना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मोबाइल सिग्नल गायब होने और उपभोक्ताओं द्वारा रोमिंग प्रभार के रूप में अतिरिक्त राशि के भुगतान पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 44वें संशोधन की मार्फत, राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए प्रशुल्क की अधिकतम सीमा विनिर्धारित की है जिसका ब्यौरा निम्नवत है:-

आउटगोइंग स्थानीय कॉल	- 1.40 रुपए प्रति मिनट
आउटगोइंग एस.टी.डी.	- 2.40 रुपए प्रति मिनट
इनकमिंग कॉल	- 1.75 रुपए प्रति मिनट
रोमिंग हेतु मासिक अभिगम प्रभार	- शून्य

(ग) से (ङ) वर्ष 2007 में दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ में एक मामला सूचित किया गया है जिसमें अन्य दूरसंचार सर्किलों से मोबाइल सिग्नल के स्पिलेज से उपभोक्ताओं पर रोमिंग प्रभार पड़ा है। इस मामले को संबंधित सेवा प्रदाता के साथ उठाया गया और उक्त सिग्नल को संबंधित लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल.एस.ए.) की सीमा में सीमित किया गया।

साथ ही, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा कुछ सेवा क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ घटनाएं नोटिस की गई हैं। बी.एस.एन.एल. ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. गृह सर्किल सीमावर्ती क्षेत्रों में बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) विकिरण क्षमता को बढ़ाया गया है ताकि केवल गृह सर्किल के सिग्नल ही प्राप्त हो सकें।
2. समीपवर्ती सेवा क्षेत्रों के सिग्नलों को उनकी सीमा तक ही रोकने के लिए ऐसे स्थानों पर टाइमिंग उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार को खाली किया जाना

4261. **श्री पूर्णमासी राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी आवास से केन्द्रीय भंडार खाली कराए जाने से संबंधित मामले को आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार को खाली करवाए जाने की समीक्षा का प्रस्ताव आवास सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व हिन्दी सम्मेलन

4262. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 9वां विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) की राजभाषा बनाने के लिए संकल्प पारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) नौवां विश्व हिन्दी सम्मेलन 22-24 सितम्बर,, 2012 तक जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। हिन्दी शिक्षा संघ, दक्षिण अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं इसे बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, इस सम्मेलन में स्थानीय साझेदार था। सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती परनीत कौर ने किया। अलग से विशिष्ट संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री, महामहिम श्री प्रवीण गोर्धन उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे, जबकि मॉरीशस के कला एवं संस्कृति मंत्री महामहिम श्री मुखेश्वर चूनी उद्घाटन तथा समापन, दोनों समारोहों में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल थे। उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका के उप विदेश मंत्री श्री मोरिअस फ्रांसमैन भी उपस्थित थे। महात्मा गांधी जी की पौत्री और दक्षिण अफ्रीकी गांधीवादी धारा की एक प्रमुख विदुषी सुश्री ईला गांधी उद्घाटन समारोह में एक विशेष अतिथि थीं। भारत तथा विदेश के 700 से भी अधिक विद्वानों और हिन्दी प्रेमियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) और (घ) विगत की ही तरह, 9वां विश्व हिन्दी सम्मेलन एक संकल्प पारित करके समाप्त हुआ जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को अन्य आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने हेतु एक समयबद्ध कार्रवाई करने का आह्वान किया गया।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाए जाना भारत के लिए हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और सरकार हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती रही है। कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण हिन्दी में ही दिया है। आठवें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी संबोधित किया था। यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र हिन्दी में एक साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार करता है और इसे संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

निजी विश्वविद्यालय

4263. श्री नरहरि महतो :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में खोले गए निजी विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने के लिए एक विनियामक पैनल गठित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान, देश में 53 निजी विश्वविद्यालय खोले गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) निजी विश्वविद्यालयों के मामले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार और केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के अन्य सांविधिक विनियामक निकायों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। सरकार ने कदाचारों को रोकने और निजी विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों के रखरखाव के लिए, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में कदाचारों को रोकने संबंधी विधेयक, 2010 और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यापन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 संसद में पेश किया है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान खोले गए निजी विश्वविद्यालयों का ब्यौरा

राज्य का नाम	पिछले दो वर्षों के दौरान निजी विश्वविद्यालयों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	1
छत्तीसगढ़	3
गुजरात	3
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	6
झारखंड	2
मेघालय	2
मध्य प्रदेश	6
पंजाब	3
राजस्थान	15
उत्तर प्रदेश	3
उत्तराखंड	1
पश्चिम बंगाल	1
कुल	53

एन.एस.ए की चीन यात्रा

4264. **श्री उदय सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी और अपने समकक्षों एवं अन्य नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इन चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) भारत-चीन सीमा के प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों से अनौपचारिक विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन ने 3-4 दिसंबर, 2012 को चीन की यात्रा की थी। विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा के प्रश्नों के साथ-साथ अन्य अनेक द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। वर्ष 2003 से विशेष प्रतिनिधियों द्वारा विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है और उनमें साझी सहमति हो गई है। एन.एस.ए ने विदेश मंत्री, श्री यांग जियेकी तथा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री वू बांग्गुओ से मुलाकात की।

सेवा के दौरान परीक्षाओं में पक्षपात और उत्पीड़न

4265. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पायलटों के लिए एयरलाइनों द्वारा कराए गए सेवा के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में पक्षपात और उत्पीड़न की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए एक मंच गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निपटान मंच द्वारा की गई सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) उक्त अवधि के दौरान केवल चार ऐसे मामले प्राप्त हुए हैं। इन मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

शिकायत का वर्ष	प्रचालक	शिकायतकर्ता का नाम	विषय
2012	एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (एआईसीएल)	कैप्टन रंधीर प्रताप	एक बार की कार्य-निष्पादन जांच के संबंध में एआईसीएल के प्रमुख कैप्टर शरद डोगरा के विरुद्ध अभ्यावेदन।
2012	(एआईसीएल)	अभिषेक कुमार	कैप्टन समीर डोगरा के विरुद्ध गंभीर प्रशिक्षण का उल्लंघन तथा कपट संदर्भ से अनुदेशक पायलट बनना।
2012	(एआईसीएल)	कैप्टन जावेद अहमद	टीआरई कैप्टन शरद डोगरा की संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा।
2012	(एआईसीएल)	कैप्टन स्टैनिशलॉस डीक्रूज	पीआईसी मार्ग जांच की समीक्षा।

(ग) से (ड) जी, नहीं। तथापि, वैमानिक सूचना परिपत्र - एआईसी 26/92 में अपील की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है जब एक पायलट नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नियुक्त परीक्षक/अनुदेशक/जांच पायलट द्वारा कौशल/प्रवीणता जांच में मानक से नीचे आकलित किया जाता है तो वह पायलट अपनी पिछली परीक्षा के परिणाम की पुष्टि से पूर्व नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य परीक्षक/अनुदेशक/बोर्ड द्वारा पुन: जांच कराने के लिए अपील कर सकता है।

डाकघरों में कोर बैंकिंग

4266. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सी.बी.एस.) के माध्यम से सभी डाकघरों को जोड़ने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीबीएस डाकघरों के संबंध में दी जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी विभागीय डाकघरों में सी.बी.एस को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) शुरूआती चरण में शामिल किए गए संभावित डाकघरों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) जी, हां।

(ख) डाक विभाग सभी विभागीय डाकघरों में चरणबद्ध तरीके से कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सी.बी.एस) का कार्यान्वयन कर रहा है। सीबीएस के कार्यान्वयन के उपरांत डाकघरों में एटीएम (स्वचालित गणक यंत्र) बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधायें प्रदान की जा सकेगी।

(ग) सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सी.बी.एस) के कार्यान्वयन हेतु अनंतिम समय सीमा अप्रैल, 2014 निर्धारित की गई है।

(घ) सात सर्किलों (असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली) के 122 डाकघरों को शुरू में/पायलट चरण में कवर किया जाना है।

उच्च शिक्षा में भारत-अमेरिका समझौता

4267. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमेरिका (यूएस) ने देश में शीर्ष संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में एक साथ कार्य करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त प्रणाली के तहत भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है·

(घ) क्या इन परियोजनाओं का वित्तपोषण अमेरिका द्वारा किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त प्रणाली के तहत ओडिशा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रम

4268. श्री के. सुधाकरण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई) ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में ए.आई.सी.टी.ई के अनुमोदन अथवा मान्यता के बिना प्रबंधन, होटल प्रबंधन और फैशन टेक्नोलॉजी पाठयक्रमों को करवा रहे 311 तकनीकी संस्थानो की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कई ऐसे संस्थानों की पहचान की है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के नियमों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो इन संस्थानों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों से निपटने के लिए ए.आई.सी.टी.ई को और अधिक शक्ति/अधिकार प्रदान करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : (क) और (ख) अद्यतन स्थिति के अनुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने प्रबंधन, होटल प्रबंधन, फैशन प्रौद्योगिकी आदि के कार्यक्रम प्रदान करने वाले 309 तकनीकी संस्थानों को अभिचिन्हित किया है। एआईसीटीई के पूर्व अनुमोदन के बिना तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं की राज्य-वार सूची इसकी वेबसाइट www.aicte-india.org/misunapprovedinstitutions.htm पर उपलब्ध है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विगत तीन वर्ष के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों के विरुद्ध शुल्क वापस न करने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का उल्लंघन, मानसिक उत्पीड़न, गैर-कानूनी केन्द्रों का संचालन, चयन प्रक्रिया का उल्लंघन, डिग्रियां प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विगत 3 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है:

	2010	2011	2012
राज्य विश्वविद्यालय	08	16	38
निजी विश्वविद्यालय	19	22	63
सम- विश्वविद्यालय	58	131	118

(घ) शिकायत प्राप्त होने के पश्चात, शिकायत के निवारण हेतु इसकी एक प्रति संबद्ध विश्वविद्यालय को भेज दी जाती है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को दूरस्थ शिक्षा परिषद को भेज दिया जाता है क्योंकि अनुमोदन उनके द्वारा दिया जाता है। विश्वविद्यालय शिकायत के निवारण हेतु कार्रवाई करते हैं। सामान्य शिकायत के अलावा, कुछ सम-विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना कैम्पस/नए विभाग/नई संस्थाएं शुरू कर दी हैं।

(ङ) जी, नहीं।

निधियों का आवंटन

4269. **श्री वीरेन्द्र कश्यप** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं को आवंटित निधियों का परियोजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य द्वारा निधियों के कम उपयोग, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विशेष योजनागत सहायता के तहत आवंटित निधियों और उपयोग की गई राशि (राज्य सरकार द्वारा यथा-सूचित) का परियोजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पहाड़ी राज्यों की स्थलाकृतिक और जलवायु संबंधी स्थितियां मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में कार्य-अनुकूल मौसम की अवधि कम होती है जिससे निधियों का पूर्णत: उपयोग करने में बाधा उत्पन्न होती है।

विवरण

2009-10 के दौरान विशेष योजनागत सहायता के रूप में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निधियों का परियोजना-वार आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	आवंटन	उपयोग
1.	वृक्षों के आवरण को सुधारना	1480	1480
2.	औद्योगिक क्षेत्रों एवं सम्पदाओं का विकास	1579	1579
3.	ग्रामीण सड़कों के लिए योजना कार्यक्रम	16500	16500
4.	जिला आयोजना के तहत विकास कार्यों का कार्यान्वयन	8452	8452
5.	बुनियादी शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना	7796	7796
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों को पूरा करना	3994	3994
7.	मध्यवर्ती शिक्षा संस्थानों में पूंजीगत कार्य	2130	2130
8.	ग्रामीण जलापूर्ति के लिए जारी योजनागत स्कीमें	6169	6169
9.	न्यायालय कॉम्प्लेक्स हेतु अवसंरचना	1900	1900
	कुल	50000	50000

2009-10 के दौरान अन्य विकास परियोजनाओं के तहत परियोजना-वार आवंटन, संशोधित आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	आवंटन	संशोधित आवंटन	उपयोग
1.	बीआरजीएफ	3046.00	3046.00	3000.00
2.	बीएडीपी	1231.00	1297.00	1297.00
3.	अनुच्छेद-275 (i) अनुदान	350.00	360.00	360.00
4.	एआईबीपी	20000.00	19669.00	20000.00
5.	सड़क एवं पुल (सीआरएफ)	2212.00	2212.00	1987.53
6.	एनईजीपी	1365.00	1479.00	845.00
7.	जेएनएनयूआरएम	5000.00	5000.00	5684.69
8.	एनएसएपी	4024.00	2603.00	2611.98
9.	जनजातीय उप-योजना	1077.00	1179.00	1501.57
10.	आरकेवीवाई	1532.00	3303.00	3282.08
11.	एसएसए	16640.83	16640.83	14631.28
12.	आईसीडीएस	9549.81	9549.81	9164.03
13.	एनआरएचएम	14330.00	14330.00	14341.00
14.	पीएमजीएसवाई	24397.00	24397.00	20907.00
15.	एआरडब्ल्यूएसपी/एनआरडीडब्ल्यूपी	13144.79	13144.79	13440.64
16.	टीएससी	0.00	1516.80*	1876.04
	कुल	117899.43	119727.23	114929.84

*आंकड़े, राज्य के हिस्से सहित भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी की गई राशि को दर्शाते हैं।

विवरण

2010-11 के दौरान विशेष योजनागत सहायता के रूप में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निधियों का परियोजना-वार आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	आवंटन	उपयोग
1	. 2	3	4
1.	पॉली हाऊसिंग और लघु सिंचाई परियोजना	4065	4065

1	2	3	4
2	प्रतिस्थापन/नई बसों की खरीद	2990	2990
3.	वनरोपण और संरक्षण	1500	1500
4.	औद्योगिक क्षेत्रों का एकीकृत विकास	1289	1289
5.	हैंड-पम्पों की संस्थापना	3120	3120
6.	राज्य में शैक्षिक भवनों के निर्माण कार्य का त्वरित निपटान	6065	6065
7.	ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए जारी योजनागत स्कीमें	12012	12012
8.	स्वास्थ्य/आयुर्वेदिक संस्थानों के निर्माण कार्य का त्वरित निपटान	3025	3025
9.	तकनीकी संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षणों के लिए अवंसरचना	2040	2040
10.	पुलिस के लिए आवास	1000	1000
11.	राज्य और जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए साझे गैर-आवासीय सरकारी भवन	2015	2015
12.	न्यायालय कॉम्प्लेक्स के लिए पूंजीगत अवसंरचना	1215	1215
13.	राज्य की सड़कों के कार्य का त्वरित निपटान	17864	17864
	कुल	58200	58200

2010-11 के दौरान अन्य विकास परियोजनाओं के तहत परियोजना-वार आवंटन, संशोधित आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	आवंटन	संशोधित आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5
1.	बीआरजीएफ	3046.00	3046.00	3046.00
2.	बीएडीपी	1231.00	1297.00	1297.00
3.	अनुच्छेद-275 (i) अनुदान	350.00	350.00	377.00
4.	एआईबीपी	28850.00	28850.00	20674.51
5.	सड़क एवं पुल (सीआरएफ)	2606.00	2606.00	2630.41

1	2	3	4	5
6.	एनईजीपी	553.00	985.00	677.00
7.	जेएनएनयूआरएम	2000.00	2000.00	1957.98
8.	एनएसएपी	2506.00	2506.00	2673.05
9.	जनजातीय उप-योजना	1077.00	1257.00	1467.70
10.	आरकेवीवाई	4303.00	9505.92	9410.22
11.	एसएसए	25481.55	25481.55	21974.14
12.	आईसीडीएस	10051.29	10051.29	9534.84
13.	एनआरएचएम	15006.00	15006.00	12863.00
14.	पीएमजीएसवाई	0.00	19930.00*	14641.00
15.	एआरडब्ल्यूएसपी/एनआरडीब्ल्यूपी	23101.97	23101.97	14811.79
16.	टीएसी	0.00	3651.29*	2832.91*
	कुल	120162.81	149625.02	120868.55

*आंकड़े, राज्य के हिस्से सहित भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी की गई राशि को दर्शाते हैं।

2010-11 के दौरान विशेष योजनागत सहायता के रूप में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निधियों का परियोजना-वार आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4
1.	हैंड पम्पों की संस्थापना	2000	2000
2.	सीवरेज स्कीमों का निर्माण	2000	2000
3.	ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु स्कीमें	3428	3428
4.	एलआईएस/एफआईएस स्कीमें	1047	1047
5.	औद्योगिक क्षेत्रों एवं सम्पदा का विकास	1350	1350

1	2	3	4
6.	प्रतिपूरक वनरोपण (वन भूमि का एनपीवी)	1572	1572
7.	ग्रामीण सड़कों के लिए योजनागत कार्यक्रम	5986	5986
8.	साझा सरकारी आवास	1783	1783
9.	साझे गैर-आवासीय सरकारी भवन	1958	1958
10.	सड़क परिवहन का सुदृढ़ीकरण	1398	1398
11.	जिला योजना के तहत विकास कार्य	4480	4480
12.	इंडोर स्टेडियमों का निर्माण	635	635
13.	राज्य में शैक्षिक भवनों का निर्माण	2377	2377
14.	अटल आवास योजना	905	905
15.	स्वास्थ्य भवनों का निर्माण	2311	2311
16.	न्यायालय कॉम्प्लेक्स हेतु अवसंरचना	1770	1770
	कुल	35000	35000

2011-12 के दौरान अन्य विकास परियोजनाओं के तहत परियोजना-वार आवंटन, संशोधित आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	आवंटन	संशोधित आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5
1.	बीआरजीएफ	3050.00	3222.00	3195.00
2.	बीएडीपी	2000.00	2000.00	2000.00
3.	अनुच्छेद-275 (i) अनुदान	401.00	401.00	431.00
4.	एआईबीपी	25000.00	25000.00	22344.75
5.	सड़क एवं पुल (सीआरएफ)	3066.00	3066.00	3063.07
6.	एनईजीपी	553.00	553.00	553.00

1	2	3	4	5
7.	जेएनएनयूआरएम	2600.00	2600.00	2600.00
8.	एनएसएपी	2765.00	2784.69	2795.50
9.	जनजातीय उप-योजना	1229.00	1229.00	1799.45
10.	आरकेवीवाई	9500.00	9993.00	9183.00
11.	एसएसए	30261.65	30261.65	25196.78
12.	आईसीडीएस	14584.30	14584.30	13963.25
13.	एनआरएचएम	14463.00	14463.00	14875.00
14.	पीएमजीएसवाई	15621.00	15621.00	10726.00
15.	एआरडब्ल्यूएसपी/एनआरडीब्ल्यूपी	10256.00	10256.00	32103.19
16.	टीएससी	0.00	1283.46*	1866.31
	कुल	135349.95	137318.10	146695.30

*आंकड़े, राज्य के रहिस्से सहित भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी की गई राशि को दर्शाते हैं।

2012-13 के दौरान विशेष योजनागत सहायता के रूप में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निधियों का परियोजना-वार आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4
1.	सीवरेज स्कीमों का निर्माण (यूडी/आई एंड पीएच)	2430	वित्त मंत्रालय द्वारा 17.9.2012 को निधियां जारी की गईं, राज्य द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र 2013-14 के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
2.	ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु स्कीम	2988	
3.	शहरी जल आपूर्ति हेतु स्कीम	1170	
4.	एलआईएस/एफआईएस स्कीमें	1557	
5.	हैंड पम्पों की संस्थापना	450	
6.	औद्योगिक क्षेत्रों एवं सम्पदाओं का विकास	1260	

1	2	3	4
7.	पुलों सहित ग्रामीण सड़कों के लिए योजनागत कार्यक्रम	7271	
8.	साझा सरकारी आवास	1485	
9.	साझे गैर-आवासीय आवास	2250	
10.	न्यायालय कॉम्प्लेक्स हेतु अवसंरचना	900	
11.	उच्चतर शिक्षा	5445	
12.	इंडोर स्टेडियमों का निर्माण	810	
13.	स्वास्थ्य भवनों का निर्माण		
	(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3633	
	(ii) आयुर्वेद	266	
16.	तकनीकी संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना	3060	
17.	जोगीदरनगर (घटासानी-सिल्ह भदवानी)-कुल्लु (तेलंग) जिला मंडी में भुब्बुजोत सुरंग तथा सोलासिंगी धार के नीचे बंगाना-धनेटा सुरंग का निर्माण जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को हमीरपुर जिले से जोड़गी	1800	
18.	सड़कों/पुलों का निर्माण	2232	
	कुल	39007	

नोट: 2012-13 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को विशेष योजनागत सहायता के रूप में विकास परियोजनाओं के लिए 50000 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से, उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए 39007 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

2011-12 के दौरान अन्य विकास परियोजनाओं के तहत परियोजना-वार आवंटन, संशोधित आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4
1.	बीआरजीएफ	3222.00	1511.00
2.	बीएडीपी	2200.00	1660.00

1	2	3	4
3.	अनुच्छेद-275 (i) अनुदान	441.00	238.80
4.	एआईबीपी	27200.00	3045.62
5.	सड़क एवं पुल (सीआरएफ)	3219.00	992.55
6.	एनईजीपी	553.00	0.00
7.	जेएनएनयूआरएम	7000.00	3927.72
8.	एनएसएपी	3280.00	1479.57
9.	जनजातीय उप-योजना	1340.00	339.10
10.	आरकेवीवाई	13000.00	1316.50
11.	एसएसए	14006.16*	10335.42
12.	आईसीडीएस	8990.06*	6130.60
13.	एनआरएचएम	6748.84*	4452.40
14.	पीएमजीएसवाई	18904.00*	4237.00
15.	एआरडब्ल्यूएसपी/एनआरडीब्ल्यूपी	13005.31	6156.51
16.	टीएससी	3073.00*	604.00
	कुल	126182.37	46426.79

*आंकड़े, राज्य के हिस्से सहित भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी की गई राशि को दर्शाते हैं।

भूमि और टॉवरों का मुद्रीकरण

4270. श्री दारा सिंह चौहान :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री जगदीश शर्मा :

श्री एल. राजगोपाल :

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीएसएनएल और एमटीएलएल के स्वामितव वाली भूमि और उसके बाजार मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) और दूरसंचार कंपनियों की कुल नेटवर्क क्षमता का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल अधिक राजस्व अर्जित करने और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपनी बीटीएस/टॉवर नेटवर्कों का मुद्रीकरण करने की योजना बना रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई तथा कितनी सफलता मिली है;

(ङ) क्या एमटीएनएल के वित्तीय कार्य-निष्पादन के कारण इसका नवरत्न का दर्जा खतरे में है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के पास क्रमश: 15006 और 55 भूमि हैं। इन भूमि के बाजार मूल्य का आकलन नहीं किया गया है।

(ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी नेटवर्क क्षमताओं को संवर्द्धित करते हैं। तथापि, बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए अपने भूमि बैंकों और बीटीएस टावरों की निष्क्रिय सरंचना का मुद्रीकरण करने की योजना बनाई है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

बीएसएनएल

बीएसएनएल ने प्रायोगिक परियोजना के रूप में अपनी 10 भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की शुरूआत की है। इस उद्देश्यार्थ बीएसएनएल द्वारा एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है जो उन कार्यप्रणालियों/तरीकों के बारे में सुझाव देंगे जिससे भूमि से लाभ को अधिक/उसका मुद्राकरण किया जा सके। अपने बीटीएस टावरों के मुद्रीकरण के लिए, बीएसएनएल ने अपने बीटीएस स्थलों की साझेदारी करने के लिए बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ करार किया है। कुल 2010 टावर स्थलों को साझा आधार पर पट्टे पर दिया गया है।

एमटीएनएल

नोएडा में 80,000 वर्ग मीटर वाले कोर नोलेज पार्क को तैयार करने का कार्य वर्ष 2007 में पीपीपी (सार्वजनिक प्राइवेट भागीदारी) आधार पर मैसर्स आईडीईबी-एसयूसीजी नोलेज पार्क (प्रा.) लि. को सौंपा गया है। एमटीएनएल ने बीटीएस टावरों के मुद्रीकरण के लिए अपने 25 बीटीएस स्थलों को साझा किया है।

(ङ) और (च) चयनित मापदंडों के आधार पर, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने एमटीएनएल के नवरत्न दर्जे को वापस लेने का निर्णय किया है। तथापि, दूरसंचार विभाग ने लोक उद्यम विभाग ने लोक उद्यम विभाग से एमटीएनएल के वर्तमान दर्जे को बनाए रखने का अनुरोध किया है।

विवरण

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीटीएस की संख्या (दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार)

दूरसंचार सेवा प्रदाता	बीटीएस की संख्या (दिनांक 30.09.2012) की स्थिति के अनुसार
भारती	128767
वोडाफोन	112198
रिलायंस	90358
आईडिया	85406
बीएसएनएल	72442
टाटा	57910
ऐयरसेल	49660
यूनीटेक	22631
श्याम	11707
विडियोकोन	7676
एमटीएनएल	2550
लूप	2158
एचएफसीएल	1755

[हिन्दी]

अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों की सेवा में विस्तार

4271. श्री तूफानी सरोज: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कतिपय अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों के बावजूद इनकी सेवा में विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे अधिकारीगण अन्य पी.एस.यू. में अपनी नियुक्ति के लिए लॉबिंग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.एस.) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को पांच वर्ष की सेवावधि अथवा अधिवर्षिता की तिथि तक, जो भी पहले हो नियुक्त किया जाता है। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है यद्यपि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में यह 58 वर्ष है। जब सेवावधि पूरी हो जाती है और संबद्ध कर्मचारी का सेवाकाल अधिवर्षिता से पूर्व बचा रह जाता है तो अधिकारी को उसकी विशेष कार्यनिष्पादन रिपोर्ट और सी.वी.सी. से सतर्कता अनापत्ति के बेंचमार्क को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन और आगे सेवावधि (अधिवर्षिता की तिथि से अधिक न हो) का विस्तार दिया जाता है। ऐसे मामले, जहां संबद्ध अधिकारी की सेवावधि के पूरा होने की तिथि तक सी.वी.सी. अनापत्ति अथवा अन्यथा प्राप्त नहीं होती है, दिनांक 17-08-2005 के का.ज्ञा. सं. 26(3)ई.ओ./2004(ए.सी.सी.) संलग्न विवरण-I के अनुसार सी.वी.सी. से निश्चित सिफारिश की प्राप्ति तक लघु अवधियों के लिए तदर्थ विस्तार हेतु आगे बढ़ाए जाते हैं। ऐसे मामलों के ब्यौरे, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की सामान्य सेवावधि के बाद भी कार्यरत हैं, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। ऐसे अधिकारियों द्वारा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति के लिए की जाने वाली लॉबिंग की कोई घटना नोटिस में नहीं आई है।

(घ) उपर्युक्त भाग-(ग) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

तत्काल/गोपनीय

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

सं. 26(3)ई.ओ./2004(ए.सी.सी.)

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(स्थापना अधिकारी का कार्यालय)

(ए.सी.सी. अनुभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 17 अगस्त, 05

कार्यालय ज्ञापन

समस्त ए.सी.सी. अनुमोदन प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक समीक्षा के पश्चात्, भारत सरकार के सभी सचिवों को सम्बोधित इस विभाग के दिनांक 17-8-05 के समसंख्यक का.ज्ञा. के क्रम में, ए.सी.सी. द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों को सभी संबंधितों के सख्त अनुपालन हेतु अनुमोदित किया गया है:-

(i) जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड-स्तर की नियुक्तियों के संबंध में ए.सी.सी. की शक्तियों का संबंध है, विद्यमान व्यवस्थाएं जारी रहेंगी।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी निदेशकों (अंशकालिक/स्वतंत्र) की नियुक्तियों हेतु ए.सी.सी. की शक्तियों के संबंध में, विद्यमान व्यवस्थाएं जारी रहेंगी।

(iii) अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था सहित स्वायत्त निकायों की नियुक्ति संबंधी विद्यमान व्यवस्था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पहले से प्रस्तुत स्वायत्त निकायों की नियुक्ति संबंधी एक पृथक प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिए जाने तक, जारी रहेगी।

(iv) आयु, शैक्षिक अर्हताएं, पात्रता मानदण्ड आदि से संबंधित मापदण्डों में रियायत संबंधी ए.सी.सी. की शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं।

(v) सहायक कम्पनियों के भीतर और कम्पनियों तथा सहायक कम्पनियों को धारण किए जाने के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों के अंतर-कम्पनी स्थानांतरण के संबंध में ए.सी.सी. की शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं।

(vi) पदोन्नति का लाभ उठाने पर अथवा अनुकंपा पर/ वैयक्तिक आधारों पर उनके स्वयं अनुरोध किए जाने पर उनके संबंधित संवर्गों की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के बाहर से स्वायत्त/सांविधिक निकायों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का समयपूर्व प्रत्यावर्तन के अनुमोदन की शक्तियां राज्यमंत्री (पी.पी.) को सौंपी गई हैं। अन्य सभी मामलों में ए.सी.सी. का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(vii) बी.आई.एफ.आर. कम्पनियों के बोर्ड स्तर के निदेशकों का तदर्थ विस्तार छह माह तक दिया जाने की शक्तियां राज्य मंत्री (पी.पी.) की सहमति से प्रभारी मंत्री को सौंपी गई हैं।

(viii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड-स्तर की नियुक्तियों के संबंध में तीन माह तक की सेवावधि के तदर्थ विस्तार के प्रस्ताव निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन राज्यमंत्री (पी.पी.) को प्रत्यायोजित किए गए हैं:-

(क) सेवावधि का सामान्य विस्तार का प्रस्ताव निर्धारित समय-सूची के अनुसार लोक उद्यम चयन बोर्ड को भेजा गया है;

(ख) किसी एवजी के चयन हेतु कार्रवाई समय पर की गई है और विस्तार पाने की अवस्थिति को प्रस्ताव में उद्धृत किया गया है;

(ग) संबंधित अधिकारी पर सतर्कता संबंधी कोई मामला नहीं बनता है;

(घ) अन्य सभी मामलों में ए.सी.सी. का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ix) एक वर्ष तक दीर्घ-कालिक प्रशिक्षण के आधार पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की सेवावधि का विस्तार मंजूर किए जाने की शक्तियां स्थापना अधिकारी को प्रत्यायोजित की गई हैं।

(आलोक कुमार)
निदेशक (ए.सी.सी.)

1. राज्य मंत्री (पी.पी.) के निजी सचिव
2. सचिव (कार्मिक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (ई), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
4. निदेशक (ए.सी.सी.)/निदेशक (एस.एम.)/निदेशक (एम.एम.)
5. अवर सचिव (एस.एम.-II)/अवर सचिव (एस.एम.-III)/अवर सचिव, एफ.ए. (यू.एन.)/अवर सचिव (ए.सी.सी.)
6. ई.ओ. (एस.एम.-I)/ई.ओ.(एस.एम.-II)/ई.ओ.(एम.एम.I)/ ई.ओ.(एम.एम.II)/आर.ओ.(सी.एम.)/ई.ओ.(एफ)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधानमंत्री-कार्यालय (सुश्री वी. विद्यावती, निदेशक)
2. मंत्रिमण्डल सचिवालय (श्री के.एस.अचार, उप सचिव)

(आलोक कुमार)
निदेशक (ए.सी.सी.)

विवरण-II

सतर्कता अनापत्ति की प्राप्ति न होने के कारण उनकी सेवावधि के पूरा होने के बाद भी बने हुए अधिकारियों के ब्यौरे

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	पी.एस.यू.	नियमित सेवावधि के	अधिवर्षिता की तिथि पूरा होने की तिथि
1.	ए.के. मीरचन्दानी, सी.एम.डी.	प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	30-06-2012	30-09-2017
2.	डी.सी. गर्ग, सी.एम.डी.	वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	30-4-2012	30-11-2014

[अनुवाद]

प्रति बच्चा शिक्षा लागत

4272. **श्री अजय कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रति बच्चा लागत तथा इसकी अद्यतन की बारंबारता निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त सरकारों द्वारा अपनाये जाने वाले मानदंड क्या हैं; और

(ख) निजी विद्यालयों में प्रतिपूर्ति देने हेतु उपयुक्त सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली संवितरण प्रक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रवेश के लिए निजी गैर-सहायताप्राप्त स्कूलों के धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा दिए गए प्रति बालक व्यय अथवा बालक से ली गई वास्तविक राशि के अनुसार, इनमें से जो भी कम हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यथानिर्धारित पद्धति के अनुसार की जाएगी।

संबंधित उपर्युक्त सरकारों ने राज्य बजट से प्रारंभिक शिक्षा के लिए किए गए व्यय के घटक को शामिल कर लिया है तथा प्रति व्यक्ति व्यय का हिसाब लगाया है जिसे प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है।

(ख) उपयुक्त सरकारों द्वारा संवितरण के लिए अपनाई गई प्रक्रियाविधियों में निजी गैर-सहायताप्राप्त स्कूलों के दावे का सत्यापन करना और जिला स्तर पर नामोदिष्ट अधिकारियों के जरिए उन्हें प्रतिपूर्ति करना शामिल है।

भारत विरोधी टिप्पणियां

4273. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालदीव के राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने हाल ही में भारत विरोधी भद्दी टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मालदीव सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर मालदीव सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जीएमआर माले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना के संबंध में 9 नवम्बर, 2012 को माले में जन सभा के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति के तत्कालीन सरकारी प्रवक्ता, श्री अब्बास आदिल रजा ने मालदीव में भारत के उच्चयुक्त के विरुद्ध कथित रूप से कुछ टिप्पणियां की थीं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय तथा मालदीव के विदेश मंत्रालय के माध्यम से मालदीव सरकार के साथ इस मामलों को जोरदार ढंग से उठाया था। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने 10 नवम्बर, 2012 को जारी वक्तव्य में स्वयं को भारतीय उच्चायुक्त के विरुद्ध राष्ट्रपति के तत्कालीन सरकारी प्रवक्ता द्वारा की गई "खेदजनक" टिप्पणी से अलग कर लिया था। मालदीव के मुख्य राजनीतिक दलों ने मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त के विरुद्ध की गई टिप्पणियों की निंदा की थी।

साइबर सुरक्षा क्षमताएं

4274. **श्री आधि शंकर:**
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री जयंत चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापक साइबर अवसंरचना को अंतिम रूप दे दिया है और साइबर प्रणाली को दुरुस्त रखने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संयोजक (एनसीएससी) मुख्य स्तंभ के रूप में कार्य करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनसीएससी के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में साइबर विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए साइबर वारियरों को प्रशिक्षित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की सेवाएं और बेहतर प्रौद्योगिकी वाले विदेशों से मदद मांगने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) सरकार ने सभी पणधारकों की सलाह से साइबर सुरक्षा के लिए एक ढांचे को स्थापित करने के लिए कार्यवाहियां शुरू की हैं जिसमें देश में साइबर सुरक्षा गतिविधियों के समन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच जिम्मेदारियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं के स्पष्ट सीमांकन के साथ संस्थागत ढांचे शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार साइबर सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में साइबर सुरक्षा व्यवसायियों के पूल में वृद्धि करने की आवश्यकता के विषय में जागरुक है। साइबर सुरक्षा पर निजी क्षेत्र की सहभागिता पर 15 अक्तूबर, 2012 को प्रकाशित संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट साइबर सुरक्षा व्यवसायियों की मांग की पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एकीकृत प्रयास के लिए आवश्यकताओं की परिकल्पना करती है और उन्हें साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तैयार करती है।

(ङ) और (च) साइबर सुरक्षा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त प्रयासों और घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त कार्य दल द्वारा यथा अनुशंसित सार्वजनिक - निजी मॉडल, अपने पास उपलब्ध कौशल और क्षमताओं का उपयोग करने के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा मानकों के विकास और आश्वासन तंत्रों, निजी क्षेत्र की भागीदारी में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण सुविधाओं की वृद्धि के पक्षों को सम्मिलित करता है।

साइबर सुरक्षा मुद्दों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। इसीलिए भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रक्रिया दल और इसकी ऐसी विदेशी प्रतिपक्ष एजेंसियों द्वारा जो साथ कार्य करने और साइबर अपराध और साइबर हमलों को रोकने के साथ-साथ ऐसी घटनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध तरीके से सूचना साझा करने की इच्छुक हैं, के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के रूप में सुरक्षा सहयोग व्यवस्थाओं द्वारा इस मामले के निपटान पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

4275. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री एम.आई. शानवास:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के दूरसंचार क्षेत्र में निर्माण उद्योगों में पिछले वर्षों में लगातार विस्तार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में वर्ष-वार वार्षिक पण्यावर्त क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार उद्योग में आयातित उपकरणों के उपयोग की हिस्सेदारी अब भी देश में निर्मित उपकरणों की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आयात किए गए देश में निर्मित उपकरणों का प्रतिशत उपयोग कितना है; और

(ङ) इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) विगत 3 वर्षों में कोई उल्लेखनीय विस्तार नहीं हुआ है। फिलहाल, पर्याप्त मूल्यवर्द्धन वाले बेतार उपकरणों का विनिर्माण देश में नहीं हो रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति पर 12 अप्रैल, 2012 की अपनी सिफारिशों में निम्नानुसार उल्लेख किया है:-

"वर्ष 2009-10 में सभी घरेलू उत्पादों की भागीदारी 12-13% रही है।"

(ङ) देश के भीतर दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने और असंतुलन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसचार उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए हैं:-

- डिजाइन के लिए ईकोसिस्टम, अनुसंधान और विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण को बढ़ावा देना अर्थात दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का निर्माण ताकि वर्ष 2017 और 2020 तक क्रमशः 45% और 65% के न्यूनतम मूल्यवर्द्धन के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्रक की 60% और 80% तक की मांग को पूरा किया जा सके।

- देश के सुरक्षा निहितार्थ दूरसंचार उत्पादों के प्रापण और सरकार के अपने प्रयोग हेतु प्रापण में घरेलू स्तर पर विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को विश्व व्यापार संगठन के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुसार प्राथमिकता देना।

(ii) घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों जिनमें दूरसंचार उपकरण भी शामिल हैं, के हिस्से को बढ़ाने के विचार से, सरकार ने प्रापण में घरेलू रूप से विनिर्मित इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए अधिसूचना सं. 8(78)/2010-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 10 फरवरी, 2012 के तहत नीति निर्धारित की है। दूरसंचार विभाग ने अधिसूचना सं. 18-07/2012-आईपी दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 और यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 27 नवंबर, 2012 के तहत, सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों (रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त) और इनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एजेंसियों द्वारा और सरकार से वित्तपोषित सभी दूरसंचार परियोजनाओं (यथा एन.एफ.एस. और यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं जैसे एनओएफएन इत्यादि) के लिए प्राप्त किए जाने वाले दूरसंचार उत्पादों को अधिसूचित किया है। अधिसूचना में 25% से 65% तक के न्यूनतम मूल्यवर्द्धन वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित दूरसंचार उपकरणों की 50% से 100% तक की अधिमानी बाजार अभिगम्यता प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र परिषद्

4276. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां छात्र संघ के स्थान पर छात्र परिषद् जैसे वैकल्पिक छात्र निकाय कार्यरत हैं;

(ख) वैकल्पिक छात्र परिषद् के प्रावधान के विश्वविद्यालय-वार कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इससे अवगत है कि छात्र परिषद् जैसे वैकल्पिक निकाय उचित रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके विश्वविद्यालय-वार कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को पुनर्जीवित करेगी जहां वैकल्पिक निकाय कार्य कर रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके विश्वविद्यालय-वार कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के ब्यौरे जहां उनकी संविधियों/अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार छात्र संघ के स्थान पर छात्र परिषदों जैसे वैकल्पिक निकाय हैं, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम के जरिए स्थापित स्वायत्त निकाय हैं और ये अपने-अपने अधिनियम के प्रावधानों, संविधियों और अध्यादेशों जिनमें छात्र परिषद्/संघ का गठन करना शामिल है, के अनुसार कार्य करते हैं। लिंगदोह समिति की सिफारिशें भी विश्वविद्यालयों को कार्यान्वयन हेतु भेजी गई हैं।

विवरण

वैकल्पिक निकायों वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	छात्र परिषद् के कारण
1	2	3
1.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	संविधियों में कोई प्रावधान नहीं है।
2.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	संविधियों के अनुसार छात्र परिषद् है। पिछले चुनाव वर्ष 2008 में आयोजित किए गए थे।
3.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	विश्वविद्यालय की संविधियों में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
4.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	विश्वविद्यालय की संविधियों में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
5.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
6.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	यह विश्वविद्यालय अपने अकादमिक कार्यक्रम मुख्यत: मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान करता है। इसलिए छात्र परिषद्/छात्र संघ को सक्रिय करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	कानून एवं व्यवस्था की सतत् समस्या के कारण छात्र संघ को मार्च, 2006 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद से, कानून-व्यवस्था छात्र संघ के चुनाव आयोजित कराने के अनुकूल नहीं रही है। तथापि, छात्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रबंध किया है।
9.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
10.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
11.	हिमाचल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कागंडा	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।

1	2	3
12.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
13.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
14.	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
15.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्ग	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
16.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम,. 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
17.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	संविधियों में छात्र परिषद् के लिए प्रावधान है।
18.	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
19.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा	विश्वविद्यालय संविधि में छात्र संघ/परिषद् के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
20.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	विश्वविद्यालय संविधियों में छात्र परिषद् के लिए प्रावधान है।
21.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	विश्वविद्यालय संविधियों में छात्र परिषद् के लिए प्रावधान है।
22.	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
23.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	विश्वविद्यालय संविधियों में छात्र परिषद् के लिए प्रावधान है।
24.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है। तथापि, विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय में लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्र संघ हैं।
25.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
26.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित हुआ है और इसमें केवल 394 छात्र हैं और इसमें छात्र संघ का गठन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय छात्रों के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान करने की प्रक्रिया में है और इसमें लिंगदोह समिति रिपोर्ट की सिफारिशें शामिल की जाएंगी।

1	2	3
27.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवरूवर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है।
28.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	छात्रों के चुनव कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। छात्रों के असहयोग के कारण, चुनाव प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका। छात्र कल्याण डीन छात्रों कल्याण संबंधी मामलों को देख रहे हैं।
29.	वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	लिंगदोह समिति के सुझावों के अनुसार छात्र संघ के स्थान पर छात्र परिषद् गठित है।
30.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	संविधियों के अनुसार छ़ात्र परिषद है।
31.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद् का प्रावधान है। तथापि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिचालित होने से पूर्व छात्र संघ अस्तित्व में थे।
32.	विश्व भारती शांति निकेतन	संविधियों के अनुसार छात्र परिषद् है।

अल्कोहल और तम्बाकू उत्पादों पर कर

4277. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि लोक स्वास्थ्य सेवा के वित्त पोषण के लिए अल्कोहल और तम्बाकू उत्पादों पर एक पाप कर लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कर से होने वाले अनुमानित राजस्व संग्रह की मात्रा कितनी है; और

(घ) इस कर को किस तरीके से आवंटित किया जाना प्रस्तावित?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के स्वास्थ्य अध्याय में इसका प्रस्ताव किया गया है। स्वास्थ्य बजट के एक हिस्से को वित्तपोषित करने हेतु "पाप कर (सिन टैक्स) लगाने से इन नुकसानदेह वस्तुओं (जैसे तंबाकू तथा अल्कोहल) के उपयोग में कमी आ सकती है तथा इस पर विचार किया जा सकता है।"

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के मसौदा में दिया गया सुझाव है।

[हिन्दी]

छात्रवृत्तियों के लिए पात्रता मानदंड

4278. **श्री राम सुन्दर दास:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत अल्प आय पृष्ठभूमि वाले प्रतिभावान छात्रों के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाविद्यालय छात्रों हेतु छात्रवृत्ति के पात्रता मानदंडों में बदलावों को भी अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन बदलावों से छात्रों को किस हद तक लाभ होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) आय के मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि योग्यता का मानदंड संशोधित किया गया है। पूर्व मानकों में एक मानदंड यह था कि छात्र को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए कक्षा-XII या समकक्ष परीक्षा में 80 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने होते थे। संशोधित मानकों के अनुसार वे छात्र जो 10+2 पद्धति या समकक्ष कक्षा-XIIवीं में विशिष्ट बोर्ड परीक्षा के लिए संबंधित स्ट्रीम के सफल अभ्यर्थियों में 80वें शतमक से ऊपर हैं, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। यह चयन तथापि, उन सभी आवेदकों में से योग्यता पर होगा जिन्होंने पात्रता मानदंड पूरे किए हैं।

(ङ) संशोधित मानकों के तहत और अधिक छात्र इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पात्र हैं।

केन्द्रीय विद्यालय

4279. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/उप-प्रधानाध्यापक/गैर-शिक्षण कर्मियों सहित शिक्षकों की पद-वार और श्रेणी-वार संस्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) देश में विशेषकर संवदेनशील, अधिक संवेदनशील, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्गम और बहुत दुर्गम श्रेणी के तहत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालयों में तैनात आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों की संख्या सामान्य श्रेणी की तुलना में आरक्षित श्रेणी के शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मी के अनुपात में अधिक है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त क्षेत्रों में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण/तैनाती हेतु एकसमान नीति को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से वर्ष 2011 के दौरान कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/उप-प्रधानाध्यापक और गैर-शिक्षण कर्मियों सहित शिक्षकों की पद-वार संस्वीकृत संख्या, दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार है:-

पद	संस्वीकृत पद की संख्या
प्रधानाध्यापक	990
उप-प्रधानाध्यापक	531
पीजीटी	9486
टीजीटी	15178
एचएम	686
पीआरटी	14319
पीआरटी (संगीत)	1155
योगा शिक्षक	239
पुस्तकालयाध्यक्ष	1147
अधीक्षक	34
सहायक	351
यूडीसी	1187
एलडीसी	1307
प्रयोगशाला सहायक	15
प्रयोगशाला परिचर	2699
नर्स	6
सब-स्टाफ	7115
कुल	56445

प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर इन पदों को संस्वीकृत किया जाता है न कि श्रेणी (अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग) के आधार पर। तथापि, इन पदों को, आरक्षण प्रयोजनार्थ, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भरा जाता है।

(ख) दुर्गम और अति दुर्गम श्रेणी के तहत आने वाले 219 केन्द्रीय विद्यालयों के स्थान-वार ब्यौरे, जिनमें नक्सल प्रभावित ज़िले और पूर्वोत्तर क्षेत्र में दुर्गम और अति दुर्गम श्रेणी में आने वाले केन्द्रीय विद्यालय शामिल हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्थानांतरण/तैनाती केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। संशोधित नीति 01 अप्रैल, 2011 से लागू कर दी गई है। ये दिशानिर्देश केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यालय/शिक्षा तथा प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान/केन्द्रीय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(ङ) जी, हां। इस संबंध में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को श्री प्रमोद कुरील, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और श्री अशोक कुमार रावत, संसद सदस्य (लोक सभा) से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्रमशः अपने 6 अगस्त, 2011 और 31 जनवरी, 2012 के पत्र के जरिए इनका उत्तर दे दिया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

राज्य का नाम	क्र.सं.	दुर्गम क्षेत्र	राज्य का नाम	क्र.सं.	अतिदुर्गम क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
**अरुणाचल प्रदेश	1.	इटानगर सं. I	**अरुणाचल प्रदेश	1.	दिरांग
	2.	इटानगर सं. II		2.	तेंगा वेली
	3.	किमिन (9 असम राइफल्स)		3.	एलांग
	4.	मियान		4.	तवांग
	5.	पासीघाट		5.	खोसना
	6.	रोइंग			
	7.	तेजु			
	8.	ट्यूटिंग, जिला अपर सियांग			
	9.	निरजुली (नेरिस्ट)			
**असम	1.	बारपेटा			
	2.	ढोलछेरा (बीएसएफ)			
	3.	डिब्रूगढ़			
	4.	दिफू			
	5.	गुवाहाटी, अमेरीगोग (सआरपीएफ)			

1	2	3	4	5	6
**असम	6.	गुवाहाटी, खानपारा			
	7.	हाफ्लोंग (एसएसबी)			
	8.	जोरहाट संख्या III (आरआरएल)			
	9.	करीमगंज			
	10.	खतखाती (सीआरपीएफ)			
	11.	कोकराझार (हाथीमाथा)			
	12.	लखीमपुर			
	13.	लोकरा			
	14.	मंगलदोई			
	15.	न्यू बोंगाईगांव			
	16.	नोवगोंग			
	17.	पनबरी (बीएसएफ)			
	18.	सिल्चर			
	19.	तिनसुकिया			
	20.	गोलपारा			
	21.	गोलाघाट			
	22.	तामुलपुर, जिला-बक्सा			
	23.	उदलगिरी, जिला-उदलगिरी			
	24.	रंगिया, एन.एफ. रेलवे			
	25.	छाबुआ			
	26.	दिगारू (एएफएस)			
	27.	दिनजान			
	28.	गुवाहाटी, बोरझार			

1	2	3	4	5	6
**असम	29.	गुवाहाटी, नारंगी			
	30.	जोरहाट संख्या 1 (एएफएस)			
	31.	कुंभीग्राम (एएफएस)			
	32.	लेखा पानी			
	33.	मसिमपुर			
	34.	मिस्सामारी			
	35.	मोहनबारी			
	36.	नोवगोंग, मिसा कैंट			
	37.	तेजपुर संख्या I			
	38.	तेजपुर संख्या II (एएफएस)			
	39.	गुवाहाटी आईआईटी			
	40.	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला-सोनितपुर			
	41.	बोकाजान (सीसीआई)			
	42.	चछार पंचग्राम (एचपीसी)			
	43.	दूम दूमा (एआरसी)			
	44.	दुलियाजान (तेल)			
	45.	गेरूकमुख एच.ई. परियोजना			
	46.	गुवाहाटी (आईओसी)			
	47.	गुवाहाटी, मालीगांव (रेलवे)			
	48.	जागीरोड (एचपीसी)			
	49.	जोरहाट संख्या II (ओएनजीसी)			
	50.	लुमडींग			
	51.	नामरूप (एचएफसी)			

1	2	3	4	5	6
**असम	52.	सिबसागर संख्या I (ओएनजीसी)			
	53.	सिबसागर संख्या II नाजिरा (ओएनजीसी)			
	54.	सोनाई रोड (ओएनजीसी)			
	55.	एनआईटी, सिल्चर			
लक्षद्वीप	1.		**लक्षद्वीप**	1	**कावरती**
**मणिपुर	1.	इम्फाल संख्या I (लामफेलपाट)	**मणिपुर	1	चुराचांदपुर
	2.	इम्फाल संख्या II (सीआरपीएफ)		2.	तमैंगलांग
	3.	इम्फाल संख्य III (लेइमाखोंग)		3.	उखरूल
	4.	लोकताक (एचईपी)			
**मेघालय	1.	बरपानी (एनईपीए)	**मेघालय	1.	तुरा
	2.	शिलांग (हैप्पी वैली)			
	2.	शिलांग (लैतकोर पीक) (एएफएस)			
	3.	शिलांग (अपर)			
	5.	उमरोई कैंट			
	6.	शिलांग (नेहू)			
**मिजोरम	1.	आइजोल	**मिजोरम	1.	लुंगलेह
	2.	चम्फाई, जिला-चम्फाई			
	3.	मिजोरम विश्वविद्यालय, तन्हरील, आइजोल			
**नागालैंड	1.	दीमापुर (सीआरपीएफ)	**नागालैंड	1.	तुली

1	2	3	4	5	6
**नागालैंड	2.	कोहिमा, लेरी हिल (सीआरपीएफ)			
	3.	रंगा पहाड़ कैंट			
	4.	जख्मा			
**सिक्किम	1.	गंगटोक			
	2.	तीस्ता (एनएचपीसी)			
**त्रिपुरा	1.	अगरतला संख्या 1 (कुंजबन)			
	2.	बागफा (बीएसएफ)			
	3.	कैलाशहर			
	4.	पानीसागर (बीएसएफ)			
	5.	धलाई			
	6.	बीएसएफ तालियामुड़ा, खासियामंगल			
	7.	जीसी सीआरपीएफ अगरतला			
	8.	एनआईटी अगरतला			
	9.	अगरतला संख्या II (ओएनजीसी)			
बिहार	1.	जवाहर नगर			
	2.	मशराख			
	3.	श्योहर			
छत्तीसगढ़	1.	बैकुण्ठपुर	छत्तीसगढ़	1.	*बैलाडीला (दंतेवाड़ा)
	2.	झगराखंड एसईसीएल		2.	*किरनदूल
	3.	*जगदलपुर		3.	जशपुर
	4.	चिरमिरी		4.	*बछेली
	5.	*कांकेर			

1	2	3	4	5	6
दमन और दीव	1.	दीव			
गुजरात	1.	धारंगधरा (आर्मी)			
	2.	एएफएस समाना			
	3.	एएफएस नालिया			
	4.	एएफएस भुज			
	5.	बीएसएफ दांतीवाड़ा			
	6.	ओखा पोर्ट			
	7.	भुज कैंट			
	8.	वाल्सुरा आईएनएस			
हिमाचल प्रदेश	1.	नादौन	हिमाचल प्रदेश	1.	आईटीबीपी सराहन
	2.	नलेती		2.	रिकोंग पीईओ (एचपी)
	3.	कसौली एएफएस		3.	सैंज कुल्लू
	4.	सुबाथू		4.	लाहुल स्पिति
	5.	आर्मी बकलोह			
	6.	एनएचपीसी चमेरा			
	7.	संख्या 2 चमेरा			
जम्मू और कश्मीर	1.	दुलहस्ती किस्तवाड़	जम्मू और कश्मीर	1.	नूबरा
	2.	बदरवाह		2.	कारगिल
	3.	जिंदराह		3.	लेह
	4.	शिकारपुर		4.	तंगधार
	5.	बीएसएफ राजौरी		5.	बीएसएफ बांदीपुर
	6.	बारामुला			
	7.	उरी			
	8.	एएफएस अवंतीपुर			

1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	9.	पहलगांव			
	10.	अनंतनाग			
	11.	संख्या 1 श्रीनगर			
	12.	संख्या 2 श्रीनगर			
	13.	संख्या 3 श्रीनगर			
	14.	गुलमर्ग			
झारखंड	1.	*लातेहर	झारखंड	1.	एएफएस सिंहार्षि
	2.	*गढ़वा			
	3.	*मेघाहातुब्रु			
कर्नाटक	1.	दोनीमलाई			
	2.	कुद्रेमुख			
मध्य प्रदेश	1.	बरकुही			
	2.	भिंड			
	3.	झाबुआ			
	4.	आईटीबीपी करेरा			
	5.	नर्मदानगर			
	6.	सरनी			
	7.	डिंडोरी			
	8.	जमुना कॉलरी			
	9.	सिद्धी			
महाराष्ट्र	1.	करंजा नाद			
ओडिशा	1.	कोरापुट			
	2.	नद सुनाबेदा			

1	2	3	4	5	6
ओडिशा	3.	बोलांगिर संख्या 1 ओएफ			
	4.	*मलकानगिरी			
	5.	नब्रांगपुर			
	6.	*रायगदा			
	7.	*गजापति			
	8.	कंधमाल			
	9.	भवानीपटना			
	10.	कुतरा			
पंजाब	1.	संख्या 3 एएफएस भटिंडा			
	2.	जलालाबाद बीएसएफ			
राजस्थान	1.	नाल बीकानेर			
	2.	एएफएस उत्तरलाई (बाड़मेर)			
	3.	जलीपा कैंट			
	4.	बीएसएफ डाबला			
	5.	बीएसएफ अनुपगढ़			
	6.	जैसलमेर एएफएस			
	7.	लालगढ़ जत्तन			
	8.	पोखरण बीएसएफ			
	9.	संख्या 1 एएफएस सुरतगढ़			
	10.	संख्या 2 एएफएस सुरतगढ़			
	11.	सुरतगढ़ कैंट			
	12.	एसटीपीएस सुरतगढ़			
उत्तर प्रदेश	1.	चांदीनगर एएफएस			
	2.	तालबेहट			

1.	2	3	4	5	6
उत्तराखंड	1.	उत्तरकाशी			
	2.	एनएचपीसी धारचुला			
उत्तराखंड	3.	जोशीमठ			
	4.	आईवीआरआई मुक्तेश्वर			
	5.	ग्वालडोम			
	6.	कौसानी			
	7.	लैंसडौन			
	8.	आईटीबीपी मिरथी			
	9.	मसूरी			
	10.	पिथौरागढ़			
	11.	राजगरही			
	12.	सौरखंड			
	13.	पौड़ी			
	14.	गौचर			
	15.	न्यू टेहरी टाउन			
	16.	अल्मोड़ा			
	17.	अगस्तयमुनि			
	18.	लोहघाट			
पश्चिम बंगाल	1.	हासीमारा			
	2.	कलिमपोंग			
	3.	बिनागुरी संख्या 1			
	4.	बिनागुरी संख्या 2			

टिप्पणी: *नक्सल प्रभावित केन्द्रीय विद्यालय।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र केन्द्रीय विद्यालय।

[अनुवाद]

क्लाउड सर्विस/कम्प्यूटिंग

4280. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में क्लाउड सर्विस/कम्प्यूटिंग हेतु सुरक्षित एवं प्रगतिशील पारिस्थितिकी विकसित करने के लिए उद्योग और अकादमियों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्लाउड सर्विस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ऐसे सहयोग के लिए अब तक पहचान की गई एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सहयोगों को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा; और

(ङ) इस सर्विस के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) क्लाउड आधारित सेवाएं सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (एसएएएस), सुदूर होस्ट की जाने वाली सेवाएं जैसी सेवा के रूप में मूल संरचना (एलएएएस) तथा सेवा के रूप में प्लेटफार्म (पीएएसएस) जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने हेतु संगठन के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए एक मौका उपलब्ध कराता है। यह ई-शासन पहलों और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उद्योगों द्वारा अपने हित के लिए इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग के तरीकों को भी बदलने का विश्वास दिलाता है। यह परिकल्पना की जाती है कि क्लाउड कम्प्यूटिंग शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों को भी बहुत लाभ पहुंचाएगी। क्लाउड आधारित सेवा नमूने निजी स्रोतों, समुदाय, आम जनता तथा हाइब्रिड तरीकों के माध्यम से बहुत तरीकों से परिनियोजित किया जा सकता है। तथापि, मूल संरचना, सुरक्षा और सूचना की निजता के संदर्भ में क्लाउड सेवाओं के कार्यान्वयन में मुश्किलें हैं।

देश में सरकार को उपलब्ध दोनों व्यवसाय, सामाजिक लाभ तथा लीपफ्रौगिंग के अवसर के संबंध में क्लाउड कम्प्यूटिंग द्वारा दी गई शक्ति को देखते हुए उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से क्लाउड सेवाओं को समर्थ बनाने एवं उसको बढ़ावा देने के लिए एक ढांचे और कार्य-नीति की आवश्यकता है। ढांचे में, विशेषकर सुरक्षा, निजता और नियामक मूलसंरचना की आवश्कयताएं, वैधानिकता (क्लाउड/डेटा आधिपत्य) इत्यादि से संबंधित नीतियां व्यापक और एकीकृत रूप से शामिल हैं।

इस संदर्भ में सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ढांचा निजी और सरकारी क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं में निवेश को बढ़ावा देगा। उद्योग और शिक्षा जगत इसे प्रमुख स्टेकहोल्डर होंगे। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें चार राज्यों में कार्यप्रणाली की जांच करने तथा उसका सत्यापन करने के लिए परिकल्पना का साक्ष्य सहित ई-शासन सेवाएं देने के लिए क्लाउड की स्थापना कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अभियोजन हेतु अनुमति लेना

4281. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीआई ने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार से अनुमति चाही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिकारी उनके विरुद्ध की गई जांच के बाद दोषी पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सीबीआई को अभियोजन की अनुमति प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह अनुमति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): *(क)* से (घ) मामले का अन्वेषण/जांच करने के पश्चात्, सीबीआई प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/संबंधित मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट भेजता है तथा भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत आरोपी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी मांगता है।

सी.बी.आई. द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार, 31.10.2012 तक की स्थिति के अनुसार, 207 अनुरोधों को समाहित करने वाले ऐसे 92 मामले हैं जिनमें अभियोजन के लिए मंजूरी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास लंबित हैं।

(ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 18 दिसंबर, 1997 के अपने निर्णय के जरिए निदेश दिया था कि "अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए तीन माह की समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तथापि, एक माह के अतिरिक्त समय की अनुमति ऐसे मामले में दी जाएगी जहां महान्यायवादी के कार्यालय में महान्याय्वादी (एजी) अथवा किसी विधि अधिकारी के साथ परामर्श की अपेक्षा होती है।"

कभी-कभी निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करना संभव नहीं होता है। कुछ मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने में विलंब अधिकांशतः भारी भरकम मामला रिकार्डो एवं साक्ष्य की विस्तृत जांच-पड़ताल एवं विश्लेषण करने, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करने, तथा कभी-कभी संगत दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण होता है।

तथापि, अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने में होने वाले विलंब को रोकने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 06.11.2006 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 399/33/2006-एवीडी-III के द्वारा और इसके पश्चात् दिनांक 20-12-2006 के अन्य कार्यालय ज्ञापन के द्वारा पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें लोक सेवकों के अभियोजन के लिए सीबीआई से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक चरण में निश्चित समय-सीमा की व्यवस्था की गई है।

भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने, अपनी प्रथम रिपोर्ट में, लोक सेवकों के अभियोजन की मंजूरी के लिए अनुरोधों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ संस्तुतियां भी की थीं जिनमें शामिल थीं: ऐसे मामलों के संबंध में 3 माह के भीतर पर निर्णय करना; मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर ऐसे मामलों की निगरानी करना तथा मंत्रिमंडल सचिव को रिपोर्ट सौंपना; तथा मंजूरी देने के लिए इन्कार करने की स्थिति में, सूचना के लिए अगले उच्चतर प्राधिकारी को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपना (जहां सक्षम प्राधिकारी मंत्री हैं, उस स्थिति में ऐसी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाए)। जीओएम की उक्त संस्तुति को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा सरकार द्वारा दिनांक 03.05.2012 को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार ने दिनांक 20-07-2012 को एक और अनुदेश जारी किया जिसमें, स्पष्टीकरणों/पुरर्विचार के लिए सीबीआई/सीवीसी के साथ बार-बार पत्राचार से बचने जैसी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 03.05.2012 को काज्ञा द्वारा यथासंशोधित दिनांक 06.11.2006 एवं 20.12.2006 के कार्यालय ज्ञापनों में समाविष्ट अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की पुनः सलाह दी गई थी।

राष्ट्रीय नवाचार छात्रवृत्ति

4282. **डॉ. बलीराम:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसी नवाचारी कार्य में विशेष प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों हेतु एक राष्ट्रीय नवाचार छात्रवृत्ति प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थियों को किस शैक्षिक-कक्षा स्तर से सम्मिलित किए जाने और उन्हें कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) स्कूल स्तर पर राष्ट्रीय नवाचार छात्रवृत्तियों संबंधी स्कीम के तौर-तरीकों की सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय नवाचार परिषद (एनआईसी), भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अवर-स्नातक स्तर तक इसी प्रकार की स्कीम के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इन समितियों की सिफारिशें प्रतीक्षारत हैं।

[अनुवाद]

अध्ययनोत्तर-कार्य वीजा

4283. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम ने भारतीयों के लिए अध्ययनोत्तर कार्य-संबंधी नियमों को कड़ा किया है और उन्हें केवल ऐसी नौकरियां ही करने की अनुमति दी गई है जो उनकी शैक्षिक अर्हता से साम्य रखती हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वीजा-नियमों में इस परिवर्तन का विरोध करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) यूनाइटेड किंगडम द्वारा अपनाए गए नए अप्रवासन उपायों के भाग के रूप में अप्रैल, 2012 से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अध्ययनोत्तर-कार्य (स्तर-1) का रास्ता तब तक बंद कर दिया गया है जब तक वे आश्रित न हों या जिन्हें अध्ययनोत्तर-कार्य वीजा पहले ही दिया जा चुका है और जो यू.के. में रहने लगे हैं। यू.के. से डिग्री प्राप्त कर स्नातक होने वाले छात्र अपना छात्र-वीजा समाप्त होने से पहले कार्य वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनके पास किसी लाइसेंस प्राप्त (स्तर-2) प्रायोजक से ऐसी नौकरी का प्रस्ताव होना चाहिए जिसमें कौशल की जरूरत होती है। न्यूनमत वेतन की शुरुआत 20,000 पाउण्ड प्रतिवर्ष से होती है। हालांकि से उपाय सामान्य हैं और ये विशिष्ट रूप से भारतीयों पर लक्षित नहीं हैं। इस मामले में भारत की चिंताओं से यू.के. पक्ष को जून, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित विदेशी आधिकारिक परामर्श के दौरान सहित कई अवसरों पर सूचित किया गया है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

4284. श्री अरविन्द कुमार चौधरी:

श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु सभी राज्यों के सभी कॉलेजों/संस्थानों से संबंधित आवेदनों को स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कॉलेज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों की अध्येतावृत्ति हेतु सभी कॉलेजों को राज्य-वार और कॉलेज-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) स्वीकार नहीं किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2005-2012 की अवधि में कुल 32,353 अनुसूचित जाति (एससी) के अभ्यर्थियों ने राजीव गांधी अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन किया था जिसमें से कुल 28,463 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया था और 10,707 अभ्यर्थियों को राजीव गांधी अध्येतावृत्ति प्रदान की गई थी। इसी अवधि के दौरान, कुल 7,772 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अभ्यर्थियों ने राजीव गांधी अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन किया था जिसमें से 6,686 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया था और 4,163 अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई थी। वर्ष 2012-13 के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

(ख) उम्मीदवार-वार और कॉलेज-वार अध्येतावृत्ति के ब्यौरे *www.ugc.ac.in* पर उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 2012-13 से राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता निम्नलिखित वित्तीय सहायता के लिए पात्र है:-

मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञानों, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	रु. 16,000/- प्रतिमाह की दर से आरंभिक दो वर्षों के लिए	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति
	रु. 18,000/- प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए	वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति
आकस्मिकता, क	रु. 10,000/- प्रतिवर्ष की दर से आरंभिक दो वर्षों के लिए	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान
	रु. 20,500/- प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए	

आकस्मिकता, ख	रु. 12,000/- प्रतिवर्ष की दर से आरंभिक दो वर्षों के लिए रु. 25,000/- प्रतिवर्ष की दर से अवधि के लिए	विज्ञान इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी
विभागीय सहायता	मेजबान संस्था को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रु. 3,000/- की दर से	सभी विषयों के लिए
एस्कॉर्ट्स/रीडर सहायता	शारीरिक तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामले में रु. 2,000/- प्रतिमाह	सभी विषयों के लिए
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थान के नियमानुसार	सभी विषयों के लिए

उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार, अध्येतावृत्ति की राशियां अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता को जारी की जाती हैं। अब तक, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत चुने गए अभ्यर्थियों के संबंध में जारी किए गए अनुदान की राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जैसाकि उत्तर के भाग (क) में उल्लेख किया गया है, सभी अभ्यर्थियों को यह अध्येतावृत्ति प्रदान नहीं की गई है। सभी अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जो उस वर्ष के लिए *www.ugc.ac.in* पर दर्शाई गई अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता सूची में शामिल है, या तो अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए पात्र अथवा उपयुक्त नहीं पाए गए हैं। यूजीसी ने सूचित किया है कि यूजीसी की एक विशेषज्ञ समिति इस योजना के मानदंडों और मानकों के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन तथा प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या का निर्धारण करती है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृद्धि योजना के तहत चुने गए अभ्यर्थियों के संबंध में जारी किए गए अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति योजना के तहत अध्यतावृत्तियों के संबंध में व्यय	
		अनुसूचित जाति के अध्येता	अनुसूचित जनजाति के अध्येता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	36,25,15,116	25,09,52,651
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2,50,000
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,30,000	4,53,40,000
4.	असम	9,69,14,576	7,23,10,000
5.	बिहार	16,15,03,373	71,10,000

1	2	3	4
6.	चंडीगढ़	1,31,92,575	92,50,000
7.	छत्तीसगढ़	5,03,87,288	4,22,30,000
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0
9.	दमन और दीव	0	0
10.	दिल्ली	48,52,61,723	13,79,07,492
11.	गोवा	0	0
12.	गुजरात	8,45,27,488	12,02,20,000
13.	हरियाणा	11,46,41,141	3,80,000
14.	हिमाचल प्रदेश	4,67,90,000	2,71,80,000
15.	जम्मू और कश्मीर	3,08,50,000	2,23,40,000
16.	झारखंड	3,08,27,488	7,66,50,000
17.	कर्नाटक	30,16,70,014	13,42,92,684
18.	केरल	7,22,40,534	80,99,400
19.	लक्षद्वीप	0	6,00,000
20.	मध्य प्रदेश	25,48,73,495	19,16,84,073
21.	महाराष्ट्र	29,41,74,906	9,82,25,211
22.	मणिपुर	2,06,50,000	6,15,50,000
23.	मेघालय	1,14,70,000	12,09,26,304
24.	मिजोरम	22,50,000	3,17,20,000
25.	नागालैंड	23,97,288	3,57,30,000
26.	ओडिशा	10,97,67,670	6,57,70,000
27.	पुदुचेरी	5,29,10,000	35,00,000
28.	पंजाब	18,83,77,288	13,87,038
29.	राजस्थान	38,31,50,524	34,36,80,036

1	2	3	4
30.	सिक्किम	5,00,000	9,00,000
31.	तमिलनाडु	41,19,38,438	6,61,00,000
32.	त्रिपुरा	29,77,288	18,40,000
33.	उत्तर प्रदेश	96,28,20,412	3,16,96,345
34.	उत्तराखंड	6,52,89,984	2,77,17,600
35.	पश्चिम बंगाल	17,69,98,215	5,86,05,176
	कुल	4,79,19,96,824	2,07,91,44,010

[अनुवाद]

सीवीसी के अनुदेशों का अनुपालन

4285. **श्री हरीश चौधरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संवेदनशील पदों की पहचान करने और इन पर पदस्थ अधिकारियों का चक्रानुक्रम में स्थानांतरण करने के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सीवीसी के अनुदेशों का अनुपालन न करने पर मंत्रालयों/विभागों के केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 15.4.1999 और 2.11.2001 के परिपत्र संख्या 98/वीजीएल/60 और दिनांक 1.5.2008 के परिपत्र संख्या 17/4/08 के तहत अपने सलाहकर अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले संगठनों को यह अनुदेश जारी किया है कि वे संवेदनशील पदों की पहचान करें और इन पदों पर हर 2 से 3 वर्ष में चक्रानुक्रम (रोटेशनल) स्थानांतरण लागू करे जिससे इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों की निहित स्वार्थ की भावना को बढ़ने से रोका जा सके।

संवेदनशील पदों की पहचान करना और इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों का चक्रानुक्रम (रोटेशनल) स्थानांतरण एक सतत् प्रक्रिया है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने संगठन के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों को आलोक के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आयोग को 246 संगठनों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

(ग) उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्वयं ही मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

[हिन्दी]

दक्षिणी चीन सागर विवाद

4286. **श्रीमती ऊषा वर्मा:**
श्री महेश्वर हजारी:
श्री हर्ष वर्धन:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने प्रादेशिक दावे को दोहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत द्वारा इस संबंध में क्या रुख अपनाया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रश्न चीन सहित कई देशों के बीच विवाद का मुद्दा है। भारत इस विवाद का पक्षकार नहीं है और इसका मानना है कि इस मुद्दे का समाधान संबंधित देशों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने इस दृष्टिकोण को दोहराया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा पद्धतियों के स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता तथा मार्ग के अधिकार का समर्थन करता है। सभी देशों द्वारा इन सिद्धान्तों का सम्मान किया जाना चाहिए।

देवनागरी लिपि में सॉफ्टवेयर

4287. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा हिन्दी शिक्षण का मानक पाठ्यक्रम तैयार कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोगार्थ तैयार किए गए/तैयार किए जा रहे सॉफ्टवेयर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु इस कार्य में निकट भविष्य में हिन्दी के कितने विद्वानों को संलग्न किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी), वर्धा, हिन्दी भाषा और साहित्य के संवर्धन और विकास के लिए स्थापित एक स्वायत्त संस्था है जो अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाई गई सांविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होता है। एमजीएएचवी ने सूचित किया है कि दिनांक 22-24 सितम्बर, 2012 को जोहनसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुए 9वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में उन्हें, भारत से बाहर, हिन्दी के शिक्षण हेतु एक मानक पाठ्यचर्या तैयार करने का कार्य सौंपने का प्रस्ताव पास किया गया था। मानक पाठ्यचर्या तैयार करने का कार्य सौंपने का प्रस्ताव पास किया गया था। मानक पाठ्यचर्या तैयार करने संबंधी प्रथम कार्यशाला, विश्वविद्यालय के परिसर में दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को प्रारम्भ हो गई है।

(ख) एमजीएएचवी द्वारा देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर को तैयार नहीं किया गया था। तथापि, विश्व की विभिन्न संस्थाएं, जिनमें भारत की कुछ संस्थाओं, अर्थात् भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस), बंगलौर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआई-आईटी) और उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (सीडीए) शामिल हैं, ने लिपि के रूप में देवनागरी के हिन्दी प्रयोगार्थ विभिन्न सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। इनमें से कुछ में से हिन्दी भाषा की सहायता के लिए सर्च इंजन, हिन्दी टंकण सीखने हेतु ट्यूटर, की बोर्ड ड्राईवर, जीआईएसटीओटी टाईपिंग एसके, आई-प्लगिन, एलआई-एलए, ई-महाशब्दकोश, मंत्र-राजभाषा, श्रुतलेखन-राजभाषा, वचान्तर-राजभाषा, ऑनलाईन हिन्दी वर्डनेट, बहुभाषी ऑनलाईन वीडियो/एडीटर/करेक्टर जनरेटर, हिन्दी भाषा समर्थित डॉट मैट्रिकस और पीओएस प्रिंटर्सज तथा मशीन अनुवाद पद्धतियों को प्रोत्साहित करने जैसे उदाहरण शामिल है।

(ग) कोई संख्या देना संभव नहीं है क्योंकि केवल हिन्दी में छात्रवृत्ति देना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट संगठन में रोजगार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

[अनुवाद]

स्टॉम्प-शुल्क का भुगतान

4288. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि डीडीसीए द्वारा दिल्ली में फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का पट्टा-विलेख कराने के लिए डीडीए को प्रदत्त स्टॉम्प-शुल्क का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): डीडीए ने सूचित किया है कि वह लीज डीड के निष्पादन के लिए स्टॉम्प-शुल्क नहीं लेता है।

शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र

4289. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कुछ राज्य सरकारों ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत स्थापित शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) केन्द्रों के केवल अवसंरचनात्मक भाग को ही लेते हुए उन्हें सरकारी निम्न प्राथमिक विद्यालयों में उन्नीत किया है और कार्यरत अध्यापकों को इसमें सम्मिलित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्नीत ईजीएस केन्द्रों की सूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विद्यालय को इस हेतु जारी की गई राशि सहित प्राप्त सफलताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ईजीएस में वर्ष 2003 से 'शिक्षा मित्र' के रूप में कार्य कर रहे अध्यापकों को नियमित करने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए व उपबंध किए गए हैं और क्या नीति अपनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) केन्द्रों का प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में, जैसी भी स्थिति हो, उन्नयन करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। इस प्रकार उन्नयन किए गए स्कूलों के लिए भवनों तथा/अथवा अतिरिक्त अध्यापकों के लिए निधीयन की व्यवस्था संबंधित राज्यों की मांग के अनुसार की जाती है। इन स्कूलों के लिए अध्यापकों की भर्ती राज्यों द्वारा अपने भर्ती और अध्यापक संवर्ग नियमों के अनुसार की जाती है। स्कूलों के रूप में उन्नयन किये गये ईजीएस केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अध्यापक संवर्ग विनियमन और सेवा नियम संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 23 में यह अधिदेश दिया गया है कि केवल वही व्यक्ति प्रारंभिक स्कूल अध्यापक के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे जिनके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 23.08.2010 को जारी उनकी अधिसूचना के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं हैं।

विवरण

शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	ईजीएस केन्द्रों की संख्या	उन्नयन किए गए स्कूलों को दी गई सुविधाएं		
			संस्वीकृत भवन	संस्वीकृत अध्यापक	शिक्षण अधिगम उपकरण
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	8	34	17
2.	आंध्र प्रदेश	1175	1053	1618	1175
3.	अरुणाचल प्रदेश	956	1015	1912	956
4.	असम	5054	2721	10108	5054
5.	बिहार	7723	7723	15446	7723
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	6207	559	12414	6207
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
10.	दिल्ली	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0
13.	हरियाणा	0	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	40	40	80	40
15.	जम्मू और कश्मीर	5986	4225	11972	5550
16.	झारखंड	7878	1233	15756	7878
17.	कर्नाटक	446	1411	482	446
18.	केरल	366	124	732	366
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	27532	8449	71352	26613
21.	महाराष्ट्र	5009	3676	4486	5009
22.	मणिपुर	456	545	912	456
23.	मेघालय	1917	1650	2834	1917
24.	मिजोरम	240	240	523	240
25.	नागालैंड	119	22	238	119
26.	ओडिशा	3191	933	6382	3191
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0
28.	पंजाब	173	173	346	173
29.	राजस्थान	21776	3412	41235	21776
30.	सिक्किम	15	5	30	15
31.	तमिलनाडु	452	290	742	452
32.	त्रिपुरा	206	206	412	206
33.	उत्तर प्रदेश	3608	3562	7216	3608

1	2	3	4	5	6
34.	उत्तराखंड	738	738	1484	738
35.	पश्चिम बंगाल	17627	0	46362	17627
	कुल	118907	44013	255108	117552

स्रोत: पीएबी कार्यवृत्त।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

4290. **श्री मकनसिंह सोलंकी:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में उच्च शिक्षा हेतु जवाहर नवोदय विद्यालयों (ज.न.वि.) के विस्तार की एक योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न ज.न.वि. में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या कला और खेलकूद जैसे नए क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय के अंतर्गत नए स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) महाराष्ट्र व देश में ऐसे कितने स्कूल खोले जा रहे हैं और इन्हें खोलने के उद्देश्य से किन-किन क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) देश भर में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों में 2,29,871 छात्र नामांकित हुए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विलयित कंपनियों से स्पेक्ट्रम-प्रभार

4291. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि विद्यमान प्रचालक प्राइम बैण्ड-स्पेक्ट्रम में 2.5 मेगाहट्र्ज आवृत्ति धारित कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यदि कोई कंपनी किसी ऐसी कंपनी के साथ विलयन या उसका अधिग्रहण करती है जिसे स्पेक्ट्रम पुराने मूल्य पर आबंटित किया गया हो तो उसे इसका बाजार-मूल्य पर भुगतान करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) सरकार ने लाइसेंस के नवीकरण के समय वर्तमान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नीलामी-निर्धारित मूल्य के भुगतान के अध्यधीन और इसके अतिरिक्त 900 मेगाहट्र्ज बैण्ड के धारकों द्वारा नीलामी में भाग लेने और बोली लगाने के अध्यधीन, 900 मेगाहट्र्ज बैण्ड में 2.5 मेगाहट्र्ज तक के स्पैक्ट्रम को रखने का विकल्प देने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

(1) जहां अंतरितक (अधिग्रहित) कंपनी प्रदत्त प्रवेश शुल्क पर स्पैक्ट्रम धारण करती है, वहां अंतरिती (अधिग्रहण करने वाली) कंपनी (अर्थात् परिणामी विलयकृत निकाय)

से अपेक्षित है कि वह लाइसेंस(सों) की वैधता की शेष अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर प्रवेश शुल्क और वर्तमान नीलामी-निर्धारित मूल्य के अंतर का भुगतान सरकार को करे।

(2) यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र के विलय की अनुमति तभी दी जाएगी जब दोनों लाइसेंसधारक एकबारगी प्रभार लगाने के संबंध में स्पैक्ट्रम के मूल्य-निर्धारण पर सरकार के निर्णय के अनुसार अपनी संबंधित धारिताओं के लिए भुगतान भी कर चुके हों।

(3) यदि स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए प्राप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नीलामी की संगत शर्तें लागू होंगी।

[हिन्दी]

छठे वेतन आयोग के लाभ

4292. श्री भूदेव चौधरी:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त हो गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत छठे वेतन आयोग के लाभों से वंचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी के एक समूह ने इस मुद्दे पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से संपर्क किया था;

(घ) यदि हां, तो 'कैट' द्वारा दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधन हेतु छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) दिनांक 192008 के अनुसार जारी किए गए थे। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.1 के अनुसार, 2006 से पूर्व के जीवित पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन को निम्न को एक साथ जोड़ कर दिनांक 1.1.2006 से समेकित किया जाएगा: (i) वर्तमान पेंशन/परिवार पेंशन, (ii) महंगाई पेंशन, जहां लागू होता हो, (iii) महंगाई पेंशन सहित मूल पेंशन/परिवार पेंशन के 24 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत, और (iv) वर्तमान पेंशन/परिवार पेंशन के 40 प्रतिशत की, दर पर फिटमेंट भारांश। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 में, यह बताया गया है कि निर्धारण इस प्रावधान के अधीन होगा कि किसी भी मामले में, संशोधित पेंशन संशोधित पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के तदनुरूप ग्रेड पे सहित पे बैंड में न्यूनतम वेतन के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी। इन आदेशों को पेंशन संवितरण बैंकों को भी पेंशन के संशोधन पर बकाया राशियों की तुरंत अदायगी के लिए उपलब्ध कराया गया था।

तद्नुसार, इस संबंध में कुछ शंकाएं उठाए जाने पर, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी एंड पीडब्ल्यू (ए), दिनांक 3.10.2008 और 14.10.2008 जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया था कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के पैरा 4.2 के तहत ग्रेड पे सहित पे बैंड में न्यूनतम वेतन के पचास प्रतिशत पर परिकलित की गई पेंशन को संशोधन - पूर्व वेतनमान के तद्नुरूप ग्रेड पे सहित पे बैंड में (संशोधन - पूर्व वेतनमान का विचार किए बिना) न्यूनतम वेतन पर संगणित किया जाएगा। जहां, दिनांक 1.1.2006 को यथा प्रयोज्य सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 49 के अनुसार, पूरी पेंशन के लिए पेंशनभोगी की सेवा अधिकतम अपेक्षित सेवा से कम हो वहां पेंशन को यथानुपात घटा दिया जाएगा और किसी भी मामले में यह 3500 रु. प्रति माह से कम नहीं होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त हो गए कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर कुछ याचिकाओं के आधार पर, माननीय अधिकरण ने धारित किया कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08 - पी एंड पीडब्ल्यू (ए), दिनांक 3.10.2008 और 14.10.2008 के अनुसार जारी किए गए स्पष्टीकरण छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और दिनांक 1.9.2008 के

कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप नहीं थे। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने दिनांक 28.8.2008 के संकल्प के आधार पर और माननीय कैट के दिनांक 1.11.2001 के निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए 2006 से पूर्व सेवानिवृत हुए सभी कर्मचारियों की पेंशन को दिनांक 1.1.2006 से दुबारा निर्धारित करने का निर्देश दिया।

(ङ) सरकार ने माननीय कैट के दिनांक 1.11.2011 के निर्णय को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन हैं।

यू.पी.एस.सी. परीक्षा में मापांकन-प्रणाली

4293. **श्री मधुसूदन यादव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उनके द्वारा मापांकन-प्रणाली अपनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अनुप्रयुक्त गणितीय प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में मापांकन-प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) महोदया, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं के संबंध में इस समय मापांकन-प्रणाली को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं अपनाया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में, स्कीम में कोई भी नीतिगत बदलाव संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है और केन्द्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार

4294. **श्री प्रेमदास:**
श्री हरीश चौधरी:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कितने मामले सूचित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा कितने मामलों की जांच की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किया जाता है, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सूचित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	भ्रष्टाचार मामले	अनिमितताएं
2009	08	1024
2010	02	933
2011	03	893
2012 (11/2012 तक)	03	1106
कुल	16	3956

(ख) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि डीडीए द्वारा सभी मामलों की जांच की गई तथा प्रारम्भिक जांच के उपरांत 3021 मामले बंद कर दिए गए, 235 मामलों की और जांच की गई तथा निपटाए गए तथा शेष मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा की गई और की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) डीडीए ने सूचित किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उसने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) भ्रष्टाचार पर कठोरता से रोक लगाने और उसके तर्कसंगत परिणाम हेतु भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करने के सभी प्रयास किये जाते हैं।

(ii) विभिन्न उपायों के माध्यम से उच्च पारदर्शिता लायी गयी है तथा आम जनता डीडीए के अधिकारियों से पूर्व नियोजित समय लिए बिना सोमवार और वीरवार को मिल सकती है। आम जनता प्रत्येक बुद्धवार को 2.30 बजे से उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण से भी पूर्व नियोजित समय लिए बिना, बशर्ते कि वे कार्यालय में उपलब्ध हों, मिल सकती है।

(iii) आवासीय और ग्रुप हाउसिंग फ्लैटों के संबंध में लीज होल्ड का फ्री होल्ड में परिवर्तन और टैंट स्थलों का आबंटन आनलाइन किये गये हैं।

(iv) किए गए निवारक उपाय: पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को डीडीए की वेबसाइट पर डाला जा रहा है।

(v) दण्डात्मक कार्रवाई: भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए गए कर्मचारियों पर नियमों के अनुसार उपयुक्त शास्ति लगाई जाती है।

(vi) डीडीए के सतर्कता विभाग द्वारा फाइलों की औचक जांच, जन सम्पर्क दिवस मनाना और सतर्कता जागरूकता आदि कार्य किए जाते हैं।

(vii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2012 के दौरान सतर्कता हैल्प लाइन शुरू की गई है।

विवरण

भ्रष्टाचार मामलों में संलिप्त पाए गए कर्मचारियों एवं दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा:

वर्ष	नाम/सर्वश्री/	पदनाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2009	1. एस.सी. गौतम (सिविल)	कनिष्ठ अभियंता	दोषी पाए गए और बर्खास्त कर दिए गए।
	2. सुरेन्द्र सिंह	पटवारी	दोषी पाए गए और अनिवार्यत: सेवा निवृत किया गया।
	3. के.आर. पंत	एफ.आई.	दोषी पाए गए और सेवा से हटाए गए।
	4. वीर करण चुग	पर्यवेक्षक	दोषी पाए गए और अनिवार्यत: सेवा निवृत किया गया।
	5. श्रीमती रमा त्यागी	चपरासी	दोषी पाए गए और सेवा से हटाए गए।
	6. गुरु प्रसाद	उ.श्रे.लि.	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	7. कपिल देव प्रसाद	सहायक अभियंता	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	8. एम.के. शर्मा	कनिष्ठ अभियंता	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	9. वेद प्रकाश नागर एवं अन्य	उ.श्रे.लि.	मामला न्यायालय में चल रहा है।

1	2	3	4
	10. गोपाल	उ.श्रे.लि.	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	11. वेद प्रकाश	सहायक निदेशक	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	12. इकबाल अली	ए.एस.आई.	दोषी पाए गए और सेवा में हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
	13. जगदीश चन्द्रा	एफ.आई.	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	14. प्रकाश चन्द्र	सहायक अभियंता	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	15. विनोद कुमार गुप्ता	कनिष्ठ अभियंता	मामला न्यायालय में चल रहा है।
2010	1. एम.एस. त्यागी	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त किए गए।
	2. इश्वर सिंह पंवार	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त किए गए।
	3. महेश कुमार	पटवारी	दोषी पाए गए और अनिवार्यत: सेवा निवृत किया गया।
	4. धर्मवीर सिंह	पटवारी	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त किए गए।
	5. राजेश कुमार बलयान	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त किए गए।
	6. एस.के. कटारिया	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त किए गए।
	7. इकबाल सिंह मान	पटवारी	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त किए गए।
	8. लक्ष्मण सिंह	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	9. जय सिंह	अ.श्रे.लि.	मामला न्यायालय में चल रहा है।
2011	1. वेद प्रकाश	अ.श्रे.लि.	अनिवार्यत: सेवा निवृत किया गया।
	2. अजीत कुमार	अ.श्रे.लि.	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त कर दिए गए।
	3. प्रदीप कुमार शर्मा	ए.ए.ओ.	अनिवार्यत: सेवा निवृत किया गया।
	4. टी.आर. मेन्दीरत्ता	अ.श्रे.लि.	अनिवार्यत: सेवा निवृत किया गया।
	5. हरी मोहन	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	अनिवार्यत: सेवा निवृत किया गया।
	6 श्री राम शर्मा	चैन मैन	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त कर दिए गए।
	7. आई.पी. उनयाल	सर्वेक्षक	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त कर दिए गए।
	8. दुर्गा नन्द मिन्ज	सहायक निदेशक (सिविल)	मामला न्यायालय में चल रहा है।

1	2	3	4
	9. एन.सी. गोडला	कार्यपालक अभियंता	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	10. कालीचरण	कार्यपालक अभियंता	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	11. प्रविन्द्र कुमार शर्मा	कनिष्ठ अभियंता	मामला न्यायालय में चल रहा है।
2012	1. धीरेन्द्र वर्मा	अनुभाग अधिकारी (बागवानी)	सेवा से हटा दिया गया।
	2. इकबाल अली	ए.एस.आई.	सेवा से हटा दिया गया।
	3. आर.एस. नेगी	सहायक	दोषी पाए गए और सेवा से बर्खास्त कर दिए गए।
	4. जयवीर सिंह	अनुभाग अधिकारी (बागवानी)	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	5. राज कुमार	चौकीदार	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	6. पी.एल. गर्ग	कनिष्ठ अभियंता	मामला न्यायालय में चल रहा है।
	7. बी.के. गर्ग	कनिष्ठ अभियंता	न्यायालय द्वारा विमुक्त किया गया।

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों में विज्ञान विषय के अध्यायों को सम्मिलित करना

4295. श्री राम किशुन:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों की पाठ्यपुस्तकों में नवीनतम आविष्कारों, उनके सिद्धान्तों और परीक्षणाभ्यासों का एक अध्याय जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्यार्थियों में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (आयुर्विज्ञान) विषयों के प्रति जिज्ञासा और उत्साह बढ़ाने के लिए इनकी पाठ्यपुस्तकों में प्रत्येक वर्ष के नोबेल पुरस्कार-विजेताओं का ब्यौरा भी प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ)-2005 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों में पाठ्यपुस्तकों सहित, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर 2006-2008 के दौरान नये पाठ्यक्रम विकसित किये हैं। पाठ्यपुस्तकों में संगत स्थानों पर नये आविष्कार का विषय शामिल किया है। पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त एनसीईआरटी विज्ञान और गणित के नये और प्रायोगिक क्षेत्रों की सामग्री के संबंध में अनुपूरक पाठ भी विकसित करती है।

(ग) और (घ) परिषद् चल रहे कार्यकलापों के भाग के रूप में पाठ्यपुस्तकों, अनुपूरक पाठ्य-सामग्री वैज्ञानिक किटों और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों के संशोधन का कार्य नियमित अंतरालों पर करती है। महान वैज्ञानिकों के योगदान से ऐसे प्रयास नये आविष्कार और विकास के क्षेत्र से संबंधित हैं। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली मास्टर प्लान की समीक्षा

4296. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 (एमपीडी-2021) की प्रथम मध्यावधिक समीक्षा में किए जाने वाले संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एमपीडी-2021 की प्रथम मध्यावधिक समीक्षा में भूमि-उपयोग के परिवर्तन और अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में एक नीति बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) दिल्ली मास्टर प्लान-2011 के संशोधन के भाग के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 1.10.2012 की अधिसूचना सा.आ. संख्या 2344(ई) के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसमें अन्य सुझावों पर विचार विमर्श के अलावा प्रस्तावित संशोधनों पर जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

(ख) और (ग) अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया की घोषणा दिनांक 24-03-2008 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 683(ई) के अंतर्गत अधिसूचित और दिनांक 16.06.2008 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 1452(ई) तथा दिनांक 06.06.2012 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 1297(ई) के अंतर्गत उसमें संशोधनों के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु विनियमनों के रूप में की गई है।

[अनुवाद]

राज्यों में व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति-आयु

4297. **श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति-आयु निर्धारित करने का निर्णय राज्य सरकारों पर ही छोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कदम उठाने का क्या उद्देश्य है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उक्त प्रस्तावित कदम से इस नौकरी हेतु आवेदन करने वाले नवशिक्षित योग्य व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नौकरी चाहने वाले नवशिक्षित योग्य लोगों के हित-संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) राज्य संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति-आयु का निर्धारण विशिष्ट रूप से संबंधित राज्य सरकारों की नीति-निर्माण शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विद्यालयों के लिए भूमि

4298. **श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विद्यालय खोलने हेतु भूमि के आबंटन हेतु क्या मानक रखे गए हैं;

(ख) वर्ष 1992 से 2012 तक राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में विद्यालय खोलने हेतु जिन संस्थानों को भूमि आबंटित की गई है, उनके संस्थान-वार और विद्यालय-वार नाम क्या हैं;

(ग) उक्त संस्थानों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का संस्थान-वार और विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त संस्थानों और विद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान-वार और विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध मलिन बस्तियां

4299. **श्री जयवंत गंगाराम आवले:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में पहाड़गंज और आराम बाग सहित विभिन्न स्थानों में सरकारी फ्लैटों के पीछे अवैध मलिन बस्तियां स्थित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली शहरी आश्रय (सैल्टर) सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने सूचित किया है कि आराम बाग में राजीव कैम्प सहित दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर सरकारी फ्लैटों के पीछे अनेक स्लम समूह स्थित हैं। किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, आराम बाग में राजीव कैम्प में 51 झुग्गियां स्थित हैं जिनमें से 23 ने पुनःस्थापन के लिए आवेदन किया है। पुनःस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। पात्रता निर्धारण समिति (ईडीसी) उन स्लम निवासियों की पात्रता का निर्धारण करती है जिन्होंने पुनः स्थापन के लिए आवेदन किया था।

सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा बनाए गए बंधक

4300. **डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:**
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मार्च में सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाए गए भारतीय नाविक अभी तक मुक्त नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। मार्च, 2012 से भारतीय नाविकों से भरे निम्नलिखित दो मर्चेंट पोतों का अपहरण कर लिया गया है:-

(i) सोमाली जलदस्युओं द्वारा एम.टी. रॉयल ग्रेस (पुराना नाम रॉयल लेडी) एक पनामा ध्वज वाले पोत का 2 मार्च, 2012 को अपहृत किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस जहाज पर इसके 22 सदस्यीय कर्मीदल में से 17 भारतीय नागरिक होने की सूचना है। पोत एवं बंधक सोमाली जलदस्युओं के कब्जे में हैं।

(ii) सोमाली जलदस्युओं द्वारा माउंट सेमेरिनी, एक लाईबेरियन ध्वज वाले पोत का 10 मई, 2012 को अपहरण कर लिया गया था, जिस पर 26 कर्मीदल थे, जिनमें 11 भारतीय, 4 फिलीपीनी और 1 रोमानियाई थे। पोत एवं बंधक अभी भी सोमाली जलदस्युओं के कब्जे में हैं।

(ग) सरकार सभी बंधक बनाए गए भारतीय समुद्री यात्रियों की शीघ्र रिहाई हेतु प्रयास करने के लिए जहाज मालिकों एवं अन्य संबंधितों के साथ मामला उठाने के लिए संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों तथा विदेश स्थित मिशनों के माध्यम से भरसक प्रयास कर रही है। सरकार ने भारतीय कर्मीदल वाले मर्चेंट पोत का समुद्र में अपहरण किये जाने से उत्पन्न बंधक की स्थिति से निपटने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह का भी गठन किया है।

[अनुवाद]

भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् के मध्य समझौता ज्ञापन

4301. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् की बैठक हाल में आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और न्यूजीलैंड ने किन्हीं समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन के बाद दोनों देशों के मध्य उच्च शिक्षा, संयुक्त अनुसंधान, विद्यार्थियों की

गतिशीलता, संकाय का विकास, आदि को किस हद तक बढ़ावा मिलेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् (आईएनजेडईसी) की पहली बैठक 19 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान संयुक्त अनुसंधान, छात्र गतिशीलता, संकाय विनिमय और प्रशिक्षण, देशी अध्ययन, मुक्त शैक्षिक संसाधन और प्रौद्योगिकी समर्थकारी अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षा ढांचा, कौशल विकास, नेतृत्व विकास, और कारोबारी शिक्षा और प्रशिक्षण के व्यावसायिक विकास आदि पर चर्चा की गई।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् की बैठक के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:-

(i) दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत और लिंकोलन विश्वविद्यालय तथा एशिया-पैसिफिक फुटबाल अकादमी, लिंकोलन, न्यूजीलैंड के बीच शैक्षिक भागीदारी करार।

(ii) दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत मैसी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन।

(iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), भारत और ओपन पॉलीटेक्निक ऑफ न्यूजीलैंड के बीच सहयोग ज्ञापन।

(iv) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और विक्टोरिया विश्वविद्यालय, वेलिंग्टन, न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन।

(v) पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, भारत और वैयारिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, न्यूजीलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समझौता ज्ञापन।

(vi) युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार तथा स्पोर्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सरकार के बीच खेलकूद के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन।

आईएनजेडईसी बैठक के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दोनों देशों में संस्थाओं के बीच संयुक्त अनुसंधान, छात्र गतिशीलता, संकाय विकास, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, कौशल विकास और खेलकूद-शिक्षा के संवर्धन में उच्चतर शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

[अनुवाद]

मोबाइल नम्बर/आईएमईआई की क्लोनिंग

4302. श्री एल. राजगोपाल:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनब्रांडेड मोबाइल फोनों का आयात सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है और इनमें से कुछ फोन उचित अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नम्बर के बिना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अनब्रांडेड मोबाइल सेटों के आयात, विशेष रूप से चीन से, पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अनेक सेल फोनों में समान आईएमईआई नम्बर के प्रयोग होने के मामलों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एक समान आईएमईआई नम्बर वाले मोबाइल फोनों का पता लगाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे मोबाइल सेटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) मोबाइल हैंडसेटों के आयात पर विदेशी व्यापार नीति 2009-14 द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इस संबंध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 14 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/2009-2014 जारी की है जिसके तहत निम्नलिखित मोबाइल हैंडसेटों के आयात पर रोक लगा दी गई है:-

(i) बिना अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) संख्या अथवा सभी शून्य अंकों वाले आईएमईआई सहित मोबाइल हैंडसेट [आईटीसी (एसएच) कोड 8517 के तहत वर्गीकृत]।

(ii) बिना इलैक्ट्रॉनिक क्रम सं. (ईएसएन)/मोबाइल उपकरण पहचान (एमईआईडी) अथवा ईएसएन/एमईआईडी के रूप में सभी शून्य अंकों वाले मोबाइल फोनों सहित आईटीसी (एचएस कोड 8517) के तहत वर्गीकृत सीडीएमए मोबाइल फोन।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 27.11.2009 के पत्र के तहत निर्देश भी जारी किए हैं कि जीएसएमए के हाल में अद्यतन किए गए आईएमईआई डाटा बेस में अनुपलब्ध किसी आईएमईआई संख्या वाले अथवा आईएमईआई के बिना अथवा आईएमईआई के रूप में सभी शून्य अंकों वाले मोबाइल हैंडसेटों से प्राप्त कॉलों पर कार्रवाई नहीं की जाए और उन्हें दिनांक 30.11.2009 से रद्द किया जाए।

ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जिनमें बिना समुचित आईएमईआई के मोबाइल फोन देखें गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऐसे फोनों के लक्ष्य का विधिक रूप से पता लगाना कठिन कार्य है।

(ग) और (घ) ऐसे अनेक मामलों की खबर मिली है जहां अनेक सेल फोनों में समान आईएमईआई इस्तेमाल किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान समान आईएमईआई को 100 से अधिक सेल फोनों में इस्तेमाल करने संबंधी बताए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	बताए गए ऐसे मामलों की संख्या जिनके तहत 100 से अधिक समान आईएमईआई इस्तेमाल किए गए हैं
2009	शून्य
2010	145
2011	604
2012	569

(ङ) और (च) अभी तक ऐसे ऑन लाइन समाधान का पता नहीं चला है जिसके तहत नकली और गैर-प्रमाणिक आईएमईआई हैंडसेटों के इस्तेमाल को पूर्णत: समाप्त करने के प्रयोजनार्थ नेटवर्क में लगाया जा सके, तथापि, हमारे मोबाइल नेटवर्क में नकली और गैर-प्रमाणिक आईएमईआई की प्रयोग संबंधी समस्या को स्वीकार कर लिया गया है और नकली और गैर-प्रमाणिक आईएमईआई के प्रयोग को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ संभव संसाधनों का अध्ययन करने एवं सुझाव देने के लिए एक तकनीकी समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

शिक्षा का व्यापारीकरण

4303. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने तथा आम-आदमी तक इसकी पहुंच बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आम आदमी तक शिक्षा की पहुंच बनाने के लिए इन उपायों से किस हद तक सफलता मिली है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सरकार का हमेशा ही यह अभिमत रहा है कि भारत में शिक्षा को वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं माना जाता है तथा सभी शिक्षण संस्थाओं को "लाभ के लिए नहीं" पद्धति के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) शिक्षा में गैर-सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन देती है जबकि ऐसी संस्थाओं की स्थापना को रोकती है जो शिक्षा का वाणिज्यिकरण करना चाहते हैं। नीति में यह परिकल्पना की गई है कि स्तरों को बनाए रखने के हित में तथा अन्य अनेक वैध कारणों से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के वाणिज्यिकरण को रोका जाएगा। स्वीकृत मानदंडों और लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा में प्राइवेट और स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली तैयार की जाएगी।

शिक्षा के वाणिज्यिकरण को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 13 किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस लेने पर रोक लगाती है। जहां तक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का संबंध है, एक विधायी प्रस्ताव अर्थात् "तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धतियों का निषेध विधेयक, 2010" संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

नई शिक्षा नीति बनाना

4304. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विश्व औसत की तुलना में उच्चतर शिक्षा में औसत सकल नामांकन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने में सक्षम नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी नई नीति के निर्माण पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(च) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) 18-23 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में देश में उच्चतर शिक्षा के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि हुई है जो 2008-09 में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 18.8 प्रतिशत (अनंतिम) हो गया है। इसकी तुलना में यूनेस्को इंस्टिट्यूट फॉर स्टेटिस्टिक्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल एजुकेशन डाइजेस्ट (2012) के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान अनुमानित विश्व औसत 29 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) का अनुपालन करती है जिसमें एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है जो सभी छात्रों को एक निर्धारित स्तर तक जाति, धर्म, स्थान अथवा लिंग पर ध्यान न देते हुए एक समतुल्य गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक समान शैक्षिक ढांचे की परिकल्पना की गई है। 10+2+3 ढांचे को अब देश के अधिकांश भाग में स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना पर आधारित है जिसमें अन्य लचीले घटकों के साथ एक समान पाठ्यचर्या शामिल है। समान पाठ्यचर्या में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व तथा राष्ट्रीय पहचान का पोषण करने वाले अन्य अनिवार्य घटक शामिल हैं। ये घटक विषय क्षेत्रों की सीमाओं से परे हैं और इन्हें भारत की समान सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुषों की समानता, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक अवरोधों के निवारण तथा छोटे परिवार के मानदंड अपनाने एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आत्मसात कराने जैसे भारतीय मूल्यों का संवर्धन करने हेतु तैयार किया गया है। एनसीईआरटी ने देशभर में व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 तैयार की है। इन विचार-विमर्शों के माध्यम से तैयार और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पांच निर्देशी सिद्धांतों पर आधारित हैं।

(i) स्कूल से बाहर जीवन के साथ ज्ञान को जोड़ना,

(ii) यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को रटने की पद्धति से दूर किया जाए;

(iii) बच्चों को पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बनाने की बजाय उनके समग्र विकास के प्रावधान हेतु पाठ्यचर्या को सघन बनाना;

(iv) परीक्षाओं को अधिक लोचशील और शिक्षण-कक्ष के जीवन से समेकित बनाना; और

(v) देश की लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के भीतर चिंताओं द्वारा अभिज्ञात अभिभावी पहचान का पोषण करना।

शिक्षा प्रणाली के समक्ष आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार का शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सुधार करने हेतु सिफारिशें देने के लिए एक शिक्षा आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) मध्य प्रदेश सरकार से एक नई शिक्षा नीति तैयार करने के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा

4305. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अशिक्षित रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अशिक्षितों की राज्य-वार, पुरुष-महिला-वार प्रतिशतता अलग-अलग कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं के मध्य साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठा रही है; और

(च) क्या सरकार का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के वित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेट निकायों को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 222.48 मिलियन निरक्षर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष-महिलाओं के ब्यौरे सहित राज्य-वार निरक्षरता प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता के तुलनात्मक स्तर का कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के अतिरिक्त अपर्याप्त पहुंच है।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत, केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाओं, का उद्देश्य क्रमशः 6-14 वर्ष के आयु वर्ग समूह और 15 वर्ष तथा उससे ऊपर के आयु वर्ग में साक्षरता स्तरों में वृद्धि करना है। जबकि साक्षर भारत के अंतर्गत मुख्य ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर केन्द्रित किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान में भी बालिकाओं के बीच बढ़ती हुई साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(घ) और (ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समग्र, साक्षरता दर बढ़ाकर 80 प्रतिशत से अधिक करना है। इसे प्राप्त करने के लिए साक्षर भारत को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न संशोधनों के साथ जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा।

(च) जी, हां। साक्षर भारत कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ भागीदारी पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण निधियां सृजित करने और दान प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा भागीदारी के अन्य मॉडल विकसित करने हेतु प्राधिकृत है।

विवरण

निरक्षरता प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा

महिला-पुरुष तथा आवास वार निरक्षरता दरें: जनगणना 2011: जनगणना 2011 (अनंतिम)

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	निरक्षरता का प्रतिशत (व्यक्ति)			निरक्षरता का प्रतिशत (पुरुष)			निरक्षरता का प्रतिशत (महिला)		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	**25.96**	**31.09**	**15.02**	**17.86**	**21.43**	**10.33**	**34.54**	**41.25**	**20.08**
1.	आंध्र प्रदेश	32.34	38.86	19.46	24.44	29.76	14.01	40.26	47.95	24.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.05	38.41	15.43	26.31	31.21	10.55	40.43	46.22	20.96
3.	असम	26.82	29.56	11.12	21.19	23.49	8.16	32.73	35.91	14.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	36.18	38.17	21.25	26.61	28.10	15.58	46.67	49.18	27.64
5.	छत्तीसगढ़	28.96	33.24	15.21	18.55	21.80	8.37	39.41	44.60	22.35
6.	गोवा	12.60	15.74	10.69	7.19	8.29	6.53	18.16	23.16	15.04
7.	गुजरात	20.69	27.00	12.42	12.77	16.90	7.56	29.27	37.59	17.92
8.	हरियाणा	23.36	27.26	16.17	14.62	16.80	10.63	33.23	39.03	22.49
9.	हिमाचल प्रदेश	16.22	17.09	8.61	9.17	9.52	6.28	23.40	24.67	11.34
10.	जम्मू और कश्मीर	31.26	35.03	21.81	21.74	24.49	15.10	41.99	46.64	29.81
11.	झारखंड	32.37	37.60	16.70	21.55	25.43	10.22	43.79	50.25	23.83
12.	कर्नाटक	24.40	31.14	13.79	17.15	22.08	9.46	31.87	40.40	18.29
13.	केरल	6.09	7.08	5.01	3.98	4.71	3.17	8.02	9.26	6.67
14.	मध्य प्रदेश	29.37	34.71	15.91	19.47	23.36	9.76	39.98	46.80	22.61
15.	महाराष्ट्र	17.09	22.91	10.16	10.18	13.61	6.21	24.52	32.62	14.56
16.	मणिपुर	20.15	22.85	14.02	13.51	15.86	7.95	26.83	30.05	19.79
17.	मेघालय	24.52	28.85	8.67	22.83	27.17	6.83	26.22	30.55	10.51
18.	मिजोरम	8.42	15.69	1.90	6.28	11.65	1.33	10.60	19.96	2.46
19.	नागालैण्ड	19.89	24.14	9.79	16.71	20.51	7.89	23.31	27.99	11.90
20.	ओडिशा	26.55	29.22	13.55	17.60	19.59	8.17	35.64	38.90	19.30
21.	पंजाब	23.32	27.55	16.30	18.52	22.08	12.72	28.66	33.53	20.38
22.	राजस्थान	32.94	37.66	19.27	19.49	22.51	10.84	47.34	53.75	28.47
23.	सिक्किम	17.80	20.18	10.74	12.71	14.58	7.06	23.57	26.58	14.81
24.	तमिलनाडु	19.67	26.20	12.76	13.19	17.92	8.18	26.14	34.48	17.33
25.	त्रिपुरा	12.25	14.42	6.39	7.82	9.14	4.20	16.85	19.94	8.62
26.	उत्तर प्रदेश	30.28	32.45	22.99	20.76	21.52	18.25	40.74	44.39	28.32
27.	उत्तराखंड	20.37	22.89	14.80	11.67	12.37	10.22	29.30	33.21	19.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	पश्चिम बंगाल	22.92	27.03	14.46	17.33	20.49	10.85	28.84	33.92	18.30
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#	13.73	15.61	10.40	9.89	11.47	7.04	18.16	20.42	14.21
30.	चंडीगढ़#	13.57	18.31	13.44	9.46	13.32	9.35	18.62	25.83	18.45
31.	दादरा और नगर हवेली#	22.35	34.11	9.14	13.54	21.82	5.19	34.07	48.64	15.14
32.	दमन और दीव#	12.93	18.49	11.13	8.52	10.29	8.05	20.41	28.03	17.06
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली#	13.66	17.33	13.57	8.97	9.96	8.95	19.07	25.97	18.90
34.	लक्षद्वीप#	7.72	8.08	7.62	3.89	4.94	3.60	11.75	11.34	11.87
35.	पुदुचेरी#	13.45	18.98	10.91	7.88	11.51	6.20	18.78	26.18	15.40

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

4306. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री प्रेम दास राय:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री के. सुगुमार:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपने गठन के पश्चात् राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने कितनी बैठकें आयोजित की हैं;

(ख) शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कितने राज्यों में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है;

(ग) क्या सरकार आरटीई अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आरटीआई अधिनियम को देश में 2013 तक पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं।

(ख) अब तक तेरह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरटीई अधिनियम के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद गठित की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विधानमंडल वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य नियमावली अधिसूचित कर दी है और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्रीय आरटीई नियमावली, 2010 को अंगीकार कर लिया है। केन्द्र सरकार ने आरटीई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न दिशा-निर्देश/परामर्शी जारी की हैं। सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन

संरचना को आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित कर लिया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियां प्रदान की जा रही हैं।

इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर

4307. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री मानिक टैगोर:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री एम.के. राघवन:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटी) द्वारा आयोजित संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार, देश में प्रत्येक पांच प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से केवल एक कॉलेज की उद्योग के साथ सहक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी नहीं, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रत्येक पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक देश के उद्योग जगत के साथ सहक्रिया में हैं। इंजीनियरिंग के सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, रसायन तथा कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के छह विषयों के इंजीनियरिंग संस्थाओं के उद्योग जगत के साथ संयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के साथ भागीदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित संयुक्त सर्वेक्षण में 1070 पात्र इंजीनियरिंग कॉलेजों में से कुल 156 ने ही भाग लिया है।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला है कि 30% संस्थाओं की उद्योग जगत के साथ अच्छा आपसी तालमेल और औद्योगिक कार्यक्रम हैं, 60% उद्योग संस्थान आपसी तालमेल में सामान्य रूप से शामिल हैं तथा 10% संस्थानों को संभवतः काफी अधिक आपसी तालमेल की जरूरत है।

(ग) एआईसीटीई ने तकनीकी संस्थानों के छात्रों के लिए, उनकी नियोजनीयता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम को संशोधित किया है, जिसे नियोजनीयता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीवी) के रूप में नया नाम दिया गया है।

कर्मचारियों को वापस भेजना

4308. श्रीमती रमा देवी:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार विभाग (डीओटी) के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो आज की तिथि तक बीएसएनएल तथा एमटीएनएल में मानद प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं तथा उनके वेतन, भत्तों तथा पेंशन पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इन पीएसयू में भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के अधिकारियों की स्थायी प्रतिनियुक्ति पर निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन व शर्तें क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार दूरसंचार विभाग की मांग के अनुसार समूह क, ख, ग और घ के सभी आमेलित कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग में वापस लाने पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आईटीएस अधिकारियों सहित कर्मचारियों की मांग पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा दिए गए अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

सूचना	बीएसएनएल	एमटीएनएल
आज की तिथि तक मानद प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की संख्या	937	82
नवम्बर, 2012 के लिए उनके वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय	9,75,38,341/-	93,97,280/-
पेंशन संबंधी अंशदान	92,85,767/-	9,74,395/-

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में अपर्याप्त नामांकन

4309. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं लिंग-वार कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी हितधारियों से चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा व्यक्त राय का ब्यौरा क्या; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा कॉलेजों/विश्वविद्यालय को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सरकार ने स्कूल शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु कई योजनाएं नामत: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), आदर्श स्कूल स्कीम, बालिका छात्रावास स्कीम, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा स्कीम, राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम, राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन स्कीम, भाषा अध्यापकों की नियुक्ति इत्यादि तैयार की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्चतर शिक्षा की सुलभता एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए अनुदान जारी करता है। केन्द्र सरकार भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं केन्द्रीय तकनीकी संस्थाओं को निधियां प्रदान करती है। उच्चतर शिक्षा में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार एवं लिंग-वार सकल नामांकन अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं विशेषत: उच्चतर शिक्षा में सुधारों के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए नियमित तौर पर राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से परामर्श कर रही है। ऐसे विचारों को मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों में उपर्युक्त ढंग से शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में राज्यों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) मंत्रालय का उच्चतम मंच है। केन्द्रीय शिक्षा सलहाकार बोर्ड का एजेंडा एवं कार्यवृत्त वेबसाइट *www.mhrd.gov.in* पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किए गए वित्तीय सहायता अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा वेबसाइट *www.ugc.ac.in* पर उपलब्ध है।

विवरण

उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18-23 वर्ष)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सभी श्रेणियां		
		पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21.2	12.3	16.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.4	12.5	15.0
3.	असम	11.5	6.2	9.0
4.	बिहार	14.1	7.5	11.0
5.	छत्तीसगढ़	24.1	15.8	20.0
6.	गोवा	26.1	30.9	28.3
7.	गुजरात	18.3	13.2	15.9
8.	हरियाणा	21.2	16.8	19.1
9.	हिमाचल प्रदेश	23.1	24.8	23.9
10.	जम्मू और कश्मीर	18.7	17.6	18.2
11.	झारखंड	12.4	6.3	9.4
12.	कर्नाटक	19.8	16.3	18.1
13.	केरल	12.0	14.2	13.1
14.	मध्य प्रदेश	16.5	13.1	14.9
15.	महाराष्ट्र	25.3	16.9	21.4
16.	मणिपुर	16.8	12.7	14.8
17.	मेघालय	14.8	16.1	15.4

1	2	3	4	5
18.	मिजोरम	28.3	24.7	26.5
19.	नागालैंड	16.5	15.7	16.1
20.	ओडिशा	16.6	5.9	11.3
21.	पंजाब	10.6	10.9	10.8
22.	राजस्थान	11.5	7.4	9.6
23.	सिक्किम	26.6	22.8	24.8
24.	तमिलनाडु	20.7	17.2	19.0
25.	त्रिपुरा	13.2	9.4	11.4
26.	उत्तर प्रदेश	12.0	9.5	10.9
27.	उत्तराखंड	27.5	45.2	36.0
28.	पश्चिम बंगाल	13.6	10.2	11.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.2	29.8	26.2
30.	चंडीगढ़	21.6	37.1	28.0
31.	दादरा और नगर हवेली	4.0	5.1	4.4
32.	दमन और दीव	1.8	3.9	2.3
33.	दिल्ली	50.7	44.9	47.9
34.	लक्षद्वीप	2.9	7.5	5.3
35.	पुदुचेरी	28.8	29.3	29.1
	भारत	17.1	12.7	15.0

[हिन्दी]

विमान कंपनियों की सुरक्षा जांच

4310. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री निशिकांत दुबेः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री गजनन ध. बाबरः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानों की उड़ने लायक स्थिति, उड़ान सुरक्षा, आदि को सुनिश्चित करने के लिए सभी विमान कंपनियों की द्वितीय सुरक्षा जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुरक्षा जांच के दौरान पायी गई कमियों का विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) की गई अंतिम सुरक्षा जांच का ब्यौरा क्या है तथा पायी गई कमियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विमान कंपनियों द्वारा उन कमियों को दूर किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा विमान सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) डीजीसीए द्वारा वर्ष 2012 के लिए निगरानी कार्यक्रम तथा विनियामक ऑडिट योजना तैयार की गई है और इसे अपनी वेबसाइट *www.dgca.nic.in* पर प्रकाशित किया गया है। वर्ष 2012 में 06 अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों का विनियामक ऑडिट किया गया। प्रत्येक एयरलाइन के बारे में दी गई कुल ऑडिट टिप्पणियां को संलग्न विवरण-I में देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) वर्ष 2010 के दौरान निम्नलिखित तीन एयरलाइनों का संरक्षा ऑडिट किया गया था:-

(i) स्पाइस जेट लिमिटेड

(ii) जेट लाइट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

(iii) एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

ऑडिट के दौरान स्पाइसजेट के लिए 127 टिप्पणियां, 47 टिप्पणियां जेट लाइट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के लिए और एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के लिए 102 टिप्पणियां दी गईं। इन ऑडिटों की मुख्य टिप्पणियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

ये सभी टिप्पणियां संबंधित एयरलाइनों को उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थीं और उन्होंने की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) सभी प्रचालकों को लागू नागर विमानन अपेक्षाएं, वायुयान नियम तथा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना आवश्यक है।

प्रचालकों द्वारा लागू नियमों तथा नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजना डीजीसीए द्वारा नियमित रूप से ऑडिट, निगरानी और औचक जांच की जा रही है।

विवरण-I

वर्ष 2012 में किया गया विनियामक ऑडिट

क्र. सं.	एयरलाइन	उड़ानों की संख्या
1.	एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	65
2.	जैट एयरवेज इंडिया लिमिटेड	23
3.	किंगफिशर एयरलाइन्स	36
4.	गो एयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	112
5.	इंडिगो एयरलाइन	23
6.	स्पाइसजेट लिमिटेड	रिपोर्ट प्रतीक्षित

विवरण-II

ऑडिटों की मुख्य टिप्पणियां

- प्रचालनिक दस्तावेजों के वितरण तथा संशोधन के सुचारु प्रबंधन के लिए कोई सिस्टम नहीं है।
- दस्तावेजों के संशोधनों की जांच के लिए पर्यवेक्षणीय नियन्त्रण नहीं है।
- कार्य के मानकों की एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संगठन प्रक्रियाएं निर्धारित नहीं की गई हैं।
- क्रू के रोस्टर को कम्प्यूटरीकृत तथा सीलबन्द नहीं बनाया गया है।
- रोस्टर रिकॉर्डों के त्वरित अद्यतन की व्यवस्था नहीं है।
- उड़ान समय सीमा बढ़ने की घटना का पता लगाने में विफलता।
- गैर-विद्यमान प्रचालनों के प्रमुख द्वारा प्रचालनों की गतिविधि के पर्यवेक्षण तथा आन्तरिक ऑडिट के पर्यवेक्षण की प्रणाली/पद्धति।
- मेंटीनेन्स आर्गेनाइजेशन एक्सपाजीशन (एमओई) या तो तैयार नहीं किए जाते अथवा सीएआर 145 के परिशिष्ट-2 के अनुसार तैयार नहीं किए जाते हैं।

- कार्य मूल्यांकन के आधार पर प्लानरो/मैकेनिक/विशिष्ट सेवा स्टाफ/पर्यवेक्षकों की सक्षमता का मूल्यांकन नहीं किया जाता।
- खराबी की रिकार्डिंग तथा उसे दूर किए जाने की कार्रवाई को उनके पूरी तरह से सही होने की जांच नहीं की जाती।
- निवारक गतिविधियों, उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन (एफओक्यूए) तथा घटना की जांच के निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की प्रणाली सुव्यवस्थित नहीं है।
- एफओक्यूए गतिविधि करने वाले कार्मिक विमान बेड़े में उनकी गतिविधियों के संबंध में उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय

4311. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:**
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अनेक देशों से पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में शहरी व ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय में अंतर वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में घरेलू वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) जी, हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अक्तूबर, 2012 में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक डेटाबेस के अनुसार वर्ष 2012 के लिए 183 देशों के लिए क्रय-शक्ति-साम्यता (पीपीपी) आधारित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं। वर्ष 2010 में भारत की पीपीपी आधारित प्रतिव्यक्ति जीडीपी 3403 अमेरिकी डॉलर थी तथा वर्ष 2011 में 3662.69 अमेरिकी डॉलर एवं 2012 में 3851.31 अमेरिकी डॉलर अनुमानित की गई है। भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय में अंतर का कारण विकास के विभिन्न स्तरों के अलावा अन्य कारक हो सकते हैं जैसे कि प्राकृतिक संसाधन अनुदान, आर्थिक नीतियां, राजनीतिक स्थिरता, कौशल एवं प्रौद्योगिकियों में अंतर, आबादी का स्तर आदि।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) श्रृंखला के आधार वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) के ग्रामीण एवं शहरी ब्यौरों को अनुमान लगा रहा है। नवीनतम आधार वर्ष 2004-05 है। वर्ष 2004-05 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों में 16414 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 44172 रुपए अनुमानित की गई है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए स्थिर मूल्यों (2004-05) पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापित मूल्य वृद्धि के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं।

वर्ष	डब्ल्यूपीआई वृद्धि (%)	प्रति व्यक्ति एनएनआई में वृद्धि (%)
2009-10	3.8	6.6
2010-11	9.6	6.4
2011-12	8.9	5.2

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)।

विकास की गति में सुधार करने तथा मुद्रास्फीति दबाव को कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। विकास के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) बढ़ाने का उपाय किया गया है, जिससे वृहद् पूंजी अंतर प्रवाह तथा दीर्घावधि में उच्च उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी। ईंधन सब्सिडी को औचित्यपूर्ण बनाने तथा मुद्रास्फीति को कम करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपयुक्त मौद्रिक उपायों सहित विनिवेश के माध्यम से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उपाय किए गए हैं। आरबीआई द्वारा अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति का प्रभाव मुद्रास्फीति कम

करने में अल्प अवधि में मांग संकुचन के माध्यम से प्रचालन करना है।

विवरण

क्रय-शक्ति-साम्यता (पीपीपी) पर आधारित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)

क्र.सं.	देश	2012
1	2	3
1.	कतर	102768.7
2.	लक्जमबर्ग	80679.06
3.	सिंगापुर	60883.33
4.	नार्वे	55264.45
5.	हांगकांग	50708.95
6.	ब्रूनेई दारूशलाम	50526.35
7.	संयुक्त राज्य अमेरिका	49802.15
8.	संयुक्त अरब अमीरात	48992.47
9.	स्वीटजरलैंड	45285.8
10.	कुवैत	43846.72
11.	आस्ट्रिया	42477.49
12.	आस्ट्रेलिया	42354.19
13.	नीदरलैंड	42321.63
14.	स्वीडन	41749.58
15.	आयरलैंड	41739.41
16.	कनाडा	41506.88
17.	आइसलैंड	39380.42
18.	जर्मनी	39058.79
19.	ताइवान	38486.07
20.	बेल्यिजम	38089.45
21.	डेनमार्क	37738.13
22.	इंग्लैंड	36727.8
23.	फिनलैंड	36458.46
24.	जापान	36179.43
25.	फ्रांस	35519.57
26.	कोरिया	32431.04
27.	इजराइल	32212
28.	बहामास	31332.4
29.	स्पेन	30412.15
30.	इटली	30116.15
31.	न्यूजीलैंड	28796.66
32.	सलोवेनिया	28647.65
33.	ओमान	28511.86
34.	बेहरान	28182.13
35.	चेक गणराज्य	27164.82
36.	साइप्रस	26908.33
37.	सेसिल्स	26243.07
38.	मालटा	26126.23
39.	साऊदी अरब	25722.42
40.	बारबडोस	25509.57
41.	ग्रीस	25061.52
42.	स्लोवाक गणराज्य	24283.57
43.	पुर्तगाल	22991.23

1	2	3
44.	एसटोनिया	21226.61
45.	पोलैंड	20976.1
46.	त्रिनिदाद और टोबागो	20407.51
47.	इक्यूटोरियल गुयाना	20163.61
48.	लाईतूनिया	20088.58
49.	हंगरी	19754.03
50.	चिली	18354.08
51.	अर्जेन्टीना	18205.09
52.	लातविया	18140.06
53.	क्रोएशिया	18098.8
54.	रूस	17697.53
55.	एंटीगुआ और बरगुडा	17522.98
56.	गवन	17338.98
57.	मलेशिया	16942.14
58.	बोटसवाना	16792.93
59.	बेलारूस	16008.27
60.	लेबनान	15884.07
61.	उरूग्वे	15839.54
62.	मारीशस	15621.6
63.	सेंट किटस एंड नेविस	15517.66
64.	मेक्सिको	15300.31
65.	पनामा	15265.92
66.	टर्की	15028.63
67.	डोमिनिका	14637.06
68.	बुल्गेरिया	14234.57
69.	ग्रीनलैंड	14059.26
70.	कजाकिस्तान	13920.87
71.	सेंट लूसिया	13324.47
72.	लीबिया	13303.2
73.	बेनेजुएला	13241.77
74.	ईरान	13103.9
75.	रोमानिया	12838.35
76.	कोस्टा रिका	12558.57
77.	सूरीनाम	12255.19
78.	ब्राजील	12038.46
79.	सेंट विन सेंट	11860.34
80.	मोन्टीनीग्रो	11717.16
81.	दक्षिण अफ्रीका	11302.21
82.	कोलम्बिया	10728.99
83.	एफवाईआर मकेडोनिया	10717.55
84.	अजरबेजान	10684.95
85.	पेरू	10679.2
86.	सरविया	10528.21
87.	थाईलैंड	10023.32
88.	तूनेसिया	9698.134
89.	डोमिनिकन गणराज्य	9645.233
90.	तिमोर लेस्टी गणराज्य	9499.916
91.	चीन	9146.379

1	2	3
92.	जमेका	9119.04
93.	एक्वाडोर	8841.498
94.	मालद्वीव	8730.172
95.	तुर्कमीनिस्तान	8469.096
96.	बेलिजा	8357.826
97.	बोस्निया हरजेगोविना	8260.68
98.	अलबानिया	7975.857
99.	गुयाना	7950.28
100.	नामीबिया	7813.619
101.	अलसल्वाडोर	7734.192
102.	यूक्रेन	7598.092
103.	तोंगा	7535.959
104.	अलजिरिया	7521.741
105.	मिश्र	6557.381
106.	भूटान	6474.089
107.	अंगोला	6244.126
108.	समोआ	6152.582
109.	परागवे	6108.079
110.	श्रीलंका	6102.575
111.	ज़ोर्डन	6044.402
112.	जार्जिया	5907.712
113.	किरीबाती	5866.097
114.	अर्मेनिया	5637.249

1	2	3
115.	मंगोलिया	5381.419
116.	मोरक्को	5256.545
117.	स्वाजीलैंड	5251.355
118.	गुटेमाला	5191.661
119.	बोलिबीया	5016.938
120.	इंडोनेशिया	4957.551
121.	बनाउट	4938.727
122.	फिजी	4791.227
123.	कांगो गणराज्य	4708.441
124.	इराक	4619.684
125.	होन्डूरस	4593.495
126.	फिलीपिंस	4263.689
127.	केप वर्डी	4126.224
128.	भारत	3851.311
129.	वियतनाम	3545.264
130.	मालडोवा	3534.738
131.	उजबेकिस्तान	3528.601
132.	सोलोमन द्वीप	3410.028
133.	घाना	3336.984
134.	नीकारागुआ	3336.419
135.	तुवालू	3332.832
136.	लाओ पीडीआर	3004.545
137.	पाकिस्तान	2876.077

1	2	3
138.	जिबोटी	2745.191
139.	नाइजीरिया	2734.63
140.	पपूआ न्यू गुयाना	2703.2
141.	किरगिज गणराज्य	2411.035
142.	सूडान	2400.165
143.	कम्बोडिया	2398.499
144.	केमरून	2345.294
145.	साओटोम एंड प्रिंसिप	2344.702
146.	यमन	2231.686
147.	तजेकिस्तान	2210.561
148.	मारीटानिया	2098.809
149.	बांग्लादेश	2036.227
150.	लेसोथो	2018.084
151.	चाड	1986.436
152.	सेनेगल	1925.3
153.	गामविया	1891.756
154.	केन्या	1806.821
155.	तंजानिया	1708.488
156.	जाम्बिया	1700.704
157.	कोट डी ल्वायर	1696.146
158.	बेनिन	1658.024
159.	रवांडा	1430.398
160.	यूगांडा	1419.171
161.	म्यांमार	1401.447
162.	बरकिना फासो	1384.178
163.	सिरया लोन	1360.584
164.	नेपाल	1305.984
165.	हेती	1292.119
166.	कोमोरोस	1255.981
167.	मोजाम्बिक	1167.303
168.	इथीयोपिया	1159.916
169.	गिनी	1128.625
170.	गिनी-बिसा	1105.549
171.	तोगो	1094.459
172.	माली	1061.753
173.	अफगानिस्तान	993.229
174.	मेडागासकर	953.785
175.	दक्षिण सूडान	930.521
176.	मलावी	876.712
177.	नाइजर	869.937
178.	सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य	791.166
179.	एरीट्रिया	779.617
180.	लाइबेरिया	677.249
181.	बूरूंडी	625.593
182.	जिम्बाबवे	549.439
183.	कांगो गणराज्य	368.337

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक आउटलुक डेटावेस अक्तूबर, 2012

विदेशी पायलट

4312. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुभवी पायलटों की भारी कमी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या देश में विभिन्न विमान कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में विदेशी पायलटों को नियोजित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विमान कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय पायलटों की तुलना में उन्हें दी गई प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पर्याप्त संख्या में पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) विमानन उद्योग में विकास तथा एयरलाइनों के बेड़े में नए विमानों को शामिल किए जाने के कारण देश में टाइप रेटेड कमांडरों की कमी है। तथापि, एयरलाइनों में सह-पायलट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं तथा नियुक्त किए गए हैं। इन सह-पायलटों के पास टाइप रेटेड कमांडर बनने के लिए अपेक्षित पर्यापत प्रशिक्षण तथ अनुभव नहीं है। कमांडरों की इस कमी को पूरा करने तथा ऊपर उल्लिखित सह-पायलटों को अनुभव तथा प्रशिक्षण प्रदान करने, ताकि उन्हें कमांडरों के रूप में स्तरोन्नयित किया जा सके, दिनांक 01.12.2010 के नागर विमानन अपेक्षा खंड-7, उड़ान कर्मीदल मानक, श्रृंखला "जी" के अनुसार विदेशी पायलटों का वैधीकरण किया गया है। हाल के वर्षों में विदेशी पायलटों की संख्या कम हो रही है क्योंकि अधिक से अधिक सह-पायलट कमांडरों के रूप में स्तरोन्नयित हो रहे हैं। विभिन्न विमानन कंपनियों द्वारा नियुक्त विदेशी पायलटों की कुल संख्या कम हुई है, जो पिछले वर्ष 526 से कम होकर इस समय 340 है। 30 नवम्बर, 2012 को विभिन्न पायलटों द्वारा तैनात विदेशी पायलटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में उपलब्ध है।

(घ) मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) टाइप रेटेड पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए, वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 45 के अनुसान विदेशी पायलटों का वैधीकरण किया जाता है। एयरलाइनों द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय पायलट जो एयरलाइनों की नीति के अनुसार पीआईजी बनने के लिए पात्र होते हैं, उन्हें एयरलाइनों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि विदेशी पायलटों को निकाला जा सके। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, विदेशी एयरक्रू अस्थायी प्राधिकार (एफएटीए) के मामलों में विदेशी पायलटों के फेज आऊट कार्यक्रम सहित प्रत्येक एयरलाइन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर पायलटों की प्रक्रिया की जाती है। सरकार ने मामला-दर-मामला आधार पर 31 दिसम्बर, 2013 तक एफएटीए को जारी करने की अनुमति दी है।

विवरण

30 नवम्बर, 2012 को विमानन कंपनियों द्वारा नियुक्त किए गए विदेशी पायलटों का ब्यौरा

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	विदेशी पायलटों की संख्या
1.	एयर इंडिया	21
2.	जेट एयरवेज	93
3.	स्पाइस जेट	63
4.	ब्लू डॉर्ट	08
5.	इंडिगो एयरलाइंस	56
6.	एलायंस एयर	09
7.	**गैर-अनुसूचित प्रचालक**	90
	कुल	**340**

सुरक्षा संबंधी सॉफ्टवेयर का विकास

4313. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हैकिंग को रोकने एवं इंटरनेट धोखाधड़ी व धोखेबाजी को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा संबंधी स्वदेशी सॉफ्टवेयर विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो साइबर अपराध व धोखेबाजी को रोकने में इसकी प्रभावकारिता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा संभावित हैकिंग एवं साइबर धोखेबाजी के संबंध में इंटरनेट प्रयोक्ताओं के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या देश में जाली मुद्रा का पता लगाने के लिए कोई सॉफ्टेवयर भी बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) साइबर सुरक्षा परिवर्तनशील है जो संकटकालीन वातावरण और उन्नत प्रौद्योगिकी विकास के साथ बदलती है। हैकिंग और इंटरनेट जालसाजी जैसी साइबर सुरक्षा घटनाओं का निवारण करने के लिए अलग-अलग संगठनों को एक व्यापक सुरक्षा नीति अपनाने की जरूरत है। साकल्यवादी दृष्टिकोण में लोगों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का मिश्रण होना चाहिए। आगे संगठन को सूचना, प्रणाली और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित समाधान परिनियोजित करने की आवश्यकता है। हैकिंग को रोकने तथा सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना की साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे वैधानिक, नीतिगत और प्रौद्योगिकी विकास के उपाय किए हैं। संकटमय परिदृश्य की परिवर्तनशीलता की प्रकृति और लगातार बदल रही प्रौद्योगिकी के कारण ये कार्रवाइयां चलनी चाहिए, इनमें सुधार होते रहना चाहिए और इसे और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

सरकार साइबर सुरक्षा के चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों में सुरक्षा समाधान के स्वदेशी विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रयास होते रहने चाहिए। इन प्रयासों के फलस्वरूप स्वदेशी साइबर न्याय विज्ञान औजार, अतिक्रमण, निवारण प्रणाली, मालवेयर जांच और निवारण प्रणाली, उपकरणों को सुरक्षित रखने के औजार तथा उद्यम सुरक्षा प्रबंधन के लि वेब आधारित औजार परिनियोजित किए गए हैं।

सरकारी प्रयासों से विकसित औजारों का सरकारी एजेंसियों, उद्योग तथा शैक्षिक जगत में उपयोग किया जा रहा है। प्रयोक्ताओं, बदल रहे भू-परिदृश्य संकट तथा प्रौद्योगिकीय विकास से प्राप्त फीड बैक के आधार पर इन औजारों/समाधानों को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है।

(ग) सरकार ने पर्सनल कम्प्यूटर, यूएसबी उपकरण, मोबाइल और स्मार्ट फोन, मॉडेम, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से उत्पन्न खतरों पर जोर देते हुए इंटरनेट प्रयोक्ताओं को बड़े स्तर पर नई प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरुक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जागरुकता पैदा करने के लिए विभाग ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरुकता (आईएसइए) कार्यक्रम शुरू किया है विभिन्न सरकारी संगठनों और उद्यमों के सूचना सुरक्षा अधिकारियों और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कौशल आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, पूरे देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जब्ती, अधिग्रहण, विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के संबंध में साइबर न्याय विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप में मूल और उन्नत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस संबंध में विभिन्न राज्यों में कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका की सहायता करने के लिए साइबर न्याय विज्ञान प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं। भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) द्वारा साइबर सुरक्षा जागरुकता पैदा करने के लिए इंटरनेट प्रयोक्ताओं हेतु एक वेब पोर्टल की भी स्थापना की गई है। कम्प्यूटर प्रणाली को हैकिंग से सुरक्षित करने के लिए सर्ट-इन हाल के खतरों और दोषपूर्णता पर सुरक्षा चेतावनियां और परामर्श भी जारी करता है।

(घ) और (ङ) जाली मुद्रा की कुछ विशेषता की जांच करने के लिए वाणिज्यिक समाधान उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग किया जा रहा है। तथापि, ऐसे समाधान मुद्रा से संबंधित हैं। प्रौद्योगिकी को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

व्यावसायिक कनिष्ठ कॉलेज

4314. श्री सोमेन मित्रा:
श्री हेमानंद बिसवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित अनेक राज्यों से अपने राज्यों में नए व्यावसायिक कनिष्ठ कॉलेजों

की स्थापना करने एवं विद्यमान सरकारी व्यावसायिक कनिष्ठ कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मौजूदा 187 सरकारी व्यावसायिक कनिष्ठ कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए ओडिशा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मूल्यांकन के आधार पर राज्य के प्रस्ताव पर आगे विचार करने और अनुमोदन किए जाने हेतु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की संशोधित योजना के मानकों के अनुरूप पुन: कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्ष 2011-12 में पश्चिम बंगाल सरकार से मौजूदा 93 व्यावसायिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और इसके कार्यान्वयन हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को आवश्यक निधियां जारी की गई हैं।

राष्ट्रीय शहरी रेल पारगमन प्राधिकरण

4315. **श्री वरुण गांधी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय बाहरी रेल पारगमन प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस प्राधिकरण के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं की प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए निधियां जारी की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) इस समय देश में राष्ट्रीय शहरी रेल परिवहन प्राधिकरण गठित करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, राज्य सरकारों से ऐसी कोई अपेक्षाएं नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निधियों का अन्यत्र उपयोग

4316. **श्री नीरज शेखर:**
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री यशवीर सिंह:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने हाल की रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणी मिशन (जेएनएनयूआरएम) की विभिन्न योजनाओं में अनियमितताएं, निधियों का अन्यत्र उपयोग तथा उसमें असफलता की ओर इंगित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रभावित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का जेएनएनयूआरएम की योजनाओं को उचित रूप से तथा समय पर पूरा करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा पर अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ कमियों का उल्लेख किया है। यह उल्लेख किया गया है कि जलआपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और सड़क एवं फ्लाईओवरों

के संबंध में विभिन्न राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश आदि के लिए जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) उप-मिशन और छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं में कार्य सौंपने की कमियों अनाधिकृत और अनियमित व्यय के कुछ मामलों के अलावा भूमि उपलब्ध न होने और स्वीकृति की अपेक्षाओं के कारण विलंब हो रहा था। यह भी उल्लेख किया गया है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण; मशीनरी/उपकरणों की खरीद जिनका उपयोग नहीं किया गया, के कारण धनराशि ब्लॉक होने के मामले सामने आए हैं।

(ग) जेएनएनयूआरएम के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की नियम संबंधी औपचारिकताओं के अनुपालन में स्थानीय निकायों/पैरास्टेटलों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शिका जारी की गयी हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी

4317. **कुमारी सरोज पाण्डेय:**
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री जयंत चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में शिक्षण में लगे अप्रशिक्षित शिक्षकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) उन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या उन राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए वित्तपोषण तथा केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव है जिनके पास अप्रशिक्षित शिक्षकों की बड़ी संख्या है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपलब्ध करायी जा रही धनराशि तथा संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित विश्लेषण के अनुसार, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में अध्यापकों की मांग की तुलना में निर्धारित व्यावसायिक अध्यापक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या अपर्याप्त है।

(ग) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई)-2011-12 के अनुसार, प्रारंभिक स्कूलों में 8.74 लाख अध्यापकों के पास अपेक्षित व्यावसायिक अर्हताएं नहीं हैं। प्रारंभिक स्तर पर अप्रशिक्षित अध्यापकों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा नियोजित अप्रशिक्षित प्रारंभिक स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ङ) एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत, अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश को वर्ष 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 27.94 करोड़ रुपए और 29.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(च) वर्ष 2012-13 के दौरान एसएसए के अंतर्गत पूरे देश के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए 15,656.22 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।

विवरण

डीआईएसई-2011-12 के अनुसार अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या

राज्य	निर्धारित अर्हता न रखने वाले अध्यापक
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	162

1	2
आंध्र प्रदेश	16310
अरुणाचल प्रदेश	9126
असम	16288
बिहार	186265
चंडीगढ़	77
छत्तीसगढ़	48340
दादरा और नगर हवेली	11
दमन और दीव	13
दिल्ली	604
गोवा	82
गुजरात	6095
हरियाणा	1818
हिमाचल प्रदेश	5318
जम्मू और कश्मीर	31089
झारखंड	77055
कर्नाटक	2046
केरल	1650
लक्षद्वीप	33
मध्य प्रदेश	25729
महाराष्ट्र	5191
मणिपुर	5024
मेघालय	14624
मिजोरम	6287
नागालैंड	4488
ओडिशा	39973
पुदुचेरी	120
पंजाब	5458
राजस्थान	7239
सिक्किम	2085
तमिलनाडु	2960
त्रिपुरा	9878
उत्तर प्रदेश	143079
उत्तराखंड	3029
पश्चिम बंगाल	197273

[अनुवाद]

पंचायतों को ब्रॉडबैंड कवरेज

4318. श्री सुवेन्दु अधिकारी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री संजीव गणेश नाईक:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं, में ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कवरेज हेतु 2011-12 के लक्ष्य उपलब्धि आंकड़े शून्य हैं और गुजरात सहित अन्य राज्यों में यह प्रगति भी संतोषजनक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय दूरसंचार नीति- 2011 में सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2014 तक उच्च गति व उच्च गुणवत्ता युक्त ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या ब्रॉडबैंड नीति, 2004 निजी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) 10 राज्य/संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्धियां शून्य रही हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत संचार निगम लि. द्वारा ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की गई ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

शून्य उपलब्धि का कारण, ग्राम पंचायतों को अतुल्यकालिक डिजीटल उपभोक्ता लाइन (एडीएसएल+) तथा वाइमैक्स सुविधा प्रदान न करना है।

(ग) से (च)

- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 (एनटीपी-2012) का एक उद्देश्य **"वर्ष 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों को तथा वर्ष 2020 तक उत्तरोत्तर सभी गांवों और आबादी वाले स्थानों तक प्रौद्योगिकियों के सम्मिश्रण से उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाली ब्रॉडबैंड अभिगम्यता प्रदान करना है।"**
- ब्रॉडबैंड नीति-2004 में निर्धारित किए गए अनुसार देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

समाप्ति वर्ष	इंटरनेट उपभोक्ता		ब्रॉडबैंड	
	लक्ष्य	उपलब्धियां (वायरलाइन उपभोक्ता)	लक्ष्य	उपलब्धियां (वायरलाइन उपभोक्ता)
2005	6 मिलियन	6.7 मिलियन	3 मिलियन	0.903 मिलियन
2007	18 मिलियन	10.36 मिलियन	9 मिलियन	3.13 मिलियन
2010	40 मिलियन	18.69 मिलियन	20 मिलियन	10.99 मिलियन

जून, 2012 को समाप्त तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 15.01 मिलियन और 8.0 मिलियन थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भागीदारी 65.24% है।

- सरकार द्वारा ब्राडबैंड सुविधा के प्रसार और लाइसेंसशुदा सेवा प्रदाताओं की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

  (i) केन्द्र सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 25.10.2011 को राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन हेतु एक स्कीम का अनुमोदन किया है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का पंचायतों तक विस्तार करना है। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के नेटवर्क की अभगम्यता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना को दो वर्ष में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम के आरंभिक चरण की प्रस्तावित लागत (लगभग) 20,000 करोड़ रुपए है।

  एनओएफएन परियोजना को एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी (एसपीवी) अर्थात् भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि. (बीबीएनएल) द्वारा निष्पादित किया जाएगा जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन केंद्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन

एक निगमित कंपनी है और इसमें सरकार, भारत संचार निगम लि., रेलटैल और पॉवर ग्रिड की इक्विटी भागीदारी है। इस प्रयोजनार्थ कंपनी को दिनांक 25.02.2012 को निगमित किया गया है।

(ii) ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड प्रसार में वृद्धि करने के लिए **ग्रामीण वायरलाइन ब्राडबैंड स्कीम।** इस स्कीम के अंतर्गत भारत संचार निगम लि. 5 वर्षों में अर्थात् वर्ष 2014 तक निजी प्रयोक्ताओं और सरकारी संस्थानों को 8,88,932 वायरलाइन ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा। दिनांक 31.08.2012 की स्थिति के अनुसार कुल 3,91,245 ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं।

(iii) **"असम में अंतर जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन, और प्रबंधन।"**

यह ओएफसी परियोजना दिनांक 12.02.2010 से 18 माह के भीतर 27 जिलों में 354 लोकेशनों को कनेक्ट करेगी।

इस स्कीम के अंतर्गत सृजित कम-से-कम 70% की आर्थिक सहायता प्राप्त बैंडविथ क्षमता को लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं के बीच बांटा जाएगा।

(iv) **"पूर्वोत्तर-I सर्किल में (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को शामिल करते हुए) अंतर-जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन।"**

इस स्कीम के ओएफसी विस्तार के लिए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य को चुना गया है। समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 24 महीने के अंदर 19 जिलों के 188 स्थानों का संयोजन होगा। इस संबंध में समझौते पर रेलटैल के साथ दिनांक 16.01.2012 को हस्ताक्षर हुए हैं और इस समझौते के अंतर्गत 89.50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के योगदान (सब्सिडी कोट) देने का प्रावधान है।

इस स्कीम के अंतर्गत सृजित कम-से-कम 70% की आर्थिक सहायता प्राप्त बैंडविथ क्षमता को लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं के बीच बांटा जाएगा।

(v) **"पूर्वोत्तर-II सर्किल (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को शामिल करते हुए) में अंतरा-जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का ओएफएन विस्तार, सृजन और प्रबंधन।"**

इस स्कीम में ओएफसी विस्तार के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को चुना गया है। यह ओएफसी स्कीम समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 महीने के अन्दर 30 जिलों के 407 स्थानों का संयोजन होगा।

इस स्कीम के अंतर्गत सृजित कम-से-कम 70% की आर्थिक सहायता प्राप्त बैंडविथ क्षमता को लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं के बीच बांटा जाएगा।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण फोनों की संख्या	मार्च, 11 तक कवर किए गए ग्रामीण फोन	मार्च, 12 तक कवर किए गए ग्रामीण फोन	उपलब्धि 2011-12
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	56	56	0

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	21862	13266	14663	2045
असम	3943	1005	2314	1309
बिहार	8460	4216	8011	3795
छत्तीसगढ़	9837	1745	2150	0
गुजरात (दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव सहित)	14439	7599	7599	0
हरियाणा	6234	5242	5651	409
हिमाचल प्रदेश	3241	1660	1957	297
जम्मू और कश्मीर	4146	642	1481	596
झारखंड	4559	2537	4583	2046
कर्नाटक	5657	3430	3928	498
केरल	999	997	997	0
लक्षद्वीप	10	5	5	0
मध्य प्रदेश	23022	4157	4171	14
महाराष्ट्र (गोवा सहित)	28078	10294	10294	0
त्रिपुरा	1040			
मिजोरम**	768	1072	1266	194
मेघालय**	1463			
अरुणाचल प्रदेश	1756			
मणिपुर	3011	1378	1459	81
नागालैंड**	1110			
ओडिशा	6233	2090	2697	607
पंजाब	12809	10393	11100	707
चंडीगढ़	17	16	16	0

1	2	3	4	5
राजस्थान	9200	2946	2946	0
तमिलनाडु	12617	7770	9501	1731
पुदुचेरी	98	98	98	0
उत्तर प्रदेश	52125	24427	45325	20898
उत्तराखंड	7546	2001	2619	618
पश्चिम बंगाल	3354	1587	2510	923
सिक्किम	163	66	66	0
कुल	247864	110695	147463	36768

[हिन्दी]

छात्र संघों के चुनाव

4319. **श्री रतन सिंह:**
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संगठनों के चुनाव कराने के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या ये उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां शिक्षा सत्र में अभी तक छात्र संघों के चुनाव हुए हैं/नहीं हुए हैं और जहां 2012-13 के दौरान चुनाव होने हैं;

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव न कराने के विश्वविद्यालय-वार क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों से वहां चुनाव कराने के लिए अभी हाल ही में अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इन चुनावों में होने वाली हिंसा से वहां शिक्षा का माहौल प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करने और परिसर में कुछ सीमा तक अनुशासन एवं शिष्टता बनाए रखने के मामलों में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए, शिकायतों की आवाज उठाने, छात्रों के कल्याण सुनिश्चित करने और भावी नेताओं के लिए एक स्वस्थ शिक्षण वातावरण प्रदान करने हेतु एक प्रभावी तंत्र के माध्यम से प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व के वास्ते माहौल बनाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, जनवरी, 2006 में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्र संघ के चुनावों से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने हेतु श्री जे.एम. लिंगदोह की अध्यक्षता में लिंगदोह समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निदेश दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों

का कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को लिखा है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं और ये अपने-अपने अधिनियमों, संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। छात्र संघों/परिषदों और उनके चुनाव सहित सभी मामले अधिनियमों, संविधियों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होते हैं। जब कभी कोई प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विश्वविद्यालय को अग्रेषित कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

आयातित उपस्करों की सुरक्षा संबंधी चिंता

4320. **श्री एम.के. राघवन:**
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन चीनी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो देश में बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य दूरसंचार कंपनियों को दूरसंचार उपस्कर/उपकरण आपूर्ति कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने सुरक्षा संबंधी खतरें की मद्देनजर इन आपूर्तिकर्त्ताओं की विश्वसनीयता की जांच करके इन्हें स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो दूरसंचार उपस्करों और दूरसंचार उपकरण आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) इस समय दूरसंचार सेवा प्रदाता लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन की शर्त के अध्यधीन अपने-अपने तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर चीनी कम्पनियों सहित किसी भी विक्रेता से विभिन्न दूरसंचार उपस्कर विनियोजित कर सकते हैं। मैसर्स हुआवे टैक्नॉलाज़िस तथा जेड टी.ई. प्रमुख चीनी कम्पनियां हैं जो विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार उपस्करों की आपूर्ति कर रही हैं।

दूरसंचार उपस्करों के संबंध में सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के उद्देश्य से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 31.05.2011 को अभिगम सेवा लाइसेंसों तथा दिनांक 3 जून, 2011 को अन्य लाइसेंसों के लिए लाइसेंस संशोधन के रूप में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन संशोधनों के द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने-अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। यह भी अनिवार्य किया गया है कि दूरसंचार नेटवर्क में केवल उन्हीं नेटवर्क तत्वों को शामिल किया जाएगा जिनकी जांच संगत समीचीन भारतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार की गई हो। उदाहणार्थ सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संगत तत्वों की जांच आईएसओ/टीईसी 15408 मानकों के आधार पर, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की जांच आईएसओ 27000 शृंखला मानकों के अनुसार, दूरसंचार और दूरसंचार से संबंधित तत्वों की जांच 3जीपीपी, 3 जीपीपी 2 सुरक्षा मानकों आदि के आधार पर मानकों की किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी/प्रयोगशाला से कार्रवाई जाए अर्थात् आईएसओ/आईईसी 154008 मानकों के मामलों में ऐसी जांच 31 मार्च, 2013 तक सामान्य कसौटी प्रयोगाशालाओं से कार्रवाई जाए। 01 अप्रैल, 2013 से प्रमाणीकरण केवल भारत की प्रमाणित एजेंसियों/प्रयोगशालाओं से ही करवाया जाएगा। जांच के परिणामों और जांच प्रमाण-पत्रों की प्रतियां उपस्करों के प्रापण की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंसधारक द्वारा रखी जाएंगी जिनकी लाइसेंस प्रदाता द्वारा इस अवधि के दौरान किसी भी समय जांच/मांग की जा सकती है।

भूजल का निष्कर्षण

4321. **श्री संजय भोई:**
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने दिल्ली स्थित मंडी हाउस के निकट स्थल में बोरवेल के जरिए भूजल निष्कर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जल को किस प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित एजेंसी/प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में और भविष्य में इस रीति को रोकने के लिए भी सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि निर्माण गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए भूमिगत निर्माण जोन में जल स्तर को अस्थायी रूप से कम करने हेतु अस्थयी बोरवेल पाइन्ट मुहैया कराए गए थे। आस-पास के क्षेत्रों के जल स्तर को ऊपर लाने के लिए निष्काषित जल का उपयोग किया गया था। कुछ जल का उपयोग निर्माण जोन में धूल को दबाने के लिए भी किया गया था।

(ग) डीएमआरसी ने सूचित किया है कि उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी।

(घ) डीएमआरसी के अनुसार, चूंकि ये अस्थायी 'बोरवेल पाइन्ट हैं जिन्हें नींव का कार्य पूरा करने के बाद बन्द कर दिया जाता है, अत: कोई अनुमति नहीं मांगी गई। डीएमआरसी ने खनन और जल निष्कासन के लिए केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.11.12 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कदम उठाये हैं।

(ङ) डीएमआरसी को इस सम्बन्ध में भविष्य में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

[हिन्दी]

3जी सेवाएं

4322. **श्री शेर सिंह घुबाया:**
योगी आदित्यनाथ:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने 3जी समर्थित टावर संस्थापित किए गए हैं और पंजाब सहित राज्य-वार कितने जिलों को अभी तक 3जी सेवाओं के दायरे में लाया गया है;

(ख) देश के प्रत्येक जिले में 3जी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए सरकार ने क्या समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान पंजाब और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों में वर्ष-वार और राज्य-वार कितने 3जी समर्थित मोबाइल टावर संस्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों द्वारा पेश की जाने वाली 3जी सेवाओं की गुणवत्ता और डाउनलोड स्पीड उपभोक्ताओं को शुरुआत में दावा स्वरूप' और वायदा स्वरूप दी गई पेशकश से मेल नहीं खाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में 3जी सेवाएं शुरू करने और अभी तक शुरू की गई सेवाओं की गुणवत्ता और डाउनलोड स्पीड को गुणवत्ता बेंचमार्क की कसौटी पर खरा उतरने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ग) विभिन्न एल.एस.ए. (लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों) में 30-11-2012 की स्थिति के अनुसार लगाए गए 3जी समर्थित टावरों की संख्या और वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टावरों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 3जी सेवा प्रदान करने के लिए समय-सीमा 3जी स्पैक्ट्रम नीलामी में सफल बोलीदाताओं को जारी किए गए यू.ए.एस./सी.एम.टी.एस. लाइसेंसों में संशोधन के अनुसार 3जी स्पैक्ट्रम के लिए रॉल-आऊट दायित्व द्वारा निर्धारित की जाती है। संगत सारांश संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तदनुसार टावर की संस्थापना पर निर्णय सेवा प्रदाताओं के रॉल-आऊट दायित्वों और व्यावसायिक अपेक्षा के अनुसार लिया जाता है।

(घ) और (ङ) ट्राई ने 3जी वॉयस सेवाओं के लिए नेटवर्क केन्द्रित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर और बेंचमार्क निर्धारित किए हैं। ये पैरामीटर काल ड्रॉप, वॉयस गुणवत्ता, नेटवर्क संकुलन और नेटवर्क उपलब्धता जैसे अति महत्वपूर्ण पैरामीटरों में 3जी प्रचालकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। इन

विनियमों के अनुसार सेवा प्रदाताओं से आशा की जाती है कि वे दिसम्बर 2012 को समाप्त होने वाली तिमाही से 3जी सेवा संबंधी अपनी निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर्ट दें। डाटा सेवाओं के लिए ट्राई ने हाल ही में बेतार डाटा सेवाओं हेतु सेवा के गुणवत्ता संबंधी मानक निर्धारित किए हैं जिनमें 4 दिसम्बर, 2012 के बेतार डाटा सेवा विनियम, 2012 हेतु सेवा के गुणवत्ता संबंधी मानकों के माध्यम से 3जी सेवाएं शामिल हैं। ये विनियम 1 जनवरी, 2013 से प्रभावी होंगे। हालांकि, सेवा प्रदाता निश्चित गति को विज्ञापित कर सकता है, परंतु वास्तविक गति नेटवर्क में प्रयोक्ताओं की संख्या के अनुसार घट बढ़ सकती है और अपेक्षाकृत कम गति के कारण ग्राहक का असंतोष हो सकता है। अतः उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करने के लिए औसत थ्रूपुट नामतः "पैकेट डाटा के लिए औसत थ्रूपुट" को मापने के लिए विनियमों में एक पैरामीटर निर्धारित किया गया है जिसके लिए बेंचमार्क अभिदत्त गति को >75 प्रतिशत है। इन विनियमों में सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त प्रत्येक योजना हेतु न्यूनतम डाउनलोड स्पीड मापने का प्रावधान भी है और इस गति की रिपोर्ट ट्राई को देनी होती है। इस संबंध में, ट्राई ने प्रत्येक सेल्युलर टेलीफोन सेवा प्रदाता या एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाता को लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्र में विभिन्न डाटा सेवाओं की कवरेज के समूचे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के लिए सर्वरों और परीक्षण जांचों को मिलाकर एक परीक्षण ढांचा स्थापित करने का अधिदेश दिया है।

विवरण-I

30-11-12 की स्थिति के अनुसार लगाए गए 3जी समर्थित टावरों की संख्या तथा प्रस्तावित टावरों की संख्या

क्र. सं.	लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) का नाम	एल.एस.ए. में 3जी सेवाओं द्वारा कवर किए गए कुल जिलों की संख्या	30-11-12 की स्थिति के अनुसार एलएसए में 3जी समर्थित बीटीएस की कुल संख्या	वर्ष 2012-13 के दौरान एलएसए में संस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 3जी समर्थित बीटीएस की कुल संख्या (30.11.2012 तक प्रस्तावित में से पहले ही संस्थापित बीटीएस को छोड़कर)	वर्ष 2013-14 के दौरान एलएसए में अब तक संस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 3जी समर्थित बीटीएस की कुल संख्या (30.11.12 तक प्रस्तावित, यदि कोई है, में से पहले ही संस्थापित, बीटीएस को छोड़कर)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	7450	999	1550
2.	असम	25	1490	228	130
3.	बिहार	61	3292	1703	250
4.	दिल्ली	5	8405	1488	2740
5.	गुजरात	28	6985	348	820
6.	हरियाणा	20	1899	200	230
7.	हिमाचल प्रदेश	12	781	141	100

1	2	3	4	5	6
8.	जम्मू और कश्मीर	18	1917	283	100
9.	कर्नाटक	30	7159	4026	330
10.	केरल	15	4080	515	550
11.	कोलकाता	1	3942	27	314
12.	मध्य प्रदेश	76	4499	368	
13.	महाराष्ट्र	35	8377	427	400
14.	मुंबई	4	6622	1085	1399
15.	पूर्वोत्तर	36	1011	198	302
16.	ओडिशा	30	1383	169	650
17.	पंजाब	24	2743	189	397
18.	राजस्थान	33	3556	1004	781
19.	तमिलनाडु चेन्नै सहित	34	9350	1715	895
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	48	4418	477	855
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	29	4747	507	371
22.	पश्चिम बंगाल	23	2106	429	10
	कुल	610	96212	16526	13174

विवरण-II

3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में सफल बोलीदाताओं को जारी यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसों में संशोधन के अनुसार रॉलआउट दायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:-

लाइसेंसधारक लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों में तत्संगत श्रेणी के 3जी स्पेक्ट्रम हेतु निम्नलिखित नेटवर्क संबंधी रॉलआउट दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

श्रेणी क, ख और ग सेवा के लाइसेंसों के लिए: लाइसेंसधारक, जिसे स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है, वह प्रभावी तारीख के 5 वर्षों के भीतर सेवा क्षेत्र में कम से कम 50% जिला मुख्यालयों को 3जी का प्रयोग करते हुए कवर किया जाना सुनिश्चित करेगा जिसमें से 15% जिला मुख्यालय ग्रामीण अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) होने चाहिए। एस.डी.सी.ए. को भारत की जनगणना द्वारा प्रयुक्त परिभाषा के अनुसार परिभाषित किया गया है। ग्रामीण एसडीसीए को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जहां 50% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके अतिरिक्त:-

(i) प्रचालक को जिला मुख्यालय के स्थान पर जिले में कोई अन्य कस्बा कवर करने की अनुमति होगी;

(ii) जिला मुख्यालय/कस्बे की कवरेज का अर्थ है कि म्युनिसिपल/स्थानीय निकाय की सीमाओं से घिरे क्षेत्र के कम से कम 90% भाग को गली स्तर पर अपेक्षित कवरेज मिल जानी चाहिए;

(iii) जिला मुख्यालय को प्रभावी तारीख के अनुसार लिया जाएगा; और

(iv) कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/कस्बों का चयन और 50% से अधिक जिला मुख्यालयों/कस्बों तक विस्तार देने का विकल्प प्रचालक का है।

प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जब से दिए गए स्पेक्ट्रम को प्रयोग करने का अधिकार वाणिज्यिक रूप में, अर्थात इस संशोधन पत्र के जारी होने की तारीख से प्रारंभ होता है। अधिकांश संशोधन सितंबर, 2010 माह में जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों की व्यावसायिक अर्थक्षमता

4323. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमानपत्तनों की व्यावसायिक अर्थक्षमता के आकलन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने विमानपत्तनों का प्रचालन शुरू किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) किसी भी परियोजना/हवाईअड्डे की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए स्वीकार्य मानदंड सामान्यत: आंतरिक रिटर्न की दर (आईआरआर) है। तथापि, हवाईअड्डों का विकास सामाजिक, आर्थिक तथा रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए दूर-दराज के क्षेत्रों में विमान संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दो हवाईअड्डे अर्थात् मैसूर (2010 में) तथा जलगांव (2012 में) प्रचालनिक बनाए गए।

[हिन्दी]

फर्जी विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थाएं

4324. श्री महेश्वर हजारी:
श्री गणेश सिंह:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फर्जी विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं की बढ़ती संख्या के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने जाली विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं की पहचान की गई;

(ङ) ऐसे विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कड़े कदम उठाए हैं अथवा कृतक बल का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन शिक्षा संस्थाओं से कितने छात्र प्रभावित हुए हैं; और

(ज) इन संस्थाओं में पढ़ रहे छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने सूचित किया है

कि क्रमशः यूजीसी तथा एआईसीटीई दोनों समय-समय पर देश में फर्जी विश्वविद्यालयों तथा गैर-अनुमोदित संस्थाओं की सूची की पहचान करते हैं और उसे अधिसूचित करते हैं। यू.जी.सी. की अधिसूचना के अनुसार, फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या 21 बनी हुई है जबकि एआईसीटीई की अधिसूचना के अनुसार गैर-अनुमोदित संस्थाओं की संख्या मार्च, 2012 में 127 से बढ़कर अब 309 हो गयी है। इन संस्थाओं के ब्यौरे यू.जी.सी. की वेबसाईट: *www.ugc.ac.in* तथा एआईसीटीई की वेबसाईट: *www.aict.india.org* पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) यू.जी.सी. ने सूचित किया है कि इसने फर्जी विश्वविद्यालयों की समस्या को रोकने और उनके विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी राज्यों के सभी मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और शिक्षा सचिवों को पत्र लिखे हैं। यूजीसी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यू.जी.सी., एआईसीटीई तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) जैसे सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बगैर डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध एक अभियान चलाने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सभी शिक्षा सचिवों को भी पत्र लिखे हैं। यूजीसी शैक्षिक सत्र के आरंभ में संभावित छात्रों को ऐसी संस्थाओं में प्रवेश न लेने संबंधी चेतावनी जारी करते हुए आम लोगों/छात्रों की जागरुकता को बढ़ावा देने हेतु 'सार्वजनिक नोटिस, 'प्रैस विज्ञप्तियां' तथा 'सशुल्क विज्ञाप्ति' जारी करता है।

एआईसीटीई ने सूचित किया है कि उसने भी गैर-अनुमोदित संस्थाओं को गैर-अनुमोदित कार्यक्रमों का संचालन बंद करने तथा अधिसूचित प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदन हेतु एआईसीटीई से अनुरोध करने की सलाह देते हुए पत्र जारी किए हैं। संबद्ध राज्य सरकारों को भी ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है। ए.आई.सी.टी.ई. समय-समय पर सार्वजनिक जागरुकता के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करती है।

सरकार ने अनुचित प्रथाओं की रोक-थाम और नियंत्रण के लिए संसद में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रथाओं की रोकथाम विधेयक, 2010 पेश किया है।

(च) से (ज) यूजीसी और एआईसीटीई ने सूचित किया है कि समय-समय पर उनके द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस तथा विज्ञापनों में सभी छात्रों को ऐसी स्व-अभिकल्पित, अपंजीकृत तथा गैर-अनुमोदित संस्थाओं के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह/चेतावनी दी जाती है। डिग्री प्राप्त करने के लिए अकादमिक अध्ययन हेतु ऐसी संस्थाओं से सम्पर्क करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसा अपने स्वयं के जोखिम और जिम्मेदारी पर करेगा। इसलिए, इन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के ब्यौरे एकत्र नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

देश में दूरसंचार सेवाएं

4325. श्री निलेश नारायण राणे:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में कोई विसंगति पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र तथा गुजरात सहित प्रत्येक राज्य में दूरसंचार-घनत्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से विशेषकर अपने संबंधित राज्यों के दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और संवर्धन के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र और गुजरात सहित परियोजना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र और गुजरात में वंचित और खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और सवंर्धन के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) सेवा क्षेत्र-वार टेलीघनत्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित

क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई) में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल टॉवर संस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल टॉवरों की संस्थापित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों से यथा प्राप्त अनुरोधों का राज्य-वार सारांश संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

दूरसंचार विभाग के टर्म प्रकोष्ठ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग 50,000 गांवों में मोबाइल सेवाओं की सुविधा नहीं है। इस समय, महाराष्ट्र में 5395 गांवों तथा गुजरात में 1938 गांवों में मोबाइल सेवाओं की सुविधा नहीं है।

देश के सभी सुविधारहित गांवों में मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधी से वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी एक स्कीम पर विचार किया जा रहा है। इस स्कीम के लिए तकनीकी परमर्श उपलब्ध कराए जाने जाने के लिए सी-डॉट (टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र) के साथ दिनांक 01.11.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सी-डॉट से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यूएसओएफ द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विवरण-I

दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार टेलीघनत्व

सेवा क्षेत्र का नाम	टेलीघनत्व (%)
1	2
आंध्र प्रदेश	81.33
असम	48.74
बिहार (झारखंड सहित)	46.73
गुजरात	89.85
हरियाणा	81.64
हिमाचल प्रदेश	105.90
जम्मू और कश्मीर	58.50
कर्नाटक	96.79
केरल	104.15
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	54.93
महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	74.11
पूर्वोत्तर	70.22
ओडिशा	62.52
पंजाब	106.32
राजस्थान	72.71
तमिलनाडु (चेन्नै सहित)	116.37
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	59.09
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	
पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर और अंडमान तथा निकोबार और सिक्किम सहित)	60.87
कोलकाता	170.35
दिल्ली	232.66
मुंबई	171.22
कुल	77.04

विवरण-II

राज्यों के अनुरोध स्वरूप संस्थापित किए जाने वाले मोबाइल टॉवरों की संख्या

राज्य	राज्यों के अनुरोध स्वरूप संस्थापित किए जाने वाले मोबाइल टॉवरों की संख्या
1	2
छत्तीसगढ़	26

1	2
झारखंड	104
मणिपुर	14
मध्य प्रदेश	22

उच्च शिक्षा और अनुसंधान विधेयक

4326. **श्री नलिन कुमार कटील:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उच्च शिक्षा और अनुसंधान विधेयक के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी विरोध की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा कुछ राज्य-बार एसोसिएशनों से उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, 2011 संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिसमें वकीलों और बार के सदस्यों ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर अपना विरोध दर्ज किया था।

(ग) और (घ) तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जून, 2012 को बुलाई गई बैठक में बीसीआई, विधायी शिक्षा समिति तथा राज्य बार काउंसिलों के प्रमुखों के साथ एक सहमति बनी थी जिसमें वकीलों की, उनके प्रोफेशन को विनियमित करने और प्रोफेशनल प्रैक्टिस से जुड़े शिक्षा के मानकों का निर्धारण करने संबंधी आशंकाओं का निराकरण किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए नई पेंशन योजना

4327. **श्री राकेश सिंह:**
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के अंतर्गत कार्यरत अध्यापकों को नई पेंशन योजना के तहत अंशदान पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा उपयोग के लिए नियमित रूप से नहीं भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एनपीएस के तहत पीएफआरडीए को अंतरित धनराशि का माह-वार ब्यौरा क्या है और अंशदान को अंतरित करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किए जा रहे अंशदान और पीएफआरडीए द्वारा किए जा रहे वास्तविक उपयोग में भारी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो क्या विलंबित उपयोग की स्थिति में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए नियमों में कोई प्रावधान है चूंकि एनपीएस एक बाजार संप्रत योजना है और इसमें भारी धनराशि शामिल है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस अनियमितता के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्यालय की कैंटीनों में मानक/स्वच्छ भोजन

4328. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में विद्यालय की कैंटीनों में परोसे जाने वाले मानक और स्वच्छ भोजन के संबंध में वर्तमान नीति/दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि स्कूल कैंटीन में

बेचे जाने वाले जंकफूड की मात्रा की विविधता में क्रमिक वृद्धि हो रही है जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है जिसमें मधुमेह, वसा की अधिक मात्रा आदि जैसी बीमारियां भी शामिल हैं:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार की स्कूल कैंटीनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता के आकलन के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देशभर में विद्यालय के छात्रों में अस्वास्थ्यकर और जंक फूड खाने की आदत को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने संबद्ध स्कूलों में जंक फूड प्रदान करने पर रोक लगाने की सलाह दी है। बोर्ड ने स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी है कि स्कूल कैंटीन स्वास्थ्यकारी स्नैक्स प्रदान करें, जिनका स्कूलों के स्वास्थ्य एवं वेलनेस क्लबों द्वारा अनुवीक्षण किया जा सके। मेन्यू हेतु रेसिपी निर्धारित करने (स्वास्थ्य पोषक एवं संतुलित) तथा खाद्य मदों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के लिए स्कूल के डॉक्टरों/पोषण विशेषज्ञों/डाइटिशियन/परामर्शदाताओं/नर्सों/गृह विज्ञान विभाग को भी शामिल किया जाना चाहिए। जंक/फास्ट फूड के स्थान पर पूर्ण रूप से स्वास्थ्यकारी स्नैक्स प्रदान किए जाने चाहिए।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद् (सीआईएससीई) ने अपने सबद्ध सभी स्कूलों को स्कूल तथा इसके आस-पास जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने तथा विद्यार्थियों में स्वास्थ्यकारी खाद्य आदतो को प्रोत्साहित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् (सीओबीएसई) ने भी अपने सभी सदस्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं के प्रमुखों को स्वास्थ्यकारी खाद्य आदतों को प्रोत्साहित करने तथा स्कूल एवं उसके आस-पास जंक फूड के प्रयोग को हतोत्साहित करने संबंधी पत्र लिखने की सलाह दी है।

पैकेज्ड मध्याह्न भोजन योजना

4329. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी) देश के विभिन्न राज्यों में विद्यालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन का वितरण करने के लिए एक पैकेज डिज़ाइन विकसित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईआईपी भारतीय जलवायु की स्थितियों के लिए उपयुक्त खाद्य वस्तुओं के पैकेज के लिए भी अनुसंधान कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत केवल पका हुआ गर्म भोजन परोसने का अधिदेश दिया गया है। अत: सरकार पैकेज्ड भोजन प्रदान करने पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) प्रसंस्कृत खाद्यों; ताजे फल और सब्जियों; मसालों; काजू गिरी; मांस तथा मांस उत्पाद; चाय; नारियल उत्पाद; खाद्य तेल; भारतीय मिठाइयों और स्नैक भोजन के लिए घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए खाद्य मदों की पैकेजिंग पर शोध संचालित करता रहा है।

[हिन्दी]

अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना करना

4330. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना करने के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं होती हैं और ये अपने संबंधित अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा विनियमित होते हैं। प्रयोगशालाएं स्थापित करने जैसे अकादमिक मामलों के बारे में निर्णय विश्वविद्यालय की सांविधिक संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं तथा इस प्रकार के अकादमिक मामलों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने 46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से (भवन-25 करोड़ रुपए और उपस्कर-21 करोड़ रुपए) एक अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय 10,93,24,823.00 रुपए मूल्य के उपस्कर अधिप्राप्त कर चुका है।

(ग) मैसर्स एचएससीएल दिल्ली के साथ निष्पादित संविदा के अनुसार कार्य का पहला चरण 30 जनवरी, 2013 तक और दूसरा चरण 30 जुलाई, 2013 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

विशेष शिक्षक

4331. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम विद्यालयों में जहां नि:शक्त बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, में विशेष शिक्षकों का कोई प्रावधान नहीं है और उनके द्वारा शिक्षकों की बात समझने में कठिनाई और उनके साथ सामंजस्य नहीं हो पाने के कारण वे विद्यालय छोड़ने को मजबूर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार और केन्द्रीय विद्यालय विशेष शिक्षक प्रदान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्यालयों विशेषकर इस प्रकार के विशेष बच्चों के लिए सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी की उत्तरदायी एकमात्र एजेंसी का नाम क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान की केन्द्रीय प्रायोजित योजना नि:शक्तता के प्रकार अथवा प्रतिशतता पर ध्यान दिए बिना मुख्यधारा के स्कूलों में सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान करती है। समावेशी शिक्षा हेतु अध्यापकों के अकादमिक संसाधन सहायता को नियोजित करने की व्यवस्था है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत् संसाधन सहायता के लिए 22156 संसाधन व्यक्ति भर्ती किए गए हैं।

सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में कार्यान्वित की जा रही है "माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तों को समावेशी शिक्षा" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में प्रत्येक 5 नि:शक्त बच्चों के लिए एक विशेष अनुदेशक की नियुक्ति की व्यवस्था है। अब तक 17689 विशेष अनुदेशकों की भर्ती का अनुमोदन किया गया है। केन्द्रीय विद्यालयों में नि:शक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष अध्यापक का कोई संस्वीकृत पद नहीं है।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला-वार निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर समावेशी शिक्षा की प्रगति और मामलों के निर्धारण के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से भी निगरानी की जाती है। इस घटक के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य दौरे भी आयोजित किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत् छमाही संयुक्त समीक्षा मिशन भी समावेशी शिक्षा घटक का मूल्यांकन करते हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीआर) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के तहत् राष्ट्रीय स्तर पर "बाल शिक्षा अधिकारों" की निगरानी अनिवार्य की है जिसमें "विशेष बच्चों" से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

विद्यालयों में कक्षाओं की उपलब्धता

4332. **श्री मनोहर तिरकी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक और माध्यमिक

शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुल कितनी कक्षाओं की आवश्यकता है;

(ख) वर्तमान में देश में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कुल कितनी कक्षाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) उक्त अंतराल को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (नूपा) द्वारा वार्षिक रूप से एकत्रित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के आंकड़ों के अनुसार 2010-11 के दौरान प्रारंभिक स्कूलों के लिए छात्र शिक्षण-कक्ष अनुपात (एससीआर) 31:1 है। अपनी शुरुआत से ही सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षण-कक्षों का संकुलन कम करने के लिए 17.92 लाख अतिरिक्त शिक्षण कक्ष और 3.04 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए हैं।

सरकारी क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 80500 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों की आवश्यकताओं का पता चला।

माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसईएमआईएस) 2010-11 से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्कूल में उपलब्ध शिक्षण-कक्ष निम्नानुसार है:-

सरकारी माध्यमिक स्कूल	सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त माध्यमिक स्कूल	निजी माध्यमिक स्कूल	कुल शिक्षण कक्ष
2,13,602	1,73,621	2,99,711	6,86,574

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकायल इत्यादि सहित मौजूदा माध्यमिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण का प्रावधान है। इस योजना के कार्यान्वयन के विगत 3 वर्षों के दौरन आरएमएसए के अंतर्गत 49,356 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष संस्वीकृत किए गए हैं।

जी सैट-10 का प्रक्षेपण

4333. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में सबसे अधिक भारी जी सैट-10 उपग्रह छोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उपग्रह का प्रचालन शुरू हो गया है और यह घरेलू इनसैट प्रणाली में 30 ट्रांसपोंडर को जोड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) जीसैट-10 उपग्रह जिसका उत्थापन भार 3,400 कि.ग्रा. था और जो अपने साथ 30 संचार ट्रांसपोंडर तथा एक नौवहन नीतभार "गगन" ले गया है, उसे एरियाने-5 प्रमोचक राकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना से सितंबर, 29, 2012 को प्रमोचित किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) इन्सैट प्रणाली में योजित 30 ट्रांसपोंडरों में 12 के यू-बैण्ड, 12 सी-बैण्ड और 6 निम्न विस्तृत सी-बैण्ड ट्रांसपोंडर शामिल हैं। जीसैट-10 ट्रांसपोंडरों की कक्षीय जांच का कार्य अक्तूबर, 2012 के अंत तक पूरा कर लिया गया और उपग्रह 83 डिग्री पूर्व के निर्धारित कक्षीय स्लॉट में अवस्थित है। उपग्रह प्रचालनात्मक बन गया है।

भारत-जापान ऊर्जा वार्ता

4334. **डॉ. पी. वेणुगोपाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान के बीच हाल ही में तोक्यो में ऊर्जा संबंधी छठे दौर की वार्ता संपन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चर्चाओं के ध्यान केन्द्र का दायरा क्या रहा;

(ग) क्या जापान ने भारत के साथ अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को बांटने की सहमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) उपाध्यक्ष, योजना आयोग और जापान के आर्थिक कार्य, व्यापार एवं उद्योग मंत्री के बीच भारत-जापान ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक तोक्यो में 10 अक्तूबर, 2012 को आयोजित की गई थी। जिन क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई उनमें ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा में सहयोग शामिल है।

(ग) और (घ) 25 जून, 2010 को जापान सरकार ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए करार पर भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की। अब तक तीन दौर की वार्ता हो चुकी हैं।

राष्ट्रीय मानसून मिशन

4335. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय मानसून मिशन (एनएमएम) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) एनएमएम की शुरूआत के पश्चात् कितना बजटीय प्रावधान किया गया और इसमें से कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) देश में अभी तक राज्य-वार कुल कितने स्वचालित मौसम केन्द्र (एडब्ल्यूएस) संस्थापित किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) राष्ट्रीय मानसून मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य हैं:-

(i) (क) विस्तारित अवधि से ऋतुकालिक समय पैमाने (16 दिनों से लेकर एक ऋतु तक) पर मानसून वर्षा के उन्नत पूर्वानुमान और (ख) लघु से माध्यम अवधि समय पैमाने (15 दिनों तक) पर तापमान, वर्षा और विषय मौसमी घटनाओं के उन्नत पूर्वानुमान के लिए अत्याधुनिक गतिशील पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना करना।

(ii) देश के लिए प्रचालनात्मक मानसून पूर्वानुमानों के कौशल को उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों और देश की प्रचालनात्मक एजेंसियों के बीच कार्य करने की साझेदारी निर्मित करना।

(ख) राष्ट्रीय मानसून मिशन (एनएमएम) के शुरू होने के पश्चात् बनाए गए बजटीय प्रावधानों और इसमें से जारी की गई धनराशि और 5 वर्षों (2012-2017) के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन का समग्र बजटीय आवंटन 400.0 करोड़ रु. रखा गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देने और कम्प्यूटरिंग संसाधनों की खरीद हेतु पहले ही 8.45 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) 2006 से ही, सरकार द्वारा देश में 675 स्वचालित मौसम केन्द्र (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए जा चुके हैं। इनका राज्य-वार वितरण नीचे दिया गया है:-

राज्य	आधुनिकीकरण परियोजना के चरण-I के तहत स्थापित किए गए एडब्ल्यूएस की संख्या	2006-07 के दौरान स्थापित किए गए एडब्ल्यूएस की संख्या	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	22	13	35
अरुणाचल प्रदेश	7	9	16
असम	26	1	27
बिहार	28	0	28
छत्तीसगढ़	18	1	19
गोवा	1	1	2
गुजरात	26	10	36
हरियाणा	25	1	26
हिमाचल प्रदेश	22	1	23
जम्मू और कश्मीर	15	0	15

1	2	3	4
झारखंड	14	2	16
हरियाणा	21	5	26
केरल	10	5	15
मध्य प्रदेश	48	4	52
महाराष्ट्र	36	12	48
मणिपुर	10	0	10
मेघालय	7	0	7
मिजोरम	8	0	8
नागालैंड	7	3	10
ओडिशा	30	7	37
पंजाब	24	2	26
राजस्थान	35	7	42
सिक्किम	3	1	4
तमिलनाडु	17	10	27
त्रिपुरा	4	0	4
उत्तर प्रदेश	45	8	53
उत्तराखंड	12	7	19
पश्चिम बंगाल	17	10	27
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	1
चंडीगढ़	1	0	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीव	1	1	2
दिल्ली	10	1	11
लक्षद्वीप	0	1	1
पुदुचेरी	0	1	1
कुल	550	125	675

हिमालयी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 215 एडब्ल्यूएस स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्य	स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस)	मोबाइल-स्वचालित मौसम स्टेशन (एम-एडब्ल्यूएस)
जम्मू और कश्मीर	20	10
हिमाचल प्रदेश	20	10
उत्तराखंड	20	10
सिक्किम	16	3
एसएचडब्ल्यूबी	04	2
कुल	80	35

राज्य	स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस)	मोबाइल-स्वचालित मौसम स्टेशन (एम-एडब्ल्यूएस)
अरुणाचल प्रदेश	10	5
असम	20	5
मेघालय	10	2
नागालैंड	10	2
मणिपुर	10	2
मिजोरम	10	2
त्रिपुरा	10	2
कुल	80	20

भागीदारी और नियुक्ति शुल्क में कटौती

4336. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) ने अधिक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भागीदारी और नियुक्ति शुल्क में कटौती करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप नियुक्ति के लिए आने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो संस्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) वर्तमान में भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आईआईएम) बंगलूरु, कोझीकोड, शिलांग, रोहतक, रायपुर, रांची, तिरुचिरापल्ली, काशीपुर और उदयपुर कोई सहभागिता शुल्क वसूल नहीं कर रहे हैं। आईआईएम लखनऊ ने सहभागिता और नियोजन शुल्क कम न करने का निर्णय लिया है। आईआईएम कोलकता पहली बार दौरा करने वाली कंपनियों, शुरू होने वाली कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों से सहभागिता और नियोजन शुल्क वसूल नहीं कर रहा है। आईआईएम इन्दौर ने वर्ष 2012 में नियोजन शुल्क छोड़ने का निर्णय लिया है। आईआईएम अहमदाबाद ने अंतिम नियोजन-2012 के दौरन सहभागिता शुल्क संघटक समाप्त कर दिया है और कंपनियों के लिए विभिन्न क्लस्टरों में भर्ती के निम्नानुसार तीन विभिन्न स्लेब में संशोधित परिवर्तनीय शुल्क शुरू किया है:-

1.	क्लस्टर 1 में	:	1,50,000/- रु. प्रति छात्र
2.	क्लस्टर 2, 3 और 4 में	:	1,00,000/- रु. प्रति छात्र
3.	क्लस्टर 4 के बाद में	:	75,000/- रु. प्रति छात्र

(ग) और (घ) जी, हां। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम इन्दौर और आईआईएम कोझीकोड में नियोजन देने वाली कंपनियों में क्रमशः वर्ष 2011 की 143, 92 और 110 की तुलना में वर्ष 2012 में 151, 138 और 135 तक वृद्धि हुई है।

विमानचालकों को फिर से बहाल करना

4337. **श्री के. सुगुमार :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के उन सभी विमानचालकों को फिर से बहाल कर लिया गया है जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें कब तक फिर से बहाल कर लिया जाएगा; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात्, इंडियन पॉयलट गिल्ड (आईपीजी) ने दिनांक 03.07.2012 को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और नौकरी से हटाए गए पायलटों के मामलों में भी मामला दर मामला आधार पर जांच करने के लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ कार्यपालकों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई। उक्त समिति द्वारा प्रत्येक मामले पर यथो उचित तथा विस्तृत विचार करने के पश्चात् 84 पायलटों की पुनर्बहाली कर दी गई तथा 13 पायलटों के पुनर्बहाली के अनुरोध नामंजूर कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

डाक क्षेत्रीय कार्यालय

4338. **श्रीमती दर्शना जरदोश:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यशील डाक क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या क्या है और राज्यों में ऐसे डाक क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में डाक क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का है और उसे विभिन्न राज्य सरकारों से ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो गुजरात सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों के प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार ने राज्यवार क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) वर्तमान समय में देश में 47 डाक क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। डाक सर्किलों में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:-

यदि किसी सर्किल में यूनिटों की संख्या 11 से अधिक है- एक क्षेत्र

यदि किसी सर्किल में यूनिटों की संख्या 16 से अधिक है- दूसरा क्षेत्र

यदि किसी सर्किल में यूनिटों की संख्या 26 से अधिक है- तीसरा क्षेत्र

यदि किसी सर्किल में यूनिटों की संख्या 40 से अधिक है- चौथा क्षेत्र

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार

4339. श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) को देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों तथा निजी विद्यालयों में भी लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) 12वीं योजना के लिए प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता संबंधी कार्य समूह ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को 12वीं योजना के दौरान चरणबद्ध ढंग से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

शिक्षण संस्थाओं में रक्षा पाठ्यक्रम

4340. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने युवाओं को रक्षा सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शामिल करने के लिए किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश/निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवंटन में वृद्धि

4341. श्री ताराचंद भगोरा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जेएनएनयूआरएम के लघु और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना उप-मिशन (यूआईडीएसएसएमटी) के अधीन राजस्थान के आवंटन को बढ़ाने का है तथा यूआईडीएसएसएमटी परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या केन्द्र की अतिरिक्त सहायता (एसीए) जारी करने के लंबित करने के कारण यूआईडीएसएसएमटी परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यूआईडीएसएसएमटी हेतु 109.01 करोड़ रुपए के लंबित एसीए जारी करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 12 यूएलबी के प्रारुप परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु खर्च की गई 2.07 करोड़ रुपए को प्रतिपूर्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) एक सुधार आधारित स्कीम है, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की द्वितीय किस्त जारी करना राज्य एवं यूएलबी द्वारा पूर्व में जारी धनराशि के 70% तक उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं शहरी क्षेत्र के सुधारों को पूरा करने पर निर्भर करता है। तथापि निर्धारित शहरी क्षेत्र के सुधारों के पूर्ण करने में देश के छोटे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने दिनांक 31.5.2012 को आयोजित अपनी बैठक के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से द्वितीय किस्तें जारी करने के लिए छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत सुधार शर्तों की छूट को अनुमोदन प्रदान किया है:-

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन परियोजनाओं में दूसरी किस्त के लिए निधियां जारी करने को सुधार कार्यान्वयन से अलग करने।

(ii) यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त उन यूएलबी को जारी की जाएगी जिन्होंने सम्पत्ति कर के संबंध में सम्पत्तियों का 60% तक का कवरेज और 70% संग्रहण कुशलता तथा 70% तक की सीमा तक प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से प्रचालन और प्रबंधन (ओ एण्ड एम) लागत की वसूली वाले सुधारों के संबंध में 2 सुधारों सहित यूएलबी स्तरीय अनिवार्य 6 सुधारों में से 4 सुधार पूरे कर लिए हैं।

(iii) ऐसे यूएलबी, जो शिथिल मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सकें हैं, निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य अपने पास उपलब्ध निधियों से पूर्ण कर सकते हैं। यदि मार्च, 2014 तक उपर्युक्त (ii) तक सुधारों की उपलब्धि प्राप्त कर ली जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

चूंकि राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों ने शहरी क्षेत्र के सुधारो के शिथिल मानकों को भी प्राप्त नहीं किया है, इसलिए 18 परियोजनाओं, जिसमें उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, में 158.24 करोड़ रु. की द्वितीय किस्त जारी करने के लिए राजस्थान सरकार के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सका। तद्नुसार, सीसीआई के दिनांक 31.5.2012 के निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार को अपनी परियोजनाओं को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करने और 31 मार्च, 2014 तक सुधारों को प्राप्त करने के पश्चात् एसीए की द्वितीय किस्त की प्रतिपूर्ति का दावा करने का परामर्श दिया गया है।

(घ) और (ङ) स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीपीआर प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति संगत संबद्ध दस्तावेजों, को प्रस्तुत करने, एसएलएससी अनुमोदन एवं धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

बीपीएल परिवारों के लिए निधियों का आवंटन

4342. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों के लाभ के लिए आवंटित निधियों का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गरीबी की रेखा से नीचे और उससे ऊपर रहने वाले परिवारों के मासिक खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमें हैं-इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण

जीवन-यापन मिशन (एनआरएमएल), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवाई)। इन स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों से अब तक आवंटित की गयी केन्द्रीय निधियों के वर्ष-वार, स्कीम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत वर्तमान में खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न आवंटित किया जाता है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले स्वीकृत 6.52 करोड़ परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन कर रही है जिसमें प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम की दर से दिए जाने वाले 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार (एएवाई) शामिल है। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न आवंटन केन्द्रीय पूल में तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विगत के ऑफ टेक में उपलब्ध भंडार के ऊपर निर्भर होता है। वर्तमान में, यह आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति माह प्रति परिवार 15 से 35 किलोग्राम के बीच में है।

अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत, 65 वर्ष तक उससे अधिक आयु वाले निराश्रित, जो यद्यपि पात्र थे परंतु 01-04-2000 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एनओएपीएस) के अंतर्गत कवर थे, को निशुल्क प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं।

तथापि, सरकार ने दिसंबर 2011 में संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 पेश किया है। विधेयक में प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम खाद्यान्न तथा सामान्य परिवारों के लिए कम से कम 3 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

विवरण

बी.पी.एल. परिवारों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत निधियों का स्कीम-वार व वर्ष-वार केन्द्रीय आवंटन

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	स्कीमें	2009-10	2010-11	2011-2012	2012-13
1.	आईएवाई	8800.10	10000.00	10000.00	11075.00
2.	एसजीएसवाई/एनआरएलएम	2350.00	2984.00	2914.00	3915.00
3.	एनएसएपी	5200.00	5162.00	6596.47	8447.30
4.	एसजेएसआरवाई	485.00	536.20	782.50	814.59
5.	आरजीजीवीवाई	7000.00	5500.00	6000.00	4900.00

आईएवाई - इंदिरा आवास योजना

एसजीएसवाई/एनआरएलएम - स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन-यापन मिशन

एनएसएपी - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

एसजेएसआरवाई - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

आरजीजीवीवाई - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

जनजातीय विश्वविद्यालय हेतु प्रस्ताव

4343. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से विदर्भ क्षेत्र में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी-विमान अनुपात

4344. श्री गणेश सिंह:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया का विचार अपने विमान और कर्मचारियों के अनुपात में भारी कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या यह भी सच है कि एअर इंडिया अपने लगभग 20,000 कर्मचारियों को ग्राउण्ड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग सेवाओं में लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसा करके मूल कंपनी की प्रभावी कर्मचारी संख्या में भारी कमी आएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (च) 31.1.2012 को एअर इंडिया का विमान कर्मचारी अनुपात 1:237 था। अपनी कायाकल्प योजना (टीएपी) और वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) के भाग के रूप में, एअर इंडिया अपनी अनुषंगी कंपनियों अर्थात एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड (एआईईएसएल) और एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) को प्रचालित करेगी और अपने एम.आर.ओ. तथा ग्राउंड हैंडलिंग संबंधी कामकाज को अलग करके इन कंपनियों को सौंप देगी। एअर इंडिया लगभग 15400 कर्मचारियों को इन दोनों अनुषंगी कंपनियों में स्थानांतरित/तैनात कर देगी, जिससे एअर इंडिया में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी और विमान कर्मचारी अनुपात में होगा और यह सुधार 1:92 हो जाएगा।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अध्येतावृति

4345. श्रीमती अन्नू टंडन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थानों को उद्योग के साथ समेकित करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मुख्य वैज्ञानिक अनुसंधान में निजी क्षेत्र को शामिल करने हेतु अकादमिक संस्थानों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार प्रधानमंत्री के अध्येता कार्यक्रम (प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम) की तर्ज पर वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु और अधिक अध्येता वृति देने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) सरकार, उद्योगों के साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संस्थानों के एकीकरण की दिशा में अनुमोदित राष्ट्रीय

प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और आईआईटीओ में आयकर अधिनियम की धारा 35(2कक) के तहत प्रायोजित शोध कार्यक्रमों के लिए 200 प्रतिशत की दर से भारित कर कटौती प्रदान करती है।

(ख) जी, नहीं महोदया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अभी हाल ही में कॉनफीडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) के सहयोग के डॉक्टोरल रिसर्च के लिए प्रधानमंत्री के अध्येतावृति कार्यक्रम को घोषित किया है जिसमें सरकार और प्रायोजित उद्योग प्रत्येक वर्ष किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान अथवा शोध प्रयोगशाला में पीएचडी अध्येता को पंजीकृत करने के लिए उद्योगों के सम्बद्ध विषयों पर वैज्ञानिक शोध करने के लिए 100 अध्येता वृतियों को एक समान राशि उपलब्ध कराते हैं। इस समय इन तर्जो पर अन्य कोई अध्येता वृति योजना नहीं बनाई गई है।

अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए ऋण

4346. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) वैज्ञानिक विकास और अनुसंधान कार्य हेतु निजी कंपनियों को ऋण प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसआईआर द्वारा विभिन्न कंपनियों को कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ग) ऋण जिस प्रयोजन के लिए दिया गया था, उसके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(घ) क्या कुछ कंपनियों ने न तो निधि का उपयोग किया न ही इसे सरकार को लौटाया;

(ङ) यदि हां, तो इन कंपनियों से ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऋण की धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) नई सहस्त्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) स्कीम के अंतर्गत कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों हेतु सुलभ ऋण उपलब्ध कराती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सीएसआईआर द्वारा दिए गए ऋणों की राशि सहित कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ऐसी परियोजनाओं का मॉनीटरन करने के लिए एनएमआईटीएलआई स्कीम में सुविकसित तंत्र मौजूद है। इसमें दो चरणीय मॉनीटरन शामिल हैं अर्थात् विषय निर्वाचन समिति (स्टिरिंग कमेटी) चरण और मॉनीटरन समिति चरण-। किसी परियोजना की प्रगति पर मॉनीटरन करने के लिए विषय निर्वाचन समिति विशेष की बैठक प्रत्येक तीन माह में होती है और मॉनीटरन समिति विशेष की बैठक छह माह में एकबार होती है। प्रत्येक परियोजना के लिए इन समितियों का विशेष रूप से गठन किया जाता है। ये समितियां किसी परियोजना विशेष की समय-सीमा के सापेक्ष उस परियोजना के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार अनुसंधान एवं विकास प्रगति की तुलना में उस परियोजना की अनुसंधान एवं विकास प्रगति का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त निधियों के उपयोग की समीक्षा भी करती है। इसके अतिरिक्त, परियोजना विशेष के प्रत्येक भागीदार को निधि उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। कंपनियों के मामले में ऋण के उपयोग का मॉनीटरन छमाही पर प्रस्तुत इन प्रमाण-पत्रों के माध्यम से किया जाता है।

(घ) ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने न तो ऐसी निधि का उपयोग किया है और न ही इसे सरकार को वापस लौटाया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जैसा कि भाग 'ग' में उल्लेख किया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान एनएमआईटीएलआई परियोजना के अंतर्गत कंपनियों को जारी किए गए ऋण का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पार्टी का नाम	वित्त वर्ष हेतु जारी ऋण		
			2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	चरण-II चिकित्सीय अध्याय: नवीन जीव-चिकित्सीय अणु-लाइसोस्टैफिन	भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद		76.17	
2.	स्व-स्थाने अभिनिर्धारण सहित समाकलित माइक्रो पीसीआर सिस्टम का विकास	बिगटेक लैब्स, बंगलूरु	208.80	166.30	
3.	कपास में ट्रेट्स से संबंधित सूखा सह्य और फाइबर गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हाई थ्रूपुट मार्कर समर्थित चयन प्रणालियों का विकास	जे.के. एग्री-जेनेटिक्स लि., हैदराबाद	211.11		
4.	कुशन बांडिड ऑर्गेनिक सिरामिक क्लच डिस्क्स का डिजाइन और विकास	क्लच ऑटो लि., हरियाणा	123.35		
5.	संक्रामकों के डायाग्नोटिस हेतु सिंड्रोमिक एप्रोच: एईएस (एक्यूट एनसेफालिटिक सिंड्रोम) और सेप्टिसीमिया के कारण होने वाले रोगाणुओं की समकालिक पहचान के लिए डीएनए मैक्रो चिप्स का विकास	जाइटॉन डायाग्नोस्टिक्स लि., बंगलूरु	119.598	162.700	
6.	डिस्ट्रिब्यूटिड वीडिओ सर्वेलेंस सिस्टम	माइंडट्री लि., बंगलूरु	152.736		
7.	जोन्स रोग हेतु स्वदेशी टीके का विकास और अभिलक्षणन	बायोवेट प्रा.लि., बंगूलरु		86.61	111.68
8.	ब्लास्ट फंगस मेग्नापोर्थे ग्रिसिया के विरुद्ध ट्रांस्जेनिक चावल को प्रतिरोधकता प्रदान करने हेतु RNAi - आधारित कंस्ट्रक्ट्स का मूल्यांकन	मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसिस लि., बंगूलरु	51.48		
9.	प्रत्यारोपण के बाद अंग के अस्वीकरण से बचने और विभिन्न ऑटोइम्यून तथा प्रत्यूर्जक रोगों के उपचार हेतु	इनेम नॉस्ट्रम रेमिडीज प्रा.लि., मुम्बई			200.00

1	2	3	4	5	6
	सेरूलोमाइसिन्स का नवीन इम्यूनोस्प्रेसिव अभिकर्मिकों के रूप में विकास				
10.	eNAMPT, नवीन शोध लक्ष्य के विरुद्ध थैराप्यूटिक मोनोक्लोनल एंटी बॉडी का विकास और उत्पादन	जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लि., पुणे	253.52		446.99
11.	उच्च निष्पादकता वाले पैराबॉलिक ट्रफ बेस्ड 300 किलो वाट सौर ताप विद्युत संयंत्र का डिजाइन, विकास और प्रदर्शन	मिलमैन थिन फिल्म सिस्टम्स प्रा.लि., पुणे	5803.25		280
12.	"वेन्फर" - अद्वितीय एच-264 हाई डेफिनेशन सॉफ्टवेयर आधारित मल्टीपार्टी, मल्टीप्वाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग सॉल्यूश्न ऑन मल्टीप्वाइंट नेटवर्क ट्रैन्स्मिशन प्रोटोकॉल का विकास और वाणिज्यीकरण	इन्टेलिसिस टेक्नोलॉजीस एंड रिसर्च लि., कोलकाता	296.00		
13.	एनएक्सआर-4डी: लिथियम-आयरन बैटरी चालित 4 दरवाजों वाली नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक कार (चार सीट की क्षमतायुक्त) का विकास और वाणिज्यीकरण	महिन्द्रा रीवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा.लि., बंगलूरु		1078.00	
14.	नकली गोलियों का पता लगाने के लिए अनुप्रयोग प्रदर्शन सहित ऑल-फाइबर सुपरकांटिनम लाइट सोर्स का डिजाइन एवं निर्माण	विनविश टेक्नोलॉजीस प्रा.लि., त्रिवेन्द्रम		84.35	
15.	सुलेक्शा लाइट का विकस एवं वाणिज्यिकीकरण - नवोन्मेषी इलेक्ट्रिकल पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्लेटफार्म	काइनेटिक इंजीनियरिंग लि., पुणे			735.5
16.	चिकित्सीय उत्पादों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए क्लोन न की जा सकने वाली आईडी प्रौद्योगिकी का विशिष्ट अनुकूलन	बिलकेयर लि., पुणे		804.96	
17.	एचआईवी और टीवी के प्रबंधनार्थ सस्ती, आवश्यकता आधारित जांच करने हेतु नैदानिक प्रणाली का विकास	रीयामैट्रिक्स इंडिया प्रा.लि., बंगूलरु		511.68	
18.	त्वचा का प्रणाली आधारित अभिकलनात्मक मॉडल (एससीओएमओएस)	परसिस्टेंट सिस्टम्स लि., पुणे		76.61	
	कुल		2219.838	3047.38	1774.17

वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना

4347. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और अध्ययन पाठ्यक्रम में उनके द्वारा विज्ञान विषय लेने को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक के विशेष संदर्भ में, ये योजनाएं किस प्रकार सफल रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा-2005 में की गई सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ने विषयवस्तु को रुचिकर बनाने तथा बच्चों को विज्ञान शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए कार्यकलाप आधारित पाठ्यपुस्तकें और काफी मात्रा में अधिगम सामग्रियां तैयार की हैं। एनसीईआरटी निम्नलिखित भी आयोजित करता है:-.

1. बच्चों के लिए गणित और पर्यावरण प्रदर्शनियां जिनमें कर्नाटक सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्र नियमित रूप से भाग लेते हैं।
2. विभिन्न स्कूल संगठनों को उनके परिसरों में विज्ञान पार्क विकसित करने हेतु परामर्श।
3. विज्ञान के मजेदार अध्ययन हेतु विज्ञान और गणित की किटें।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के संबद्ध स्कूलों को विज्ञान के शिक्षण हेतु योग्य अध्यापकों की नियुक्ति के अतिरिक्त स्कूलों में प्रैक्टिकल कार्य के संचालन हेतु सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाओं की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अलंकरण कार्यकलाप जैसे विज्ञान ओलम्पियाड और विज्ञान प्रदर्शनियां, वैज्ञानिक विषयों के शिक्षण/शिक्षा को अधिक रुचिकर और आनन्ददायक बनाने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (एनसीएसटीसी) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान के संवर्धन हेतु विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम शुरू किए हैं और उन्हें सशक्त बनाया है नामत: वार्षिक रूप से नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस संगठन (एनसीएसी), अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह मनाना, लोकप्रिय मेलों और त्यौहारों में प्रदर्शनियां लगाना इत्यादि। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विज्ञान प्रसार जो एक स्वायत्त संगठन है, द्वारा सन् 2007 में विज्ञान रेल नामक एक चलती-फिरती प्रदर्शनी शुरू की गई है जिसने विज्ञान में न केवल नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान प्रदर्शित किए हैं बल्कि एक प्रयोगशाला की मेजबानी भी की है जिसमें छात्रों को विज्ञान में रुचिकर प्रयोग और कार्यकलाप आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार उन्हें विज्ञान के संवर्धन के लिए अपने अध्ययन की धारा में लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया। कर्नाटक में यह विज्ञान रेल 3-5 दिनों की प्रत्येक अवधि में 15 जगहों पर रुकी। इसके अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान में स्कूली छात्रों के बीच उत्कृष्टता की पहचान करने और विज्ञान को अपने अध्ययन की धारा में लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कई छात्रवृत्तियां शुरू की हैं।

बांग्लादेश में भारतीय बस को आग लगाना

4348. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बांग्लादेश में अगरतला-ढाका मार्ग पर चलने वाली यात्री बस में आग लगा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अगरत्तला से ढ़ाका जाने वाली "मैत्री" बस को 21 सितम्बर, 2012 को नरसिंगड़ी, बांग्लादेश में हड़ताल करने वाली स्थानीय भीड़ ने आग लगा दी थी। तथापि, कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ था।

रायनयिक माध्यमों से बांग्लादेश के साथ इस मामले को तत्काल उठाया गया था तथा बांग्लादेश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि बस सेवा के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

अधर में लटकी परियोजनाएं

4349 श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवसंरचना परियोजनाओं में धीमी गति आर्थिक विकास में मंदी का मुख्य कारण माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधर में लटकी बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) निधियों की कमी के कारण कार्यान्वयन नहीं होने वाली परियोजनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के लिए समय पर और बढ़े हुई निधीयन के लिए कार्य-योजना तैयार की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) जी, हां। इस बात को स्वीकार करते हुए कि अपर्याप्त अवसंरचना, तीव्र विकास की राह में एक प्रमुख बाधा है, ग्यारहवीं योजना ने अवसंरचना में निवेश में व्यापक विस्तार करने की जरूरत पर जोर दिया था और योजना अवधि (2007-12) के दौरान विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों में 20.56 लाख करोड़ रु. का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। बारहवीं योजना के मसौदे में भी अवसंरचना में निवेश की नीति को तीव्र करने पर बल दिया गया है और इसमें योजना अवधि (2012-17) के दौरान अवसंरचना में लगभग 56.32 लाख करोड़ रु. के निवेश का अनुमान लगाया गया है।

(ग) सरकार ने अवसंरचना विकास की गति को तीव्र करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

अवसंरचना सामग्री मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई)

सीसीआई का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6 जुलाई, 2009 को किया गया था। सीसीआई सभी अवसंरचना क्षेत्रकों की नीतियों और परियोजनाओं की समीक्षा की करती है और उन्हें अनुमोदित करती है। यह अवसंरचना क्षेत्रकों में निवेश को बढ़ाने के लिए अपेक्षित वित्तीय, संस्थागत और विधिक उपायों पर विचार करती है और उनके संबंध में निर्णय लेती है।

अवसंरचना के वित्तपोषण संबंधी उच्च स्तरीय समिति

अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए, अवसंरचना के वित्तपोषण संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ)

2 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाली भारत की पहली अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) 5 मार्च, 2012 को शुरू की गई है। इस आईडीएफ का ढांचा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी की तरह बनाया गया है, जिसमें शुरुआती इक्विटी हिस्सेदारी 300 करोड़ रुपए की है और इसकी अभिकल्पना अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्धता का विस्तार करना है। साथ ही कुछ अन्य अवसंरचना ऋण निधियां भी शीघ्र ही शुरू की जाने का प्रस्ताव है और उम्मीद है कि 2012 के अंत तक कम-से-कम दो आईडीएफ कार्य करने लगेंगी।

(घ) और (ङ) विभिन्न मंत्रालय, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, अपने-अपने क्षेत्रकों से संबंधित अवसंरचना परियोजनाएं तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्रक भी अनेक अवसंरचना परियोजनाओं का विकास करता है।

[हिन्दी]

इसरो की उपलब्धियां

4350. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में दूरसंचार, दूरस्थ शिक्षा, टेली मेडिसिन आदि के क्षेत्र में सुविधाओं के सुधार में योगदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक सुधार हुआ है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपयोगिता अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) उपग्रह नेटवर्क के इष्टतम उपयोग के द्वारा देश को कब तक अधिकतम सुविधाएं मिलने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) जिस हद तक सुविधाओं में सुधार हुआ है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दूरदर्शन: ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों सहित भारतीय मुख्य भूमि के 100% इलाके में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) उपग्रह दूरदर्शन की व्याप्ति;

(ii) दूरसंचार: लगभग 1.50 लाख उपग्रह संचार टर्मिनल देश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों को आवृत करते हुए ग्रामीण टेलीफोनी, आंकड़ा संयोजकता, विस्तृत बैंड संयोजकता, बैंकों के स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) जैसे विविध उपयोगों में सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(iii) दूरस्थ-शिक्षा: उपग्रह नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़े 56,164 कक्षा के कमरे जिनमें 51,221 केवल अभिग्राही टर्मिनल (आरओटी) और 4943 उपग्रह अन्योन्यक्रियाशील टर्मिनल (एसआईटी) हैं, प्राथमिक से उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक के सभी शैक्षिक क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं।

(iv) टेली-मेडिसिन: टेली-मेडिसिन नेटवर्क किसी सुदूर अस्पताल के मरीजों को दूरस्थ-परामर्श हेतु एक स्पेशलिटि अस्पताल के साथ जोड़ता है। 60 स्पेशलिटि अस्पताल 308 दूर-दराज स्थित तथा ग्रामीण अस्पतालों और 16 मोबाइल वैन के साथ जुड़े हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) गत वर्षों में दूरस्थ-शिक्षा और टेली-मेडिसिन नेटवर्कों की उपयोगिता पर इसरो के विकासात्मक शैक्षिक और संचार इकाई (डीईसीयू) द्वारा अध्ययन किए गए हैं। अध्ययन के परिणामों से निम्न बातों का पता चला है:

(i) दूरस्थ-शिक्षा नेटवर्क देश के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने में तथा छात्रों की समझ का स्तर बढ़ाने में भी बहुत प्रभावी हैं। दूरस्थ-शिक्षा के लिए अभिलिखित श्रोताओं में शारीरिक रूप से बाधित छात्रों सहित विद्यालय, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण के छात्र शामिल हैं। औसतन एक सप्ताह में 4-5 दिन 2-3 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ii) टेली-मेडिसिन नेटवर्क दूर-दराज एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीजों का उपचार करने में बहुत उपयोगी हैं। 324 टेली-मेडिसिन केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 1000 मरीजों का इलाज किया जाता है। नेत्रविज्ञान, मधुमेह की जांच और सामान्य चिकित्सा के क्षेत्रों में उपचार के साथ बृहत्तर भौगोलिक क्षेत्र को आवरण प्रदान करने में मोबाइल टेली-मेडिसिन वैन आदर्श सिद्ध हुए हैं।

(ङ) देश को वर्तमान उपग्रहों के नेटवर्क के इष्टतमी उपयोग के द्वारा पहले से ही अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं।

[अनुवाद]

कोयना दीप बोरहोल कार्यक्रम

4351. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयना दीप बोरहोल कार्यक्रम की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) क्या कोयना कार्यक्रम के अनुपूरक के रूप में कराड़, महाराष्ट्र में भूकंप विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला निर्मित करने की कोई परियोजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) कोयना-वरना क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण करने और गहरा वेध-छिद्र वेधन के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए प्रारंभिक अध्ययन शुरू किए गए हैं। इन अन्वेषणों में कुछ उथले अन्वेषणात्मक वेध-छिद्रों (~1किमी.) के अतिरिक्त, भूकंप-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी (भूकंपीय, गुरूत्व, चुंबकत्व), लीडर, भू आकृति-विज्ञान और संरचनात्मक भू-वैज्ञानिक अध्ययन शामिल हैं।

(ख) और (ग) कोयना गहरा वेध-छिद्र कार्यक्रम के भाग के रूप में, कराड़ में एक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित किए जाने का विचार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कराड़ तालुका के हजारमाची क्षेत्र में 125 एकड़ की भूमि उपलब्ध करवाई गई और 24 मई, 2012 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री और सचिव, पृथ्वी विज्ञान की उपस्थिति में माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई।

जाली नाम से सीटों की बुकिंग

4352. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरलाइन कंपनियों द्वारा जाली नाम से टिकटों की बुकिंग और त्रुटिपूर्ण टिकट प्रणाली के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एयर लाइन और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी एयरलाइनों और ट्रेवल पोर्टलों के विरुद्ध एयर क्राफ्ट नियम 133क के अधीन एक कार्रवाई की गई, जो ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को मार्च, 2012 में कुछ घरेलू एयरलाइनों से शिकायतें मिली थीं कि कुछ ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कुछ एयरलाइनों के टिकटों की बिक्री ओपेक/बार्गेन किराए के तहत कर रहे हैं, जिसमें एयरलाइन की पहचान और उड़ान का ब्यौरा अग्रिम रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है।

डीजीसीए ने मामले में हस्तक्षेप किया और एक सार्वजनिक सूचना जारी करके एयरलाइनों को निदेश दिया कि वे ऐसी किसी भी योजना में सहभागिता समाप्त करें, जिसमें वाहक के बारे में सूचना अग्रिम रूप से उजागर न की गई है। डीजीसीए द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार इस समय कोई भी एयरलाइन ओपेक/बार्गेन किरायों में सहभागिता नहीं कर रही है और ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टलों ने अपनी-अपनी वेबसाइटों से इन्हें हटा लिया है। तथापि, डीजीसीए को जाली नाम से बुकिंग संबंधी काई शिकायत नहीं मिली है।

डीजीसीए ने कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली (सीआरएस)/वैश्विक वितरण प्रणाली (जीडीएस) के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) सेक्शन 3, सीरीज-एम, पार्ट-III जारी की है, जिसमें यह प्रावधान है कि ग्राहक सीआरएस/जीडीएस में जाली नाम से आरक्षण नहीं कराएगा और किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार का आश्रय नहीं लेगा।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र

4353. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख तक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की संख्या क्या है तथा ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे देश में नए अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु अनुदान बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) इस समय देश में चौबीस (24) अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं। स्थान-वार विवरण दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल देश में नए अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी, हां।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए रु. 15,195/- करोड़ के व्यय की तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए रु. 39,750/- करोड़ के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्रों (स्थान-वार) की सूची

क्र. सं.	स्थान	अनुसंधान केन्द्रों की संख्या
1.	अहमदाबाद	3
2.	बेंगलूर	5
3.	भोपाल	1
4.	चंडीगढ़	1
5.	देहरादून	1
6.	गादंकी (तिरुपति के नजदीक)	1
7.	हासन	1
8.	हैदराबाद	1
9.	जोधपुर	1
10.	कोलकाता	1
11.	महेंद्रगिरि	1
12.	नागपुर	1
13.	शिलॉग	1
14.	श्रीहरिकोटा	1
15.	तिरुवनंतपुरम	4
	कुल	24

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों का कार्यकरण

4354. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ की घटिया सेवा शर्तों और कार्य परिवेश संबंधी शिकायतों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में घटिया सेवा शर्तों और कार्य परिवेश के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, इनका सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

आरटीई अधिनियम के उपबंध

4355. **श्री पी. विश्वनाथन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त और व्यक्तियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कालोनी के विद्यालयों और पड़ोस के विद्यालयों का क्या भविष्य है;

(ख) निर्धन परिवारों के इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार इन विद्यालयों के लिए मानकों में कुछ छूट प्रदान करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार आरटीई अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इन विद्यालयों को चलाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में आरटीई अधिनियम की धारा 2(ढ)(iv) के अंतर्गत सहायताप्राप्त निजी स्कूलों का संज्ञान लिया गया है और राज्य आरटीई नियमावली के अंतर्गत यथाअधिसूचित निर्धारित प्राधिकरण द्वारा आरटीई अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत उन्हें मान्यता दिए जाने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आरटीई अधिनियम, 2009 के द्वारा निर्धारित मानदंड न्यूनतम हैं और सभी मौसमों के लिए उपयुक्त भवनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, शौचालयों, पेयजल आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं का अनिवार्य प्रावधान करते हैं। इन मानदंडों में कोई छूट नहीं दी जानी है।

(ङ) और (च) आरटीई अधिनियम स्कूलों के संचालन का कार्यतंत्र प्रदान नहीं करता है।

विश्वस्तरीय मानक विश्वविद्यालय हेतु प्रस्ताव

4356. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छत्तसीगढ़ राज्य में विश्वस्तरीय मानक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में किसी लोक निधिक शोध एवं नवाचारी विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

आकलन और मूल्यांकन केन्द्र

4357. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालय के पाठ्यक्रम, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के मानक के मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सीबीएसई के स्तर पर एक आकलन और मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सभी राज्यों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रों की कब तक स्थापना कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों के मूल्यांकन, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए जांच, मूल्यांकन और अनुसंधान हेतु एक केन्द्र की स्थापना की है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सीबीआई में प्रतिनियुक्ति

4358. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में अनेक पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए हैं न कि सीबीआई द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर;

(ख) यदि हां, तो क्या सीबीआई में सीधे तौर पर भर्ती हुए अधिकारियों की उचित समय पर पदोन्नति नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसर सी.बी.आई. में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कितने अधिकारी कार्यरत हैं; और

(ङ) प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्त पदों को भरे जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, संबंधित पदों/रैंकों के भर्ती नियमों के आधार पर सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की नियुक्ति करता है।

(ख) और (ग) सीधे भर्ती हुए अधिकारी/पदाधिकारी, उनकी वरिष्ठता एवं उनकी पदोन्नति को अभिशासित करने वाले नियमों के अनुसार पदोन्नत होते हैं।

(घ) वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर 2164 अधिकारी/पदाधिकारी कार्यरत हैं।

(ङ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की ही नहीं अपितु सभी प्रकार के पारम्परिक अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, मानव तस्करी, संगठित अपराधों, वन्य जीव से

संबंधित अपराधों, पुरातनिक वस्तुओं की चोरी, नारकोटिक्स से संबंधित मामलों, साईबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी इत्यादि के मामलों का अन्वेषण भी करता है। यद्यपि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित विभागीय अधिकारी अधिकतर भ्रष्टाचाररोधी मामलों से संबंधित दस्तावेजों का अन्वेषण करने में दक्ष होते हैं, जबकि राज्य पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी, पारम्परिक प्रकृति के अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, संगठित अपराधों के अन्वेषण करने में दक्ष होते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को जमीनी स्तर का बौद्धिक कौशल एवं क्षेत्रीय गतिविधियों की जानकारी भी होती है। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को स्थानीय कानूनों, परिस्थितियों एवं भाषाओं की जानकारी भी होती है।

राज्यों से अधिकारियों के लेने से राज्यों, जिनकी अनुमति **सीबीआई** द्वारा किसी अन्वेषण के लिए अपेक्षित होती है, के साथ समायोजन एवं परस्पर मेल-मिलाप भी बढ़ता है।.

आरक्षण नीति का क्रियान्वयन

4359. **श्री समीर भुजबल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/संस्थाओं और निकायों आदि में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु नौकरियों में आरक्षण की नीति का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के चयन हेतु साक्षात्मकार के समय पक्षपात और भेदभाव किया जाता है जिसके कारण आरक्षित श्रेणी की रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त के आलोक में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों का बैकलॉग क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति का पालन कार्मिक और प्रशिक्षण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय आदि भी आवश्यक परिवर्तन सहित इन अनुदेशों का पालन करते हैं।

[हिन्दी]

आईआईटी कैंपस की स्थापना

4360. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्य सरकारों, जहां नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की स्थापना हुई है, से वर्ष 2014 तक कैंपस बनाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में राज्यों के प्रतिनिधियों एवं उक्त आईआईटी के निदेशकों की कोई बैठक आयोजित हुई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक का क्या परिणाम रहा;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त संस्थानों की अवसंरचनाओं के त्वरित विकास के लिए और निधि प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्तशासी संस्थान हैं और प्रत्येक ने अपने स्थायी परिसर की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की भूमिका बाधा रहित अपेक्षित भूमि प्रदान करने तथा पहुंच सड़क, बिजली और जल आपूर्ति सुकर बनाने तक सीमित है।

(ग) और (घ) परिसर के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नियमित अंतराल पर आईआईटी के निदेशकों और संबद्ध राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठकें होती हैं। हाल ही में 04-12-2012 को भोपाल में आईआईटी, इंदौर के परिसर के विकास के संबंध में भोपाल में एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें भूमि के हस्तांतरण, जल आपूर्ति, पर्यावरण तथा वन निकासी इत्यादि से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ङ) से (छ) जबकि XIवीं योजना के चार वर्षों के दौरान, इन नए आईआईटी को 1196.89 करोड़ रुपए ही जारी किए

गए थे, चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इन संस्थानों की अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के लिए 715.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी है।

[अनुवाद]

विज्ञान साक्षरता

4361. **श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो दशकों में सरकार द्वारा धीरे-धीरे समर्थन किया जाना बंद करने और निजी क्षेत्र पर बढ़ती निर्भरता के कारण देश में विज्ञान संचार और विज्ञान साक्षरता का विकास पिछड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरिकों में विज्ञान साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक अभियान में देश हमारे पड़ोसी देशों से पिछड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वैज्ञानिक साक्षरता पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विज्ञान साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं। सरकार वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास की दृष्टि से हमारे देश में विज्ञान संचार और विज्ञान साक्षरता के प्रोन्नयन के क्षेत्र में सतत् रूप से कार्य कर रही है। विगत दो दशकों के दौरान, अधिक से अधिक राज्य निधियों के निवेश के साथ भारत में विज्ञान संचार न केवल एक जाने-माने और सुस्थापित विषय के रूप में उभरा है बल्कि इसने हमारे बहु-भाषी और बहु-सांस्कृतिक देश में निरन्तर वृद्धिमान गति हासिल की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार की जांच के लिए अलग प्रकोष्ठ

4362. **श्री रूद माधव राय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राजनेताओं और अन्य उच्च प्रोफाइल वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु अलग प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अतिविशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध जांच में तेजी लाने हेतु और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सरकार के पास राजनेताओं और अन्य उच्च प्रोफाइल वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु अलग प्रकोष्ठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) देश में भ्रष्टाचार के निवारण हेतु कानूनी ढांचा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में समाविष्ट है। इस अधिनियम में विभिन्न स्तर के लोक सेवकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता तथा यह लोक सेवकों की सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होता है।

सरकार का यह प्रयास होता है कि वह अपने भ्रष्टाचार निरोधी कानूनों तथा अन्य तंत्रों को समय-समय पर मजबूत बनाए ताकि भ्रष्टाचारियों, भले ही उनका स्तर कुछ भी हो, को प्रभावी रूप से तथा शीघ्र दण्ड दिया जा सके। उच्च स्तरीय लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों का निपटान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के सरकारी प्रयासों के अनुपालन में सरकार ने संसद में लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011 पुरःस्थापित

किया है। भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने संसद में लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण विधेयक, 2010 (सूचना प्रदाता विधेयक, 2011 के रूप में लोक सभा में पारित) तथा विदेशी लोक पदाधिकारियों तथा लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी का निवारण विधेयक, 2011 भी पुर:स्थापित किए हैं।

नगरपालिकाओं को आबंटन

4363. **श्री संजय निरुपम:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में नगरपालिकाओं को किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि वह वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) पैरा स्टेटल के जरिये किया जाता है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों अथवा उनकी निर्दिष्ट राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के रूप में धनराशियां जारी की जाती है, जो शहरी स्थानीय निकायों अथवा पैरास्टेटल एजेंसियों को जैसा भी मामला हो केन्द्रीय सहायता वितरित करती हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र राज्य में शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) उप-मिशन और छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत उपयोग हेतु जारी एसीए का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2009-10 *उपयोग हेतु जारी एसीए	2010-11 *उपयोग हेतु जारी एसीए	2011-12 *उपयोग हेतु जारी एसीए
1.	यूआईजी	88649.86	42004.49	76471.47
2.	यूआईडीएसएसएमटी	14072.30	22781.21	35455.01

*जारी एसीए में वे परियोजनाएं शामिल है जो वित्तीय वर्ष 2009-10 से पहले स्वीकृत की गई हैं।

(ख) और (ग) जेएनएनयूआरएम का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्थाओं जहां कहीं उपयुक्त हो, के जरिये परियोजना के विकास, प्रबंधन, कार्यान्वयन और वित्त पोषण में निजी क्षेत्र की क्षमताओं का लाभ उठाना और इन्हें शामिल करना है।

[हिन्दी]

आधार संख्याओं का सृजन

4364. **श्री मंगनी लाल मंडल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के गठन के संबंध में विधेयक संसद में लंबित होने के बावजूद भी पूरे देश में आधार संख्याएं सृजित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या तर्क आधार है;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि आधार के क्रियान्वयन के कारण राजकोष हेतु भारी बचत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) यू.आई.डी.ए.आई. का

गठन अधिसूचना सं. A-43011/02/2009-प्रशा-I दिनांक 28 जनवरी, 2009 के तहत से योजना आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था। यू.आई.डी.ए.आई. को अधिसूचना में दी गई यू.आई.डी. स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु योजना एवं नीतियां तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। स्कीम के कार्यान्वयन में अन्य बातों के साथ-साथ निवासियों के लिए यू.आई.डी. संख्या सृजित करने व उन्हें संख्या देने के उत्तरदायित्व के साथ विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी के लिए यू.आई.डी. के प्रयोग व उपयोगिता निर्धारित करनी थी। यू.आई.डी.ए.आई. स्थापित होने के बाद से 30 नवम्बर, 2012 तक सृजित आधार के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक बनने से पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) का प्रचालन शुरू होने के मुद्दे की जांच विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श से की गई है। यह विचार था कि विधेयक पास होने तक प्राधिकरण कार्यकारी आदेश के तहत कार्य जारी रख सकता है तथा यू.आई.डी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सूचना/आंकड़े एकत्र कर सकता है।

महान्यायवादी से दूसरी राय मांगी गई थी, जिनकी राय थी कि प्राधिकरण वर्तमान में कार्यकारी अधिसूचना के अंतर्गत कार्य कर रहा है तथा कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण को कार्य करने से रोका जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) द्वारा 9 नवम्बर, 2012 को आधार संबंधी लागत लाभ विश्लेषण अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई थी। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि आधार परियोजना से सरकार को वास्तविक अर्थों में 52.85 प्रतिशत की दर पर आंतरिक लाभ प्राप्त होगा। एन.आई.पी.एफ.पी. अध्ययन के सारांश संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

विवरण-I

आधार सृजन रिपोर्ट (30-11-2012 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,59,665
2.	आंध्र प्रदेश	4,88,80,239
3.	अरुणाचल प्रदेश	626
4.	असम	18,582
5.	बिहार	21,18,006
6.	चंडीगढ़	6,37,647
7.	छत्तीसगढ़	3,28,034
8.	दादरा और नगर हवेली	29,651
9.	दमन और दीव	1,27,823
10.	दिल्ली	1,20,55,142
11.	गोवा	11,15,983
12.	गुजरात	61,02,471
13.	हरियाणा	25,26,489
14.	हिमाचल प्रदेश	44,62,006
15.	जम्मू और कश्मीर	46,532
16.	झारखंड	93,22,948
17.	कर्नाटक	1,62,44,027
18.	केरल	1,59,86,160
19.	लक्षद्वीप	45,632
20.	मध्य प्रदेश	1,33,63,413
21.	महाराष्ट्र	4,12,98,583
22.	मणिपुर	5,63,094
23.	मेघालय	873
24.	मिजोरम	8,480
25.	नागालैंड	1,29,312

1	2	3
26.	ओडिशा	43,51,305
27.	पुदुचेरी	8,87,676
28.	पंजाब	1,09,56,234
29.	राजस्थान	1,01,00,786
30.	सिक्किम	4,76,985
31.	तमिलनाडु	73,10,414
32.	त्रिपुरा	29,57,443
33.	उत्तर प्रदेश	99,66,756
34.	उत्तराखंड	10,20,106
35.	पश्चिम बंगाल	62,32,776
	कुल योग	22,98,31,899

विवरण-II

एन.आई.पी.एफ.पी. अध्ययन का सारांश

1. सरकारी कार्यक्रमों में आधार का एकीकरण वर्ष 2012-13 में भागीदारों का कवरेज 2 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में शतप्रतिशत होगा।

2. प्रथम सात वर्षों के दौरान आधार विकसित करने तथा रख रखाव में हुआ व्यय वही है जो आधार बजट अनुमान में परिकल्पित थी। बाद के चार वर्षों के लिए आधार रख-रखाव की राज्य लागत स्थिर रहने का अनुमान है।

3. इस विश्लेषण के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि आधार एकीकरण के कारण कुछ सरकारी कार्यक्रमों में सुधार होगा। ये स्कीमें हैं; एम.जी.एन.-आर.ई.जी.एस., पी.डी.एस., उर्वरक व एल.पी.जी. सब्सिडी, शिक्षा, आई.ए.वाई., आशा, आई.सी.डी.एस., छात्रवृत्ति और पेंशन।

4. एम.एन.आर.ई.जी.एस. तथा पी.डी.एस. के लिए लीकेज अनुमान सरकारी रिपोर्टों एवं अन्य अध्ययनों से प्राप्त किए जाते हैं। अनुमानित लीकेज को निर्धारित अध्ययनों एवं प्रौद्योगिकीय सुधारों के लिए 25 प्रतिशत तक नीचे की ओर समायोजित किया गया है जिसके कारण लीकेजेज अब कम हो सकते हैं।

5. अन्य स्कीमों के लिए हम 7-10 प्रतिशत के बीच लीकेज का अनुमान करते हैं।

सारांश में, हमारे अनुमानों के आधार पर परियोजना से सरकार को वास्तविक अर्थों में 52.85 प्रतिशत का आंतरिक दर पर अर्जन (रिटर्न) प्राप्त होता है।

[अनुवाद]

सीबीआई द्वारा आरोप-पत्र दाखिल करना

4365. **श्री पी. कुमार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर करने हेतु अनुमोदन दे दिया है जिनके लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सरकार की सहमति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम से बड़ी संख्या में मामलों के समाप्त/बंद होने से सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध पर, लोक सेवकों पर अभियोजन को मंजूरी देना एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009, 2010, 2011 और 2012 (31.11.2012 तक) के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 3286 अनुरोधों में से कुल 1905 मामलों में अभियोजन हेतु मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) अभियोजन को मंजूरी मिलने पर मामले बंद नहीं हो जाते हैं। इसके बाद जांच-पड़ताल किए गए मामलों में अभियोजन की मंजूरी प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सक्षम अधिकारक्षेत्र के न्यायालय में आरोप पत्र दायर करता है और संबंधित न्यायालय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार निर्णयात्मक कार्यवाही करता है।

बच्चों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद आने वाले परिणाम

4366. **श्री धनंजय सिंह:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद आने वाले परिणामों की जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो इन परिणामों की जांच के मापदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बच्चों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद आए परिणामों के मूल्यांकन हेतु कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) कक्षा-III, V और VIII में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम उपलब्धि के आवधिक सर्वेक्षण करता है। मुख्य विषयों में छात्रों की अधिगम उपलब्धि; लिंग, अवस्थिति तथा सामाजिक समूहों संबंधी विभेदों; छात्रों की उपलब्धियों में स्कूल तथा अध्यापकों जैसे संस्थागत कारकों का योगदान; और छात्रों की घरेलू पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करना इन सर्वेक्षणों के उद्देश्य हैं।

एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षण के दो दौर पूरे कर लिए गए हैं जिससे समग्र अधिगम स्तरों में सुधारों का पता चला है। कक्षा-III तथा V के लिए सर्वेक्षण के दो दौरे के संबंध में प्रगति की एक तुलनात्मक तालिका नीचे दी गई है:-

विषय	कक्षा-III		कक्षा-V	
	दौर-I 2003-04	दौर-II 2007-08	दौर-I 2001-02	दौर-II 2005-06
गणित	58.25%	61.89%	46.51%	48.46%
भाषा	63.12%	67.84%	58.57%	60.31%
पर्यावरण अध्ययन	लागू नहीं	लागू नहीं	50.30	52.19

एनसीईआरटी ने 2010-11 में कक्षा V के उपलब्धि सर्वेक्षण का तीसरा दौरा संचालित किया है जो दर्शाता है कि अधिकांश राज्यों में छात्रों के उपलब्धि स्तरों में वृद्धि हुई है।

(घ) शिक्षा की गुणवत्ता तथा बच्चों के अधिगम स्तरों में सुधार के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कार्यकलापों का कार्यान्वयन करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) में सुधार करने के लिए 19 लाख से अधिक अध्यापक संस्वीकृत करना, स्कूल अवसंरचना में सुधार के लिए 1,94,574 प्राथमिक स्कूल भवन और 1,07,682 उच्च प्राथमिक स्कूल भवन संस्वीकृत करना, अध्यापकों के लिए वार्षिक सेवा-कालीन प्रशिक्षण और अध्यापकों तथा स्कूलों को क्रमशः ब्लॉक एवं क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से नियमित शैक्षिक सहायता तथा बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना शामिल है।

विद्यालयों को निजी संचालकों को सौंपना

4367. **श्री प्रेम दास राय:**
श्री अजय कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया है जहां छात्रों का नामांकन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की संख्या सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ऐसे विद्यालयों को गैर-सरकारी संगठनों

(एनजीओ)/इस क्षेत्र के निजी संचालकों को सौंपने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) अल्प नामांकन वाले स्कूलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

नामांकन के अनुसार सरकारी स्कूलों की संख्या (स्रोतः डीआईएसई 2011-12)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्कूल	निम्नलिखित नामांकन वाले स्कूल			निम्नलिखित नामांकन के साथ प्रतिशत %		
			10 से कम	15 से कम	11-25 के बीच	10 से कम	15 से कम	11-25 के बीच
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	330	25	48	60	7.6	14.5.	18.2
2.	आन्ध्र प्रदेश	78673	3025	6470	14560	3.8	8.2	18.5
3.	अरुणाचल प्रदेश	3950	734	1035	865	18.6	26.2	21.9
4.	असम	42917	747	1663	3811	1.7	3.9	8.9
5.	बिहार	69364	422	502	325	0.6	0.7	0.5
6.	चंडीगढ़	111	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7.	छत्तीसगढ़	47186	1353	2541	5054	2.9	5.4	10.7
8.	दादरा और नगर हवेली	275	1	4	10	0.4	1.5	3.6
9.	दमन और दीव	88	0	1	1	0.0	1.1	1.1
10.	दिल्ली	2782	1	1	4	0.0	0.0	0.1
11.	गोवा	1040	135	271	3660	1302	26.1	34.6
12.	गुजरात	33496	150	407	1612	0.4	1.2	4.8
13.	हरियाणा	15021	115	250	622	0.8	1.7	4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	हिमाचल प्रदेश	15001	666	2119	4163	4.4	14.1	27.8
15.	जम्मू और कश्मीर	22538	2064	4177	6447	9.2	18.5	28.6
16.	झारखंड	40343	87	228	1206	0.2	0.6	3.0
17.	कर्नाटक	50885	2593	5599	9309	5.1	11.0	18.3
18.	केरल	5135	105	242	434	2.0	4.7	8.5
19.	लक्षद्वीप	46	1	1	0	2.2	2.2	0.0
20.	मध्य प्रदेश	112078	679	1787	5958	0.6	1.6	5.3
21.	महाराष्ट्र	69781	3256	7371	13721	4.7	10.6	19.7
22.	मणिपुर	2479	19	47	218	0.8	1.9	8.8
23.	मेघालय	7803	305	729	1899	3.9	9.3	24.3
24.	मिजोरम	2473	32	63	132	1.3	2.5	5.3
25.	नागालैंड	2671	604	655	190	22.6	24.5	7.1
26.	ओडिशा	58023	650	1696	5321	1.1	2.9	9.2
27.	पुडुचेरी	435	12	23	34	2.8	5.3	7.8
28.	पंजाब	20368	235	576	1558	1.2	2.8	7.6
29.	राजस्थान	77832	1003	2397	7325	1.3	3.1	9.4
30.	सिक्किम	902	38	64	110	4.2	7.1	12.2
31.	तमिलनाडु	36575	507	1312	4429	1.4	3.6	12.1
32.	त्रिपुरा	4275	65	189	458	1.5	4.4	10.7
33.	उत्तर प्रदेश	154668	1093	2459	5280	0.7	1.6	3.4
34.	उत्तराखंड	17500	1515	3138	4906	8.7	17.9	28.0
35.	पश्चिम बंगाल	81363	466	917	2335	0.6	1.1	2.9
	कुल	1078407	22703	48982	102717	2.1	4.5	9.5

विद्यालयों में कदाचार

4368. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैपीटेशन फीस वसूल करना, बच्चों को प्रवेश हेतु मना करना, गुमराह करने वाले विज्ञापनों से झूठे दावे करना आदि विद्यालयों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कदाचार सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लोगों द्वारा व्यक्त की गई चिंता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा विद्यालयों द्वारा किए जा रहे कदाचारों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसके संबद्ध स्कूलों के विरुद्ध समय-समय पर ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यथा प्रक्रिया के बाद गलती करने वाले स्कूलों के विरुद्ध संबंधन उप-नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) स्कूल में अनुचित तरीकों, जिनमें कैपीटेशन शुल्क लेना, उच्चतर कक्षाओं में छात्रों के दाखिले के लिए स्कूलों द्वारा भ्रामक और अपारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाना और अपात्र और अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति शामिल हैं, से निपटने के लिए प्रारुप विधान तैयार किया गया है।

शहरी अवसंरचना विकास योजना के लिए केन्द्रीय अनुदान

4369. श्री बैजयंत पांडा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लघु और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत कतिपय राज्यों को केन्द्रीय अनुदान प्रदान करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के मामले में छूट दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्धारित शहरी क्षेत्र के सुधारों के पूर्ण करने में देश के छोटे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने दिनांक 31.5.2010 को आयोजित अपनी बैठक के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से द्वितीय किस्तें जारी करने के लिए छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की स्कीम (यूआईडीएसएमटी) के तहत सुधार शर्तों की छूट को अनुमोदन प्रदान किया है:-

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और जम्मू और कश्मीर राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं में दूसरी किस्त के लिए निधियां जारी करने को सुधार कार्यान्वयन से अलग करने।

(ii) यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त उन यूएलबी को जारी की जाएगी जिन्होंने सम्पत्ति कर के संबंध में सम्पत्तियों का 60% तक का कवरेज और 70% संग्रहण कुशलता तथा 70% तक की सीमा तक प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से प्रचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) लागत की वसूली वाले सुधारों के संबंध में 2 सुधारों सहित यूएलबी स्तरीय अनिवार्य 6 सुधारों में से 4 सुधार पूरे कर लिए हैं।

(iii) ऐसे यूएलबी, जो शिथिल मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सकें हैं, निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य अपने पास उपलब्ध निधियों से पूर्ण कर सकते हैं। यदि मार्च, 2014 तक उपर्युक्त (ii) तक सुधारों की उपलब्धि प्राप्त कर ली जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक

4370. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को देश में, उनसे संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए उनको आकर्षित करने और वापस लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में तथा देश के अनुसंधान कार्यक्रमों में वैज्ञानिक अनुसंधान करने और वापस लाने के लिए आकर्षित करने हेतु छः पहलें कार्यान्वित कर रहा है। इनके ब्यौरे निम्नानुसार है:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की पहलें

(i) **रामानुजन अध्येतावृत्ति कार्यक्रम**

इसकी शुरुआत से, भारत में वैज्ञानिक संस्थानों ओर विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पदों पर कार्य करने के लिए विदेशों में कार्यरत 184 भारतीय मूल वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों को यह अध्येतावृत्ति प्रदान की गई। यह प्रत्येक अध्येतावृत्ति 75,000 रु. की मासिक परिलब्धियों और 5 लाख रु. के वार्षिक प्रासंगिकता अनुदान सहित 5 वर्षों की अवधि के लिए होती है।

(ii) **इंस्पायर संकाय स्कीम के अंतर्गत सुनिश्चित अनुसंधान करियर अवसर (एओआरसी)**

वर्ष 2011 से कुल 175 युवा वैज्ञानिकों को इंस्पायर संकाय पुरस्कार प्रदान किया गया और जिनमें से 33 भारत के वैज्ञानिक हैं। इंस्पायर संकाय पुरस्कार स्कीम 5 वर्षों की अवधि तक अपनी पसंद के प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अनुसंधान करने के लिए संविदात्मक कार्य प्रदान करती है। चयनित उम्मीदवार आईआईटी के सहायक आचार्य के वेतनमान के समकक्ष समेकित परिलब्धि और 7 लाख रु. का सुनिश्चित वार्षिक अनुसंधान अनुदान प्राप्त करते हैं। इस स्कीम ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों का उत्साहपूर्वक नामांकन अर्जित किया है।

(iii) **विदेशों में बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के साथ सहयोगी परियोजनाएं (सीपी-एसटीआईओ)**

इसकी शुरुआत से, डीएसटी और भारतीय मेजबान संस्थान की संयुक्त वित्तीय सहायता के साथ एसटीआईओ को शामिल करते हुए 37 सहयोगात्मक परियोजनाओं को शामिल किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वापसी का हवाई किराया दो सप्ताह के लिए 2000 अमेरिकी डॉलर की दर पर 2 से 12 सप्ताह के लिए मानदेय तथा प्रत्येक अतिरिक्त पखवाड़े के लिए 500 अमेरिकी डॉलर प्रदान करता है। इसने भारतीय मूल के विदेशों में बसे वैज्ञानिकों के भारतीय आर एण्ड डी प्रयोगशालाओं के 50 से अधिक दौरों को आकर्षित किया है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की पहलें

(iv) **"रामलिंगास्वामी पुनर्प्रवेश अध्येतावृत्ति"**

इसकी शुरुआत से विदेशों में बसे 147 भारतीय वैज्ञानिकों को 5 वर्षों तक की अवधि के लिए भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अपनी पसंद के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान के क्षेत्रों में रामलिंगास्वामी पुनर्प्रवेश अध्येतावृत्ति हेतु चुना गया है। इस अध्येतावृत्ति के विजेता 5 से 10 लाख के वार्षिक अनुसंधान/प्रासंगिकता अनुदान के साथ 75,000 रु. की मासिक परिलब्धि और 7500 रु. प्रतिमाह का मकान किराया भत्ता प्राप्त करते हैं।

(v) **जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वेलकम ट्रस्ट (डब्ल्यूटी) एलायंस**

भारत में वापस लौटाने के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाने वाला यह एक चार चरणीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम है। यह अध्येतावृत्ति पोस्ट-डॉक्टरल स्तर पर जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। डीबीटी और वेलकम ट्रस्ट यूके द्वारा इस अध्येतावृत्ति कार्यक्रम को संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। इसके आरंभ से, पुरस्कार हेतु 78 अध्येतावृत्तियों की सिफारिश की गई है (4 वर्षों की अवधि के

लिए 1.5 करोड़ रु. की दर पर 22 प्रारंभिक करियर अध्येतावृत्ति, 5 वर्षों की अवधि के लिए 3.5 करोड़ रु. की दर पर 41 माध्यमिक अध्येतावृत्ति और 5 वर्षों की अवधि क लिए 4.5 करोड़ रु. की दर पर 15 वरिष्ठ अध्येतावृत्ति)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर)

(vi) **उत्कृष्ट वैज्ञानिक - एसटीआईओ**

यह एक हाल ही की पहल है जिसमें विदेशों से बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में एक अनुसंधान क्षेत्र का संपोषण करने के लिए सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में "उत्कृष्ट वैज्ञानिक" के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** – *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.0¼ बजे

इस समय श्री यशवीर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

श्री पबन सिंह घाटोवार।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8089/15/12]

(2) (एक) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लैबोरेटरिज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लैबोरेटरिज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8090/15/12]

(3) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडेमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडेमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8091/15/12]

(4) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8092/15/12]

(5) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8093/15/12]

(6) (एक) बोस इंस्टिटयूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8094/15/12]

(7) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8095/15/12]

(8) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8096/15/12]

(9) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यू फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुअनंपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यू फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुअनंपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8097/15/12]

(10) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8098/15/12]

(11) (एक) टेक्नोलॉजी इनफारमेशन, फॉर कार्स्टिग एंड असेसमेंटे काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इनफारमेशन, फॉर कार्स्टिग एंड असेसमेंटे काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8099/15/12]

(12) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलियोबाटनी, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलियोबाटनी, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8100/15/12]

(13) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8101/15/12]

(14) (एक) जवाहर लाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8102/15/12]

(15) (एक) ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8103/15/12]

(16) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8104/15/12]

(17) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलाजी, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलाजी, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8105/15/12]

(18) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रि-जेनरिटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रि-जेनरिटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8106/15/12]

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8107/15/12]

(20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8108/15/12]

(21) (एक) कंसेलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसेलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8109/15/12]

(22) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देराहदून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देराहदून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8110/15/12]

(23) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ऑबसर्वेशनल सांइसेंस, नैनीताल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ऑबसर्वेशनल सांइसेंस, नैनीताल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8111/15/12]

(24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैगनेटीस्म, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैगनेटीस्म, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8112/15/12]

(25) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8113/15/12]

(26) (एक) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8114/15/12]

(27) (एक) इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8115/15/12]

(28) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8116/15/12]

(29) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8117/15/12]

(30) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8118/15/12]

(31) (एक) एनिमल हेल्थ फॉर ह्यूमन वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनिमल हेल्थ फॉर ह्यूमन वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8119/15/12]

(32) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओ की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के

वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8120/15/12]

(33) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8121/15/12]

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : मैं श्री अजित सिंह की ओर से वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2012 जो 21 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 487(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8122/15/12]

...(व्यवधान)...

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8123/15/12]

...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : मैं श्री वी. नारायणसामी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8124/15/12]

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8125/15/12]

(ग) (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8126/15/12]

(2) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंस, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंस, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8127/15/12]

(3) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)1

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8128/15/12]

(4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8129/15/12]

(5) (एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उक्त रिपोर्ट के अध्याय 10 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को स्वीकार न करने के कारण दर्शाने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8130/15/12]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8131/15/12]

(7) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, उमियम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ-ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, उमियम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8132/15/12]

(8) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8133/15/12]

(9) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8134/15/12]

(10) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8135/15/12]

(11) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8136/15/12]

(12) (एक) नेशनल एटमास्फैरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमास्फैरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8137/15/12]

(13) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8138/15/12]

(14) (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8139/15/12]

(15) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8140/15/12]

(16) (एक) सिविल सर्विसेज सोसाईटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसाईटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8141/15/12]

(17) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8142/15/12]

(18) (एक) हरिश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8143/15/12]

(19) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8144/15/12]

(20) (एक) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशनं सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8145/15/12]

...(व्यवधान)...

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 41 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी नालंदा विश्वविद्यालय (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2012 जो 23 नवम्बर 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2774(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8146/15/12]

(2) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8147/15/12]

...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : मैं डा. शशी थरुर की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8148/15/12]

(2) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8149/15/12]

(3) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8150/15/12]

(4) (एक) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8151/15/12]

(5) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8152/15/12]

(6) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8153/15/12]

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8154/15/12]

(9) (एक) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8155/15/12]

(10) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8156/15/12]

(11) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8157/15/12]

(12) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8158/15/12]

(13) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8159/15/12]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8160/15/12]

(15) (एक) जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8161/15/12]

(16) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8162/15/12]

(17) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8163/15/12]

(18) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8164/15/12]

(19) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8165/15/12]

(20) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8166/15/12]

(21) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8167/15/12]

(23) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8168/15/12]

(24) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला **विवरण** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8169/15/12]

(26) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8170/15/12]

(27) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8171/15/12]

(28) (एक) जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8172/15/12]

(29) (एक) बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8173/15/12]

(30) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8174/15/12]

(31) (एक) अंडमान एंड निकोबार आइलेंड्स यूटी मिशन ऑथोरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंडमान एंड निकोबार आइलेंड्स यूटी मिशन ऑथोरिटी (सर्व शिक्षा अभि[illegible], पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के कार्य[illegible] की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8175/15/12]

(32) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8176/15/12]

(33) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8177/15/12]

(34) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8178/15/12]

(36) (एक) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8179/15/12]

(37) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2011-

2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8180/15/12]

(38) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8181/15/12]

(39) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8182/15/12]

(40) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8183/15/12]

(41) (एक) इंगलिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंगलिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8184/15/12]

(42) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8185/15/12]

(43) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8186/15/12]

(44) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8187/15/12]

(45) (एक) जामिया मीलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मीलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मीलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8188/15/12]

(46) (एक) नागालैंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोहिमा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोहिमा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8189/15/12]

(48) (एक) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8190/15/12]

(49) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8191/15/12]

(50) इंगलिश एंड फॉरेन लैंग्वेज़ेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8192/15/12]

(51) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8193/15/12]

(52) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8194/15/12]

(53) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8195/15/12]

(54) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमीनिस्ट्रेशन, दिल्ली

के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमीनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमीनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8196/15/12]

(55) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8197/15/12]

(56) (एक) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8198/15/12]

(58) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8199/15/12]

(59) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8200/15/12]

(60) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8201/15/12]

(61) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. एफ.सं. 47-8/2011/ एनसीटीई/सीडीएन (संस्करण-दो) जो 19 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रो. दिव्यप्रभा नागर की 22.09.2013 तक नॉदर्न

रिजनल् कमिटी, जयपुर के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन किए जाने के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8202/15/12]

(62) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8203/15/12]

(63) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8204/15/12]

(64) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथ लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8205/15/12]

(65) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8206/15/12]

(67) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8207/15/12]

(68) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8208/15/12]

...(व्यवधान)...

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8209/15/12]

(2) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8210/15/12]

...(व्यवधान)...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8211/15/12]

(2) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8212/15/12]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (पूर्ववर्ती डेएक्क सोसाइटी), नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (पूर्ववर्ती डेएक्क सोसाइटी), नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8213/15/12]

(4) (एक) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8214/15/12

(5) (एक) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8215/15/12]

(6) (एक) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8216/15/12]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8217/15/12]

(ख) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलूरु के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलूरु का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8218/15/12]

(ग) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित, लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8219/15/12]

(8) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8220/15/12]

(9) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8221/15/12]

...*(व्यवधान)*...

(10) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (पांचवा संशोधन) विनियम, 2012 जो 27 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8222/15/12]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8223/15/12]

...*(व्यवधान)*...

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 106(अ) जो 25 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सहायक निदेशक (सिस्टम्स), उप-निदेशक (सिस्टम्स), निदेशक (सिस्टम्स), और कनिष्ठ लिपिक-सह-टंकक (हिन्दी/अंग्रेजी) के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियमों के बारे में है।

(दो) "कनिष्ठ लिपिक-सह-टंकक (हिन्दी/अंग्रेजी), 2011 (संशोधित)" जो 18 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 770(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8224/15/12]

(2) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8225/15/12]

(3) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 1 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8226/15/12]

...(व्यवधान)...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ कृपारानी किल्ली) : मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 1 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8227/15/12]

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग संख्यांक 4 विधेयक, 2012 को, जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 14 दिसंबर, 2012 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.03½ बजे

प्राक्कलन समिति

18वां और 19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : मैं प्राक्कलन समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'खाद्यान्नों का उपापन और भंडारण' विषय के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) विद्युत; कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों से संबंधित 'विद्युत उत्पादन-मांग और आपूर्ति' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के 13वें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)..

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. "निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग केन्द्रों का मूल्यांकन" के बारे में 36वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
2. "विदेश मंत्रालय द्वारा संपत्ति प्रबंधन" के बारे में 75वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
3. "दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि आबंटन" के बारे में 78वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
4. "आमान परिवर्तन और नई लाइन परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन पद्धति" के बारे में चौथा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
5. "दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास" के बारे में 20वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
6. "भारतीय रेल में साफ-सफाई और स्वच्छता" के बारे में 21वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
7. "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन" के बारे में 27वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
8. "स्वीकृत अनुदानों पर अधिशेष और प्रभारित विनियोग (2007-08)" के बारे में 36वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
9. "भारतीय वायुसेना में वायुयान बेड़े का संचालन और अनुरक्षण" के बारे में 44वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
10. "भारतीय रेल में आपदा प्रबंधन और भू-प्रबंधन" के बारे में 50वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
11. "भारतीय रेल में माल भाड़ा तथा वैगन प्रबंधन" के बारे में 51वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.04½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर (बनगांव) : मैं हरियाणा में अनुसूचित

जाति की महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए 17 अक्टूबर, 2012 को हरियाणा के जींद और कैथल जिलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा किए गए तत्स्थानिक अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.04¾ बजे

रेल अभिसमय समिति

5वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मैं "पिछड़े क्षेत्रों के विकास में रेलवे की भागीदारी" के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.05 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2012-2013 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय - एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

26वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदया, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित "उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011" के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

29वें से 31वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हेमानन्द बिस्वाल (सुन्दरगढ़) : महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में

[श्री हेमानन्द बिस्वाल]

अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदया, मैं अपने वरिष्ठ साथी, श्री एस. जयपाल रेड्डी की तरफ से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

2 228वें प्रतिवेदन जैवप्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय वर्ष 2012-13 की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। समिति ने 12 अप्रैल, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में डीबीटी के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में इसकी प्रगति की समीक्षा की है।

3 समिति की सिफारिशों पर जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विचार किया गया है। सिफारिशों पर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की गई है और सभा पटल पर रखी गई है।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 8228/15/12

अपराह्न 12.08 बजे

(दो) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : महोदया, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने 178वें प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये 19 अप्रैल 2012 को एक बैठक आयोजित की थी। समिति ने 3 मई 2012 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। 178वां प्रतिवेदन राज्य सभा में 07-05-2012 को प्रस्तुत किया गया था और लोक सभा के पटल पर 07-05-2012 को रखा गया।

मैं 178वें प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर भी रखता हूं।

अपराह्न 12.08½ बजे

(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : महोदया, मैं अपने साथी श्री वी. नारायणसामी की ओर से, दिनांक सितम्बर 1, 2004 को

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 8229/15/12

**सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 8230/15/12

लोक सभा बुलेटिन भाग-II (सं. 456) द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 389 के प्रावधान के अन्तर्गत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73ए के अनुसरण में अन्तरिक्ष विभाग संसदीय स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

संसदीय स्थायी समिति ने 11 अप्रैल, 2012 को अनुदानों की मांगों 2012-2013 पर विचार करते हुए अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया था। समिति ने 18 मई, 2012 को राज्य सभा में प्रस्तुत किए गए तथा 18 मई, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखे अपने 225वें प्रतिवेदन में अन्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों की सिफारिश की।

स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में दस (10) सिफारिशें कीं। सिफारिशों में सुझाये गये कार्यों पर अन्तरिक्ष विभाग द्वारा सितम्बर 2012 के दौरान की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो स्थायी समिति के विचाराधीन है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और इन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.09 बजे

कार्य-मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 18 दिसंबर, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 18 दिसम्बर, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं खुद चाहती हूं कि इस पर सदन में चर्चा हो और बहुत सख्त कानून बनाया जाए। आप नोटिस दीजिए। हम चर्चा करवाएंगे।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.10 बजे

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन* **हुईं]**

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.0¼ बजे

इस समय श्री यशवीर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के पीड़ितों के चरित्र हनन करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये दिशा-निर्देश जारी करना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : "माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि रविवार की रात को दिल्ली में चलती बस में जो शर्मनाक घटना घटित हुई, जिसने हमारे अंत:करण को

झकझोर दिया, उसकी हमारे सभी सदस्यों द्वारा एक स्वर में भर्त्सना की गई थी।"

युवती की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए मैंने कल अस्पताल का दौरा किया और उसके माता-पिता से मुलाकात की। मैंने उन्हें सभा की चिंता से अवगत कराया तथा उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

सभा की महिला सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की है तथा इस अमानवीय घटना पर अपनी वेदना और दुःख व्यक्त किया है। समस्त सभा, विशेष रूप से महिला सदस्यों की भावनाओं के साथ सहयोजित होते हुए, मैं सरकार से अपेक्षा करती हूं कि वह किसी भी रूप में हनन करने को पूर्णत: प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करे।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सभी मामलों की जांच करने तथा महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने के प्रयोजनार्थ एक वरिष्ठ महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए।

पूरे देश में पुलिस बलों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए गहन प्रतिशक्षण कार्यक्रमों का तत्काल आयोजन किया जाना चाहिए, और यही इस सभा की भावना है।"

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - जारी

(चार) दक्षिण दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के पश्चात लिये गये निर्णय*

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिन्दे) : यह दिनांक 17.12.2012 को दोनों सदनों में दिए गए मेरे पहले वक्तव्य के क्रम में है जिसमें मैंने यह वचन दिया था कि मैं गृह मंत्रालय के अधिकारियों सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारियों तथा गृह सचिव के साथ इस मामले की विस्तृत समीक्षा करूंगा।

6 अभियुक्तों में से चार अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है तथा शेष 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल निरंतर छापे मार रहे हैं। इस मामले की जांच की गहन निगरानी करने के लिए पुलिस उपायुक्त के अधीन विशेष जांच दल गठित किया गया है। वसंत विहार पुलिस थाने में दिनांक 17.12.2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 365/376 (2) (छ)/377/394/34 के अंतर्गत एफ आई आर संख्या 413 दर्ज की गई जिसमें बाद में धारा 307 और 201 भी जोड़ दी गई हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त नियमित आधार पर पीड़ित छात्रा की चिकित्सा स्थिति का जायजा लेने और उसके माता-पिता से संपर्क करने के लिए एक महिला आई.पी.एस अधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस दल को नियमित अंतरालों पर अस्पताल जाने का निदेश दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के साथ समिक्षा के दौरान मैंने उस पहलू की भी समीक्षा की जिसके कारण चलती बस में यह जघन्य अपराध किया गया। पुलिस अधिकारियों तथा परिवहन आयुक्त के साथ समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) रंगीन शीशों तथा पर्दों वाली सभी बसों/वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सभी वाहनों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

(ii) सभी वाणिज्यिक वाहनों/बसों को निदेश दिया जाएगा कि वे रात्रि के दौरान दिल्ली की सड़कों पर चलते समय अपनी लाइटें जलाए रखें।

(iii) ड्यूटी के बाद सभी बसें उसके मालिक के पास खड़ी की जानी चाहिएं न कि चालक/स्टाफ के पास।

(iv) संविदा परिवहन शर्तों अथवा परमिट की अन्य किसी शर्त का उल्लंघन करते पाए जाने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों/बसों को जब्त कर लिया जाएगा तथा उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे।

(v) दिल्ली पुलिस सभी सार्वजनिक वाहनों के सभी चालकों/स्टाफ का सत्यापन करेगी। सत्यापित न किए गए स्टाफ/चालकों द्वारा चलायी जा रही सभी बसों/ओटो को जब्त कर लिया जाएगा।

(vi) सभी सार्वजनिक वाहनों पर चालक का लाइसेंस तथा फोटो सहित सभी विवरण अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही उस पर एक हेल्प लाइन नम्बर भी प्रदर्शित किया जाएगा जिस पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 8231/15/12

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिक वाहन मुहैया कराकर दिल्ली पुलिस के पी.सी.आर बेड़े में वृद्धि की जाए तथा वह जी.पी.एस इनेबल्ड होगा ताकि उनके आवागमन का केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में पता लगाया जा सके।

मैं यही वक्तव्य देना चाहता था।

अपराह्न 2.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण अब नियम 377 के अधीन मामले सभी पटल पर रखे जायेंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो वे स्वयं 20 मिनट के अन्दर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वहीं मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रखा दी गई हो। शेष व्ययगत माने जायेंगे।

...(व्यवधान)...

(एक) तमिलनाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारियल उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी) : मैं तमिलनाडु में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नारियल कृषकों की समस्या उठाना चाहता हूं। वहां 5000-10000 की संख्या में नारियल उत्पादक हैं। सौ एकड़ से अधिक भूमि पर नारियल की खेती की जाती है। नारियल का उपयोग पूजा, रसोई घर, में और दवाईयों में प्रयुक्त तेल एवं केश तेल के रूप में किया जाता है। किन्तु वर्तमान में, किसानों के समक्ष कई समस्याएं आती हैं और अपने उत्पाद के लिये उन्हें कम कीमत दिये जाने की वजह से वे जीवनयापन के लिये संघर्ष कर रहे हैं। नारियल के पेड़ों पर यूरोफिट माइट और यलोलीव नामक रोगों का असर पड़ता है। राज्य सरकार कीटनाशकों पर राजसहायता प्रदान करती है, जोकि पर्याप्त नहीं है और इसीलिये कीटनाशकों पर राजसहायता में वृद्धि की जानी चाहिये। दूसरी समस्या यह है कि कामगार नारियल तोड़ने के बदले प्रति पेड़ 15 से 20 रुपए की मांग करते हैं और एक नारियल मात्र 3 से 5 रुपए में बेचा जाता है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार निर्वाह कर सकते हैं?

भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि यह नारियल एवं कोपरा सूखा नारियल की सीधी खरीद हेतु एक खरीद केन्द्र की स्थापना करे, नारियल बोर्ड हो और नारियल की कीमत केन्द्र सरकार द्वारा तय की जाये और कीटनाशकों एवं सेमी-ऑटोमेशन कोकोनट पलकिंग मशीनों पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि की जाये ताकि वे नारियल के पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ने वाले लोगों की उच्च पारिणामिक की मांगों से निजात पा सकें। पानी की कमी के चलते नारियलों का आकार अत्यंत छोटा होता जा रहा है। सरकार को ड्रिप सिंचाई व्यवस्था हेतु राजसहायता देनी चाहिए। जगह-जगह पर पेड़ों पर चढ़ने वाले कुत्ते पेड़ों पर चढ़कर छोटे नारियलों को खा रहे हैं और उत्पादन को खराब कर रहे हैं। इन पेड़ों पर कुत्तों को चढ़ने एवं उत्पादन को खराब होने से रोकने की कुछ प्रविधियां अपनाई जानी चाहिये। सरकार को राजसहायता के रूप में नारियल उत्पादकों की सहायतार्थ आगे आना चाहिये।

(दो) दिल्ली में प्रत्येक परिवार को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा दिल्ली में उन व्यक्तियों, जो अपनी किरोसिन एजेंसियां बंद होने के पश्चात् बेरोजगार हो गए हैं, को रसोई गैस की डीलरशिप प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम बंगाल): दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली को केरोसीन तेल से मुक्त करने का जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है, परंतु आज भी दिल्ली में कई परिवारों के पास एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं है। विशेषकर दिल्ली देहात में कई परिवार चूल्हा जलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसके धुएं से उनका परिवार व वातावरण दूषित हो रहा हैं इन सबका ध्यान रखते हुए सरकार को उन परिवारों को जिनके राशनकार्ड पर तेल अंकित था उन्हें प्राथमिकता से एल.पी.जी. कनेक्शन दिए जाएं। दिल्ली में केरोसीन के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वे सभी इस योजना के कारण बेरोजगार

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री महाबल मिश्रा]

हो गए हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने इनके हितों का ध्यान रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय को निर्देश जारी किए थे जोकि मंत्रालय ने अभी तक लागू नहीं किए हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली में प्रत्येक परिवार को एक एल.पी.जी. कनेक्शन शीघ्र दिए जाने व केरोसीन डिस्ट्रीब्यूटरों को एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिए जाने हेतु यथाशीघ्र कदम उठाने की कृपा करें।

(तीन) ऑक्यूपेशनल थैरेपी के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् गठित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथिट्टा) : मैं सरकार से ऑक्यूपेशनल थैरेपी के लिए एक राष्ट्रीय परिषद के गठन का अनुरोध करता हूं। यद्यपि हमारे पास व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तथा उनके निरीक्षण के लिए पृथक राष्ट्रीय परिषदें है, फिर भी इस संबंध में ऑक्यूपेशनल थैरेपी के एक नियंत्रक की कमी हो रही है। मैं इस महान सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि ऑक्यूपेशनल थैरेपी को मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या विधेयक, 2012 में शामिल नहीं किया गया है। ऑक्यूपेशनल थैरेपी तथा उससे संबंधित बीमारियों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा भावनात्मक घटकों से उत्पन्न होने वाली असंख्य बीमारियों का उपचार ऑक्यूपेशनल थैरेपी से होता है। इन घटकों से उत्पन्न होने वाली कई बिमारियों की शुरूआत में पहचान करके तथा समुचित देखभाल द्वारा इनका उपचार अथवा इनकी गहनता को कम किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस संबंध में ऑक्यूपेशनल थैरेपी एक मुख्य भूमिका निभा सकती है। यदि हमारे पास ऑक्यूपेशनल थैरेपी से संबंधित पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा उन्हें नियन्त्रित करने के लिए राष्ट्रीय निकाय होगा तो देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट लाने में यह मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर यह एक बहुत बड़ा कदम होगा।

(चार) भारत के हितों की रक्षा के लिए भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): सदियों से भारत एवं नेपाल के मध्य सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों का ही परिणाम है कि आज तक भारत एवं नेपाल के नागरिकों को बिना पासपोर्ट एवं वीजा के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्राप्त है।

नेपाल में राजशाही के पतन के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाने में प्रयासरत चीन भी परिस्थितियों का लाभ लेकर नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने के लिए प्रयासरत है।

भारत-नेपाल के मध्य 1747 किलोमीटर की सीमारेखा पर बेरोक-टोक आवाजाही है। इसका फायदा विभिन्न शरारती किस्म के तत्व उठा रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों के खतरों के प्रति सतर्क रहकर भविष्य में पैदा होने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने हेतु समय रहते कार्यवाही राष्ट्रीय हित में आवश्यक है।

अभी हाल में नेपाल में माओवादी धड़े द्वारा निमंत्रित किए गए एक चीनी दल को उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर की सीमा के समीप हिन्दी भाषा का अध्ययन कराने एवं भारतीय रीति-रिवाजों से परिचित कराने का प्रयास संज्ञान में आया है। नेपाल के माओवादियों की चीनी शासकों से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। यह गंभीर स्थिति है।

ऐसी दशा में भारत एवं नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने के साथ ही नेपाल से राजनयिक एवं कूटनीतिक स्तर पर भी इस बदले परिदृश्य में प्रभावी कार्यवाही भारतीय हितों के लिए आवश्यक है।

(पांच) समुद्री जल-जीवन तथा छोटे मछुआरे समुदाय की आजीविका के रक्षा उपायों का आकलन करने और उन्हें कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निलेश नारायण राणे (रत्नागिरी-सिन्धुदुर्ग) : महाराष्ट्र के कोंकण तट के पारम्परिक मछुआरों को चीनी तथा कोरियाई मछली पकड़ने वाले ज्ञात तथा मछली पकड़ने वाली यात्रीकृत पोतों जैसे ट्रालर्स के कारण आजीविका में समस्या हो रही है। मछली पकड़ने की गलत प्रथा, उच्च यंत्रीकृत द्वारा मछली पकड़ना, आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना तथा मत्स्य-क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के आधार के नष्ट होने से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बरकरार रखना बहुत बड़ा मुद्दा है परंतु विशिष्ट मुद्दा मशीनों से मछली

पकड़ना तथा कोंकण, विशेषकर रत्नागिरी तथा सिन्धुदुर्ग जिलों के लाखों छोटे तथा गरीब मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित समस्या का है।

इसके अलावा, मैं पर्यावरणीय अवक्रमण के कारण सामुद्रिक पारिस्थितिकीय तंत्र को हुई क्षति की समस्या पर प्रकाश डालना चाहता हूं। प्राकृतिक घटनाओं में आवधिक परिवर्तन जैसे समुद्री धाराओं, जल तापमान तथा ऑक्सीजन की परत पारिस्थितिक तथा पर्यावरणीय संतुलन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। मानव द्वारा लगातार अन्तःक्षेप, पर्यावरणीय अवक्रमण सहित मशीनों द्वारा अंधाधुंध मछली पकड़ने से समुद्री संसाधन लुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा, अत्यधिक मल जल, औद्योगिक बहिस्त्रावों तथा विषैले पदार्थों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तटीय समुद्र में डालने से समुद्री पारिस्थितिक प्रदूषण ने समुद्री संसाधनों को अहितकारी रूप से प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन तथा समुद्री जीवन पर इसके परिणाम चिंता का दूसरा विषय है। उन्नत देश उच्च स्तरीय अनुसंधान कर रहें है तथा समुद्री तल पर मत्स्य प्रजनन स्थानों में हुए परिवर्तनों की पद्धति का अध्ययन कर रहें है, जबकि भारत में इस प्रकार का कोई अनुसंधान स्पष्ट रूप से नहीं किया जा रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक वैज्ञानिक अध्ययन की शुरूआत की जाए ताकि जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय अवक्रमण से समुद्री जल-जीवन को हुई क्षति का मूल्यांकन किया जा सके। छोटे मछुआरे समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए शीघ्र ही नीतिगत कदम उठाए जाने चाहिए।

(छह) देश में खेलों और युवा कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): भारत के नवनिर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। इनको अच्छी शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो हम युवाओं के माध्यम से देश के विकास की गति को और तेज कर सकते हैं। परंतु देखा गया है कि युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अपने निवास से दूर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जिन जगहों पर जाते हैं वहां हॉस्टल की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पाती है जिसके कारण उनके शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं युवाओं में खेलों की तरफ रुचि कम होती जा रही है जबकि युवाओं के समुचित विकास के लिए खेल भी अति आवश्यक है। इस संबंध में सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयास किया तो पता लगा कि खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के पास समुचित फंड नहीं है जिसके कारण युवा वर्ग को खेल के प्रति रुचि, प्रशिक्षण एवं शिक्षा को प्राप्त करने एवं हॉस्टल की सुविधा में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में युवा वर्ग ने इस प्रकार की शिकायत की है।

सरकार से अनुरोध है कि खेल एवं युवा मामलों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था की जाए और इसको समुचित ढंग से खर्च भी किया जाए।

(सात) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा (देवास): राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केन्द्र सरकार की एक महती योजना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार अब अपना पंजीयन मात्र 30 रुपये में करवाकर एक वर्ष तक किसी भी शासकीय या निजी अस्पताल में 30,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के तहत देश के कई प्रदेश के नागरिक लाभान्वित होकर 30,000 रुपये तक मुफ्त इलाज का लाभ लेकर केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी योजना की सराहना कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार अभी तक इस महती योजना से वंचित हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में भी इस जनकल्याणकारी योजना को लागू किए जाने की पहल शीघ्र करें, जिससे देश के सभी राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी इस योजना का लाभ मिल सके।

(आठ) मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भारतीय सेना द्वारा एक कैंटीन खोले जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (भिंड): मध्य प्रदेश का भिण्ड जिला जहां के युवा सेना में सर्विस अर्धसैनिक बलों में रुचि रखते

[श्री अशोक अर्गल]

हैं। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पूर्व सैनिक एवं सैनिकों हेतु भिण्ड में एक आर्मी केन्टीन की आवश्यकता है। यहां के सैनिकों को इस हेतु वर्तमान में ग्वालियर जाना होता है। मेरा आग्रह है कि भिण्ड में एक आर्मी कैन्टीन खोली जाए।

(नौ) झारखंड राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध और प्रसिद्ध शहरों में बुनियादी अवसंरचना का विकास आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : झारखंड के संथाल परगना की समस्याओं का समाधान केवल व्यापक कार्रवाई की योजना के माध्यम से ही किया जा सकता है जहां आधारभूत अवसंरचना के विकास की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी प्राप्ति के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध स्थल जहां अच्छे पर्यटन की संभावना है, के विकास की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं भारत सरकार से ग्रामीण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन के मानचित्र के अंतर्गत संथाल परगना तथा भागलपुर (पूर्व अंग प्रदेश) क्षेत्र के निम्नलिखित 12 महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

1. देवघर
2. भागलपुर में करनगढ़ी
3. बासुकीनाथ
4. पारसनाथ
5. मंदार पर्वत
6. विक्रमशिला
7. चंपापुरी
8. तारापीठ
9. त्रिकुट पर्वत
10. सुल्तानगंज
11. बाटेश्वर स्थन
12. मालुती (डुम्का)

(दस) एमटीएनएल के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान एमटीएनएल के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): भारत सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड में लगभग तीन लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन आदि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि उसी की सहयोगी कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन का भुगतान एम.टी.एन.एल. को करना पड़ता है।

दूरसंचार विभाग ने वर्ष 1986-2002 में एम.टी.एन.एल. एवं बी.एस.एन.एल. को विभाजित कर दिया था और दोनों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जिसमें एम.टी.एन.एल. के कर्मचारी को वर्ष 1998 में एवं बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों को सन् 2002 में विकल्प दिया गया था।

बी.एस.एन.एल. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भारत सरकार पेंशन देती है, जबकि उसकी ही सहयोगी कंपनी एम.टी.एन.एल. के सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी पेंशन आदि एम.टी.एन.एल. को देना पड़ता है। आज स्थिति ये आ गई है कि एम.टी.एन.एल. के कर्मचारी को वक्त पर वेतन-भत्ता तक नहीं मिल पाता है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि बी.एस.एन.एल. की तरह एम.टी.एन.एल. के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं अधिकारियों की पेंशन आदि का भुगतान भारत सरकार द्वारा ही कराई जाए ताकि एम.टी.एन.एल. बंद होने के कगार से बच सके।

(ग्यारह) बिहार के पूर्वी चंपारण में राजकीय बुनियादी बुनियादी विद्यालय मधुबनी कलाशाला के पुनरूद्धार के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया प्रखंड में राष्ट्रपिता माहत्मा गांधी के मार्गदर्शन

में उनके सहयोगी श्री पुरुषोत्तम मथुरा दास द्वारा सन् 1918 में राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय मधुबनी कला-सला नामक बहुत ही महत्वकांक्षी संस्था की स्थापना वृहत रूप में किया गया था। जिसमें बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ लगभग 700 बुनकरों द्वारा रेशम की बुनाई, स्वेटर बुनाई, मधु उत्पादन, तेल उत्पादन, साबुन उत्पादन एवं सूती कटाई जैसे अनेकों कार्य होते थे। यहां के निर्मित उत्पादनों का निर्यात देश के विभिन्न हिस्सों एवं सरकारी संस्थानों में किया जाता था। विशेष कर यहां से निर्मित रेशम वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि का होता था। इस संस्था से पूर्व में भारत के प्रथम माननीय राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद एवं भू-दान आंदोलन के जनक श्री विनोबा भावे जी भी जुड़े रहे हैं। परंतु, दुर्भाग्यवश पिछले कई वर्षो से यह महत्वाकांक्षी एवं बहुआयामी संस्था कच्चे माल एवं आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इससे जुड़े लोग भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। इसके भवन भी काफी जर्जर हो चुके हैं। यह संस्था ऐतिहासिक होने के साथ-साथ भारतीय प्राची संस्कृति का भी द्योतक है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि उक्त मधुबनी कला-सला संस्था को गांधी सर्किट से जोड़ते हुए जीर्णोद्धार हेतु विशेष पैकेज दिया जाये जिससे इस संस्था के उत्थान के साथ पर्यटन का केंद्र बन सके।

(बारह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से लाभकारी मूल्य पर धान की खरीद किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र फ़तेहपुर में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चलाये जा रहे क्रय केंद्रों में किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों का लाखों कुंटल धान महीनों से खुले में पड़ा हुआ है जो बर्बाद हो रहा है। अब किसानों के धान में तरह तरह की कमियां बताकर लौटाया भी जा रहा है जबकि उसी धान को प्राइवेट क्रय केंद्रों व धान मिलों के द्वारा कम कीमत पर खरीदा जा रहा है। जिससे किसानों को अपनी धान की उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और किसान मजबूर होकर अपनी उपज को कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसान को धान की बुआई में जो लागत लगी है वह नहीं मिल पा रही है। जिससे उत्तर प्रदेश व देश के किसानों में रोष उत्पन्न हो रहा है।

अत: मेरी सरकार से मांग की है कि फतेहपुर जनपद में भारतीय खाद्य निगम के क्रय केंद्रों द्वारा किसानों के धान को यथा शीघ्र खरीदा जाये जिससे किसानों को धान का उचित सरकारी मूल्य प्राप्त हो सके और किसानों को बर्बादी से बचाया जा सके।

(तेरह) पैदल यात्रियों तथा वाहन यातायात की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में अकबरपुर जंक्शन के समीप रेलसमपार संख्या 83ए को खोले जाने की आवश्यकता

श्री राकेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): मुझे माननीय रेल मंत्री का ध्यान अकबरपुर जंक्शन उत्तर रेलवे के समपार सं. 83ए पर आकृष्ट कराना है कि जबसे इस समपार पर उपरिगामी पुल का निर्माण हुआ है तभी से समपार के फाटक को बंद कर दिया है। मैंने इस फाटक को खुलवाने हेतु बार-बार पत्र द्वारा एवं सदन में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया था परंतु फाटक न खोलने का निर्णय लिया। इस फाटक से कई स्कूलों के बच्चे आते-जाते हैं। प्रदेश स्तरीय श्री गांधी आश्रम के उत्पादन एवं बिक्री केंद्र को भी इसी समपार से लोग जाते हैं एवं कई व्यापारिक प्रतिष्ठान इण्टर एवं डिग्री कॉलेज का भी यही सुगम मार्ग है।

यदि फाटक को खोलने में नियमों का उल्लंघन होता हो तो अधोगामी/भूमिगत पथ का निर्माण समपार सं. 83ए पर कराया जाये।

(चौदह) बिहार के उजियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बीज अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अश्वमेध देवी (उजियारपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र उजियारपुर जो कि बिहार राज्य में है और यह संसदीय क्षेत्र कृषि उपज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणित बीज, उन्नत बीज, हाईब्रिड सीड, उत्पादन का कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर मेरे संसदीय क्षेत्र उजियारपुर (बिहार) में बीज रिसर्च केंद्र खुलता है तो यह समूचे बिहार के लिये एक गौरव की बात होगी और इससे बिहार के किसानों को बहुत फायदा होगा और बिहार के किसानों को अपनी उपज से ज्यादा फायदा होगा क्योंकि

[श्रीमती अश्वमेध देवी]

उन्नत बीज से प्रोडक्शन ज्यादा होगा इसलिए प्रति एकड़ उनका फायदा बढ़ जायेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि वह वहां पर यथाशीघ्र एक बीज रिसर्च केंद्र खुलवाये।

(पंद्रह) महाराष्ट्र में शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के अंतर्गत शिरडी संसदीय क्षेत्र में साईं बाबा की शिरडी एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है तथा वहां देश के सभी प्रांतों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु उनके दर्शन हेतु आते हैं। शिरडी-नगरी में श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा उनके दर्शन हेतु आने वाले अमीर-गरीब सभी लोगों को किसी न किसी रूप में लाभ जरूर पहुंचता है। श्री साईं बाबा के शिरडी में आगमन के बाद शिरडी जैसे छोटे गांव को पवित्र तीर्थ नगरी को अति विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में श्री साईं बाबा का पवित्र तीर्थ स्थल शिर्डी सभी वर्गों के लिए एक प्रमुख व महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

शिरडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तालुका अकोला के अंतर्गत अगस्त मुनि मंदिर, कोपरगांव तालुका में कछेश्ववर मंदिर, श्रीरामपुर तालुका के अंतर्गत डोमेगांव में पंजाबी समुदाय के लोगों का महानुभाव चक्रधर स्वामी स्थल, राहता तालुका के अंतर्गत दक्षिण काशी (पुणताम्बे) में चांगदेव महाराज की समाधि, तालुका बैजापुर के बाबलगांव में दक्षिण भारतीय सुप्रसिद्ध संत चिदंबरम स्वामी जी की समाधि, तालुका नेवास में शनि सिंगनापुर व संत ज्ञानेश्वर मंदिर सहित अनेक अन्य प्रसिद्ध धाम भी है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र की पावन महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पूरे शिरडी संसदीय क्षेत्र को एक तीर्थ नगरी व केंद्रीय पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

(सोलह) बिहार में बरौनी रिफायनरी की क्षमता का विस्तार किए जाने तथा बरौनी में प्रस्तावित फिनॉल इकाई की स्थापना भी किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिहार राज्य के बरौनी में सात रिफाईनरीज के साथ दूसरी सबसे पुरानी यूनिट है। भारत सरकार सातों रिफाईनरीज की क्षमता 56 मिलियन टन से बढ़ाकर 100 मिलियन टन करने की योजना है लेकिन बरौनी की क्षमता का विस्तार 6 मिलियन टन से 15 मिलियन टन करने की योजना में बरौनी को छोड़कर बिहार के साथ अन्याय किया गया है। साथ ही वहां पर फेनौल की यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव भी वर्षों से लंबित है।

अत: आग्रह है कि बरौनी रिफाईनरी की क्षमता 6 मिलियन टन से बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर उसे लाभकारी बनाया जाये और फैनौल की प्रस्तावित यूनिट की स्थापना की स्वीकृति दी जाए।

(सत्रह) चाय बागानों को पुन: खोले जाने तथा चाय बागानों के बेरोजगार कामगारों को मुआवजा दिए किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : जलपाईगुड़ी और उसके आसपास के जिलों में अनेक चाय बागानों को बंद किए जाने के कारण पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के हजारों कामगार भूखे मर रहे हैं। वे कुपोषण, देखभाल तथा सावधानी की कमी के कारण कष्ट झेल रहे हैं। हाल ही में भूखे मर रहे कुछ कामगारों ने स्वेच्छा से अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मुख्यमंत्री से मांगी है।

राज्य सरकार कोई मुआवजा या कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रही है जैसा कि बंद चाय बागानों के कामगारों के लिए वचन दिया गया था। बिना किसी काम, बिना भोजन, बिना बिजली, बिना उपचार के वे विनाश की ओर जा रहे हैं। कुछेक सौ बेरोजगार कामगारों, जोकि पत्थर के कारखानों में काम करने को विवश हैं, को चालीस रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं, जिनसे एक मानव जीवन का भरण पोषण संभव नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्र सरकार के सहयोग से इन बागनों को पुन: खोलना चाहिए, इन कामगारों को पुन: रोजगार देकर इनका पुनर्वास करना चाहिए और उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए ताकि वे एक मानवीय जिन्दगी बसर कर सकें। जब तक उन्हें पुन: रोजगार नहीं दिया जाता, तब तक उन्हें उनके भोजन, आश्रय, वस्त्र और उपचार के लिए उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(अठारह) कोल्हापुर विमानपत्तन का नाम बदलकर छत्रपति राजाराम महाराज विमानपत्तन रखे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): पश्चिम महाराष्ट्र स्थित मेरे कोल्हापुर जिले में पूरे देश में थोर समाज सुधारक छत्रपति शाहू महाराज जी के सामाजिक कार्य के वजह से सुपरिचित है। छत्रपति शाहू महाराज जी पुरोगामी विचारधारा के चलते उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बहुत उपक्रम अपने कार्यकाल में चलाये। खेती एवं जलसिंचन आदि क्षेत्रों में उनके कार्यकाल में कोल्हापुर ने काफी तरक्की की।

छत्रपति शाहू महाराज जी के दिए हुए निर्देशों के अनुसार उनकी विरासत पर विराजमान हुए छत्रपति राजाराम महाराज ने भी वह दूरदृष्टि सामने रखकर बहुत जन उपयोगी निर्णय किए। कोल्हापुर में पूर्वापार से चल रही उन्नत खेती और उसकी उपज एवं उद्योगों को बढ़ावा मिले औरदेश एवं विदेश की मंडियों का लाभ कोल्हापुर और आस-पास वाले प्रदेश के मेरे किसान भाईयों व व्यापारियों को और इन्हीं के साथ-साथ खेती और उद्योगों में लगे सभी मजदूरों को मिले। यह इनकी तमन्ना थी। इसलिए उन्होंने 1930-35 स्वतंत्रतापूर्व समय के बीच कोल्हापुर हवाई अड्डे का निर्माण किया और उन्हें के करकमलों द्वारा 1940 में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। उस समय 170 एकड़ जमीन इस हवाई अड्डे के लिए उपयोग में लायी गयी थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह हवाई अड्डा भारत सरकार को सौंपा गया। आज महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस हवाई अड्डे की जिम्मेदारी सौंपी गयी है और मरम्मत का कार्य एम.आई.डी.सी. द्वारा होने लगा है। हम सब कोल्हापुरवासी छत्रपति राजाराम महाराज द्वारा स्वतंत्रता पूर्व काल में किया गया इस हवाई अड्डे का निर्माण उनका ही स्मारक समझते हैं।

किंतु इसका उचित गौरव करना और उनके इस कार्य को चिरकाल याद रखने के लिए एवं युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक जानकारी हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए मेरी केंद्र सरकार से तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सदन से मांग है कि इस कोल्हापुर स्थित हवाई अड्डे का छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा ऐसा नामकरण करने का काम करे और सरकार मेरी ये विनती सुनेगी ये उम्मीद रखता हूं।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 3 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 03.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 03.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)...

अपराह्न 03.01/4 बजे

इस समय, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

.....(व्यवधान)

अपराह्न 03.01/2 बजे

संविधान (एक सौ सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 2012

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री वी. नारायणसामी

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

[श्री वी. नारायणसामी]

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर, विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*...

मुझे संविधान के अनुच्छेद 16(4क) का संशोधन करने के लिए इस संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शर्तें इस प्रकार हैं...*(व्यवधान)*...

संविधान में अन्यत्र कहीं अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्रमश: अनुच्छेदों 341 और 342 के अन्तर्गत अधिसूचित अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां पिछड़ी समझी जाएंगी और इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी..... प्रोन्नति, अनुवर्ती वरिष्ठता के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से नहीं रोकेगी।...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : सभा कल दिनांक 20 दिसंबर, 2012 को पुन:समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 20 दिसंबर, 2012/29 अग्रहायण, 1934(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री धनंजय सिंह श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	361
2.	श्री मंगनी लाल मंडल	362
3.	श्री एस. पक्कीरप्पा	363
4.	श्री गोरख नाथ पाण्डेय कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	364
5.	श्री ए.के.एस. विजयन डॉ. संजय सिंह	365
6.	श्री प्रेम दास राय श्री अंजनकुमार एम. यादव	366
7.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	367
8.	श्री वैजयंत पांडा	368
9.	श्री जगदीश सिंह राणा	369
10.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	370
11.	श्री एस. सेम्मलई प्रो. रंजन प्रसाद यादव	371
12.	श्री भूदेव चौधरी श्री आर. थामराईसेलवन	372
13.	श्री शैलेन्द्र कुमार	373
14.	श्री रमेन डेका श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	374
15.	श्रीमती सुप्रिया सुले श्रीमती सुशीला सरोज	375
16.	श्री पोन्नम प्रभाकर श्री ई.जी. सुगावनम	376
17.	श्री नामा नागेश्वर राव	377
18.	श्री समीर भुजबल	378
19.	श्री निशिकांत दुबे श्री राकेश सिंह	379
20.	श्रीमती मेनका गांधी	380

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	4224, 4172
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	4305, 4357, 4177
3.	श्री बसुदेव आचार्य	4214
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	4265, 4310, 4257, 4316, 4361
5.	श्री आधि शंकर	4274
6.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	4318
7.	श्री आनंदराव अडसुल	4265, 4182, 4257, 4361, 4274
8.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	4296
9.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	4203
10.	श्री हंसराज गं. अहीर	4187, 4343
11.	श्री एम. आनंदन	4240
12.	श्री अनंत कुमार	4233
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	4250, 4275

1	2	3
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	4299
15.	श्री कीर्ति आजाद	4288
16.	श्री गजानन ध. बाबर	4265, 4310, 4182, 4274, 4257
17.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	4189, 4351, 4199
18.	डॉ. बलीराम	4282
19.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	4300
20.	श्री ताराचन्द भगोरा	4185, 4341
21.	श्री संजय भोई	4321
22.	श्री समीर भुजबल	4359
23.	श्री कुलदीप बिश्नोई	4152
24.	श्री हेमानंद बिसवाल	4146, 4246, 4314
25.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	4253, 4259
26.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	4171
27.	श्री सी. शिवासामी	4291
28.	श्री हरीश चौधरी	4285, 4294
29.	श्री जयंत चौधरी	4317, 4200, 4274
30.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	4284
31.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	4246, 4305
32.	श्री दारा सिंह चौहान	4270
33.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	4290, 4342, 4153, 4325
34.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	4321, 4277
35.	श्री भूदेव चौधरी	4292
36.	श्रीमती श्रुति चौधरी	4162, 4263
37.	श्री खगेन दास	4237
38.	श्री राम सुन्दर दास	4278
39.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	4266
40.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	4313
41.	श्री के.डी. देशमुख	4252
42.	श्रीमती रमा देवी	4308
43.	श्री के.पी. धनपालन	4220, 4244, 4181
44.	श्री संजय धोत्रे	4258
45.	श्री आर. ध्रुवनारायण	4178
46.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	4175
47.	श्री चार्ल्स डिएस	4244, 4151
48.	श्री निशिकांत दुबे	4310, 4311
49.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	4235
50.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	4307
51.	श्रीमती मेनका गांधी	4274
52.	श्री वरुण गांधी	4315
53.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	4258, 4352, 4302, 4325, 4201
54.	श्री ए. गणेशमूर्ति	4297, 4368
55.	श्री शेर सिंह घुबाया	4322
56.	श्री एल. राजगोपाल	4270, 4302

1	2	3
57.	श्री शिवराम गौडा	4246, 4305
58.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	4220, 4227
59.	शेख सैदुल हक	4214
60.	श्री महेश्वर हजारी	4324, 4160, 4286
61.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	4312, 4324
62.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	4211
63.	श्री मन्दा जगन्नाथ	4243
64.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	4156
65.	श्री बद्रीराम जाखड़	4339, 4177
66.	श्रीमती दर्शना जरदोश	4150, 4338
67.	श्री नवीन जिन्दल	4328, 4148, 4318, 4322
68.	श्री महेश जोशी	4253
69.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	4250
70.	श्री प्रहलाद जोशी	4246, 4366, 4281
71	श्री दिलीप सिंह जूदेव	4356
72.	श्री सुरेश कलमाडी	4283
73.	श्री कपिल मुनि करवारिया	4228, 4305
74.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	4269
75.	श्री नलिन कुमार कटील	4246, 4305, 4326, 4165
76.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	4295
77.	श्री चंद्रकांत खैरे	4189, 4328, 4270, 4286

1	2	3
78.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	4309, 4209
79.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	4298
80.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	4196, 4228, 4350
81.	श्री एन. कृष्टप	4224
82.	श्री विश्व मोहन कुमार	4223
83.	श्री अजय कुमार	4272, 4367
84.	श्री पी. कुमार	4237, 4170, 4365
85.	श्री यशवंत लागुरी	4294
86.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	4147
87.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	4305
88.	श्री सतपाल महाराज	4252
89.	श्री नरहरि महतो	4163, 4263
90.	श्री भर्तृहरि महताब	4258
91.	श्री प्रदीप माझी	4267, 4301, 4280
92.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	4236
93.	श्री मंगनी लाल मंडल	4304, 4364
94.	श्री जोस के. मणि	4143
95.	श्री हरि मांझी	4241
96.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	4231
97.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	4169, 4179, 4248
98.	डॉ. थोकचोम मैन्या	4225
99.	श्री महाबल मिश्रा	4234
100.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	4304

1	2	3
101.	श्री सोमेन मित्रा	4314
102.	श्री पी.सी मोहन	4174
103.	श्री गोपीनाथ मुंडे	4325, 4171
104.	श्री विलास मुत्तेमवार	4306, 4270
105.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	4253
106.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	4281
101.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	4309, 4318
108.	श्री नारनभाई कछाड़िया	4258, 4318, 4316, 4167
109.	श्री संजय निरुपम	4253, 4363, 4221
110.	श्री असादूदीन ओवेसी	4154, 4274, 4346
111.	श्री पी.आर. नटराजन	4142, 4308, 4335
112.	श्री वैजयंत पांडा	4369
113.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4159
114.	कुमारी सरोज पाण्डेय	4317
115.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	4307, 4368
116.	श्री कमलेश पासवान	4246
117.	श्री देवजी एम. पटेल	4190
118.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	4247, 4152
119.	श्री बाल कुमार पटेल	4229
120.	श्री किसनभाई वी. पटेल	4267, 4301, 4280
121.	श्री हरिन पाठक	4248
122.	श्री ए.टी. नाना पाटील	4216
123.	श्री सी.आर. पाटिल	4186

1	2	3
124.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	4215
125.	श्रीमती कमला देवी पटले	4353, 4204
126.	श्री नित्यानंद प्रधान	4267, 4349, 4313, 4194, 4248
127.	श्री प्रेमदास	4294
128.	श्री पन्ना लाल पुनिया	4317, 4339, 4202
129.	श्री एम.के. राघवन	4307, 4320
130.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	4145, 4311
131.	श्री अब्दुल रहमान	4227, 4247, 4176, 4222
132.	श्री प्रेम दास राय	4306, 4367
133.	श्री सी. राजेन्द्रन	4258
134.	श्री एम.बी. राजेश	4168
135.	श्री पूर्णमासी राम	4261
136.	श्री रामकिशुन	4295
137.	श्री जगदीश सिंह राणा	4151
138.	श्री निलेश नारायण राणे	4325
139.	श्री रायापति सांबासिवा राव	4333, 4164, 4315
140.	श्री रामसिंह राठवा	4180
141.	डॉ. रत्ना डे	4198
142.	श्री अशोक कुमार रावत	4279
143.	श्री विष्णु पद राय	4191
144.	श्री रुद्रमाधव राय	4143, 4305, 4362, 4165
145.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	4212, 4245, 4313

1	2	3
146.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	4247
147.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	4183, 4143, 4340
148.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	4173, 4336
149.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	4163, 4289
150.	प्रो. सौगत राय	4258, 4230
151.	श्री एस. अलागिरी	4212, 4323
152.	श्री एस. सेम्मलई	4358, 4308
153.	श्री एस. पक्कीरप्पा	4347
154.	श्री एस.आर. जेयदुरई	4176
155.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	4329, 4144
156.	श्री ए. सम्पत	4188
157.	श्री तकाम संजय	4239
158.	श्रीमती सुशीला सरोज	4324, 4160
159.	श्री तूफानी सरोज	4271
160.	श्री तथागत सत्पथी	4273
161.	श्री हमदुल्लाह सईद	4228, 4241, 4331, 4157
162.	श्री एम.आई. शानवास	4275
163.	श्री जगदीश शर्मा	4306, 4270
164.	श्री नीरज शेखर	4276, 4319, 4327, 4320, 4316
165.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	4255
166.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	4237, 4184
167.	श्री एंटो एंटोनी	4220
168.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	4162, 4205, 4354
169.	डॉ. भोला सिंह	4254
170.	श्री भूपेन्द्र सिंह	4155, 4330
171.	श्री दुष्यंत सिंह	4246
172.	श्री गणेश सिंह	4344, 4192, 4324
173.	श्री जगदानंद सिंह	4260
174.	श्री महाबली सिंह	4149
175.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4303, 4324
176.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	4152
177.	श्री प्रवीण सिंह ऐरन	4161
178.	श्री राधा मोहन सिंह	4287, 4292
179.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	4262
180.	श्री राकेश सिंह	4327
181.	श्री रतन सिंह	4319
182.	श्री रवनीत सिंह	4197
183.	श्री सुशील कुमार सिंह	4249
184.	श्री उदय सिंह	4264
185.	श्री यशवीर सिंह	4276, 4319, 4327, 4320, 4316
186.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	4210
187.	श्री धनंजय सिंह	436
188.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	4307, 4275
189.	राजकुमारी रत्ना सिंह	4323
190.	श्री विजय बहादुर सिंह	4284

1	2	3
191.	डॉ. संजय सिंह	4156
192.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	4143, 4184, 4333, 4195
193.	श्री मकनसिंह सोलंकी	4290
194.	श्री के. सुधाकरण	4268
195.	श्री ई.जी. सुगावनम	4168, 4348
196.	श्री के. सुगुमार	4141, 4337, 4306
197.	श्रीमती सुप्रिया सुले	4306, 4309
198.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	4213, 4305, 4370
199.	श्री मानिक टैगोर	4238, 4307
200.	श्रीमती अन्नू टन्डन	4143, 4306, 4193, 4345
201.	श्री लालजी टन्डन	4206
202.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	4325
203.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	4310, 4158
204.	श्री आर. थामराईसेलवन	4344
205.	श्री पी.टी. थॉमस	4251
206.	श्री मनोहर तिरकी	4163, 4289, 4332
207.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	4246, 4360, 4169
208.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	4324, 4160, 4286
209.	श्री हर्ष वर्धन	4217, 4324, 4160, 4286
210.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	4319, 4208, 4325
211.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	4166, 4316, 4334
212.	श्री सज्जन वर्मा	4219
213.	श्रीमती ऊषा वर्मा	4324, 4160, 4286
214.	श्री वीरेन्द्र कुमार	4242
215.	श्री पी. विश्वनाथन	4355, 4207, 4320
216.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4256
217.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	4208
218.	श्री धर्मेन्द्र यादव	4265, 4310, 4257, 4316, 4361
219.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	4218, 4307
220.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	4226
221.	श्री मधुसूदन यादव	4293, 45300
222.	श्री मधु गौड यास्खी	4267, 4274, 4361
223.	योगी आदित्यनाथ	4322, 4232

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	367, 379
नागर विमानन	:	374, 376
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	365, 372
पृथ्वी विज्ञान	:	371
विदेश	:	373, 378, 380
मानव संसाधन विकास	:	361, 362, 363, 370
प्रवासी भारतीय कार्य	:	364
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	369, 375
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
अंतरिक्ष	:	
शहरी विकास	:	366, 368, 377.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	4216, 4235
नागर विमानन	:	4141, 4161, 4168, 4174, 4183, 4188, 4189, 4196, 4212, 4215, 4220, 4244, 4258, 4265, 4310, 4312, 4323, 4337, 4344, 4352
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	4153, 4165, 4167, 4177, 4185, 4197, 4202, 4240, 4250, 4255, 4260, 4266, 4270, 4274, 4275, 4280, 4291, 4302, 4308, 4313, 4318, 4320, 4322, 4325, 4338
पृथ्वी विज्ञान	:	4194, 4223, 4335, 4351

विदेश	:	4152, 4157, 4172, 4176, 4195, 4203, 4214, 4222, 4225, 4230, 4232, 4248, 4262, 4264, 4273, 4286, 4300, 4334, 4348
मानव संसाधन विकास	:	4142, 4143, 4146, 4147, 4155, 4162, 4163, 4173, 4175, 4178, 4181, 4182, 4186, 4187, 4190, 4191, 4192, 4198, 4205, 4206, 4211, 4213, 4217, 4218, 4224, 4227, 4228, 4229, 4231, 4233, 4236, 4237, 4238, 4239, 4241, 4242, 4243, 4245, 4246, 4247, 4251, 4252, 4253, 4254, 4256, 4263, 4267, 4268, 4272, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4295, 4297, 4298, 4301, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4309, 4314, 4317, 4319, 4324, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4336, 4339, 4340, 4343, 4347, 4354, 4355, 4356, 4357, 4360, 4366, 4367, 4368
प्रवासी भारतीय कार्य	:	4201, 4221
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	4145, 4148, 4156, 4159, 4160, 4166, 4200, 4208, 4210, 4261, 4271, 4281, 4285, 4292, 4293, 4358, 4359, 4362, 4365
योजना	:	4154, 4158, 4179, 4207, 4209, 4226, 4259, 4269, 4277, 4311, 4342, 4349, 4364
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	4180, 4199, 4345, 4346, 4361, 4370
अंतरिक्ष	:	4144, 4184, 4333, 4350, 4353
शहरी विकास	:	4149, 4150, 4151, 4164, 4171, 4204, 4219, 4234, 4249, 4257, 4288, 4294, 4296, 4299, 4315, 4316, 4321, 4341, 4363, 4369.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, **विक्रय फलक**, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/30/19/2012/(एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।